Peer reviewed Journal Impact Factor: 7.265 ISSN-2230-9578

Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Referred Journal

July-2023 Volume-15 Issue-15

Chief Editor
Dr. R. V. Bhole

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
UGC
University Grants Commission

UGC Listed
Journal Listed No-64768
Up to-May, 2019
(Now Peer Review)

Publication Address
'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23, Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102

Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal

July-2023 Volume-15 Issue-15

Chief Editor

Dr. R. V. Bhole
'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102

EDITORIAL BOARD		
Nguyen Kim Anh ***[Hanoi] Virtnam***	***Prof. Andrew Cherepanow*** *Detroit, Michigan [USA]*	***Prof. S. N. Bharambe*** *Jalgaon[M.S]*
Dr. R. K. Narkhede ***Nanded [M.S]***	***Prof. B. P. Mishra,*** *Aizawal [Mizoram]*	***Prin. L. N. Varma*** *Raipur [C. G.]*
Dr. C. V. Rajeshwari ***Pottikona [AP]***	***Prof. R. J. Varma*** *Bhavnagar [Guj]*	***Dr. D. D. Sharma*** *Shimla [H.P.]*
Dr. AbhinandanNagraj ***Benglore[Karanataka]***	***Dr. VenuTrivedi*** *Indore[M.P.]*	***Dr. ChitraRamanan*** *Navi ,Mumbai[M.S]*
Dr. S. T. Bhukan ***Khiroda[M.S]***	***Prin. A. S. KolheBhalod*** *[M.S]*	***Prof.KaveriDabholkar*** *Bilaspur [C.G]*

Published by-Chief Editor, Dr. R. V. Bhole, (Maharashtra)

The Editors shall not be responsible for originality and thought expressed in the papers. The author shall be solely held responsible for the originality and thoughts expressed in their papers.

© All rights reserved with the Editors

CONTENTS

Sr. No.		Page No.
1	भारताची अंतराळ सायबर सुरक्षा **डॉ. घन आनंद लक्ष्मीकांत**	1-4
2	'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याई नई' नाटक में व्यक्त समस्याएँ **शेख हुसैन मैनोद्दीन**	5-11
3	"हिन्दी राजनीतिक उपन्यासो में गांधी दर्शन' **प्रा.डॉ.भारत बाबुराव उपाध्य**	12-13
4	एक साहित्य समीक्षा : मध्य विद्यालय के शिक्षकों का व्यावसायिक तनाव के संदर्भ में **रश्मि लुगुन**	14-16
5	नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक की भूमिका का वृहत अवलोकन **गौरव शर्मा**	17-19
6	"सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान मैं मिनीमाता का योगदान" **डॉ. शशिकला सिन्हा ,डॉ. कमलेश कुमार शुक्ला**	20-23
7	मुण्डारी भाषा साहित्यः सामान्य परिचय **मनय मुण्डा**	24-26
8	झारखण्ड के मुण्डा जनजाति का जीवन **पुष्पा कुमारी**	27-29
9	उराँव समाज में गोत्र की भूमिका **नवल रोहित तिर्की**	30-32
10	छोटा नागपुर काश्ताकारी अधिनियम एवं औपनिवेशिक काल में उसके सामाजिक प्रभाव (1765–1947) **ओडिल एक्का**	33-35
11	झारखण्ड में जनजातियों के नृत्यों में उपयोगी गीत–संगीत और वाद्य यंत्र **पूनम टोप्पो**	36-38
12	नागपुरी कृष्णकाव्य की पृष्ठभूमि **रेखा कुमारी**	39-40
13	आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा का विकास **शुभ्रा लकड़ा**	41-43
14	झारखण्ड में कुटीर उद्योग की असीम संभावनाएँ एवं इनके विकास में सरकार की भूमिका **डॉ0 सुषमा गाड़ी**	44-47
15	सरकारी योजनाओं के संदर्भ पहाड़िया जनजाति के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का आंकलन **Sushma kumari**	48-50
16	आदिम जाति सेवा मंडल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि **रामगोपाल उराँव**	51-55
17	मुगलकालीन भारत में फतेहपुर सीकरी शहर की विशेषताएं **संजय कुमार**	56-58
18	प्राचीन भारत में गणतंत्र या गणराज्य **Ajitabh Chandan**	59-60
19	नागपुरी साहित्य के विकास में पार्थनंद तिवारी का अवदान **सुशीला लकड़ा**	61-62
20	बाल अपराध : कारण एवं निवारण (भारत के संदर्भ में) **डॉ. उमा कान्त सिंह , दिलीप कुमार**	63-68
21	प्रयोजनमूलक हिन्दी : एक प्रासंगिकता **डॉ. रश्मी बी.वी.**	69-70
22	डिजिटल नेतृत्व (डिजिटल लीडरशिप) क्षमताएँः एक व्यापक विश्लेषण **डॉ. ओम प्रकाश शर्मा**	71-74

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

भारताची अंतराळ सायबर सुरक्षा

डॉ. घन आनंद लक्ष्मीकांत
सहयोगी प्राध्यापक सैनिक शास्त्र
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महाविद्यालय, राणीसावरगाव तालुका गंगाखेड जिल्हा परभणी
Corresponding Author- डॉ. घन आनंद लक्ष्मीकांत
Email- anandghan63@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242280

प्रस्तावना

सायबर सुरक्षिततेने जमीन हवा समुद्र आणि अगदी कडे अगदी अलीकडे अंतराळातील पारंपारिक युद्धामध्ये स्वतःला कोरले आहे भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेला धोरणात्मक स्वायत्ततेतील आणि शाश्वत विकासाला आव्हान निर्माण झाले आहे अंतराळ प्रणालीची कोणतीही घुसखोरी किंवा अक्षमता तात्पुरते लुळे किंवा कायमचे अपंग होऊ शकते वाढत्या अंतराळावर अवलंबून असलेले अन्न पाणी दळणवळण धरणे संरक्षण ऊर्जा आर्थिक आरोग्यसेवा आण्विक वाहतूक आणि इतर गंभीर नेटवर्कचे अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते तंत्रज्ञान तंत्र आणि डावपेसांच्या विनंती प्रसारामुळे सामान्य स्पेस क्राफ्ट बस आर्किटेक्चरच्या आक्रमण पद्धतीमध्ये प्रवेश सुधारला आहे सिस्टमला यशस्वीरित्या बायपास करणे रिमोट प्रॉब्लेमिटी ऑपरेशन्स आणि ऑन व ऑर्बिट डॉकिंग हल्ल्यांना परिपक्व करणे पुरवठा सॉफ्टवेअर हार्डवेअर मध्ये घसरणे साखळी किंवा स्पेस सिस्टमचे विशेष अधिकार वाढवणे रशिया अमेरिका चीन इराण उत्तर कोरिया आणि इजराइल यांनी त्यांच्या लष्करी अंतराळातील सायबर सुरक्षा क्षमता वाढवत ठेवल्या असतानाच जपान फ्रान्स दक्षिण कोरिया आणि इंग्लंड सातत्याने वेग घेत आहेत विशेष म्हणजे चीनच्या पीपल्स लिब्रेशन आर्मीच्या स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स कडे केंद्रकृत जागा सायबर इलेक्ट्रॉनिक आणि मनोविज्ञानिक युद्ध क्षमता आहे गुप्त राज्य अभिनेत्या व्यतिरिक्त संभाव्य अंतराळ सायबर हल्ल्यांच्या शत्रूमध्ये दहशतवादी संघटना विध्वंसक राजकीय गुन्हेगार जिज्ञासू संगणक हॅकर्स व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी अप्रामाणिक असंतुष्ट कर्मचारी विश्वासू पण निष्काळजी व्यावसायिक भागीदार किंवा बदमाश अंतराळवीर यांचा समावेश होतो वरील सर्व सीमित आक्रमणे लॉन्च करू शकतात आणि विश्वासनीय प्रतिबंधाच्या नैसर्गिक गतिमान ते पासून आणि परस्पर खात्रीशीर विनाशाच्या स्थितीपासून स्थिरतेच्या नाजूक कल्पनेपासून मुक्त आहेत या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत भारताने अंतराळ सायबर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून गतिमानता आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिफेन्स सायबर एजन्सी आणि डिफेन्स स्पेस एजन्सीच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे याचाच परिणाम सायबर थिएटर सह एकत्रित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे तेल वायू दूरसंचार ऊर्जा आपत्ती व्यवस्थापन उत्पादन लॉजिस्टिक्स वितरण सेवा सार्वजनिक वाहतूक ई-कॉमर्स विमा कायद्याची अंमलबजावणी संरक्षण वर्टीकल आणि त्यांची पुरवठा साखळी यासारखी क्षेत्रे जागतिक स्थिती नेवीगेशन आणि वेळेवर अवलंबून असतात जगभरात फक्त चार ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटॅलाइट सिस्टीम आहेत याच्याच परिणामी भारताने राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयकासह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भारतीय सायबर सुरक्षा आर्किटेक्चर आणि धोरणे एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे भारताने अंतराळ सायबर सुरक्षा निर्माण करण्यासाठी जागरूक अष्टपैलूक लवचिकता आणि होकार टेक्नो डिप्लोमॅटिक प्रतिबंधक आवश्यक आहे भारताचे तातडीचे टॉप फाईव्ह कार्य जे हाती घेतले आहे यातून भारताने अंतराळ सायबर सुरक्षा निर्माण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना निर्माण करायला सुरुवात केलेली दिसून येते.

उद्देश-

1) भारताच्या अंतराळ सायबर सुरक्षेचा अभ्यास करणे.
2) अंतराळ सायबर सुरक्षेच्या विविध घटकावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे.
3) भारताच्या अंतराळ सायबर सुरक्षा विषयक केलेल्या कामांचा आढावा घेणे.

सायबर सुरक्षिततेने जमीन, हवा, समुद्र आणि अगदी अलीकडे अंतराळातील पारंपारिक युद्धामध्ये स्वतःला समाविष्ट केलेआहे. हे युद्ध पेंटा-थिएटरचे उल्लंघन, L-A-S-S-Cy भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेला, धोरणात्मक स्वायत्ततेला आणि शाश्वत विकासाला आव्हान देत आहे. अंतराळ प्रणालीची कोणतीही घुसखोरी, किंवा अक्षमता तात्पुरते लुळे किंवा कायमचे अपंगत्व येऊ शकते. वाढत्या अंतराळावर अवलंबून असलेले अन्न, पाणी, दळणवळण, धरणे, संरक्षण, ऊर्जा, आर्थिक, आरोग्यसेवा, आण्विक, वाहतूक आणि इतर गंभीर नेटवर्कचे अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते. तंत्रज्ञान, तंत्रे आणि डावपेचांच्या बिनदिक्कत प्रसारामुळे सामान्य स्पेसक्राफ्ट बेस आर्किटेक्चर्सच्या आक्रमण पद्धतींमध्ये प्रवेश सुधारला आहे, एअर-गॅप्ड सिस्टमला यशस्वीरित्या बायपास करणे, रिमोट प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन्स आणि ऑन-ऑर्बिट डॉकिंग हल्ल्यांना परिपक्व करणे, पुरवठा सॉफ्टवेअर/हार्डवेअरमध्ये घसरण. साखळी, किंवा स्पेस सिस्टम्सचे विशेषाधिकार वाढवण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो.

रशिया, युनायटेड स्टेट्स (यूएस), चीन, इराण, उत्तर कोरिया आणि इस्रायल यांनी त्यांच्या लष्करी

अंतराळातील सायबर सुरक्षा क्षमता सातत्याने वाढवत ठेवल्या आहेत, त्यातच जपान, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया आणि युनायटेड किंगडम (यूके) सातत्याने वेग घेत आहेत. विशेष म्हणजे, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्सकडे केंद्रीकृत जागा, सायबर, इलेक्ट्रॉनिक आणि मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षमता आहे.

गुप्त राज्य अभिनेत्यां व्यतिरिक्त, संभाव्य अंतराळ सायबर हल्ल्याच्या शत्रूंमध्ये दहशतवादी संघटना, विध्वंसक, राजकीय गुन्हेगार, जिज्ञासू संगणक हॅकर्स, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, अप्रामाणिक आतले, असंतुष्ट कर्मचारी, विश्वासू पण निष्काळजी व्यावसायिक भागीदार किंवा बदमाश अंतराळवीर यांचा समावेश होतो. वरील सर्व असिमित आक्रमणे लाँच करू शकतात आणि 'विश्वसनीय प्रतिबंध' च्या नैसर्गिक गतिमानतेपासून आणि 'परस्पर खात्रीशीर विनाश' च्या स्थितीपासून स्थिरतेच्या नाजूक कल्पनेपासून मुक्त आहेत. या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, एरोस्पेस कॉर्पोरेशनचे SPARTA (स्पेस अटॅक रिसर्च अँड टॅक्टिक अ‍ॅनालिसिस), MITER ATT&CK विरोधी रणनीती आणि तंत्रांचा विस्तार, एक सायबर धोक्याचा दृष्टीकोन आणि जोखीम सादर करते. ज्यात सायबर हल्ल्याचे सर्व टप्पे टोपण आणि आक्रमण-संसाधन विकास, प्रारंभिक प्रवेश यापासून समाविष्ट आहेत. असुरक्षित प्रणाली आणि आक्रमण अंमलबजावणी, विद्यमान सायबर-संरक्षण चोरी, इतर प्रणालींकडे पार्श्विक हालचाली, गंभीर डेटाचे उत्सर्जन आणि/किंवा इतर प्रभाव. हे सुरुवातीच्या टप्प्यातील विकास (पुरवठा साखळी संस्थांचे डिझाइन, पुरवठा, खरेदी, असेंब्ली, एकत्रीकरण आणि संपूर्ण प्रणाली चाचण्या), ग्राउंड कंट्रोल (लाँच, पेलोड कंट्रोल, मिशन कंट्रोल, स्पेस ट्रॅफिक मॅनेजमेंट) आणि स्पेस दरम्यान स्पेस सिस्टमला धोका निर्माण करण्यास मदत करते.

भारत आणि सायबर सुरक्षा

28 सप्टेंबर 2018 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिफेन्स सायबर एजन्सी (DCA) आणि डिफेन्स स्पेस एजन्सी (DSA) च्या निर्मितीला मंजुरी दिली. DCA पूर्णपणे कार्यरत आहे आणि DSA जमीन, हवा, समुद्र आणि सायबर थिएटरसह एकत्रीकरणाचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. प्रदीर्घ प्रलंबित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीने L-A-S-S-Cy युद्ध पेंटा-थिएटर समाकलित केले पाहिजे. आणि क्षमता, वेग, अचूकता आणि परिणामकारकता तयार करण्यासाठी एकात्मिक युद्ध सिद्धांत मांडणे आवश्यक आहे.

तेल आणि वायू, दूरसंचार, ऊर्जा, आपत्ती व्यवस्थापन, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, वितरण सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, ई-कॉमर्स, विमा, कायद्याची अंमलबजावणी, संरक्षण वर्टिकल आणि त्यांची पुरवठा साखळी यासारखी क्षेत्रे जागतिक स्थिती, नेव्हिगेशन आणि वेळेवर अवलंबून असतात. जगभरात, फक्त चार ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) आहेत: यूएसची GPS (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम), रशियाची ग्लोनास, चीनची BeiDou नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम किंवा युरोपची गॅलिलिओ. वेळ समक्रमण सुव्यवस्थित करण्यासाठी, परदेशी GNSS वरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा वाढविण्यासाठी, भारत भारतीय प्रादेशिक नेव्हिगेशन उपग्रह प्रणाली अंतर्गत NavIC (भारतीय नक्षत्रांसह नेव्हिगेशन) प्रणाली विकसित करत आहे. हे भारतीय भूभागावर 10 मीटरपेक्षा कमी आणि हिंदी महासागरावर 20 मीटरपेक्षा कमी नॅनोसेकंद अचूकतेसह परिपूर्ण स्थिती अचूकता प्रदान करते.

विधायक सावध हस्तक्षेपाने भारताला नवीनतम 2020 संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ग्लोबल सायबरसुरक्षा निर्देशांकात जागतिक स्तरावर 10व्या क्रमांकावर नेले आहे. भारताची सायबरसुरक्षा स्थिती सुधारण्यासाठी भारत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.

राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयकासह, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) भारतीय सायबर सुरक्षा आर्किटेक्चर आणि धोरणे एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे जो पंतप्रधान कार्यालयाच्या विचाराधीन आहे. परंतु यामध्ये अंतराळ घटक गहाळ आहे. विशेष म्हणजे, डेटा सिक्युरिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाने 2020 मध्ये राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरणाच्या मसुद्याच्या सादरीकरणात, अणु प्रकल्प आणि अंतराळ संस्थांसह भारतातील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा क्षेत्रांना लक्ष्य करणाऱ्या हल्ल्यांची नोंद केली होती परंतु स्पेस सायबरसुरक्षाबाबत कोणतेही कल्पना दिली नाही. हे बदलण्याची गरज आहे.

राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरणाचा अविभाज्य भाग म्हणून, L-A-S-S-Cy युद्ध पेंटा-थिएटरला राष्ट्रीय गंभीर

पायाभूत सुविधांमध्ये समाकलित करणे अत्यावश्यक आहे. सुरक्षा आणि लष्करी कार्ये आणि संप्रेषणे महत्त्वपूर्ण अंतराळ पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतात. भारताच्या "गंभीर माहिती पायाभूत सुविधा" च्या व्याख्येमध्ये "अक्षमता" समाविष्ट आहे ज्यामुळे "राष्ट्रीय सुरक्षेवर" "कमजोर परिणाम" होतो, तरीही जागा आणि त्याचे कार्य राष्ट्रीय गंभीर माहिती पायाभूत सुविधा संरक्षण केंद्र किंवा संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद अंतर्गत ठळकपणे येत नाहीत.

टीम-इंडिया 100 हून अधिक स्टार्ट-अप, 22 सामंजस्य करार आणि पाच प्राधिकरणांसह, अंतराळ परिसंस्था विस्तारत आहे. जसजसे अधिक खेळाडू या क्षेत्रात प्रवेश करतात तसतसे आक्रमण पृष्ठभाग देखील रुंद होत आहे. विविध कौशल्ये, जोखीम पोर्टफोलिओ आणि माहिती सुरक्षा आक्रमण-पृष्ठभागासह मोठ्या संख्येने सहभागी पक्षांमधील तीव्र सहकार्यामुळे विरोधी पुरवठा-साखळी मालवेअर इंजेक्शन, दुर्भावनापूर्ण प्रणालीचे विषबाधा आणि अनधिकृत ओळख मास्करेड आणि हेरफेर करून ओळखीचे उल्लंघन करून तोडफोड आणि व्यत्यय येऊ शकतो. , अखंडता आणि उपलब्धता. त्यामुळे भारताने अंतराळ सायबर सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भारताची तातडीची कामे

भारताने अंतराळ सायबरसुरक्षा जाळयासाठी अथक प्रशासनाचा जोर, जागरुक अष्टपैलू लवचिकता आणि हॉक-आयड टेक्नो-डिप्लोमॅटिक प्रतिबद्धता आवश्यक आहे. भारताचे तातडीचे टॉप फाईव्ह कामे पुढील प्रमाणे असू शकतात

1) एक्सप्रेस मोडवर, भारताच्या सर्वसमावेशक राष्ट्रीय अंतराळ धोरणाची आवृत्ती 1.0 रिलीज करा आणि त्यात राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा धोरणाद्वारे सर्वसमावेशक राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा स्तरावरील सायबर सुरक्षा रेलिंग आणि शेवटी, त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात डोव-टेलिंग करा.
2) पर्पल क्रांतीसाठी कठोरता निर्माण करा- सायबर सुरक्षा रेड-टीमिंग (गुन्हा) आणि ब्लू-टीमिंग (संरक्षण) सराव एक एकीकृत पर्पल तयार करण्यासाठी. संरक्षण आणि गृह मंत्रालयाने एक कठोर कार्यक्रम आणि अभ्यासक्रमाच्या आवश्यकतांची स्थापना करणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये चार घटक समाविष्ट आहेत: (अ) सायबर संरक्षण (रेड टीम), (ब) सायबर गुन्हा (ब्लू टीम), (क) सायबर ऑपरेशन्स आणि सेवा आणि (ड) सायबर संशोधन. जांभळ्या क्रांतीमुळे धोरणात्मक आणि सामरिक भारतीय परराष्ट्र धोरणाची गती वाढेल, भारताला धोका निर्माण करण्यासाठी अंतर्गत गंभीर वस्तुमान तयार होईल आणि विश्वासार्ह प्रतिकार निर्माण करण्यात मदत होईल.
3) संपूर्ण राष्ट्राचा दृष्टिकोन स्वीकारा. कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी धोरणाप्रमाणे, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी आणि माहिती सुरक्षा संशोधकांनी त्यांच्या उत्पादकतेच्या 2 टक्के नॅशनल क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्पेस सायबर सिक्युरिटीसाठी वाटप करणे आवश्यक आहे.
4) जागा बजेट वाटप ०.०४ टक्क्यांवरून सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) किमान ०.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवा. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतराळ विभागाला फक्त US$ 1.5 अब्ज वाटप करण्यात आले आहे, जी GDP च्या नॅनोस्कोपिक 0.04 टक्के आहे. अधिक भांडवल स्वयंपूर्ण केंद्रीय अर्थसहाय्यित संशोधन आणि विकास केंद्रांच्या निर्मितीला चालना देईल, माहिती सामायिकरण आणि विश्लेषण केंद्र-स्पेस (ISAC-स्पेस) वाढवेल आणि प्रभावी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अंतराळ मानकांच्या निर्मितीला चालना देईल.
5) QUAD च्या स्पेस-संबंधित अनुप्रयोग आणि तंत्रज्ञान सहकार्यामध्ये स्पेस सप्लाय-चेन लवचिकता आणि सुरक्षा समाकलित करा. QUAD देशांमधील आंतर-सरकारी सहकार्याचा भाग म्हणून, मध्यवर्ती भारतीय अंतराळ लवचिकता एजन्सीने पुरवठादार आणि पुरवठादारांच्या पुरवठादारांसह प्रत्येक उप-घटकाचे विश्लेषण आणि नकाशा तयार करणे आवश्यक आहे, त्यांच्या पुरवठा साखळीतील जोखीम आणि डिझाइन, बिल्ड, वितरण आणि आक्रमण-पृष्ठभाग. देखभाल, आणि परस्पर जागरुकतेसाठी, वेळोवेळी संयुक्त-निरीक्षण आणि घटना प्रतिसाद आयाम आयोजित करने आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

भारताने अंतराळ सायबर सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी L-A-S-S-Cy युद्ध पेंटा-थिएटर जलद, अचूक आणि प्रभावी जांभळ्या हस्तक्षेपांची मागणी करते. अस्पष्ट पिव्होट्सवर वेगाने विकसित होत असलेल्या उत्तरोत्तर तीव्र होणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, अचूकपणे जुळवून घेण्यासाठी, प्रतिसाद देण्यासाठी आणि पुनर्प्राप्त

करण्यासाठी, भारताच्या अंतराळ सायबर सुरक्षा जाळीमध्ये जांभळ्या क्रांती अभिसरणाच्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. जांभळ्या क्रांतीमुळे धोरणात्मक आणि सामरिक भारतीय परराष्ट्र धोरणाची गती वाढेल, भारताला धोका निर्माण करण्यासाठी अंतर्गत गंभीर वस्तुमान तयार होईल आणि विश्वासार्ह प्रतिकार निर्माण करण्यात मदत होईल. संपूर्ण देशाचे नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोन, तांत्रिक बुद्धिमत्ता आणि अभियांत्रिकी क्षमता एकत्रित करण्याची आणि भारताचा अंतराळ प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी प्रत्येक घटकासाठी विचार आणि संशोधन करण्याची ही एक महत्त्वाची वेळ आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1) भारत 2020 - डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम
2) योजना जून 2022
3) भारताची अंतराळ सायबर सुरक्षा आणि भूमिका - सुधांशू शशांक

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याई नई' नाटक में व्यक्त समस्याएँ

शेख हुसैन मैनोद्दीन
मु. पो. हाळी, ता. उदगीर जि. लातुर महाराष्ट्र
Corresponding Author- शेख हुसैन मैनोद्दीन
Email- dr.shaikhhm2020@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242286

प्रास्तावना :
साहित्यकार चाहे किसी भी प्रकार की रचना करता हो या समस्याओं को निरूपित करता हो, इनके पीछे उनका कोई–न–कोई उद्देश्य आवश्य रहता है, चाहे वह स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में । नाटक आधुनिक काल की मुख्य विधा है । इसका मुख्य कारण यह है नाटककार जीवन की जटिलता कों उसकी समग्रता प्रतिभा के माध्यम से मानव मन की प्रत्येक प्रवृत्ति को खोलकर सामने रख देता है । इसीलिए नाटक को यथार्थबोध कहते हैं । वर्तमानकालीन नाटक अब वास्तविक जीवन से दूर न भागकर काल्पनिक लोक में घूमते रहने की बात को स्वीकार नहीं करता ।

असग़र वज़ाहत स्वतंत्रता के बाद सिद्धहस्त नाटककार हैं । स्वतंत्रता के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक बदलाव आया है । विज्ञान के बढ़ते हुए चरण ने मनुष्य को बहुत अधिक बुद्धिवादी बनाया है । परिणाम स्वरूप आस्था और विश्वास मृत होते जा रहे हैं । आज मनुश्य अपने कर्तव्य को भूलकर अपने आपको भूल चुका है । मनुष्य के पास सुख–सुविधा उपलब्धि होते हुए भी मनुष्य बेचैन है । आर्थिक चेतना, मोहभंग एवं मूल्य–विघटन की स्थिति ने हमें और अधिक प्रभावित किया है । परिणाम स्वरूप हमारे सारे मानवीय संबंध, नैतिकता एवं मानवीयता जैसी कोई चीज नहीं रह गई है । नाटककार असग़र वज़ाहत 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में बड़े ही मार्मिक एवं यथार्थ रूप से समस्याओं का चित्रण किया है।

असग़र वज़ाहत ने तो शास्त्र होने का दावा करते है । परंतु इस नाटक द्वारा सांम्प्रदायिकता को उजागर करने का प्रयास किया है । आजादी के बाद की हमारी सांम्प्रदायिकता अर्थव्यवस्था और राजनीति ने सामान्य आदमी को कहाँ और किन–किन तरीकों से तोड़ा है, उसे समस्या के धरातल पर उभारने की कोशिश की है ।

असग़र वज़ाहत प्रगतिशील नाटकार है । उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है । इनकी अधिकांश साहित्य की विषय वस्तु का चयन मध्यमवर्ग से हुआ है । मध्यम वर्ग उनका अधिक जाना पहचाना है । मध्यम वर्ग और पिछड़े वर्ग का इन्होंने अधिक प्रामाणिकता के साथ चित्रण किया है । असग़र वज़ाहत ने मध्यमवर्ग तथा पीछड़े वर्ग की विडम्बनाओं और जिजीविषाओं का यथार्थ चित्रण किया है । असग़र वज़ाहत ने नाटक में केवल समस्याओं का चित्रण ही नहीं किया परंतु अपनी भीतर की समस्या और पात्र की संवेदना का संगम करके पाठक को सोचने के लिए मजबूर करते हैं ।

असग़र वज़ाहत ने अपने नाटक में स्वातंत्र्योत्तर समाज की विभिन्न समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है । उनके नाटक में सांप्रदायिकता, आर्थिक विषमत्ता विभिन्न समस्या, मूल्य–विघटन की समस्या, वर्गभेद की विषमता, भ्रष्ट राजनीति तथा भ्रष्टाचार की समस्या, धर्म–सांप्रदायिकता के संघर्ष की समस्या आदि को प्रस्तुत किया गया है । हम असग़र वज़ाहत के अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में वर्णित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन थोड़ा विस्तार से करने का प्रयत्न करेंगे ।

1. सामाजिक समस्या :

साहित्यकार सामाजिक प्राणी होने के कारण वह अपने परिवेश के रीति–रिवाज, धर्म–कर्म, मानवीय व्यवहार आदि से साहित्य सृजन की प्रेरणा ग्रहण करता है । साहित्यकार सामाजिक परिवेश से अनिवार्यतः प्रभावित होता है और अपने साहित्य के द्वारा उसे भी प्रभावित करता है । असग़र वज़ाहत ने नाटक और समाज के अन्योन्याश्रित संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा है, सहित्य सामाजिक जीवन की ही उपज होती है और समाज के लिए ही उसकी सार्थकता भी होती है कि वह कहाँ पर जीवन की गहराई में उत्तर पाया है ।

असग़र वज़ाहत प्रगतिशील लेखक हैं, यह तो विचारधारा से ही स्पष्ट हो चुका है । उनकी रचनाओं में प्रेमचंद और यशपाल की तरह सामाजिक चेतना का यथार्थवादी विकास मिलता है । असग़र वज़ाहत प्रेमचंद के संतुलित जीवन–दर्शन को ग्रहण करते हैं, जबकि यशपाल की दृष्टि अधिक तीक्ष्ण है । बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा कि असग़र वज़ाहत का जीवन–दर्शन प्रेमचंद और यशपाल के बीच का है । असग़र वज़ाहत जिस दृष्टिकोण से जीवन, समाज और उनके विभिन्न अंगो–प्रत्यंगों को देखता है और उन्हें उसी रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है । असग़र वज़ाहत के अपने सिद्धांत और मान्यताएँ है, वह समाज में क्रांति लाकर इसे नवीन रूप देना चाहते हैं । जैसे–

"तन्नो : दादी... दादी.. सुनिए दादी...था

रतन की मां : कौण है... कौण आवाज दे रेआ है।

तन्नो : मैं हूं दादी तन्नो... नीचे आइए...

रतन की मां : आन्दीयां बेटी आन्दियां।(रतन की मां दरवाज़े पर आ जाती है)

रतन की मां : अज किन्ने दिनां बाद हवेली च दादी दादी दी आवाज़ सुणी ऐ। (कांपती आवाज़ में)

अपनी पात्री राधा दी याद आ गयी...

तनन्नो : (घबरा कर) दादी, अब्बा और अम्मां आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। (रतन की मां दरवाज़ा खोलकर आ जाती है और तन्नो के साथ चलती वहां तक आती है जहां सिकंदर मिर्ज़ा और हमीदा बेगम बैठे हैं)

सिकन्दर मिर्ज़ा :आदाब अर्ज है... तशरीफ़ रखिए।

हमीदा बेगम : आइए बैठिए।

रतन की मां : जीन्दे रहो... बेटा जीन्दे रहो... त्वाड़ी कुड़ी ने अज मैंनूं 'दादी' कह के पुकारेया (आंख से आंसू पोंछती हुई)

सिकन्दर मिर्ज़ा : माफ़ कीजिए आपके जज्बात को मजरूह करना हमें मंजूर न था । हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे...

रतन की मां : नई... नई। दिल कित्थे दुख्या है। उससे मनूं ख़ुश कर देता... बहुत ख़ुश ।

सिकन्दर मिर्ज़ा : देखिए... आप हमारी मजबूरी को समझिए... हम वहां से लुटे पिटे आए हैं... मालो– दौलत लुट गया... बेसहारा और बेमददगार यहां के कैम्प में महीनों पड़े रहे... खाने का ठीक न सोने का ठिकाना... अब खुदा खुदा करके हमें ये मकान एलाट हुआ है... अपने लिए न सही बच्चों की खातिर ही सही अब लाहौर जमना है। लखनऊ में मेरा चिकन का कारखाना था यहां देखिए अल्लाह किस तरह रोजी–रोटी देता है...

हमीदा बेगम : अम्मां, हमने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। इतना दुःख उठाया है कि अब रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं हैं।

रतन की मां : बेटी, तुसी फिक्र न करो... मेरे कलों जो हो सकेगा, करांगी ।

हमीदा बेगम : देखिए हमारी आपसे यही गुज़ारिश है कि ये हवेली हमें एलाट हो चुकी है... और पाकिस्नात करत चका है आपका यहां रहना ठीक भी जहीं है ।

सिकन्दर मिर्ज़ा :बगैर जड़ के दरख्त कब तक हरा–भरा रह सकता है? आपके अजीज रिश्तेदार, मोहल्लेदार सब हिंदुस्तान

जा चुके हैं... अब वही आपका मुल्क है...आप यहां कब तक रहिएगा?
हमीदा बेगम : अभी तक तो फिर भी गनीमत है... लेकिन सुनते हैं पाकिस्तान में जितने भी गैर मुस्लिम रह जायेंगे उन्हें जबर्दस्ती मुसलमान बनाया जाएगा... इसलिए...
रतन की मां : बेटी, कोई बार–बार नहीं मरता... मैं मर चुकी हां मनूं पता है पता है और उसदे बीवी बच्चे होंण इस दुनियां विच नई है... मौत और जिन्दगी विच मेरे वास्ते कोई फर्क नई बचाया।
सिन्कदर मिर्ज़ा : लेकिन...
रतन की मां : हवेली त्वोड नाम एलाट हो गयी है। तुसी रहो । त्वानु रहने तो कौन रोक रया है... जित्थे तक मेरी हवेली तो निकल जाणं दा सवाल है... मैं पहले ही मना कर चुकी आं..
सिकन्दर मिर्ज़ा :(गुस्से में) देखिए आप हमें गैर मुनासिब हरकत करने के लिए मजबूर...
रतन की मां : अगर तुसी इस तरह ही समझते हो ते जो मरजी आए करी... (रतन की मां उठकर सीढ़ियों की तरफ़ चली जाती है।)
हमीदा बेगम : निहायत सख्त दिल औरत है, डायन ।
तन्नो : किसी बात पर तैयार ही नहीं होती।"[1]

सामाजिक जीवन के प्रवाह में बहते हुए व्यक्ति को अनेक सामाजिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। असग़र वज़ाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में मानव समाज की अनेक समस्याओं को उठाया है । इन सामाजिक समस्याओं में, परिवार की समस्या, साम्प्रदायिक समस्या वृद्धजनों की समस्या, दाम्पत्य जीवन की समस्या, नारी–जीवन की समस्या आदि विभिन्न समस्याओं को असग़र वज़ाहत ने अपने नाटक का वर्ण्य विषय बनाया है ।

2. आर्थिक समस्या :

अर्थ मनुष्य जीवन का मूलाधार है । मनुष्य को जीवन यापन के लिए अर्थ का साधन के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है । इसी अर्थ के कारण समाज में अनेक वर्ग पैदा हुए हैं । मनुष्य की आर्थिक स्थितियाँ ही समाज में विभिन्न श्रेणियों और अनेक संघर्षो के स्वरूप को निर्धारित करती हैं । असग़र वज़ाहत के नाटक में समाज और जनसाधारण वर्ग के साथ गहरा सरोकार रखनेवाले नाटककार है । उनके नाटक में ऐसे अनेक प्रसंगों का समावेश है जिनमें हमारे देश की अर्थ व्यवस्था, शोषक–शोषित की विविध–स्थितियों, आर्थिक अभावों के दुष्परिणामों आदि का सजीव चित्रण किया गया है ।

हमारे राष्ट्र की यह समस्या सार्वत्रिक है । रामदरश मिश्र के शब्दों में, "कहीं यह पीड़ा भारत–विभाजन के कारण जमी है, कहीं राजनीतिक दौगलेपन से, कहीं अफसरशाही से, कहीं पूँज्यीवादी व्यवस्था से, कहीं महामारी, जिंदगी की यांत्रिकता, अकेलेपन, विषमता से ।"[2] 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक सामान्य व्यक्ति,आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है । जैसे–

" पहलवान : तुम कुछ न कर सकोगे... करेगा वही जो कर सकता है। (नासिर उठकर चले जाते हैं)
जावेद : क्या मतलब?
पहलवान : साफ़–साफ़ सुनो... जब तक बुढ़िया ज़िन्दा है हवेली पर तुम्हारा क़ब्ज़ा नहीं हो सकता... और बुढ़िया से तुम निपट नहीं सकते... हम ही लोग उसे ठिकाने लगा सकते हैं... लेकिन वो भी आसान नहीं है... पहले जो काम मुफ़्त हो जाया करता था अब उसके पैसे पड़ने लगे हैं... समझे ।
जावेद : हां, समझ गया। पहलवान : अपने अब्बा से कहो... दो–चार हज़ार रुपए की लालच में कहीं लाखों की हवेली हाथ स न निकल जाए ।"[3]

'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में सांप्रदायिक दंगो को वह पूँजीवादी सभ्यता सामाजिक दुर्व्यवस्था का मूल कारण मानते हैं । 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में सांप्रदायिक दंगो को वह पूँज्यीवादी ताकतों का नतीजा मानते हैं । स्वतंत्रता के बाद बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या ने कई समस्याओं को जन्म दिया है । इन समस्याओं में आर्थिक विषमत्ता है । 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक सामान्य व्यक्ति, समाज के निम्न स्तरीय व्यक्ति के बीच की विषमत्ता का प्रामाणिक चित्रण प्रस्तुत करती है । असग़र वज़ाहत के नाटक में इन स्थितियों का यथार्थ चित्रण हुआ है । जैसे–

"रतन की मां : नई... नई। दिल कित्थे दुख्या है। उससे मनूं खुश कर देता... बहुत खुश ।
सिकन्दर मिर्ज़ा : देखिए... आप हमारी मजबूरी को समझिए... हम वहां से लुटे पिटे आए हैं... मालो– दौलत लुट गया... बेसहारा और बेमददगार यहां के कैम्प में महीनों पड़े रहे... खाने का ठीक न सोने का ठिकाना... अब खुदा खुदा करके हमें ये मकान एलाट हुआ है... अपने लिए न सही बच्चों की खातिर ही सही अब लाहौर जमना है। लखनऊ में मेरा चिकन का कारखाना था यहां देखिए अल्लाह किस तरह रोजी–रोटी देता है...
हमीदा बेगम : अम्मां, हमने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। इतना दुःख उठाया है कि अब रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं हैं।"[4]

वस्तुतः यह यथार्थ स्थिति मानव समुदाय की है । व्यक्ति को हर कदम पर यह अहसास होता रहता है । इस नाटक में आर्थिक विषमत्ता का असग़र वज़ाहत ने वास्तविक निरूपण किया है । नाटक में इस समस्या को उठाया है । इस विषमत्ता के कारण आज लोग समाज में ठोकरे खातें दिखाई देते हैं । असग़र वज़ाहत के 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में वर्णित विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर दृष्टिपात किया है ।

3. राजनीतिक समस्या :

साहित्यकार भी समाज अथवा देश की इकाई है । अतः प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है । राजनीतिक परिवेश का प्रभाव अनिवार्यतः उसकी रचना में प्रतिबबित होता है । अर्थात समकालीन राजनीतिक बोध की शुभा–शुभ स्थितियाँ साहित्यकार को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करती है । साहित्य और राजनीति के संबन्ध को स्पष्ट करते हुए असग़र वज़ाहत लिखते हैं, "साहित्य जीवन की कोख में ही जन्म लेता है । जीवन की ऊहा–पोह, सुख–दुःख, हर्ष–विषाद और संघर्ष आदि ही उसके जन्मदाता होते हैं । व्यक्तिगत जीवन के भी और सामूहिक जीवन के भी । इस दृष्टि से अपने को जीवित रख पाने के लिए संघर्षरत मानव भी साहित्य का विषय हो सकता है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत राष्ट्र भी साहित्य का विषय हो सकता है । राजनीति उस हद तक साहित्य सृजन को प्रभावित करती है, जहाँ राजनीतिक दल अथवा कमेटियाँ समस्या के मूल समाधान को ढूँढ़ने की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत अथवा दलीय मत के आग्रही बन जाते हैं । राज्य सत्ता का दायित्व है कि वह लोगों का कल्याण करें, परन्तु राजनीति हमेशा उसी मार्ग का अनुसरण करती है, जिससे उनका हित हो सके । अपने हित का मार्ग भले ही अमानवीयता से भरा हो, क्रूरताओं से लथपथ हो, किन्तु राजनेता कूटनीति से अपना काम कर लेते हैं । आधुनिक युग में वर्गभेद की विषमत्ता जातिगत न होकर आर्थिक विषमत्ता के कारण है । असग़र वज़ाहत ने इस भेद का चित्रण अपने नाटक में किया है । जैसे– (सिकंदर मिर्ज़ा किसी क्लर्क से बातें कर रहे हैं। अचानक क्लर्क जोरदार ठहाका लगाता है । दूसरे क्लर्क चौंककर उसकी तरफ़ देखने लगते हैं।)

"क्लर्क–4 : हा–हा–हा... ये भी खूब रही... (दूसरे क्लर्कों से) अरे यारो काम तो होता ही रहेगा होता ही
आया है, ज़रा तफ़रीह भी कर लो... ये भाई जान एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। इनकी मदद करो।
क्लर्क–2 : बाईस कमरों की हलेवी एलाट कराने के बाद भी मुश्किल में फंस गए हैं।
क्लर्क–3 : अरे ये तो बाईस कमरों की हवेली का कबाड़ ही नीलाम कर दें तो परेशानियां भाग खड़ी हों। (क्लर्क हंसते हैं।)

क्लर्क–4 : मियां, इनकी जान के लाले पड़े हैं और आप लोग हंसते हैं।"[5]

वर्तमान युगीन परिवेश में राजनेता लोकसेवा के नाम पर अपने लिए जुगाड़ करना, कुर्सी हथियाने के लिए ही सारी जोड़–तोड़करता है । देश–सेवा और लोक–सेवा के साथ उसका कोई मतलब नहीं । राजनेता तरह–तरह की तरकीबें ढूँढ़ निकालते हैं । इस प्रकार असग़र वज़ाहत जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जिस दृष्टि से प्रजातंत्र सरकरों की रचना हुई है और होती जा रही हैं, वह सरकार या सरकारी अमलदार अपनी स्वार्थ वृति में आकर अपना घर भरने में लगे है और देश की बहुत बड़ी जनता उनके भ्रष्ट राजनीति के दमन–चक्र में पिसती रहती है ।

4. धार्मिक समस्या :

असग़र वज़ाहत ने नाटक में धार्मिकता पर बेषक कटाक्ष किया है । वह धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है, "धारपति इति धर्मः ।"[6] अर्थात जो रक्षण करता है, बाँधता है, साथ लेकर चलता है, वही धर्म है । परन्तु आज धर्म की व्याख्या मंदिर–मस्जिद तथा बाह्याचरण तक ही सीमित रहगई है, जो आपसी बैर–विरोध या संघर्ष का कारण बना हुआ है । धार्मिक आडंबर पर असग़र वज़ाहत ने करारा व्यंग्य किया है ।

धर्म के द्वारा अनेक सामाजिक मूल्यों की रक्षा भी होती है । धर्म नैतिक पतन एवं स्वैच्छाचारिता से समाज की रक्षा करता है । मानवता को पतन के गर्त से बचाने के लिए हमें हर स्थिति में धर्म–अवलंबन ग्रहण करना पड़ेगा । धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है । वह जीवन का परम स्वाभाविक तत्त्व है । हमारे देश में अधिकांश लोगों की यह धारणा है कि जीवन में धर्म का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है । लेकिन धर्म का प्रदर्शन इतने विभिन्न रूपों में होता है कि इसका वस्तुगत अध्ययन अत्यंत कठिन हो जाता है । संभवतः धर्म मानव का वह साधन है जिस के द्वारा वह अंतिम सत्ता के साथ संबंध स्थापित करता है एवं धार्मिक आचरण को मुक्ति प्राप्त करने का साधन माना गया है। सभ्यता के विकास के साथ–साथ मानव संस्कृति एवं ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद आज भी धर्म मानव जीवन एवं समाज का एक अभिन्न अंगबना हुआ है ।

धर्म का आश्रय लेने से मनुष्य को अपनी असफलताओं, अतृप्त आकांक्षाओं और निराशाओं के प्रति संतोष करने एवं उससे समझौता करने का सहारा मिलता है । इससे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है । इस तरह उच्च एवं अमर आदर्शो की स्थापना के द्वारा व्यक्ति अपने नश्वरजीवन की निस्सारता में सरसता की रचना करके संतोष एवं शांति का अनुभव करता है । धर्म के द्वारा अनेक सामाजिक मूल्यों की रक्षा भी होती है । इस तरह धर्म नैतिक पतन एवं स्वैच्छाचारिता से समाज की रक्षा करता है । सामाजिक नियंत्रण के रूप में धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है । सफल एवं लाभदायक आचरण के पाठ व्यक्ति सर्वप्रथम धार्मिक नियमों के रूप में ही प्राप्त करता है । असग़र वज़ाहत के नाटक में धर्म संबंधी समस्याओं की विस्तृत अभिव्यक्ति हुई। जैसे–

"सिकंदर मिर्ज़ा : फुज़ूल बातें न कीजिए बेगम... हमारे पुस्तैनी घर में आज कोई शरणार्थी दनदनाता फिर रहा होगा... ये ज़माना ही कुछ ऐसा है... ज्यादा शर्म हया और फ़िक्र हमें कहीं का न छोड़ेगी... अपना और आपका खयाल न भी करें तो जावेद मियां और तनवीर बेगम के लिए तो यहां पैर जमाने ही पड़ेंगे... शहरे लखनऊ छूटा तो शहरे लाहौर–दोनों में "लाम" तो मुश्तरिक है... दिल से सारे वहम निकाल फेंकिए और इस घर को अपना घर समझकर जा जाइए... बिस्मिल्लाह... आज रात मैं इशां की नमाज के बाद तिलावते कुरान पाक करूंगा...।"[7]

असग़र वज़ाहत धार्मिक रूढ़ियों में विश्वास करते है । उन्होंने धार्मिक एवं सांप्रदायिक संकीर्णता के जीवन–विरोधी तत्त्वों को उद्रघाटित किया है । जैसे–

"सिकंदर मिर्ज़ा : जनाब आपको मालूम ही है कि मेरी हवेली की ऊपरी मंजिल में माई रहती है। माई उस शख्स रतन लाल की मां है जिसकी हवेली थी । उसने मुझसे कहा कि मेरा त्यौहार आ रहा है मुझे मनाने की इजाजत दे दो... भल मैं किसी को उसका त्यौहार मनाने से क्यों रोकने लगा... मैंने उससे कहा... ज़रूर मनाइए... उस बेचारी ने पूरा त्यौहार मनाया... में किस्सा दरअसल वही है।

पहलवान : घंटियों की आवाजें मैंने अपने कानों से सुनी हैं. मौलाना : ठहरो भाई... तो बात दरअसल ये है कि हिन्दू बुढ़िया ने इबादत की और... पहलवान : इबादत? आप उकी पूजा और घंटियां वगैरा जानने को इबादत कह रहे हैं?

मौलाना : (हंसकर) तो उसके लिए कोई मुनासिब लफ़्ज़ आप ही बता दें।

पहलवान : पूजा । मौलाना : जी हां, पूजा का मतलब ही इबादत है... तो उसने इबादत की (कुछ क्षण ख़ामोशी।)

मौलाना : तो क्या हुआ... सबको अपनी इबादत करने और अपने ख़ुदाओं को याद करने का हक़ है। पहलवान : ये कैसे मौलाना साहब?

मौलाना : भई हदीस शरीफ़ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा न कहो, ताकि वह तुम्हारे खुदा को बुरा न कहें, तुम दूसरों के मजहब को बुरा न कहो, ताकि वह तुम्हारे मजहब को बुरा न कहें।

पहलवान : फ़र्ज कीजिए कल बुढ़िया यहां मंदिर बना ले?

मौलाना : मंदिरों को बनने न देना... या मंदिरों को तोड़ना इस्लाम नहीं है बेटा ।

पहलवान : (गुस्से में) अच्छा तो इस्लाम क्या है? मौलाना : कभी इतमीनान से मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें समझाऊं... पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम, इस्लाम ने उसे इतने ज्यादा हक़ दिए हैं कि तुम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते ।"[8]

भारतीय समाज के मनोजगत में व्याप्त धार्मिक रूढ़ि और उसकी कलई बड़े धैर्य और तटस्थता के साथ खोली है । आज धार्मिक क्षेत्र में कुछ विकृतियों के कारण समाज में मानवीय जीवनमूल्यों का ऱ्हास हो रहा है ।

5. सांप्रदायिकता की समस्या :

आधुनिक नाटक में सांप्रदायिक संकीर्णता की दीवार को अपने ढंग से गिराने की चेष्टा की है । ई.सन् 1971 में देश–विभाजन पर दो सीमाओं पार के लोगों की भयावह मनःस्थितियों का चित्रण असग़र वज़ाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में अच्छे ढंग से किया है । इस समय विषाक्त हो रहे वातावरण और उसमें अपने तनाव को अभिव्यक्त करने की सफल कोशिश की है जो दो राष्ट्रों के उदय की पूर्व संध्याको दोनों तरफ उठ रहा था ।

असग़र वज़ाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया है । असग़र वज़ाहत के पूर्व भारत की धरती पर हुए दंगो को लेकर अन्य नाटकों में भी आया है, परंतु असग़र वज़ाहत की बात ही और है । प्रसिद्ध कथाकार अमरकांत के शब्दों में, "असग़र वज़ाहत की 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में यह बैर्य देखने में आता है । सांप्रदायिकतता जैसे नाजुक विषय पर सही दृष्टि से लिखने के लिए जिस आपार धैर्य की जरुरत है, इसका आभास इस रचना को पढ़कर ही होसकता है ।"[9]

असग़र वज़ाहत ने इस नाटक में अपार धैर्य एवं अनुशासन का परिचय दिया है । एक सही ऐतिहासिक दृष्टि समझ से बनाया गया वह एक ऐसा ठोस भवन है, जो सरल, सुंदर, मजबूत विशाल है और हमारे बीच प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगा रहा है । भारतीय जनमानस के मस्तिष्क पर अभी भी सांप्रदायिकता का जहर छाया हुआ है । असग़र वज़ाहत ने इस समस्या का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया है। उन्होंने सांप्रदायिकता को एक ऐसा विकार माना है, जिसके लग जाने का अर्थ ही होता है, पूरे शरीर को विनष्ट कर देना और यह सांप्रदायिकता भारतीय परिपेक्ष्य में हो या विश्व के परिप्रेक्ष्य में, मानव जाति के लिए बहुत ही घातक होता है । शायद यहीं

वजह है कि न कोई एक प्रांत बल्कि समूचा भारत इस आग की लपेट में आज भी जल रहा है । जैसे–

"सिकंदर मिर्ज़ा : जनाब बात ये है कि जो हवेली मुझे एलाट हुई है उसमें एक बुढ़िया रह रही है।
क्लर्क–: क्या मतलब?
सिकंदर मिर्ज़ा : मैं उसमें... मतलब हवेली खाली ही नहीं है... वो मुझे एलाट कैसे हो सकती हैं।
क्लर्क–: हम समझे नहीं आपको परेशानी क्या है।
सिकंदर मिर्ज़ा : अरे साहब, हवेली में बुढ़िया रौनक अफ़रोज़ है... कहती है उनके रहते वहां कोई और रह नहीं सकता... मुझे पुलिस दीजिए... ताकि मैं उस कमबख़्त से हवेली ख़ाली करा सकूं।
क्लर्क–: मिर्ज़ा साहब एक बुढ़िया को हवेली से निकालने के लिए आपको पुलिस की दरकार है।"[10]

'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में असंख्य ऐसे मार्मिक प्रसंग आए है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते है । सांप्रदायिकता का जहर जिसमें सामान्य जनता तबाह और बर्बाद होती है । घर से बेघर होते हैं, वह संपन्न वर्ग के लोग नहीं होते, बल्कि बर्बाद या तबाह होती है आम जनता, जिसे धर्म के नाम पर छला जाता है । धर्मान्ध और कट्टर हिन्दूवाद पीढ़ी–दर–पीढ़ी किस प्रकार फैलता है इसका चित्रण बड़े ही सटीक ढंग से किया गया है ।

6. 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में व्यक्त अन्य समस्याऍं :

असग़र वज़ाहत का नाटक मानव के भीतर व्याप्त मनोवैज्ञानिक अन्तर्सक्ष्य को चित्रांकित करता है। उनके पात्र पीड़ा, भ्रम, चिन्ता, बेचेनी आदि की स्थिति में होने के कारण मानसिक परिवेश की निर्मिति द्वारा मनोवैज्ञानिक सत्य संदर्भ उपस्थित करते हैं । असग़र वज़ाहत ने मानव जीवन की प्रत्येक विडम्बना और लालसा पर कलम चलाई है । उनका प्राचीनता के प्रति अधिक लगाव है और टूटते हुए मूल्यों के प्रति आक्रोश भी है । नए और बदलते हुए आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है । आज के मनुष्य के भीतर बनावटी धार्मिकता व्याप्त हो गई है । इस दिखावेपन की वृत्ति का असग़र वज़ाहत ने वास्तविक चित्रण किया है । मनुष्य को उनके यथार्थ परिवेश से संबंध करके जीवन की विराटता का बोध दिया है । प्रेरणा, साहस और उत्साह को जगाना इनके नाटक का उद्देश्य है । इस प्रकार समग्र रूप से देखें तो असग़र वज़ाहत ने समस्याओं को मानवतावादी दृष्टिकोण से उठाया है ।

साहित्य में समाज का स्पन्दन बोलता है तथा साहित्य की विषयवस्तु समाज से प्रभावित भी होती है। जैसे–जैसे समाज का विकास होता है उसके अनुरूप ही बुद्धि का विकास होता है और साहित्य भी विकसित होता चलता है । आज साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में जिस त्वरित गति से समृद्ध हो रही है, वैसी नाटक साहित्य के पूर्व में कभी भी नहीं दिखाई गई । विस्तार और परिणाम की दृष्टि से आधुनिक नाटक साहित्य ने कई मंजिले पार की है, पिछले पचास वर्षो में नई पीढ़ियों के अनेक कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं उनके सर्वेक्षण से युगीन समस्याएँ सामने आती है ।

7. जीवन के विविध क्षेत्रों की समस्याऍं :

असग़र वज़ाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' के अन्तर्गत मनुष्य–जीवन के साथ जुड़ी हुई महत्त्वपूर्ण समस्याओं का भी यथा तथ्य चित्रण किया है, जो आजादी के इतने वर्षो के बाद भी जैसी की तैसी हैं । आजादी के साथ लोगो ने स्वर्णिम प्रभात की कल्पना की थी । उन सब का बड़ा जीता जागता अंकन असग़र वज़ाहत के नाटक में किया है । जैसे–

"पहलवान : सलाम अलैकुम मौलवी साहब ।
मौलवी : वाल्कुमस्सलाम... कहो भाई कैसे हो।
पहलवान : जी शुक्र है खुदा का, ठीक हूं।
मौलवी : मोहल्ले पड़ोस में ख़ैरियत है?
पहलवान :जी हां... शुक्र है... सब ठीक है। (पहलवान ख़ामोश हो जाता है। मौलवी को लगता है कि वह कुछ पूछना चाहता है लेकिन ख़ामोश है।)
मौलवी : क्या कुछ बात करना चाहते हो।
पहलवान : (सटपटाकर) जी हां... बात है जी और बहुत बड़ी बात है.
मौलवी : क्या बात है?
पहलवान : अपने मोहल्ले में एक हिन्दू औरत रह गयी है।
मौलवी : रह गयी है, मतलब?
पहलवान : भारत नहीं गयी है।
मौलवी : तो?
पहलवान : (घबराकर) त... तो... यहीं छुप गयी है। भारत नहीं गयी है।
मौलवी : तो फिर?
पहलवान : क्या हिन्दू औरत यहां रह सकती है?
मौलवी : (हंसकर) हां... हां... क्यों नहीं।
अनवार : कुछ समझे नहीं मुल्ला जी।
मौलवी : वानने अहज़ मनउल मुशरीकन अस्त जादक फार्जिदा... हुक्मे खुदाबन्दी है कि अगर
मुशरीकनों में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दो।
पहलवान : मुल्ला जी वो काफ़िरा भारत चली जायेगी तो उस मकान में हमारा कोई मुसलमान भाई
रहेगा।
मौलवी : क्या मुसलमान भाई के लिए अल्लाह का हुक्म क़ाबिले–कुबूल नहीं है।
(दोनों के मुंह लटक जतो हैं।)
पहलवान : हमने अपने मुसलमान भाइयों का क़त्ले–आम देखा है। हमारे दिलों में बदले की आग भड़क
रही है। हम किसी काफ़िर को इस मुल्क में नहीं रहने देंगे।
मौलवी : इरशाद है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा... और...
जो दूसरों पर रहम नहीं करता, खुदा उसपर रहम नहीं करता।
(पहलवान और अनवार ख़ामोश हो जाते हैं और अपने सिर झुका लेते हैं।)
मौलवी : मैं तुम दोनों को नमाज़ के वक़्त नहीं देखता। पाबन्दी से नमाज़ पढ़ा करो... मुजाहिद वो हैं
जो अपने नफ़्स से जिहाद करे... समझे?
पहलवान : जी...
अनवार : अच्छा तो हम... चलें साहब...
मौलाना : जाओ... सलाम आलैकुम।
दोनों : वालेकुम सलाम।"[11]

सोचा था, देश की आजादी के साथ हम सब के भाग्य खुल जाएंगे, हम सब सुखी होंगे । हमारी शासन–व्यवस्था होगी जो हमारे दुःख–दर्द को उपयोगी और प्रगति–पथ की और अग्रेसर करने हेतु प्रयत्नशील होगी । पर दुर्भाग्य है कि सब कुछ स्वप्न रह गया । उन सब का बड़ा जीता जागता अंकन असग़र वज़ाहत के नाटक में किया है ।

8. पारिवारीक समस्या :

प्राचीन भारत में परिवार की व्यवस्था थी । यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति के साथ–साथ एवं आर्थिक समस्याओं एवं जिजीविषाओं के कारण परिवार अब विघटित होकर विभक्त परिवार या एकात्मक परिवार का रूप लेरहे हैं, तथापि अभी भी परिवार के कुछ अविच्छित रूप विद्यमान हैं । असग़र वज़ाहत के नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में परिवार से संबंधित समस्याओं का चित्रण भी हुआ है । जैसे–

"बेगम : बर्तन तो अपने पास हैं ही... तुम जल्दी–जल्दी खाना पका लो... तुम्हारे अब्बा के लौटने तक तैयार हो जाए तो अच्छा है।
तन्नो : अम्मी जान बावरचीखाने में... लकड़ियां और कोयले नहीं हैं... खाना काहे पर पकेगा?
हमीदा बेगम : लकड़ियां और कोयले नहीं हैं?

तन्नो : एक लकड़ी नहीं हैं। फ़िर उवाजा करूगा ख्वाक पकक्केगा?
रतन की मां : बेटी, बरामदे दे खब्बे हाथ दी तरफ वाली छोटी कोठड़ी च लकड़ां परी पड़यां ने... काड ले...। (दोनों मां (हमीदा) बेटी (तन्नो) एक दूसरे को हैरत और ख़ुशी से देखते हैं।)"[12]

असग़र वज़ाहत नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में एक मध्यमवर्गीय मुस्लिम समाज परिवार की कथा है । इस परिवार पर मुस्लिम समाज का इतना गहरा प्रभाव है कि मुस्लिम समाज संस्कारों से मंडित हो जाता है।

9. मानव–मूल्य की समस्या :

प्रगतिवादी कहानीकार होते हुए भी असग़र वज़ाहत के नाटक में आक्रोश का बहुत तीव्र स्वर मिलता है। उन्होंने प्रगतिवाद और मानवतावाद के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है । मानव मूल्यों की रक्षा के हिमायती होने के कारण इनकी कहानियों में मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। आज प्रायः यह देखा जा रहा है कि मानवीय मूल्य क्रमशः क्षीण होते जा रहे हैं । प्रेम–करुणा, ममता, सहानुभूति जैसे शब्द आज अपनी अर्थव्यवस्था खोले जा रहे हैं । असग़र वज़ाहत ने प्राचीन परंपरा के प्रति अधिक लगाव है । आजादी के बाद परंपरागत मूल्यों के विघटन की स्थिति पैदा हुई है, इस स्थिति का उन्होंने वास्तविक चित्रण करते हुए इन समस्याओं पर बेषक कटाक्ष भी किया है । जैसे–

"मौलाना : आज वो औरत मर चुकी है जिसके तुम सब पर एहसानात हैं, तुम सबको उसने अपना बच्चा समझा था, आज जब कि वो मौत के आगोश में सोच चुकी है, तुम उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दोगे... और अगर वो तुम्हारी मां है तो उसका जो मज़हब था उसका ऐहतेराम करना तुम्हारा फ़र्ज़ है।
सिकंदर मिर्ज़ा : आप बजा फ़रमाते हैं मौलाना... हमें मरहूमा के मजहबी उसूलों के मुताबिक़ ही उनका कफ़न दफ़न करना चाहिए।
कुछ और लोग : हां, यही मुनासिब है।
मौलाना : फ़जर की नमाज का वक्त हो रहा है। मैं मस्जिद जा रहा हूं । आप लोग भी नमाज अदा करें। नमाज़ के मैं मिर्ज़ा साहब के मकान पर जाऊंगा । (मौलाना चले जाते हैं। बाक़ी लोग भी धीरे–धीरे चले जाते हैं। पहलवान और उसके साथी रह जाते हैं। सब के जाने के बाद पहलवान अचानक अलीम की तरफ़ झपटता है और उसका गरीबान पकड़ लेता है।)
पहलवान : अलीम मैं ये नहीं होने दूंगा...हरगिज नहीं होने दूंगा... चाहे मुझे...चाहे मुझे।"[13]

इन क्षीण होते हुए मूल्यों के प्रति असग़र वज़ाहत का सर्जक व्यक्तित्व अधिक चिन्तनशील दिखाई देता है । इसी लिए उनका नाटक में इस प्रकार के प्रसंगो का अधिक वर्णन दिखाई देता है ।

10. दाम्पत्य–जीवन की समस्या :

दाम्पत्य–जीवन सृष्टि के विकास का मूलाधार है और इसका उचितपालन समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाता है । समाज के समुचित विकास के साथ ही इसे आवश्यकता से अधिक महत्त्व भी मिला है । हर संस्कृत देशकी आचार संहिता में इसे पवित्र संस्कार की संज्ञा दी गई है और इस से संबंधित उसके कुछ नियम भी बनाए गए है । विधि द्वारा विवाह के बाद ही स्त्री और पुरुष को पति–पत्नी का दर्जा दिया जाता है । और पति–पत्नी को ही 'दंम्पति' माना गया है । इस तरह स्त्री–पुरूष के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है।

नाटककार असग़र वज़ाहत अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में दाम्पत्य जीवन के विविध रूपों का एवं विविध समस्याओं का सफल चित्रांकन किया है । उनके नाटक में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों से प्रभावित दाम्पत्य जीवन का उल्लेख हुआ है । सुखी दाम्पत्य जीवन की इन्द्रधनुषी छटा ने जहाँ उन्हें प्रभावित किया है । वहीं विभिन्न कारणों से नीरस बनते दाम्पत्य जीवन का सफलता पूर्वक चित्रण किया जाना भी उन्होंने अपना कर्तव्य समझा है । जैसे–

"(सिकन्दर मिर्ज़ी, हमीदा बेगम, तन्नो और जावेद ख़ामोश बैठे हैं सब सोच रहे हैं।)
हमीदा बेगम रू तो कस्टोडिय वाले मुए बोले क्या?
सिकन्दर मिर्ज़ा : भई वही तो बताया तुम्हें... उन्होंने कहा इस मामले को आप अपने तौर पर ही सुझा लें तो आपका फ़ायदा है। क्योंकि अगर आपने इसकी शिकायत की तो सिंधी कस्टोडियन अथॅफ़िसर आपसे ये मकान छीनकर किसी सिंधी को दे टेगा ।
हमीदा बेगमः वाह भाई वाह ये खूब रही... मारे भी और रोने भी न दे।
सिकन्दर मिर्ज़ा : ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि इन मोहतरमा से कैसे निपटा जाए ।
हमीदा बेगम : ए मैं इस हरामज़ादी को चोटी पकड़कर बाहर निकाले देती हूं... हो गया क़िस्सा ।
जावेद : और क्या हमारे पास सारे कागजात हैं ।
सिकन्दर मिर्ज़ा : कागजात तो उसके पास भी हैं ।
तन्नो : उसके कागजात ज्यादा अहम हैं ।
जावेद : क्यों ?
तन्नो : भडया, अगर कोई शख्स इधर–से–ठधर आया गया नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी ।
सिकन्दर मिर्ज़ा : हां, फ़र्ज करो बुढ़िया को हम निकाल देते हैं और वो पुलिस में जाकर रपट लिखवाती है कि वो भारत नहीं गयी है और उसकी हवेली पर कस्टोडियन को कोई इख्तयार नहीं, क्या होगा ।
हमीदा बेगम : फिर क्या किया जाए ।
सिकन्दर मिर्ज़ा : बुढ़िया चली भी जाए और हायतोबा भी न मचाये... जावेद मियां उसे चुपचाप ले जायें और हिंदुओं के कैम्प में छोड़ आयें ।
हमीदा बेगम : तो बुलाऊं उसे ?
सिकन्दर मिर्ज़ा : रुक जाओ... बात पूरी तरह समझ लो... देखो उससे ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ़ मुसलमान ही रह सकेंगे... और उसे यहां रहने के लिए मज़हब बदलना पड़ेगा... ये कहने पर हो सकता है वो भारत जाने के लिए तैयार हो जाए।
हमीदा बेगम : समझ गई... तन्नो बेटी जाओ जाकर उसे आवाज दो।
तन्नो : क्या कह कर आवाज़ दूं... बड़ी बी कहकर पुकारूं ।
हमीदा बेगम : ऐ अपना काम निकालना है, दादी कहकर आवाज़ दे देना, बुढ़िया खुश हो जाएगी ।" [13]

आज पवित्र दांपत्य जीवन का सर्वथा अभाव दिखाई देता है । एक दूसरे के प्रति वफादारी और ईमानदारी का भाव मृत प्राय होता जा रहा है ।

11. नारी जीवन की समस्या :

असग़र वज़ाहत ने नारी जीवन के प्रति अटूट आस्था व्यक्त की है । समाज का महत्त्वपूर्ण अंग परिवार है और परिवार में महत्त्वपूर्ण स्थान नारी का है । परिणामतः माँ का स्नेह, आदर्श–भावना सभी कुछ
उनके नाटक में देखा जा सकता है । जैसे–

"मौलाना : बेवा का दर्जा तो हमारे मजहब मैं बहुत बुलंद है... हदीस है कि बेवा और ग़रीब के लिए दौड़–धूप करने वाला दिन भर रोजा और रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर है। (पहलवान का मुंह भी लटक जाता है, लेकिन फि सिर उठाता है।)
पहलवान : बेवा चाहे हिंदू चाहे मुसलमान?
मौलाना : बेटा, इस्लाम ने बहुत सु हक़ ऐसे दिये हैं जो तमाम इंसानों के लिए हैं... उसमें मज़हब, रंग, नस्ल और ज़ात का कोई फ़र्क नहीं किया गया।
सिकंदर मिर्ज़ा : मौलाना वो ग़मज़दा, परेशान हाल है, हम सब की इस क़दर मदद करती है कि कहना मुहाल है।
मौलवी : बेटे, अल्लाह उस शख्स से बहुत ख़ुश होता है जो किसी गमजदा के काम आये या किसी मज़लूम की मदद करे।

(पहलवान गुस्से में मौलाना की तरफ़ देखता है मौलवी सिकन्दर मिर्ज़ा चले जाते हैं। पहलवान अपने गिरोह के साथ बैठा रहता है।)

पहलवान : देखा तूने अलीम मौलवी क्या–क्या कह गये। ऐसे दो–चार मौलवी और हो जायें तो इस्लाम की मिट जाये... अरे मैं तो इन्हें बचपन से जानता हूं। इनके अब्बा दूसरों की बकरियां चराया करते थे और ये मौलवी इसे तो लोगों ने चंदा करके पढ़वाया था...दो–दो दिन इनके घर चूल्हा नहीं जलता था... ला अच्छा चाय पिला...।"[14]

12. भ्रष्टाचार और अनैतिकता की समस्या :

भ्रष्टाचार का क्षेत्र सर्वव्यापक है । असग़र वज़ाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में न्याय के क्षेत्र में पूंज्यींपतियों के भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण किया है । वर्तमान समय की विध्वंसकारी परिस्थिति में नैतिकता और आदर्श को बनाए रखना कठिन कार्य है । जैसे–

"पहलवान : आप ठीक समझे... काफ़िरा के रहने से तो अच्छा है कि अपना अपना कोई मुसलमान भाई रहे।

सिकंदर मिर्ज़ा : लेकिन ये पूरी हवेली मुझे एलाट हुई है।

पहलावन : ठीक है... ठीक है लेकिन क़ब्ज़ा तो नहीं है आपका ऊपरी मंज़िल पर।

सिकंदर मिर्ज़ा : आपको इससे क्या मतलब।

पहलवान : इसका तो ये मतलब निकलता है कि आपने एक हिन्दू काफ़िरा को अपने घर में छुपा रखा है।

सिकंदर मिर्ज़ा : तो तुम मुझे धमका रहे हो जवान।

रज़ा : जी नहीं, बात दरअसल ये है.

सिकंदर मिर्ज़ा :(बात काट कर) कि ऊपर के ग्यारह कमरे क्यों न आप लोगों के क़ब्ज़े में आ जायें... ।"[15]

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार सामाजिक विघटन की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो संपूर्ण जीवन के व्यवहार प्रतिमानों में उत्पन्न होने वाली विसंगति को व्यक्त करती है। यह एक ऐसी समस्या हैं जिसका प्रभाव आज समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा रहा है। इस समस्या का संबंध वर्तमान युग में विकसित होने वाले चरित्र के उस संकट से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों की अवहेलना करके अपने पद का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग कर रहा हैं तथा इसमें उत्पन्न विघटन के प्रति दूसरे व्यक्तियों को उत्तरदायी मानता है। भ्रष्टाचार आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान हैं।

13. राष्ट्रीय स्वाधीनता की समस्या :

असग़र वज़ाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में राष्ट्रीय स्वाधीनता और उससे जुड़ी कई समस्याओं को रेखांकित किया है । भारतीय राजनीति में कई विचार घटाओं और जीवनदर्शन का प्रभाव पड़ा है । जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साहित्य में भी प्रभाव अंकित हुआ है । समाजवादी साहित्यकारों के साहित्य में यह समस्याएँ एक बेहद फलक में प्रस्तुत हुई है । राष्ट्रीय स्वाधीनता के नाम पर कितने लोगों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी फिर भी उन्हें शिकायत नहीं रही । परंतु ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जिन्हें अपनी भूमिका को लेकर असंमजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे–

"पहलवान : हम तो इस्लामी बिरादरी के नाते आपकी मदद करने आये थे। लेकिन आपको मुसलमान से ज्यादा काफ़िर प्यारा है।

सिकंदर मिर्ज़ा : मुहम्मद शाह साहब । आप कस्टोडियन वालों को बुलाकर ले आयें... वो आपको क़ब्ज़ा
दिला सकते हैं... इस बात में इस्लाम और कुफ्यर कहां से आ गया।

पहलवान : मिर्ज़ा साहब आप बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान इसी लिए बना था कि यहां काफ़िर रहें?

सिकंदर मिर्ज़ा : ये आप पाकिस्तान बनवाने वालों से पूछिए।

पहलवान : मिर्ज़ा साहब हम ये गवारा नहीं कर सकते कि शहरे लाहौर के कूचा जौंहरियां में कोई काफ़िर दनदनाता फिरे।

सिकंदर मिर्ज़ा : जनाब वाला आप कहना क्या चाहते हैं मैं ये समझने से क़ासिर हूं।

पहलवान : हमारी मदद कीजिए... हम एक मिनट में ऊपरी मंज़िल का फैसला किए देते हैं। वहां उस काफ़िरा की जगह मुहम्मद शाह...

सिकंदर मिर्ज़ा : देखिए हवेली पूरी की पूरी मेरे नाम एलाट हुई है।

पहलवान : चाहे उसमें काफ़िरा ही क्यों न रहे... आप...

सिकंदर मिर्ज़ा : मश्विरे के लिए शुक्रिया।

पहलवान मिर्ज़ा... मिर्ज़ा, तो फिर ऐसा न हो सकेगा जैसा आप चाहते हैं... किसी काफ़िरा के वजूद को यहां
नहीं बर्दाश्त किया जायेगा... (उठते हुए सबसे)चलो। (सिकंदर मिर्ज़ा हैतत और डर से सबको देखते हैं। वे चले जाते हैं। कुछ क्षण बाद हमीदा बेगम अन्दर आती हैं।)

हमीदा बेगम : क्यों साहब ये कौन लोग थे... ऊंची आवाज में कया बातें कर रहे थे।

सिकंदर मिर्ज़ा : ये वही बदमाश था जिससे जावेद ने बातकी थी ।"[16]

स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई । जैसे राजनीतिक समस्याएं जिसमें विभाजन की समस्या और शरणार्थी की समस्या एकता और अखंडता की समस्या, रियासतों की समस्या, कश्मीर की समस्या आदि।

उपसंहार :

इस अध्याय में चर्चित समस्याओं से यह स्पष्ट प्रमाणित हो सकता है कि नाटककार असग़र वज़ाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में समाज की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण काफी गहराई और सफाई से किया है । असग़र वज़ाहत ने युग की संवेदना और समस्याओं को अपने नाटक में रूपायित किया है एवं बदलते मूल्यों को पूरे यथार्थ के साथ चित्रित करने का प्रयास किया है । नाटक में जब मानव–मूल्य की बात की जाती है, तो उसके सीधा अर्थ समकालीन परिवेश एवं समसामयिक जीवन की गति के भीतर उभरते एवं स्वरूप ग्रहण करते प्रगतिशील तत्त्वों से ही होता है ।

इसलिए नाटककार असग़र वज़ाहत का मूल स्वर मानवतावादी ही रहा है । मानवतावादी दृष्टिकोण का विस्तार उस व्यापक परिवेश में होता है, जहाँ तक इस सृष्टि का विस्तार है । इसकी सीमाएँ गलियाँ, मुहल्लों, कस्बों, शहरो, महानगरो, राज्यों या तथाकथित अँचलों में नहीं बाँधा जा सकता । असग़र वज़ाहत ने अपनी पहचान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक आदि के माध्यम से नीति–नियम या सिद्धांत, सभी कुछ तो टूट रहा है, परिवर्तित हो रहा है इन संदर्भो में की है । समाज में व्याप्त उपर्युक्त समस्याओं एवं बुराइयों के प्रति अपने भीतर की संवेदना पाठकों तक पहुँचाने का बड़ा भारी काम किया है। आखिर साहित्य का उद्देश्य भी यही होता है ।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि असग़र वज़ाहत प्रसिध्द नाटककार है । असग़र वज़ाहत ने यथार्थ चेतना और मूल्यबोध को किसी तैयार वस्तु की तरह प्रयोग नहीं किया है परन्तु उनके द्वारा अपने भोगे गए जीवन परिवेश की चेतना से प्राप्त प्रमाणिक अनुभवों के आधार पर अनुभूत की गई है। वस्तुस्थिति की यथार्थता और मूल्यबोध का संपूर्ण विश्लेषणात्मक जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है । इन्होंने मध्यमवर्गीय समाज और निम्नवर्गीय समाज की जिजीविषा, विडम्बनाओं, उनकी विषमता आदि का वास्तविक चित्रण किया है । उनका नाटक अधिकांश वर्ग–वैषम्य, आर्थिक विषमता तथा सामाजिक अन्तर्विरोधों को प्रस्तुत करता हैं ।

इस तरह से असग़र वज़ाहत के नाटक में वर्णित विभिन्न समस्याओं का अवलोकन किया है । असग़र वज़ाहत ने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ एवं तटस्थ दृष्टिकोण से समस्याओं को प्रस्तुत किया है । असग़र वज़ाहत के नाटक में सामाजिक यधार्थ सिर्फ उतना ही नहीं आया है, जितना समाज की सतह पर उतरी हुई समस्याओं के रूप में सामने आता है,

बल्कि उसका वह संघर्ष कहीं अधिक सामाजिक सत्य के रूप में उभरा है, जो सतह के नीचे की गहराई को शक्तियों के बीच अनवरत रूप से जारी रहता है ।

संदर्भ सूची

1) अजग़र वज़ाहत, जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई, पृ 17ण
2) रामदरश मिश्र, अजग़र वज़ाहत, भूमिका से
3) वही, पृ.17ण
4) वही, पृ.19ण
5) वही, पृ.35ण
6) वही, पृ.41ण
7) वही, पृ.12ण
8) वही, पृ.15ण
9) वही, पृ.20ण
10) वही, पृ.26ण
11) वही, पृ.17ण
12) वही, पृ.17ण
13) वही, पृ.38ण
14) वही, पृ.41ण
15) वही, पृ.52ण
16) वही, पृ.51ण

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

"हिन्दी राजनीतिक उपन्यासो में गांधी दर्शन'

प्रा.डॉ.भारत बाबुराव उपाध्य
हिंदी विभाग, वारणा महाविद्यालय, ऐतवडे खुर्द
Corresponding Author- प्रा.डॉ.भारत बाबुराव उपाध्य
Email- dr.bharatupadhya@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242295

"हिन्दी साहित्य का इतिहास' चार कालो में विभाजित है। 'आ. रामचंद्र शुक्ल' के अनुसार आधुनिक काल का समय सं. १९०० वि. से आगे माना जाता है। मोहन करमचंद गांधीजी का राजनीतिक समय १९२० से १९४८ इ.स. तक रहा है। इस दौरान राजनीतिक परिवर्तन, क्रांतिकारी विचार धारा, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, चले जाव, भारत-पाक विभाजन, अंग्रेजों का अत्याचार एवं परतंत्र भारत का चित्र था, ऐसे समय मे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थितियों में भारत चूस रहा था, आवश्यकता थी, गांधी दर्शन कि, जो गांधी के माध्यम से पूरी हुई। जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी साहित्य का इतिहास में खास तौर से 'आधुनिक 'हिन्दी साहित्य' के गद्य एवं पद्य विधाओं में गांधी दर्शन का दर्शन प्राप्त होता है।

आधुनिक साहित्य में गांधी दर्शन को १९२० से १९३६ एवं १९३६ से १९४८ तक दो भागो में विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक हिन्दी राजनीतिक उपान्यासो में अनुक्रमे 'प्रेमचंद युग' और 'प्रेमचंदोत्तर युग का केन्द्र रहा है । इस काल में द्वितीय महायुद्ध भी हुआ है। यह छायावाद का भी काल रहा है। जिस में छाया वाद के चार स्तंभ निराला, प्रसाद, पंत एवं महादेवी वर्माजी के काव्य में गांधी दर्शन का यथातथ्य वर्णन आ गया है। जो काफी सराहनीय बन पड़ा है। साथ ही हिन्दी गद्य विधाओं में राजनीतिक उपन्यास भी गांधी दर्शन से काफी प्रभावीत रहे हैं जिसे भूलाया नही जा सकता। प्रेमचंद ने साहित्य की परिभाषा कहते हुये कहा है कि, 'साहित्य समाज की आलोचना है' साहित्य समाज का दर्पन होता है। 'प्रेमचंद युग' और 'प्रेमचंदोत्तर युग' के राजनीतिक उपन्यासोंपर गांधी दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है । इसीलिए हिन्दी साहित्य का इतिहास की पुनर्रलेखन की आवश्यकता है। अनुसंधान के छात्रों के लिये इसका विश्लेषन एवं विवेचन करना अनिवार्य बन पड़ा है। जहाँ तक मेरा कहना है कि कुछ हदतक गांधी दर्शन ही बौद्ध दर्शन है। गांधी की विचारधारा की जड़ तो गौतम बुद्ध 'की विचारधारा की देन है। यूँ कहीऐ साहित्य में बोध दर्शन की नीव गांधी दर्शन के माध्यम से रखी है।

प्रस्तुत आलेख मे केवल हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों मे गांधी दर्शन इस विषय को लेकर अनुसंधनात्मक कार्य किया है। सन १९२० मे गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन की शुरुवात हुई। गांधी आंदोलन में हजारों नर नारियों ने भाग लिया था। बहुत सारे भारतीय इसविचार धारा से प्रभावित रहे है। फलस्वरुप साहित्यकार कवियोंपर व्यापक प्रभाव गांधी दर्शन का पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि समस्त 'आधुनिक साहित्य' में गांधीवाद का दर्शन किसी ना किसी रूप में होता है। गांधीवाद से प्रभावित मुन्सी प्रेमचंद ने 'सेवा सदन' (१९१८ इ.स.) का निर्माण किया। गांधी दर्शन के अंतर्गत सेवा, त्याग, तप, अहिंसा, आदर्शवाद, आदि बातोंपर जोर दिया गया है। प्रेमचंद के उपन्यास 'प्रेमाश्रम' (१९२२इ.स.) गांधीजी के राजनीतिक प्रयासों का ही साहित्यिक रूप है। उपन्यास सम्राट 'मुन्सी प्रेमचंद' पर गांधीवाद का प्रभाव होने के कारण 'प्रेमाश्रम' में प्रेमाशंकर गांधी दर्शन का वहाक है। ऐसा लगता है कि स्वयं गांधीजी 'प्रेमाश्रम' के रुप में आवतरित हुए है। ज्ञानशंकर का हृदय परिवर्तन, मनोहर के माध्यम से आत्महत्या, माया शंकर जमिदारी को त्यागना यह सब गांधी दर्शन का परिणाम है। 'रंगभूमि' (१९२५ इ.स.) गांधी बाद से प्रभावित सफल राजनीतिक उपन्यास है। जिसमें नायक सूरदास गांधी दर्शन का प्रतीक है। गांधी युग में स्वदेशी वस्त्र, वस्तुओं का इस्तेमाल करनेपर जादा जोर था। यह राष्ट्रीयता की पहचान है।

'प्रेमचंदोत्तर युग' १९३६ से १९४८ तक का यह काल गांधी दर्शन के जनजागृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन का काल रहा था। जिसका परिणाम गांधी दर्शन का क्रांतिकारी कार्य बडी तीव्रता से देश में फैल रहा था। जिसका परिणाम आधुनिक हिन्दी साहित्यपर पड़ा। यशपाल के 'दादा कामरेड' उपन्यास में आतंकवाद और गांधी दर्शन समीक्षा करते हुऐ मार्क्सवाद की आवश्यकता पर बल दिया है। यशपाल ने गांधी दर्शन, पूंजीवाद और आतंकवाद का विरोध करते हुये समाजवाद का समर्थन किया है। 'देशद्रोही' के संदर्भ में 'त्रिभूवन सिंह' कहते है, "गांधी वाद तथा काँग्रेस की आलोचना एवं रुसी समाजवाद का प्रतिपादन इस उपन्यास का लक्ष्य प्रतित होता है। सन १९९८ से लेकर १९३६ तक हिन्दी उपन्यासों का इतिहास भारतीय राजनीति का इतिहास भारतीय राजनीति का सक्रिय इतिहास है। इसी समय गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद प्रमुख राजनीतिवाद उभरकर सामने आये। सन १९२० मे गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी के आगमन के पूर्व

भारतीय राजनीति विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित थी। गांधीजी ने देश के सामान्य के सामान्य व्यक्ति को देश भक्ति का पाठ पढाकर स्वाधिनता आंदोलन में भूमिका अदा की। गांधीजीने भारतीय राजनीति को नया रूप दिया, जिसका परिणाम प्रेमचंद और अन्य साहित्यकार पर पड़ा। प्रेमचंद और गांधीजी के संदर्भ में 'डा. ब्रजभूषण सिंह आदर्श' कहते है, 'गांधी जी राजनीति को जीवन से अलग नहीं मानते और प्रेमचंद साहित्य को राजनीतिसे दोनो का लक्ष्य तत्कालीन समाज को संघर्ष के लिए गतिशील बनाना था। जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिले। उनका उद्देश मानव जीवन की उच्छ्ता के लिए प्रयास करना था। इन राष्ट्रीय परिस्थिति यों में प्रेमचंद ने कलम उठाई और प्रथमवार हिन्दी उपन्यासों को विशुद्ध राजनीतिक संस्पर्श मिला। सच तो यह है की उपन्यासकार प्रेमचंद गांधी युग की साहित्यिक देन है और उनके उपन्यासों में गांधी युग और गांधीवाद दोनो साकार हो उठे है।"

१९२० मे कॉंग्रेस का नेतृत्व गांधी के हात में आया गांधीजीने सत्य अहिंसा और सत्यागृह को लेकर भारतीय राजनीति में अपना अस्तित्व निर्माण किया पूरा भारत में, अपने विचारों के माध्यम से जनजागृति का संदेश, राष्ट्रीयता का संदेश, स्वाधिनता आंदोलन आदि घटनो ओं से पूरे देशपर विचारों की बरसात करके सभी भारतीय लोगो में एकता का भाव जगाकर, भारतीय स्वतंत्रता की बात को रखा। यह उनकी विचारो की बहूत बड़ी उपलब्धि है। जिसका परिणाम आधुनिक हिन्दी राजनीतिक उपन्यास पर पड़ा है। जैनेन्द्रजी का 'सुनीता' (१९३५इ.स.) सामाजिक उपन्यास है। जिस में गांधी दर्शन को एक मनस्तव के रुप में उसके आत्मपक्ष के साथ ही ग्रहण किया है। 'सुनीता' में गांधी दर्शन के साथ साथ मनोविश्लेषन वाद का ही चित्रण किया गया है। हिंसा पर अहिंसा की विजय को दर्शाया गया है। 'सुखदा' मे गांधी दर्शन और साम्यवाद विचारधारा को प्राथमिकता है। यह उनका दूसरा राजनीतिक उपन्यास रहा है। 'सन्यासी' इलाचंद्र जोशी का प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास है। इस में पूंजीवादी तत्वों की भर्त्सना करते हुए गांधीवाद का विरोध किया है। उपन्यास की प्रमुख पात्र 'शांति' गांधी दर्शन से प्रभावित है। वह 'बलदेव' जैसे कट्टर प्रगतिवादी का हृदय परिवर्तन करके गांधीदर्शन के रास्तेपर उसे लाती है। इस उपन्यास में गांधीजी को मुस्कारते हुए चित्र को देखकर 'बलदेव' कहता है, 'गांधी जी की इस मुस्कान में न सरलाता है, न भोलापन है, इस में केवल कैपिटलिस्टो की कृपा से परिपूष्ट एक आत्मतृप्त प्राणी के सुख और संतोष पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति है।"

'श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव 'गांधीवादी विचारधारा के रुप में विख्यात है। उनका 'बयालीस' (१९४८इ.स.) उपन्यास में ब्रिटीश सरकारके द्वारा अत्याचारों को उजागर किया है। सत्य, अहिंसा के मार्गपर चलकर राष्ट्र के लिए बलिदान करनेवालों का चित्रण इसमें झलकता है। प्रेमचंद युग गांधीयुग के नाम से जाना जात है। गांधीजी का प्रभाव लगभग सभी उपन्यासोंपर पड़ा है। जब गांधी जी थे तब काँग्रेस पक्ष एवं विचारों की छाप सभी साहित्यपर थी। किन्तु मृत्यू के बाद केवल गांधीवाद का सिद्धांत पक्ष ही रह गया। गांधीजी की प्रतिष्ठा को स्वार्थी नेताओं ने कलंकित किया। 'यादवेंद्र शर्मा' ने "प्रजाराम" मे गांधीवादी नेताओं का असली मुखोटा सामने लाने का अपनी ओर से भरसक प्रसास किया है। नेताओं ने गांधी दर्शन को कुडे का ढेर बनाया है 'देवेश ठाकूर' का 'इसीलिए ' में 'अवस्थी' कहता है, 'गांधी ! सुनो ! तुम्हारा दर्शन कुडे के ढेर पर पड़ा है। तुम्हारे सत्य का दर्शन आज झूठ, फरेब और भ्रष्टचार के निकट जल में कैद होकर रह गया है। तुम्हारे चेले ही राजनेता बनकर तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहे है तुम्हारी अहिंसा का आदर्श भी खोकला साबीत हो चुका है। इस समाज में जिसने मै रहा हू तुम्हारे उपदेश, नुमाईश और अजायब घर मे रखने की वस्तू बन गए है।" गांधीजी का सपना था की ग्रामो का विकास करना है, इसीलिए उन्होने 'चलो गांव की ओर' का नारा दिया। गांधी जी देश में राम राज्य कि परिकल्पना करते थे। 'जल तूटता हुआ' में 'सतिश' कहता है, 'गांधी जी सत्ता, उद्योग, सुविधा, सबका विकेन्द्रीकरण कर गांव में बिखेर देना चाहते थे। मा. गांधी के नेतृत्व में आजादी की लढाई लढी गयी। जिसका परिणाम तत्कालिन समाज, राजनीतिक, साहित्य,सबपर गांधी दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ा है। हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों के साथ साथ सभी गद्य-पद्य विधाओं में गांधी दर्शन मिल जाता है। यहाँ छायावादी कवियोंपर पडे प्रभाव को भूलाया नहीं जा सकता। प्रसाद की 'कामायनी', पंत जी की कविता 'बापू के प्रति' मे सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के सिद्धांत की सराहना की है। संक्षेप में हिन्दी राजनीतिक उपन्यासों में गांधी दर्शन का बोलबाला अधिक रहा है।

संदर्भ :-

1) हिन्दी साहित्य का इतिहास' डा. माधव सोनटक्के प्र. ३५२
2) 'समकालीन हिन्दी उपन्यासो में राजनीतिक चित्रण' - डा. सुकुमार भंडारे. प्र. २९ (विकास प्रकाशन कानपूर)
3) 'अचला मेरा कोई वृंदावनलाल वर्मा प्र. २२३
4) 'समकालीन हिन्दी उपन्यासो में राजनीतिक चित्रण' - डा. सुकुमार भंडारे, प्र. ६९
5) 'जल टूटता हुआ' रामदरश मिश्र, प्र. २२३

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

एक साहित्य समीक्षा : मध्य विद्यालय के शिक्षकों का व्यावसायिक तनाव के संदर्भ में

रश्मि लुगुन
शोधकर्ता, शिक्षा विभाग,उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, रांची,झारखंड
Corresponding Author- रश्मि लुगुन
Email- rashmilgn181@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242299

सारांश

तनाव किसी भी प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है जो किसी व्यक्ति पर शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक स्तर पर दबाव पैदा करता है। अपना जीवन जीने के दौरान, हर कोई कम से कम एक प्रकार के तनावपूर्ण अनुभव से गुजरता है। बढ़ती चिंता यह है कि कार्यस्थल की सुरक्षा का भय, अत्यधिक काम के घंटे और खराब मनोबल शिक्षकों के लिए तनाव बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। कार्यस्थल में तनाव में योगदान देने वाले ये तत्व प्रशिक्षकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों और उस वातावरण पर प्रभाव पड़ता है जिसमें वे सीखते हैं। अध्ययन का उद्देश्य शिक्षकों द्वारा अनुभव किए गए व्यावसायिक तनाव के स्तर पर पिछले शोध का गहन विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। शोध उन तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो शिक्षक अपनी नौकरी से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए अपनाते हैं, और यह माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अनुभव किए गए तनाव के स्तर के बारे में मौजूदा साहित्य में अंतराल का निर्धारण करके समाप्त होता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले व्यावसायिक तनाव के स्तर को निर्धारित करना और इन व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुकाबला तंत्र की जांच करना है। यह वर्तमान में उपलब्ध प्रासंगिक प्रकाशित सामग्री का गहन विश्लेषण करके प्राप्त किया जाएगा। वर्तमान जांच का उद्देश्य अध्ययन के उद्देश्यों को संरेखित करने पर ध्यान देने के साथ, क्षेत्र में किए गए मौजूदा शोध की जांच करना है। अध्ययन में विशेष रूप से डेटा के द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया। द्वितीयक डेटा में विभिन्न स्रोत शामिल हैं जैसे विद्वानों के लेख, अकादमिक पत्रिकाएँ, प्रतिष्ठित वेबसाइटें, पत्रिकाएँ और सम्मेलन की कार्यवाही।
प्रमुख शब्द – आलोचनात्मक मूल्यांकन कार्यस्थल व्यावसायिक तनाव वातावरण

परिचय

एक शिक्षक वह होता है जो हमें रास्ता दिखाता है और हमें स्वयं का महानतम संस्करण बनने के लिए प्रेरित करता है। एक रोल मॉडल कोई भी हो सकता है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक ही सृजन करते हैं, प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं और देश दिशा और सलाह के लिए उन्हीं की ओर रुख करता है। हम एक तेजी से भागती दुनिया में रहते हैं जहां तनाव बहुत आम है। इसके कई संभावित कारण हैं, लेकिन नौकरी का दबाव अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप बहुत अधिक दबाव में होते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग हार मानने लगता है और आपको एहसास होता है कि आप गिर गए हैं।शैक्षणिक स्तर पर तनाव की उपस्थिति किसी व्यक्ति की ज्ञान उत्पन्न करने और प्रदान करने की क्षमता पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, खासकर यदि उनका दिमाग पर्याप्त रूप से केंद्रित नहीं है। तनाव एक सामान्य अनुभव है दुनिया भर में बड़ी संख्या में बहुत अपेक्षाएँ रखनेवाले लोग और तनावपूर्ण जीवनशैली के परिणामस्वरूप इस घटना का अनुभव करते हैं। दैनिक जीवन की बढ़ती माँगें इस तनाव में योगदान करती हैं, जो हमारे आस–पास के वातावरण में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद न होने के बावजूद महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डालता है। उपयोगकर्ता का पाठ विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करता है। किसी विशिष्ट कार्य के प्रति सचेत और सराहनीय रवैया रखने से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य उन कारकों की पहचान करना है जो शिक्षाशास्त्र में बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह इस क्षेत्र में भविष्य के काम के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए, मौजूदा अनुसंधान और खबर की सीमाओं का मूल्यांकन करना चाहता है।

अध्ययन का उद्देश्य: इस अध्ययन का उद्देश्य भविष्य के अध्ययन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मध्य विद्यालय शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव पर साहित्य की समीक्षा करना है।

साहित्य की समीक्षा: जोहानसन (2011) ने लिंग, पढ़ाए गए ग्रेड स्तर, वर्षों के शिक्षण अनुभव और तनाव–उत्प्रेरण कार्य तत्वों के बारे में शिक्षक की धारणाओं के बीच संभावित सहसंबंध की जांच करने के लिए एक अध्ययन किया। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या लिंग, पढ़ाए गए ग्रेड स्तर और शिक्षण के वर्षों के अनुभव के बीच कोई संबंध मौजूद है। शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि शिक्षकों के बीच उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले ग्रेड स्तर के आधार पर तनाव के स्तर में भिन्नता होती है। विशेष रूप से, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने मध्य विद्यालय या उच्च विद्यालय के अपने समकक्षों की तुलना में उच्च स्तर के तनाव का अनुभव करने की सूचना दी।

खटाल (2011) ने इस बात की जांच की कि काम का तनाव पुरुष और महिला प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की स्वस्थ घरेलू संबंधों को बनाए रखने की क्षमता पर पड़ता है। अकोला तालुका में प्राथमिक विद्यालय के प्रशिक्षकों से एक नमूना लिया गया था, और इसमें 25 पुरुष शिक्षक और 25 महिला शिक्षक शामिल थे। इस अध्ययन के लिए श्रीवास्तव और सिंह द्वारा विकसित व्यावसायिक तनाव सूचकांक का उपयोग किया गया था। शोध के निष्कर्षों से पता चला कि यौन गतिविधि और काम का तनाव किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। पुरुष और महिला दोनों शिक्षक काम पर समान मात्रा में तनाव का अनुभव करते हैं।

अपने अध्ययन में, देव (2011) ने शिक्षकों के बीच कामकाजी जीवन के विभिन्न आयामों की जांच की। उनका उद्देश्य पुरुष और महिला शिक्षकों के साथ–साथ कनिष्ठ और वरिष्ठ शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं के संबंध में उनकी धारणाओं में किसी भी भिन्नता की पहचान करना था। अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि जूनियर शिक्षकों ने वरिष्ठ शिक्षकों की तुलना में विभिन्न आयामों में तनाव के उच्च स्तर की सूचना दी। पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला शिक्षक, उच्च स्तर की भूमिकाओं के अधिभार और अंतर–भूमिका दूरी के तनाव का अनुभव करती हैं। आफताब और कहतून (2012) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, यह पता चला कि लगभग 50ः माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को अपनी नौकरी के संबंध में तनाव के स्तर में कमी का अनुभव होता है। इसके अलावा, अध्ययन से पता चला कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में व्यावसायिक तनाव का स्तर अधिक होता है। इसके अतिरिक्त, निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक स्नातकोत्तर और अप्रशिक्षित शिक्षकों की तुलना में उच्च स्तर के व्यावसायिक तनाव का अनुभव करते हैं। जिन शिक्षकों के पास 6–10 साल का अनुभव है, उन्हें व्यावसायिक तनाव के उच्च स्तर का सामना करना पड़ता है, जबकि 0–5 साल के अनुभव वाले शिक्षक आमतौर पर कम स्तर के तनाव का अनुभव करते हैं। कायस्थ, कृष्णमूर्ति और अधिकारी (2012) द्वारा किए गए एक अध्ययन में,

शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के स्कूलों में कार्यस्थल में व्यावसायिक तनाव की जांच की। अध्ययन नेपाल में एक कॉर्पोरेट, उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल और भारत में तीन अलग–अलग प्रकार के स्कूलों, अर्थात् सरकारी, सार्वजनिक और निजी स्कूलों पर केंद्रित है। अनुसंधान में नेपाल के तीन अलग–अलग प्रकार के स्कूलों में से एक में न्यूनतम एक वर्ष के अनुभव वाले 268 प्रशिक्षक शामिल थे। नमूना को यादृच्छिक तरीके से चुना गया था, जिसमें सरकारी, सार्वजनिक और निजी स्कूलों जैसे विविध स्रोतों को शामिल किया गया था। शोध ने काम से संबंधित तनाव को मापने और परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए श्रीवास्तव और सिंह के व्यावसायिक तनाव सूचकांक का उपयोग किया। डेटा अध्ययन सहायकों द्वारा एकत्र किया गया था जिनका प्रतिभागियों के साथ सीधा संपर्क था। अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि तीन अलग–अलग प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नेपाली उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूल शिक्षकों के बीच व्यावसायिक तनाव के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था।

रितु, (2012) ने लिंग, स्कूलों के प्रकार और स्थान जैसे जनसांख्यिकीय कारकों के संबंध में स्कूल शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव पर एक तुलनात्मक शोध किया है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, जो पुरुष और महिला हैं, जो सार्वजनिक और निजी संस्थानों में काम करते हैं, साथ ही शहरी और ग्रामीण परिवेश में पढ़ाने वाले शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव (ओएस) की तुलना करने के उद्देश्य से। निष्कर्षों से पता चला कि कोई स्पष्ट लिंग, स्कूल नहीं है। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव में प्रकार, या स्थान–आधारित अंतर।

राजस्थान के बागलकोट जिले में किए गए अपने अध्ययन में, रश्मी एट. अल (2013) ने कई कारकों की पहचान की जो हाई स्कूल के शिक्षकों के बीच तनाव में योगदान करते हैं। इन कारकों में पाठ्यक्रम पूरा करने का दबाव, पाठ्येतर गतिविधियों से संबंधित अतिरिक्त जिम्मेदारियां, कार्यभार और व्यक्तिगत जीवन के बीच असंतुलन, उच्च अधिकारियों की ओर से ध्यान न देना, दो पर्यवेक्षकों के अधीन काम करना, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अपर्याप्त समय, चयन में सीमित स्वतंत्रता शामिल हैं। विषय, सह–पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में अस्पष्ट भूमिकाएँ, अप्रत्याशित काम की माँगें, शिक्षकों की कमी, पदोन्नति के अवसरों की कमी, असंतुलित वेतन संरचना, प्रिंसिपल का रवैया, सहकर्मियों का व्यवहार, माता–पिता से गैर–अनुपालन, अत्यधिक काम का बोझ, संघर्ष सहकर्मियों के बीच भूमिकाओं में, प्रभाव या आवाज की कमी, नौकरी की उम्मीदों में अनिश्चितता, प्रेरणा की कमी और कमजोर सामाजिक रिश्ते।

हसन (2014) के निष्कर्षों के अनुसार, स्कूलों में प्रशिक्षक काफी तनाव में हैं। निष्कर्षों से यह भी पता चला कि निजी स्कूलों में काम करने वाले प्रशिक्षकों को सरकारी स्कूलों में काम करने वालों की तुलना में अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। यह इस तथ्य के कारण है कि निजी स्कूल के शिक्षकों को कम वेतन मिलता है और उनसे अधिक काम का बोझ उठाने की उम्मीद की जाती है। शोधकर्ताओं ने पुरुष और महिला स्कूल शिक्षकों द्वारा अनुभव किए गए व्यावसायिक तनाव के स्तर में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया।

माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच व्यावसायिक तनाव और मुकाबला करने के तरीकों पर अपने अध्ययन में नागरा और कौर (2014) के निष्कर्षों के अनुसार, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक मध्यम स्तर के व्यावसायिक तनाव का अनुभव करते हैं। जब उनके पुरुष समकक्षों की तुलना की जाती है, तो महिला माध्यमिक विद्यालय शिक्षक अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक तनाव में थे।

साहित्य समीक्षा से पता चलता है कि शिक्षकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले व्यावसायिक तनाव पर व्यापक शोध किया गया है। उदाहरण के लिए, सभरवाल और आहूजा एट. अल. (2015) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों के बीच व्यावसायिक तनाव के स्तर की जांच की। उनके निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि प्रशासकों को कई और विविध कारकों का सामना करना पड़ता है जो तनाव में योगदान करते हैं। इनमें जिम्मेदारियों का संचय, समय की कमी, अपर्याप्त संसाधन, छात्रों का दुर्व्यवहार और सीमित वित्तीय संभावनाएं शामिल हैं, जिन्हें तनाव के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में पहचाना जाता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि प्रशासकों को आम तौर पर तनाव का अपेक्षाकृत कम से मध्यम स्तर का अनुभव होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तनाव के इस स्तर का उनके प्रदर्शन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ा।

गेब्रेकिरस्टोस (2015) के अनुसार, एक अध्ययन से पता चला है कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को व्यावसायिक तनाव के महत्वपूर्ण स्तर का सामना करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि अध्ययन में यह भी पाया गया कि लिंग, कार्यस्थल और परिवार के आकार जैसे कारक इन शिक्षकों के बीच व्यावसायिक तनाव के अनुभव को प्रभावित नहीं करते हैं।

ओलिव एट अल के अनुसार (2016), जब माध्यमिक विद्यालयों के पुरुष और महिला प्रशिक्षकों द्वारा अनुभव किए गए तनाव के स्तर की तुलना की जाती है, तो महिला शिक्षक अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक तनाव का अनुभव करती हैं। इसका कारण यह है कि महिला प्रशिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के अंतिम वर्ष में विद्यार्थियों को निर्देशित करने के अलावा, उनके परिवारों की भलाई के लिए भी जिम्मेदार हैं; परिणामस्वरूप, वे समान संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। कार्यस्थल और पारिवारिक माहौल दोनों पर भार बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः तनाव की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि विवाहित शिक्षक स्कूल के काम के साथ–साथ परिवार और समाज के मामले में अपने अविवाहित समकक्षों की तुलना में अधिक ज़िम्मेदारी लेते हैं, और क्योंकि वे इन सभी आयामों को पूरा करने की स्थिति में हैं, विवाहित शिक्षक अपने अविवाहितों की तुलना में उच्च स्तर के तनाव का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विवाहित शिक्षक इन सभी आयामों को पूरा करने की स्थिति में हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन सभी आयामों की मांगों से उच्च स्तर का तनाव होता है।

सादेघी और सादतपुर्वाहिद (2016) के अनुसार, शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत, विशेष रूप से 29.92:, ने तनाव का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त, एक तिहाई से अधिक शिक्षकों ने अपनी नौकरी और रोजगार के प्रति उच्च स्तर का असंतोष व्यक्त किया। अध्ययन में यह भी पाया गया कि उम्र और वैवाहिक स्थिति जैसे कारकों का शिक्षकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले तनाव के स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है।

सुनंदा (2017) के अनुसार, सरकारी स्कूलों में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की तुलना में उच्च स्तर के तनाव का अनुभव करते हैं। इसका श्रेय इस तथ्य को दिया जाता है कि सरकारी शिक्षकों को प्रशासन और सरकारी दोनों विभागों द्वारा अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ और कार्य सौंपे जाते हैं। नतीजतन, वे निजी स्कूलों में अपने समकक्षों की तुलना में सरकारी अधिकारियों के प्रति अधिक जवाबदेह हैं, जिससे सरकारी स्कूल के शिक्षकों में तनाव का स्तर बढ़ गया है। अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन के लिए नमूना आकार 200 स्नातकोत्तर शिक्षक थे जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दो अलग–अलग स्कूलों में कार्यरत थे। व्यावसायिक तनाव सूची डॉ. जोसेफ और डॉ. धर्मांगदान द्वारा बनाई गई थी, जो इसके विकास में उनकी भागीदारी का संकेत देती है। अध्ययन में 37 परीक्षण आइटमों वाले पांच–बिंदु पैमाने का उपयोग किया गया है।

नाइजीरिया के एडो राज्य के एसान सेंट्रल सेनेटोरियल डिस्ट्रिक्ट के माध्यमिक विद्यालयों में किए गए अध्ययन में शिक्षकों के सामने आने वाले विभिन्न जोखिमों की जांच की गई। इन जोखिमों में काम का अधिभार, भीड़भाड़ वाली कक्षा की स्थिति, खराब कामकाजी परिस्थितियां, सामाजिक समर्थन की कमी और

आवश्यक संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच शामिल हैं। ओसागी (2018) के अनुसार, तनाव का शिक्षकों की निर्देशात्मक डिलीवरी, मनोबल, नौकरी से संतुष्टि, नौकरी के प्रदर्शन और नौकरी छोड़ने की दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

शिक्षक ज्ञान प्रदान करने की अपनी प्राथमिक भूमिका के निष्पादन में कई कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। शिक्षकों के बीच जोखिम के स्तर के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले एक कारक पर विचार किया जाता है। उपरोक्त कारकों के अलावा, जैसे संसाधन, संचार स्तर और शिक्षकों के बीच उनके कामकाजी माहौल में पारस्परिक संबंध, अन्य चर भी हैं जो शिक्षकों के तनाव के स्तर के मूल्यांकन में योगदान करते हैं (इस्लाम, 2019)।

काबिटो और वामी (2020) ने शिक्षण पेशे में शिक्षण अनुभव, शैक्षिक स्तर, उच्च नौकरी की मांग और काम से संबंधित तनाव के उच्च स्तर के साथ खराब संबंधों के बीच एक संबंध पाया। यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों पर लगाए गए कार्यभार और क्षेत्र में उनके अनुभव के स्तर के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा, शिक्षकों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है जो उन्हें उन्नत डिग्री हासिल करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि यह उनके चल रहे पेशेवर विकास और विकास में बहुत योगदान देगा। एक–दूसरे के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखना शिक्षकों के लिए तनाव कम करने की एक प्रभावी रणनीति के रूप में काम कर सकता है।

निष्कर्ष: शिक्षक किसी देश के भविष्य के पेशेवरों का सबसे महत्वपूर्ण समूह हैं। शिक्षक तनाव का अनुभव करते हैं और इनमें से अधिकांश को उनके द्वारा प्रयास और अन्य मुकाबला रणनीतियों के साथ प्रबंधित किया जाता है और फिर भी कुछ स्थितियों से निपटने में उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। उन्हें मामले के साथ तालमेल बिठाने में मदद के लिए उचित परामर्श और मार्गदर्शन का प्रावधान किया जाना चाहिए। उनकी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतें। उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए परामर्श की पेशकश की जा सकती है। व्यक्ति को किसी की खोज शुरू करने में मदद की जानी चाहिए, उसकी समस्याएं और संसाधन क्या हैं और कठिन समय और परिस्थितियों में उसे क्या बेहतर महसूस होता है। व्यावसायिक तनाव की उपस्थिति माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और नीरस वातावरण की ओर ले जा रही है। आधुनिक शिक्षा में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से शिक्षकों पर कार्यभार में वृद्धि हुई है। निर्देश प्रदान करने के अलावा शिक्षकों को अन्य प्रशासनिक या गैर–शिक्षण गतिविधियों में शामिल होने के कारण अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षक अक्सर भारी कार्यभार, छात्रों के दुर्व्यवहार, पेशेवर मान्यता की कमी, अपर्याप्त कक्षा संसाधनों और सहकर्मियों के साथ खराब संबंधों जैसे विभिन्न कारकों के कारण तनाव का अनुभव करते हैं। शिक्षकों के बीच तनाव के स्तर पर उपलब्ध साहित्य का गहन विश्लेषण करने पर, यह निर्धारित किया गया है कि कई सामान्य कारक शिक्षण वातावरण में तनाव के स्तर में योगदान करते हैं। इन कारकों में भारी कार्यभार, नौकरी की असुरक्षा, पारिवारिक समस्याएं आदि शामिल हैं। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि संगठनों से तनाव को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तनाव को केवल कार्यस्थल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप के संयोजन के माध्यम से प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य तनाव प्रबंधन का इष्टतम स्तर प्राप्त करना है। अध्ययन के अनुसार, यह देखा गया है कि शिक्षक अपने पेशेवर जीवन में तनाव के विभिन्न स्तरों का अनुभव करते हैं।

संदर्भ

1) गेब्रेकिर्स्टोस, एच.ए. (2015)। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच व्यावसायिक तनाव और उनकी मुकाबला करने की रणनीतियाँ टाइग्रे क्षेत्र के मध्य क्षेत्र का अंतर मामला। जे. एकेड. रेस. शिक्षा. रेव,3(6),143–157
2) जेएम देव। (2011). कॉलेज शिक्षकों का तनाव और कार्य जीवन, जर्नल ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी, फरवरी, खंड 37, पीपी। 78–85
3) मारिया आफताब और ताहिरा खातून। (2012)। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की जनसांख्यिकीय भिन्नताएं और व्यावसायिक तनाव, यूरोपीय वैज्ञानिक जर्नल मार्च संस्करण वॉल्यूम। 8, नंबर 5 आईएसएसएनरू 1857 – 7881 (प्रिंट) ई – आईएसएसएन 1857– 7431
4) नैना सभेरवाल, दीया आहूजा। (2015)। पुणे में उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय सदस्यों के बीच व्यावसायिक तनाव पर एक अध्ययन, सिम्स जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च वॉल्यूम नंबर 1
5) काबिटो जीजी और वामी एसडी (2020),गोंडार शहर में सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच कथित काम से संबंधित तनाव और इसके संबंधित कारकरू इथियोपिया से एक क्रॉस–सेक्शनल अध्ययन बीएमसी रिसर्च नोट्स 13, संख्या 36।
6) रश्मी, एम., हुन्नूर, आर., व्यास, बी., सुदर्शन, एस., मथाड, जे.एम., और पारीक, पी.के. (2013)। ष्स्कूल शिक्षकों के लिए नौकरी के तनाव पर एक अध्ययनष। आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट 7(4)। 42–44.
7) खटाल, एम. (2011)। प्राथमिक शिक्षक के व्यावसायिक तनाव और पारिवारिक समायोजन के बीच संबंधों का अध्ययन। इंटरनेशनल रेफर्ड रिसर्च जर्नल, प्(20).लुकुयानी,
8) सादेघी, के, और सादातपुरवाहिद, एम. (2016)। ईएफएल शिक्षकों का तनाव और नौकरी से संतुष्टिरू शिक्षक शिक्षा क्या योगदान दे सकती है? ईरानी जर्नल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च 4(3),75–96।
9) नागरा एल और कौर, एम. (2014)। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच शिक्षक प्रभावशीलता के संबंध में व्यावसायिक तनाव, एडुट्रैक्स, 7(10), 27–19
10) सुनंदा, के. (2017)। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच तनाव – कॉर्पोरेट स्कूलों के संदर्भ में हैदराबाद. उभरते रुझान इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 45–55।
11) हसन, ए. (2014), प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के व्यावसायिक तनाव का एक अध्ययन, हसन, ए. / एजुकेशनिया कॉन्फैब आईएसएसएनरू 2320–009एक्स, वॉल्यूम। 3, क्रमांक 4,
12) ऑलिव, टी.बी., एनोस, एम.डब्ल्यू., सिमतवा, और जूलियस, ओ.जी. (2016)। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच तनाव का स्तर और केन्या में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर इसका प्रभावरू काकमेगा नॉर्थ सब का एक केस स्टडी काउंटी. ग्रीनर जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 6(2), 52–66।
13) जोहानसेन, एस.ई. (2011). प्रमाणित शिक्षकों द्वारा पहचाने गए व्यावसायिक तनाव कारकों का विश्लेषण।
14) ओसागी, कॉन्स्टेंस इयोर (2018),एडोस्टेट, नाइजीरिया में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के बीच तनाव, प्रभाव और मुकाबला करने की रणनीतियाँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च ग्रंथालयाह, वॉल्यूमरू 6, आईएसएसरू 9, पीपी–137–147।
15) डॉ. रज़ेकुल इस्लाम (2019), पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच नौकरी के तनाव पर एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एंड एप्लाइड रिसर्च, वॉल्यूमरू 9, आईएसएसरू 5, पीपी–73–85।

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक की भूमिका का वृहत अवलोकन

गौरव शर्मा
प्रवक्ता, स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय शाहजहांपुर
Corresponding Author- गौरव शर्मा
Email- gauravsharma0302@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242304

नई शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक की प्रष्ठभूमि

नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा 2020 में अधिसूचित की गई थी। यह नीति भारत के शिक्षा क्षेत्र में क्रियान्वयन करने के लिए नई दिशा निर्देश तय करती है। इसके मुख्य उद्देश्यों में से कुछ हैंरू शिक्षा के स्तर को सुधारना, बुनियादी शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाना, नवाचारी शिक्षा पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, और शिक्षा को समृद्धि के लिए एक आधारशिला बनाना। नई शिक्षा नीति के माध्यम से, छात्रों को भारतीय संस्ति, भाषाएं, और तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों की भी प्रोत्साहन किया जा रहा है।

अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न स्तरों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उच्च शिक्षा आदि) पर छात्रों को ज्ञान और सीखने के लिए गाइड करते हैं। अध्यापकों का महत्वपूर्ण योगदान छात्रों के विकास में होता है, वे उन्हें ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने में मदद करते हैं और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं।

नई शिक्षा नीति के तहत अध्यापकों के लिए भी नए नियम और अनुसरण करने योग्य नैतिक दिशा–निर्देश शामिल होते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार, अध्यापकों के लिए नई शिक्षा प्रक्रियाओं, नए टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए प्रोत्साहन, और उनके विकास के लिए विशेष कक्षाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश की जाती है।

नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता

नई शिक्षा नीति एक देश के शिक्षा प्रणाली को समृद्ध, समर्थ, और आधुनिक बनाने के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा नीति एक समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। नई शिक्षा नीति की आवश्यकता कुछ निम्नलिखित कारणों से होती हैरू

1) समय के साथ परिवर्तित होने वाले समाजिक–आर्थिक संदर्भरू समय के साथ, समाज और आर्थिक परिवर्तन होता रहता है जिससे शिक्षा प्रणाली भी अपडेट होने की आवश्यकता होती है। नई शिक्षा नीति इस परिवर्तन के साथ समायोजित और अद्यतित रहने की मदद करती है।
2) ग्लोबल मानकों का सामंजस्यरू वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में भी नए मानक और उदारीकरण की आवश्यकता होती है। नई शिक्षा नीति इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समायोजित होती है जो छात्रों को विश्वस्तरीय स्तर पर तैयार करती है।
3) शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारनारू नई शिक्षा नीति शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समर्थ होती है। यह नए और आधुनिक शिक्षा तकनीकों, शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार, और शिक्षा प्रदान करने के तरीकों को सम्मिलित करती है।
4) रोजगार के अवसरों के साथ संगठित शिक्षारू नई शिक्षा नीति शिक्षा को रोजगार के अवसरों के साथ संबद्ध करती है जिससे छात्रों को अधिक तैयार किया जा सकता है। इससे उन्हें अपने रोजगारीकरण के लिए बेहतर तैयारी मिलती है और उच्च शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण का मार्ग चुनने में मदद मिलती है।
5) इंकलाबी विचारधारा को समर्थन करनारू शिक्षा नीति के माध्यम से इंकलाबी विचारधारा को प्रोत्साहित किया जा सकता है जो नई और अनुसंधानात्मक विचारों को शिक्षा प्रक्रिया में लाने में मदद करती है।

इन कारणों के संदर्भ में, नई शिक्षा नीति न केवल शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि एक राष्ट्र के समृद्धि और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान करती है।

नई शिक्षा नीति 2020 का महत्त्व

शिक्षा नीति और अध्यापकों के संबंध में नई शिक्षा नीति के लागू होने से अध्यापकों को छात्रों को बेहतर रूप से पढ़ाने और समझाने के लिए नए तरीके और उपकरणों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इससे छात्रों के शैक्षिक अनुभव में सुधार होता है और उनकी सृजनशीलता और अध्ययन क्षमता का विकास होता है।

नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा जारी की गई है और इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारना और अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और राष्ट्रीय ज़रूरतों के अनुसार अद्यतित करना है। नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के मध्य सम्बन्ध को मजबूत करने और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावनाएं हैं।

कुछ मुख्य बिंदुः

1) **उन्नत शिक्षा प्रशिक्षण (च्तवमिपवदंस क्मअमसवचउमदज) कार्यक्रमः** नई नीति में अध्यापकों के लिए उन्नत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। इससे उन्हें नवीनतम शिक्षण तकनीकों, उपकरणों, और शैक्षिक विकास के संबंध में अधिक ज्ञान और उन्नत कौशल प्राप्त होते हैं।
2) **शिक्षा मानकों का सुधारः** नई शिक्षा नीति के अनुसार, अध्यापकों के लिए विशेष मानकों और अनुसूचित अनुसारी वेतन ();त) के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। इससे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर रूप से मजबूती मिलेगी।
3) **संबंधों का विकासः** नई नीति में अध्यापकों के और उनके छात्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह छात्र–शिक्षक संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है और शिक्षक छात्रों के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
4) **शैक्षणिक स्वतंत्रताः** नई नीति अध्यापकों को शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है। उन्हें संबंधित पाठ्यक्रम को अपने छात्रों की आवश्यकताओं और स्तर के अनुसार अनुकूलित करने की अनुमति होती है।
5) **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकासः** नई शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास को महत्वपूर्ण माना गया है। इससे शिक्षकों के प्रशिक्षण और उन्नति की गुणवत्ता और मानकों का सुनिश्चित हो सकता है।

इन सभी बदलावों के माध्यम से, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अध्यापक बेहतर तरीके से छात्रों को पढ़ा सकें और उनके विकास को समर्थन कर सकें। शिक्षा प्रणाली को सुधारकर उच्च गुणवत्ता और उच्च स्तर के शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद मिलेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यापकों को लाभ

नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में विकसित की गई थी। इस नीति के अंतर्गत, अध्यापकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें समर्पित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि निम्नलिखित हैंरू

1) **गुणवत्ता के प्रमुख स्रोतः** नई शिक्षा नीति के अनुसार, अध्यापकों को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। शिक्षा स्रोत की सुधारों के माध्यम से अध्यापकों को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसर प्रदान किया जाता है जिससे वे शिक्षा क्षेत्र के नवीनतम शिक्षण तकनीकों, अद्यतित शिक्षा माध्यमों और शिक्षण विधियों से अवगत हो सकें।
2) **अध्यापकों की प्रोत्साहनाः** नीति में अध्यापकों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न उपाय शामिल हैं। इसमें उन्हें नए शिक्षा विधियों और नवाचारों का प्रोत्साहन, शोध और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उन्हें शिक्षा क्षेत्र में नई दिशाएं मिल सकें।
3) **गुणवत्ता के लिए प्रमुखताः** नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई है। अध्यापकों को गुणवत्ता वाले शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए समर्थ बनाने के लिए उन्हें प्रोफेशनल डिवेलपमेंट प्रदान किया जाता है।
4) **अध्यापक नैतिकता और दायित्वः** नीति भर में, अध्यापकों के लिए नैतिकता और दायित्व के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। वे अपने छात्रों के प्रति नैतिकता और दायित्वपूर्ण व्यवहार का उदाहरण होते हैं और इस तरीके से वे छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
5) **तकनीकी शिक्षाः** नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अध्यापकों को डिजिटल शिक्षा में कुशल बनाने और इसे शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक की महती भूमिका

साल 2020 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति (छंजपवदंस म्कनबंजपवद च्वसपबल, छम्च्) को मंजूरी दी थी, जिसमें शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के उद्देश्य सम्मिलित थे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से, अध्यापकों के कार्यों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की योजना बनाई गई थी। इसमें निम्नलिखित कुछ प्रमुख पहलुओं का संक्षेप में उल्लेख किया गया था।

1) **पेशेवर विकासः** नई शिक्षा नीति के अनुसार, अध्यापकों के पेशेवर विकास को प्रोत्साहित किया गया था। उन्हं नवीनतम शिक्षण तकनीकों और मेथडों का अध्ययन करने और इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
2) **अध्यापन मानकों की सुधारः** शिक्षा मानकों और पाठ्यक्रमों में सुधार के लिए भी कदम उठाए गए थे। इसका मकसद था कि अध्यापक बेहतर रूप से विद्यार्थियों को नवीनतम ज्ञान और अनुभव से अवगत कराएं और उन्हें व्यापक रूप से समझाएं।
3) **शिक्षा प्रदान करने की तकनीकों का सुधारः** नई शिक्षा नीति के अनुसार, इंटरैक्टिव शिक्षा और नवीनतम शिक्षण उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जाना था। इससे अध्यापक विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय बनाने और समझाने में मदद कर सकते थे।
4) **शिक्षा में एकीकरणः** नई शिक्षा नीति ने अध्यापकों के लिए एकीकृत शिक्षा प्रक्रिया को समर्थन दिया था। इसका मकसद था कि वे विभिन्न स्तरों और कक्षाओं में एक संगठित तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक महत्वपूर्ण कदम है जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का उद्देश्य रखती है। इस नीति का मुख्य ध्येय है शिक्षा को गुणवत्ता से और विश्वस्तरीय बनाना, छात्रों को उनके रूपांतरण के लिए तैयार करना और उन्हें अपने रूपांतरण के अनुरूप जीवन जीने के लिए समर्थ बनाना। यह शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रयोग में लाने की योजना है ताकि छात्र और अध्यापक दोनों को शिक्षा के नए परिप्रेक्ष्य में उत्साहित किया जा सके।

नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जिनके माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनके सम्मानित योगदान को मान्यता दी जा रही है।

1) उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण (ज्म्च्)ः नई शिक्षा नीति में एक श्उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षणश (ज्म्च्) प्रोग्राम की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य अध्यापकों के विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से अध्यापकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकियों और मेटागोगिकल उन्नति के साथ अपडेट किया जाएगा।
2) पेड़ागोजी प्रोफेशनल डिवेलपमेंटरू नई नीति में पेड़ागोजी प्रोफेशनल डिवेलपमेंट (च्च्क) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया गया है। यह उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम और सर्वोत्तम विधाओं का अध्ययन करने, अध्यापन के लिए सर्टिफिकेट पाने और अपने शिक्षण कौशल को समृद्ध करने का अवसर प्रदान करेगा।
3) अधिकृत और अनुशासित पदों का उत्थानरू नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के लिए अधिकृत और अनुशासित पदों को उत्थान करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा अधिकारियों और प्रशासकों को शिक्षकों के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए उत्साहित किया जाता है।
4) वित्तीय समर्थनरू नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, अध्यापकों के लिए वित्तीय समर्थन की पहलें होगी ताकि वे शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान में लगे रह सकें और बेहतर शिक्षा अनुभव प्रदान कर सकें।

नई शिक्षा नीति के माध्यम से, अध्यापकों को उनके शिक्षण कौशलों को समृद्ध करने और उन्हें अपने पेशेवर क्षेत्र में उन्नति के लिए बेहतर तैयार करने का विशेष महत्व दिया जाता है। इससे छात्रों को भी गुणवत्ता से ऊंची शिक्षा मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

कृपया ध्यान दें कि ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं और नई शिक्षा नीति में अध्यापकों के कार्यों के अन्य पहलू भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए, नई शिक्षा नीति के पूर्ण अध्ययन और संबंधित अधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना उचित होगा।

सन्दर्भ गन्थ सूची

1) सक्सेना, राधा रानी (2002) उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक जयपुर क्लासिक पब्लिकेशन्स।
2) सिंह, सुरेश (2012), उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक इलाहाबाद अनुभव पब्लिसिंग हाउस।
3) पाठक, आर. पी. (2010). आधुनिक भारतीय शिक्षा, समस्याएं एवं समाधान नई दिल्लीः कनिष्क
4) पब्लिशर्स।
5) यादव, वीरेन्द्र सिंह (2013), भारतीय शिक्षा का बदलता परिदृश्य चुनौतियाँ एवं समाधान की दिशाएँ नई दिल्ली ओमेगा पब्लिकेशन्स।
6) गुप्ता, मंजु (2007); "आधुनिक शिक्षण प्रतिरूप" नई दिल्ली के. एस. के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स
7) सक्सैना, एन आर स्वरूप (2012) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा मेरठरू आर. लाल. बुक डिपो।
8) सिंह, राजेन्द्रपाल (2011), तुलनात्मक शिक्षा के सिद्धान्त जयपुर राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
(2020) New Education Policy, Key Point: At a glance, 30 July.
9) (2006) E-Learning Concepts and Techniques, Berman Pamela, Bloomsburg.
10) Kumar Rashimi, Chandre saurabh : Teacher Education In The 21St Century, 15 September 2018
11) Gupta Dr. Manju : Teacher Education In India And Global Perspective, 1 January 2016

12) Srivastav R.C. : Teacher Education in India: Issues and Perspectives, 31 December 1997
13) https://hindi.momspresso.com/parenting/389e2e4f2ae9433694f3df0eb51eb893/article/shikshaka-aura-shiksharthi-k7odmz9ch1xj
14) https://jantaserishta.com/editorial/education-1035756
15) https://www.linkedin.com/pulse-ripudaman-gaur
16) https://nibandh.net/essay/essay-on-teacher-and-student

"सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान मैं मिनीमाता का योगदान"

डॉ. शशिकला सिन्हा[1],डॉ. कमलेश कुमार शुक्ला[2]

[1]विभागाध्यक्ष- इतिहास, शासकीय माता शबरी, नवीन कन्या महाविद्यालय

[2]विभागाध्यक्ष- इतिहास, सी एम दुबे स्नातकोत्तर

Corresponding Author- डॉ. शशिकला सिन्हा

DOI- 10.5281/zenodo.8242310

छत्तीसगढ़ के सामाजिक राजनीतिक उत्थान में मिनीमाता का अभुतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई एवं महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अर्जित की।

जीवन परिचय :

1) मिनीमाता के पूर्वज -

मिनीमाता का वास्तविक नाम मीनाक्षी था। उनकी माता का नाम देववती तथा पिता बुधारीदास थे। मिनीमाता के पूर्वज छत्तीसगढ़ के मुंगेली के सगोना नामक ग्राम के निवासी थे। उनकी माता देववती के पिता इसी गांव के साधारण परिवार से थे। 18 वीं शर्दी के छत्तीसगढ़ में जब वर्ष 1897 से 1899 के बीच भीषण अकाल की स्थिति निर्मित हुई तो इस संकट के समय मिनीमाता के पूर्वज अपने गृहग्राम सगोना से रोजगार की तलाश में असम के चाय बागान में जाने के लिए निकल पड़े।. वे देववती तथा उनकी दो बहनों का माता-पिता के साथ बिलासपुर शहर पहुँचे और विलासपुर से ट्रेन से असम जाने के लिए निकल पड़े। अत: वे असम पहुँचकर बस गये। आज वहां के चाय बागान दौलतपुर में विस्थापित हो गये l

2) मिनीमाता का जन्म –

मिनीमाता का जन्म 15 मार्च 1916 को असम के नुवागांव जिले के जमुनामुख नामक ग्राम में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम देववती तथा पिता का नाम महंत बुधारीदास था। मिनीमाता का मूल नाम मीनाक्षी था। कालांतर मे इनकी ममतामयी छवि के कारण जनता ने उन्हें 'मिनीमाता' के नाम से संबोधित किया। और यहीं से उनका नाम मिनीमाता पड़ा।

3) शिक्षा-दीक्षा -

मिनीमाता की प्रारंभिक विद्यालयीन स्तर की शिक्षा 'गर्ल्स स्कूल नवांगाव' असम में तथा मैट्रिक तक की शिक्षा छत्तीसगढ़ से ग्रहण किया। किताबें पढ़ना, सिलाई, कढ़ाई-बुनाई, बागवानी, के रायपुर भोजन पकाना, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर चर्चा एवं बहस करना इत्यादि कार्यों में मिनीमाता की विशेष रुचि थी। इसके अलावा उन्हें हिन्दी, अंग्रेजी, बांग्ला एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था।[1]

4) विवाह -

मिनीमाता का विवाह, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रर्वतक गुरू घासीदास बाबा के चौथे वंशज व तात्कालीन सतनामी समाज के धर्मगुरू आगमदास जी के साथ, पिता महंत बुधारीदास के आग्रह पर 2 जुलाई 1930 को असम के दौलतपुर ग्राम में हुआ। विवाहोपरांत उन्हें सतनामी समाज द्वारा 'गुरूमाता' का महत्व दिया गया और संभवत: इसी सम्मान के साथ मिनीमाता, अपने श्री आगमदास गुरू के साथ छत्तीसगढ़ वापस लौट आयीं।

5) मिनी से मिनीमाता बनने का सफर:

गुरु आगम दास जी छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका सतनाम समाज में काफी प्रभाव था, जिसके कारण उनके घर में तब के स्वतंत्रता सेनानियों का जमावड़ा लगा रहता था और यह काफी सुरक्षित भी था। इन स्वतंत्रता सेनानियों का प्रभाव मिनीमाता के स्वभाव में भी दिखने लगा था इन्हीं सब कारणों से उनके मन में भी समाज और देश के लिए कुछ करने की भावना बलवती होती गई। इसी बीच सन 1954 ईस्वी में गुरु आगम दास जी की मृत्यु हो जाने से कर्तव्य का सारा बोझ मीनाक्षी देवी के कंधों पर आ गया था क्योंकि उस समय उनके बेटे विजय कुमार की उम्र काफी कम थी जो इस कर्तव्य को उठाने लायक नहीं थे। मीनाक्षी देवी के अपने परिवारिक दायित्व का अच्छे से निर्वहन करने के साथ-साथ सामाजिक दायित्व का भी काफी अच्छे से निर्वहन कर रही थी जिसे कारण उनकी प्रसिद्धि

काफी बढ़ गई थी वर्ष 1955 के उपचुनाव में भी संयुक्त संसदीय क्षेत्र रायपुर बिलासपुर और दुर्ग में अपना परचम लहराकर छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ।

6) राजनीतिक जीवन में प्रवेश –

वर्ष 1955 में तात्कालीन मौजूदा सांसद गुरु आगमदास जी की मृत्यु के पश्चात् मिनीमाता का राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुआ। वे उपचुनाव में प्रथम महिला लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुई। मिनीमाता जिस राजनीति से जुड़ी थीं वह अम्बेडकरवादी दलित आत्म अभिकथन का ही एक अन्य रूप था। इस प्रकार वे छत्तीसगढ़ के लोकसभा क्षेत्र से संसद की सदस्य बनने वाली 'छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थीं। 1955 के पश्चात् छत्तीसगढ़ की राजनीति में लगातार सफलता प्राप्त करती हुए निरंतर आगे बढ़ती रहीं और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फलस्वरूप क्रमश: वर्ष 1955, 1957, 1962, 1967, 1991 में विभिन्न क्षेत्रों से संसद के सदस्य के रूप में आसीन होकर समाज के प्रति सद्कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करती रहीं।[6]

7) राजनीतिक उत्थान में मिनीमाता का योगदान :

संसदीय कार्य –

वर्ष 1955 में तात्कालीन सांसद गुरू श्री आगमदास की मृत्योपरांत मिनीमाता, संसदीय उपचुनाव में रायपुर बोकसभा सीट से प्रथम लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई।[1] उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नामांकन सीट पर उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में सम्मिलित होकर विजयी हुई थीं। पं. जवाहरलाल नेहरू तथा पं. रविशंकर शुक्ल जैसे महत्वपूर्ण नेता भी मिनीमाता का बेहद सम्मान करते थे। मिनीमाता के संपूर्ण राजनीतिक जीवन में अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्नलिखित थीं-

1) वर्ष 1955 में रायपुर संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में विजय प्राप्त कर वे छत्तीसगढ़ से संसद तक पहुँचने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद बनीं।
2) अपने संसदीय कार्य के अलावा राज्य कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में, गुरु घासीदास सेवा संघ के अध्यक्ष के रूप में पद में आसीन रहीं। राज्य में संचालित दलित वर्ग की लीग में सचिव के पद पर कार्य किया। हरिजन ऐजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर आसीन रहीं। महिला मंडल, रायपुर में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2 वे समाज कल्याण बोर्ड, रायपुर के सदस्य के रूप में योगदान दिया।
3) रायपुर के जिला कांग्रेस कमेटी में भी सदस्य रहीं।[2]

वर्ष 1962 में मिनीमाता ने मध्यप्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से अनुसूचित जाति (SC) सीए बलौदाबाजार से चुनाव में सम्मिलित होकर प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को पराजित कर विजय हासिल की।[3]

वर्ष 1967 में जांजगीर क्षेत्र में अनु. जाति हेतु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव बड़कर 62 प्रतिशत अधिक मतों के साथ पुनः विजिट हुई। वर्ष 1971 में पुन: मिनीमाता ने जांजगीर के उसी विजित क्षेत्र में पुन: विजय प्राप्त कर राजनीति में बनीं रहीं।"

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मिनीमाता व गुरु आगमदास को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके रायपुर स्थित निवास गृह स्वयं सत्याग्रहियों का गढ़ बना था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉ. राधाबाई, ठाकुर प्यारेबाब आदि झटतीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय आंदोलन के समय उनके इसी निवासगृह में आते जाते थे। इसके अलावा गुरु आगमदास जी के कारण ही संपूर्ण सतनामी समाज ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था।

सामाजिक उत्थान में मिनीमाता का योगदान-

सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में भी मिनीमाता ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तात्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। एक सामान्य परिवार व मध्यमवर्गीय परिवार से संबंधित होते हुए भी सामाजिक उत्थान हेतु छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें 'राजमाता' जैसा सम्मान दिया। इसका अन्य कारण मिनीमाता का आय जनता से प्रत्यक्ष जुड़ाव भी था।

1) **महिलाओं हेतु -** मिनीमाता ने विशेषत: स्त्री शिक्षा के साथ-साथ दहेज - प्रथा, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ संसद में आवाज उठाई थीं।
2) **अस्पृश्यता समाप्त करने हेतु** - उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास करते हुए संसद में 'अशपृष्यता विधेयक बिल वर्ष 1955 ई. पास करवाया। समाज में गैर-बराबरी की भावना को उन्होंने भलीभांति समझ

रखा था। यह बिल पूरे देश में आपृश्यता को दूर करने के लिए थी।

3) **गरीबों हेतु -** मिनीमाता सदैव ही गरीबों व दलितों की सहायता हेतु तत्पर रहती थीं। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने गरीबों, दलितों के लिए आवाज उठाई। वे "छत्तीसगढ़ मजदूर कल्याण संगठन, भिलाई" की संस्थापक भी थीं। जब वे सांसद के रूप में दिल्ली में निवासरत थीं तब उनका निवासस्थल किसी धर्मशाला की भांति होता था। मिनीमाता से सामान्य जनता का अत्यधिक लगाव था इसीलिए आज भी छत्तीसगढ़ सरकार, उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष महिलाओं के उत्थान में कार्य करने वालों को "मिनीमाता सम्मान " प्रदान करती है। इसके अलावा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा भवन भी " मिनीमाता" के नाम पर ही संचालित है।[8]

गौरव एवं सम्मान:

मिनीमाता द्वारा किए गए समाज सुधार के क्षेत्र में काम और उनके ममतामई स्वभाव के कारण ही छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद महिला एवं बाल विकास के द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला कल्याण के लिए काम करने वाले महिलाओं या समूह को प्रत्येक वर्ष मिनीमाता सम्मान से नवाजा जाता है उनके नाम से रायपुर के बस स्टैंड का नाम रखा गया हसदेव बांगो परियोजना का नाम भी मिनीमाता बांगो परियोजना रखा गया है छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम भी मिनीमाता के नाम से किया गया है [8]

मिनीमाता के राजनीतिक जीवन का सफर:

1955 ईस्वी के उपचुनाव में संयुक्त संसदीय क्षेत्र रायपुर बिलासपुर और दुर्ग में जीत के शुरुआत के साथ हुई उन्हें छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ 1957 ईस्वी में पुनः संयुक्त संसदीय क्षेत्र रायपुर बिलासपुर और दुर्ग से जीतकर सांसद बनी वर्ष 1965 ईस्वी में बलोदा बाजार क्षेत्र से सांसद 1967 ईस्वी में जांजगीर संसदीय क्षेत्र से, वर्ष 1971 ईस्वी में पुनः जांजगीर क्षेत्र से चुनाव जीतकर कुल 5 बार चुनाव जीतने का तमगा हासिल की।

राजनीतिक क्षेत्र में मिनीमाता की उपलब्धियां:

राजनीतिक क्षेत्र में मिनीमाता ने ऐसे अनेक कार्य किए हैं जो उन्हें मीनाक्षी देवी से मिनी माता का दर्जा प्रदान किया कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नांकित है

1) अस्पृश्यता बिल संसद में पास करवाना सन 1955 ईस्वी में मिनीमाता ने अपने दम पर संसद में अस्पृश्यता बिल पास करवाया जो कि पूरे देश में विशेष समुदाय के लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया।
2) मजदूरों की चटनी के विरोध में रैली का नेतृत्व : वर्ष 1967 ईस्वी में मिनीमाता ने एक बहुत बड़ी रैली का नेतृत्व किया भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा 1966 ईस्वी में मजदूरों की चटनी के विरोध में चलाया गया फल स्वरुप मिनीमाता द्वारा विरोध किए जाने से बहुत मजदूरों को काम काम से नहीं निकाला गया।
3) जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आवाज बुलंद करना : 1968 ईस्वी के जातिगत भेदभाव के कारण होने वाले लड़कियों के लिए भी आवाज बुलंद की जिसके फलस्वरूप ही पहुंचे जगह जातिगत भेदभाव को कम करने में मिनीमाता को सफलता हासिल हुई।
4) गुरु घासीदास सेवा संघ और हरिजन एजुकेशन सोसाइटी के पद पर रहते हुए भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए।
5) महिला मंडल रायपुर की सचिव पद में रहते हुए महिलाओं को जागरूक किया।

मृत्यु : मिनीमाता की 11 अगस्त 1972 ई. को विमान दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी [7]

संदर्भ ग्रंथ -

1) क्षीरसागर, रामचंद्र (1994)- "भारत में दलित आंदोलन और उसके नेता 1857-
2) 1956" प्रकाशक- एम. डी. प्रकाशन, ISBN-9788185880433
3) लोकसभा सदस्य प्रोफाइल | लोकसभा 29 जुलाई 2017 को लिया गया।
4) तीसरी लोकसभा के लिए आम चुनाव (PDF), 1967 पर सांख्यिकीय रिपोर्ट। भारत चुनाव आयोग। पेज-131
5) चौथी लोकसभा के लिए आम चुनाव 1967 पर सांख्यिकीय रिपोर्ट | पेज -142

6) आम चुनाव 1971 पर पाँचवी लोकसभा (PDF) पर सांख्यिकीय रिपोर्ट, भारतीय चुनाव आयोग - पेत्र - 142 -
7) सिंह, यास्ना (2013)। 'सतनामी स्व अभिकथन और दलित सक्रियता : ग्रामीण छत्तीसगढ़ (मध्यभारत) में रोजमर्रा की जिंदगी और जाति' (PhD this is)
8) प्रादेशिक अखबार - देशबंधु रायपुर (PDF) । पेज-10, दिनांक 13 अगस्त 2019

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

मुण्डारी भाषा साहित्यः सामान्य परिचय

मनय मुण्डा
सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय मुण्डारी विभाग,, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
Corresponding Author- मनय मुण्डा
Email- manaymundassm@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242314

भारत देश जो तीन और महासागरों तथा एक ओर विशाल हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है। कल्पना से भी अधिक मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करता है। हमारा देश भारत कई राज्यों और कई केन्द्र शासित प्रदेशों से सुसज्जित है। इन्हीं राज्यों में से एक हमारा झारखण्ड भी है। झारखण्ड भारत देश का एक ऐसा अनोखा राज्य है जो अपनी वैविध्यपूर्ण भाषिक सम्पदा के कारण देश के मानचित्र पर एक विलक्षण स्थान रखता है।

इस राज्य का अनोखापन इस बात से है कि यहाँ पर एक कई भाषा परिवार की भाषाएँ बोली जाती है। ये भाषाएँ इस प्रदेश के लोक जीवन की आस्था उमंग तथा उल्लास की वाहिका है। इस झारखण्ड प्रदेश में 32 जनजातियाँ निवास करती है। सबकी अपनी–अपनी भाषएँ है, संस्कृति है। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना को बनाये रखते हैं। इन्हीं 32 जनजातियों में से मुण्डा भी एक जनजाति है। जिनकी अपनी अलग भाषा और अपनी संस्कृति है।

मुण्डा जनजाति भारत देश में झारखण्ड राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और अंडमान और निकोबार आदि राज्यों में मुख्यतः निवास करती है। झारखण्ड क्षेत्र में प्रचलित भाषाएँ मोटे तौर पर पर तीन ग्रुपों की है। प्राटोआस्ट्रोलायड द्रविड़ और नाग जो आर्य भाषाओं से काफी प्रभवित है। पहले ग्रुप में मुण्डारी संताली, हो, खड़िया, भूमिज, बिरहोर सूरी और अंसूरी दूसरे ग्रुप में कुड़ुख (उराँव) मालतो, किसान बेरगा, घागरी खेंदेरो तथा तीसरे ग्रुप में नागपुरी, कुरमाली, खोरठो, पंचपरगनिया, तमाड़िया, सुरगुजिया, डोमली, गंउली, गंवारी आदि भाषाएँ आती है, जिन्हे सदानी या सदरी कहा जाता है, इस क्षेत्र में इनका अपना इतिहास है।

सर जार्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया में बिरहोर तुरी और असुरी को मुण्डारी परिवार की खेरवारी शाखा के अंतर्गत स्थान दिया है।

मुण्डारी एक समूह और सशक्त भाषा है जिसे मुण्डारी अथवा 'होड़ो जगर' कहा जाता है। मुण्डारी भाषा के सामान्य चार भेद है–
हसादअः नगुरी, तमड़िया और केरअः मुण्डारी। इन चारों में हसादअः को मुण्डारी का मानक रूप माना गया है। राँची जिले के दक्षिण में हसादअः पश्चिम में नगुरी पूर्व में तमाडिया तथा केरअः राँची के इर्द–गिर्द बोली जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि खूँटी और मुरहू प्रखण्ड के पूर्वी भाग और अड़की प्रखण्ड के दक्षिण की बोली हसादअः मुण्डारी है। हासा का अर्थ होता है मिट्टी और दाः का अर्थ है पानी। मिट्टी से निकला हुआ पानी साफ होता है उसी प्रकार हसादअः मुण्डारी में अन्य बोलियों का प्रभाव कम पड़ा है क्योकि हसादअः इलाके में मुण्डाओं को छोड़कर दूसरे जाति के लोग बहुत कम है।

नगुरी मुण्डारी में नागपुरी का काफी प्रभाव है। इस इलाके में मुण्डारी और नागपुरी बोलने वाले एक साथ रहते है। नगुरी, मुण्डारी बोलने वाले नागपुरी शब्दो का प्रयोग अधिक करते है और यह बोली कर्रा, गोविन्दपुर, बानो, कोलेविरा, तोरपा इलाकों में बोली जाती है।

तमाड़िया मुण्डारी बुण्डू तमाड़ और सोनाहातु इलाकों की बोली है। तमाड़िया मुण्डारी में बंगला उच्चारण का प्रभाव पड़ा है और किसी व्यंजन वर्ण का बिना 'ओ' के उच्चारण नहीं कर पाते है। तमाड़ और बुण्डू के आस–पास ज्यादा बोलने के कारण इसे तमाड़िया मुण्डारी कहते है।

केराः मुण्डारी राँची के ईद–गिर्द की बोली है जिसे उरॉव और मुण्डा दोनो समान रूप से प्रयोग मे लाते है। केराः मुण्डारी में उच्चारण के आधार पर कुड़ुख बोली का प्रभाव पड़ता है। प्रायः सभी वाक्यों में 'राः' का प्रयोग होता है इसलिए इस बोली भेद को केराः मुण्डारी कहा जाता है। झारखण्ड में ये चारों बोली भेद मौजूद है।

मुण्डारी भाषा को लिपिबद्ध करने और उसमें साहित्य आरंभ करने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है। 1845 ई0 में उनके प्रथम प्रवेश काल में छोटानागपुर अन्तर्गत उनके समक्ष भाषा की कठिनाई उत्पन्न हई। उन्हें यह अच्छी तरह पता चल चुका था कि छोटानागपुर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। इनकी भाषा सिखे बिना धर्म–प्रचार करना संभव नहीं है। अतः उन्होने भाषा संबंधी समाधान के लिए जिस क्षेत्र में, जिस जनजाति की बाहुलता थी उसी भाषा का कोश एवं व्याकरण का निर्माण किया। सर्वप्रथम 1872 ई0 में 'दुरङ पुथि' का प्रकाशन गोस्नर मिशन राँची के प्रख्यात मिशनरी डॉ0 नोतरोत ने किया। उन्होने प्रिंसिपल कोचर और पादरी बेगनर के सहयोग से बईबल की छोटी–छोटी पुस्तकों का मुण्डारी भाषा में अनुवाद किया। 1882 ई0 में फादर हॉफ मैन मुण्डारी व्याकरण भी लिखा। 1903 ई0 में फादर हॉफ मैन ने मुण्डारी व्याकरण लिखा और मुण्डारी भाषा को विशिष्ट पहचान दिलाई। उसी आस–पास उन्होने मुण्डा भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोष (इन्साइक्लोपीडिया ऑफ मुण्डारिका) तैयार किया जिसमे मुण्डाओं की भाषा से संबंध विश्वस्त और सम्पूर्ण तथ्य ही नहीं वरन् मुण्डा जाति का नृतात्विक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। इस पुस्तक के निर्माण में फादर पोनेट का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

मुण्डारी लोक साहित्य भी समृद्ध है जिसे हम दो वर्ग– लोक कथा तथा लोकगीत में बाँट सकते है। ये मुण्डा संस्कृति के अभिन्न अंग है। इनके गीत विशेष मौसम में विशेष प्रकार के रागों के होते है। जैसे– गर्मी में चिटिद्, भादों में करम, दीवाली में सोहराई, अगहन में बुरू – मागें, होजोर, जारगा, फागुन में जापि और बा या सरहुल में जादुर ओर जदुर और गेना।

मुण्डाओं में अधिकांश नृत्य–गीत है। अलग से गीत की प्रचलन नहीं के बराबर है। प्रत्येक गाँव में अखड़ा होता है जिसमें पर्व–त्योहारों के अलावा भी समय–समय पर नृत्य का आयोजन होता है जिसमें बड़े–बुजुर्गों के साथ युवक–युवतियाँ एवं बच्चे सम्मिलित होते है। मुण्डारी गीतों में ज्यादातर वन, पहाड़, पक्षी–पशु, नदी–नाले आदि का वर्णन मिलता है, यह उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। मुण्डारी लोकगातों की विशेषता है कि इनमें कवि का नाम गौण रहता है इसका अर्थ यह हुआ है कि समयनुसार गीतों का सृजन एवं परिमार्जन होता है।

साहित्य के वर्तमान विधाओ के अनुसार इसे दो भागों मे विभक्त किया जा सकता है– लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य। इसमें लोक साहित्य का संग्रहण पहले हुआ है। इस कार्य में ईसाईयों के साथ–साथ यहाँ के गैर–ईसाई भी सम्मिलित है। – दाउद दयाल सिंह होरों' सुरूद–सलुकिद में गीतों को संग्रह कर 1931 ई0 में प्रकाशित कराया। लोकगीतों और लोंककथाओं के संग्रहण में प्रशंसनीय कार्य जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा सम्पन्न हुआ है। 'बासुरी बज रही' (रूतु सड़ितन) 1970

ई0 और मुण्डा लोककथा 1968 ई0 तथा 'सोसोबोंगा' मुण्डा साहित्य की अमूल्य निधियाँ है। भैयाराम मुण्डा ने 'दांडा जमाकन होड़ोकानिकों 1961 ई0 में प्रकाशित कराया।

भाषाओं का वर्गीकरण

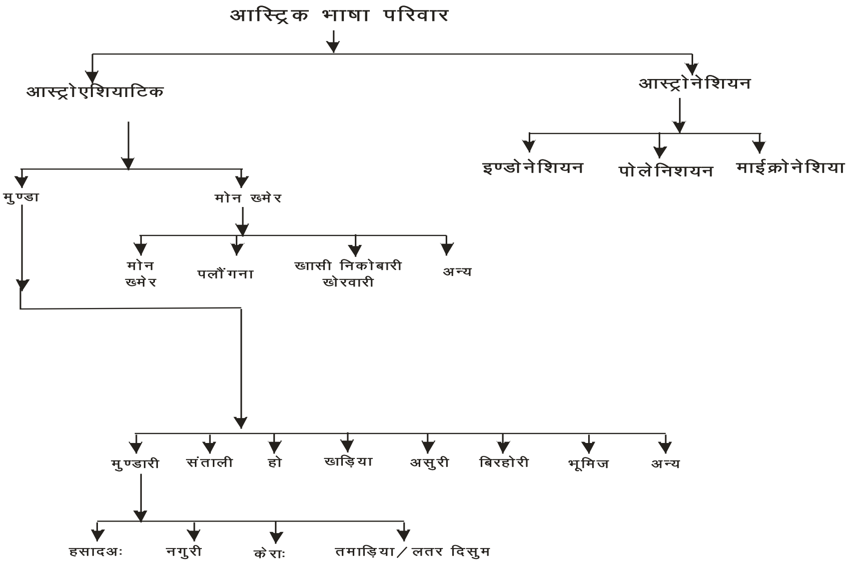

1. हसादअः मुण्डारी भाषा :– हसादअः मुण्डारी भाषा हसादअः क्षेत्र की भाषा है। इस भाषा को बोलने वाले मुण्डा 'हसादअः लोग' अर्थात् 'हसादअः मुण्डा' कहे जाते है। हसादअः मुण्डारी भाषा का शुद्ध रूप है। इस सम्बन्ध में फादर जॉन बापतिस्त हॉफमैन अपनी पुस्तक :–

'इन्साइक्लोपीडिया मुण्डारिका' में लिखें हैं – ष्च्नतमेज भ्ैकं कपंसमबज पे `चवामद पद `तपचंजप ;तवनदक उंतंदहींकं ॅदक`वमावद्ध ॅदक जीपे पे ॅकउपजजमक इल जीम वजीमत भ्ैकं च्मवचसमण्ष

इस बात का मतलब ये हुआ कि हसादअः का जो शुद्ध बोली है वह मरंगहदा और सैको के आस–पास के गाँवों में बोली जाती है। हसादअः मुण्डारी भाषा बोलने वाले दूसरे लोग भी इस बात से सहमत है।

हसादअ मुण्डारी भाषा आजकल भी उस क्षेत्र में शुद्ध रूप में ही बोली जाती है। इस भाषा में दूसरे भाषाओं का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके दो प्रमुख कारण है। पहला कारण यह है कि इस क्षेत्र में पढ़े–लिखें लोगों की संख्या कम है और दूसरा कारण यह है कि इस क्षेत्र में अन्य जाति के लोग बिल्कुल ही नही है। इस क्षेत्र में मुण्डा जाति के अलावा कुछ दूसरे जाति के लोग भी है, परन्तु इनकी संख्या बहुत ही कम है। जैसे कि– तांती, मछुआ, लोहरा, गोवार और साहू आदि है। परन्तु ये लोग भी हसादअ मुण्डारी का ही प्रयोग करते हैं। जब वे अकेले होते हैं तब ही अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि इनकी भाषाओं की प्रभाव हसादअ मुण्डारी भाषा में नहीं पड़ा है।

हसादअ मुण्डारी क्षेत्र राँची से चाईबासा जाने वाली सड़क के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हसादअः मुण्डारी कही जाती है। खूँटी को केन्द्र मानकर उस क्षेत्र के मुण्डाओं को तला दिसुम मुण्डा अर्थात् मध्य क्षेत्र का मुण्डा कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तला मुण्डा क्षेत्र की भाषा अर्थात् हसादअः मुण्डारी भाषा को मुण्डारी भाषा साहित्य का मानक भाषा माना गया है।

हसादअः मुण्डारी भाषा खूँटी, मुरहू प्रखण्ड के पूर्वी क्षेत्र में बंदगाँव, सैको और अड़की आदि क्षेत्रों में बोली जाती है।

2. नगुरी मुण्डारी भाषा :– नगुरी मुण्डारी भाषा नगुरी क्षेत्र की भाषा है । इस भाषा को बोलने वाले लोग 'नगुरी मुण्डा' के नाम से जाने जात है। दूसरे शब्दों में इस क्षेत्र के लोगों कों 'चेतन दिसुम मुण्डा' कहा जाता है। विद्वानों की मत है कि हसदअ मुण्डा भाषा की तरह 'नगुरी मुण्डा भाषा' को शुद्ध नहीं माना है। इस संबंध में फादर जॉन बापतिस्त हॉफमैन एस0 जे0 के अनुसार–

ष्जीम संदहनंहम पद जीपे कपंसमबज पे उवतम वअमत संतहमसल`चवपसमक इल जीम ॅकउपगजनतम व िउंदल भ्पदकप ॅदक"कंदप ूवतकेण्ष

अर्थात् फादर हॉफमैन के अनुसार नगुरी मुण्डा भाषा हिन्दी और सदानी भाषा के शब्दों के मिश्रण से शुद्ध रूप में नहीं है।

नगुरी मुण्डा भाषा में दूसरे भाषाओ का मिलने का दो प्रमुख कारण है। पहला कारण यह है कि नगुरी क्षेत्र में पढ़े–लिखे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरा कारण यह है कि इस क्षेत्र में अन्य बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नगुरी क्षेत्र के लोग हसादाअ, केरअ और तमाड़िया क्षेत्र के लोगों से शिक्षा में आगे हैं। पढ़े–लिखे लोग जब भी बात करते हैं वे अपनी बातचीत में हिन्दी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते है। अपने आपको शिक्षित साबित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि नगुरी मुण्डा भाषा में हिन्दी और अंग्रेजी के शब्द दिनों दिन बढ़ते जा रही है।

दूसरा प्रमुख कारण यह है कि नगुरी क्षेत्र में दूसरे जाति के लोग बहुत अधिक संख्या में हैं। कहीं–कहीं पर तो पुरे गाँव में अन्य जाति के लोग रहते है, और कहीं–कहीं पर आधी आबादी मुण्डाओ की तो आधी अन्य जातियों की।

इस तरह नगुरी मुण्डा भाषा में दूसरी भाषाओं के बहुत से शब्द मिल गये हैं। परन्तु एक बात और है कि केवल नगुरी मुण्डा भाषा ही मिश्रित हो रही है ऐसी बात नहीं, बल्कि नगुरी मुण्डा भाषा से दूसरी भाषाए भी प्रभावित होती है। नगुरी भाषा के बहुत सारी शब्द सदरी में सम्मिति हो गई है।

नगुरी मुण्डा भाषा राँची चाईबासा सड़क के पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। नगुरी भाषा बोलने वाले खूँटी और मुरहू के पश्चिम में तोरपा, कर्रा, गोविन्दपुर, रानिया, बानो, कोलेबिरा और बसिया प्रखण्ड के क्षेत्रों में बोली जाती है।

3. केरअ मुण्डारी भाषा :– राँची सदर और राँची के आस–पास के गाँवो में रहने वाले उराँव और मुण्डा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा 'केरा मुण्डारी भाषा' कहलाता है। इस केरा मुण्डा भाषा को ही दूसरे रूप में 'होड़ोलिया जगर' भी बोला जाता है। इस केरा मुण्डा भाषा को पहचानना बहुत आसान होता है। ये लोग अपनी वाक्यों के अंत में ''केरा'' शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे– मंडिइञ् जोम केरा। (मैं खाना खाया), कोतेम केरा? (कहाँ गये थे?) आदि। केरअ मुण्डा भाषा बोली जाने वाली क्षेत्र– राँची सदर, खिजरी, नामकोम, अनगड़ा, कांके, ओरमांझी और रातु प्रखण्ड आदि क्षेत्रों में बोली जाती है।

4. लतर दिसुम मुण्डारी भाषा (तमाड़िया मुण्डारी भाषा)

श्रेष्ट मुण्डाओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा लतर दिसुम मुण्डारी भाषा कहा जाता है, और इस भाषा को बोलने वाले मुण्डाओं को 'लतर दिसुम मुण्डा' कहा जाता है। लतर दिसुम मुण्डारी भाषा को ही दूसरे रूप में तमाड़िया मुण्डारी भाषा कहा जाता है।

लतर दिसुम मुण्डा क्षेत्र हसादअः क्षेत्र से और पूर्व बुण्डू, तमाड़, सोनाहातु, सिल्ली और राहे प्रखण्ड में बोली जाती है।

मुण्डा समूह में ये श्रेष्ठ मुण्डा के रूप में माने जाते हैं। दूसरे रूप में इन्हे सिंह मुण्डा के नाम से जाने जाते है। क्योंकि ये लोग अपने नाम के साथ 'सिंह' शब्द को जोड़ते हैं। जैसे – प्रधान सिंह मुण्डा, मंगल सिंह मुण्डा और गंधर्भ सिंह मुण्डा आदि। परन्तु महिलाएँ अपने नाम के साथ ''सिंह'' नही लिखती हैं। वे अपने नाम के साथ अपने गोत्र को जोड़ते है।

इस तरह मुण्डारी भाषा चार भागों में बँटी हुई है। इन चारों मुण्डारी भाषाओं में हसादअः मुण्डारी भाषा को मानक रूप प्रदान किया गया है। मुण्डारी भाषा साहित्य आदि की रचनाएँ इसी भाषा में की जाती है। इस भाषा को मुण्डारी की मूल भाषा मानी जाती है।

संदर्भ ग्रंथों की सूची

1) शकुन्तला मिश्र, विसेश्वर मुण्डा–मुण्डारी भाषा साहित्य पृ0– 10.14
2) डॉ0 एस0ए0बी0डी0 हंस होड़ों जगर रेअः एतेहइसि नङगम ओड़ो हरा रनाकाव– पृ0 सं0–01
3) डॉ0 विरेन्द्र कुमार सोय, मुण्डारी जगर ओड़ोः सहिति रेजा उवर पृ0सं0–19
4) डॉ0 मनसिद्ध बड़ायद्ध होड़ो नगर सइति ओड़ो सइति ओल हरियाको पृ.सं.–01, 02, 03,04,05,06,07

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

झारखण्ड के मुण्डा जनजाति का जीवन

पुष्पा कुमारी
शोधार्थी, यू0जी0सी0,नेट–जेआरएफ, विश्वविद्यालय, इतिहास विभाग, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड।
Corresponding Author- पुष्पा कुमारी
Email: pushpaisr0193@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242320

सारांश

मुण्डा भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति में से एक है। इनकी बोली ''मुण्डारी'' है। यह सामान्यतः झारखण्ड राज्य के छोटानागपूर क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावे ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़िसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में पाए जाते हैं। इस जाति के लोग सदैव स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं। प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। इनका निवास स्थान शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच है। इनकी अपनी स्वतंत्र प्रशासनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रीति–रिवाज व व्यवहारिक जीवन शैली रही है। दुर्भाग्यवश मुण्डा जनजाति के इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी प्राचीनता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता तक जाती है।मुण्डा जनजाति अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए प्रयासरत् यही कारण है कि आज भी इनकी व्यवस्था बनी हुई है।

भारत में आदिवासियों की ऐतिहासिक उपस्थितिः–

1. सेरेंञ चेतन–चेतन तेदो अमचि मइनाम सेन लेदा
   नरय रूगडि लतर तेदो अमचि मइनाम टुण्डञ केना।
2. अञे गेचाइंञ सेन लेदा, अपुइञ कोइंञ दण्डा केना
   अञे गेचाइंञ टुण्डञ केना एंगाइञ कोइंञ कोजर केना।
3. कमे मइना नमे कोवा, दिरि तेको तेनेन जना
   कमे मइना चिना कोवा जनुम तेको रमेन जना।

हिन्दी अनुवाद :

1. चट्टान के ऊपर से, हे लड़की तुम चली थी क्या?
   चट्टान के नीचे से हे लड़की, क्या तुम सरकी थी?
2. मैं ही चली थी पुरखों को खोजने के लिए,
   मैं ही सरकी थी माताओं को ढूंढने के लिए।
3. नहीं पाओगी, हे युवती, वे पत्थर के नीचे दब गये,
   नहीं पहचानोगी, हे युवती , वे कंटीली झाड़ी से ढक गये। [1]

मुण्डा आदिवासी, प्रवृति के अत्यंत सरल, सहृदय, साहसी एवं स्वाभिमानी होते हैं। स्वतंत्र भारत में आधुनिक विकास के दबाव के बावजूद सुसंगठित पारंपरिक स्वशासी व्यवस्था के साथ आज भी मुण्डा समुदाय अपनी आदिवासी पहचान को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। मुण्डा एक अति प्राचीन आदिवासी समुदाय है जो विशेषकर झारखण्ड में निवास करते हैं। किसी समय ये समस्त भारतवर्ष में फैले हुए थे। ये शांत, ईमानदार, सदाचारी, व्यवहार कुशल और निष्कपट निश्छलता के धनी रहे हैं। बाहरी व्यक्तियों /आक्रमणकारी एवं दिकूओं ने इनकी इसी सरलता को कमजोरी मान कर इन पर दबदबा बनाया एवं इन्हें अन्यत्र स्थानांतरण के लिए मजबूर किया। फलतः इन्होंने झारखण्ड के घने जंगल, वन–पर्वतों से आच्छादित प्राकृतिक रमणीक स्थलों को अपने जीविकोपार्जन एवं निवास का स्थान बनाया। मुण्डा जब झारखण्ड में आये तो उनका संघर्ष असुरों से हुआ। मुण्डा और असुर संघर्ष की दन्तकथा मुण्डाओं की धर्मगाथा ''सोसोबोंगा'' में मिलता है। स्व. भैयाराम मुण्डा द्वारा संग्रहित ''सोसोबोंगा'' नामक पुस्तक में उपर्युक्त तथ्यों का साक्ष्य मिलता है।[2] मुण्डा लोग अपने को 'होड़ो' और अपनी भाषा को 'होड़ो जगर' कहते हैं। जर्मनी के पाश्चात्य विद्वान मैक्समूलर के अनुसार 'होड़ो' अपने को 'मुण्डा' भी कहते हैं, तो इनके लिए इन्होंने मुण्डा नाम रखा एवं इनकी भाषा होड़ो जगर को ''मुण्डारी'' नाम दिए। होड़ो का अर्थ 'आदमी' होता है।

भारत के अन्य आदिवासी समुदायों की ही तरह मुण्डाओं के भौगोलिक वितरण पर अनेक विदेशी व देशी विद्वानों ने विस्तार से अध्ययन एवं चर्चा की है। पी. पीनेट के अनुसार – ''मुण्डा लोग पहले मध्य एशिया में थे। वहीं पर अपना स्वतंत्र जीवन यापन करते थे।''[3] कालान्तर में आक्रमणकारियों ने मुण्डाओं को दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर किया। तत्पश्चात् मुण्डा लोग दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आये और तिब्बत होते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में बस गये। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री शरत चन्द्र राय के अनुसार भी ''मुण्डा जनजाति छोटानागपुर में पश्चिम दिशा से 600ई0पू0 में प्रविष्ट हुई।[4]

मुण्डा समाज और इतिहास के अध्येता डॉ0 सुभाषचंद्र मुण्डा मानते हैं कि –''भारतवर्ष में मुण्डाओं का आगमन मडागास्कर और अफ्रिका से हुआ और वे भारत में आने से पूर्व तिब्बत और पश्चिम चीन में बसे। फिर वे वहाँ से हिमालय को पार करते हुए भारत के उत्तरी–पश्चिम भाग में जा बसे।''[5] मुण्डारी के सुप्रसिद्ध विद्वान स. अ. वि. दि. हंस ने अपनी पुस्तक 'होड़ो जगर रेअ एतेःहइसि नङगम ओड़ो हरा रनकब' में मुण्डाओं के भौगोलिक वितरण पर लिखा है–''मुण्डाओं का भौगोलिक विस्तार पूरब से पश्चिम कहने पर मेडागास्कर से लेकर प्रशान्त महासागर के इस्टर नामक द्विप तक एवं उत्तर से दक्षिण कहने पर पंजाब से लेकर न्यूजलैण्ड द्वीप तक फैला हुआ है।''[6]

विश्वप्रसिद्ध भाषावेत्ता जॉर्ज ग्रियर्सन ने 'लिंग्विस्टीक सवें ऑफ इंडिया' भाग–4 में मुण्डाओं के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में लिखा है – श्श्जीम च्तपदबपचंस िवउम व जीम डनदकें पे जीम ैवनजीमतद ंदक ूमेजमतद चवतजपवद व त्ंदबीप कपेजतपबज ण्म्चमबपंससल पद ठवदंप ंदक ैतहनरं ंदक नितजीमत जव जीम ेवनजी द ूमेज पद ठंदतं ंदक ैउइंसचनत ंदक जीम दमपहीइवनतपदह कपेजतपबजे व जीम बमदजतंस चतवअपदबमण् म्उपहतंदजे ीिंअम नितजीमत इतवनहीज जीम कपंसमबज जव श्रंसचंपहनतपए क्पदंचनतए त्ंरींसपए जीम 24 चंतहंदं ंदक वजीमत कपेजतपबजे व ठमदहंस च्तमेपकमदबल ंदक जव जीम जमं हंतकमदे व ।ेंउण्[7]

सामाजिक जीवन :–

मुण्डाओं का समाजिक जीवन सुसंगठित एवं स्वशासी व्यवस्था 'पड़हा पंचायत' के अंतर्गत प्रणालीबद्ध है। मुण्डा समाज 'आदिम गणतंत्र' का जनक एवं पोषक है। गांव के मुखिया या प्रधान को 'पाहन' पुजारी कहा जाता है। ग्राम पंचायत का प्रधान 'मानकी' कहलाता है तथा कई ग्राम पंचायतों को मिलकर 'पड़हा' बनता है। गांव से लेकर पड़हा तक के प्रधान को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं और वे भी आम मुण्डाओं की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुण्डाओं का सामाजिक जीवन अत्यंत व्यवस्थित एवं सुसंगठित है। जगदीश त्रिगुणायत मुण्डाओं के सामाजिक जीवन के बारे में लिखते हैं – '' इनका सामाजिक जीवन बड़ा ही व्यवस्थित और संयमित रहा है। कीली या गोत्र की प्रणाली इनके सामाजिक जीवन का केन्द्र है।''[8] सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का आधार बिन्दु 'गोत्र' या 'कीली' है। यही समाज को एकसूत्र में बाँधने का और विभिन्न कुरीतियों से बचाने का सशक्त और सुरक्षित कवच है। गोत्र मुण्डाओं के पवित्र विवाह को मर्यादित रखता है। सहगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं। मुण्डा सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार परिवार है। समाज पितृसत्तात्मक होता है और बेटों का पिता की सम्पति पर अधिकार होता है। अविवाहित पुत्री भी पिता की सम्पति का उपयोग कर सकती है। पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी मुण्डा समाज में नारियो को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। नारी समाज की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।मुण्डा के सामाजिक संस्कारों की शरूआत शिशु के जन्म से ही हो जाती

है। इनमें जन्म संस्कार, नामकरण, कर्णबेधी संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार हैं। मुण्डा समाज में कर्णबेधी एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। इसके बिना व्यक्ति को सामाजिक प्राणी नहीं स्वीकारा जाता है और ना ही उसकी शादी होती है। मुण्डा सामाज में यह संस्कार 'लुतुर तुकुई' के नाम से प्रचलित है।

आर्थिक जीवन :—

मुण्डा आदिवासी समुदाय का संपूर्ण जीवन और आर्थिक स्रोत जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक उपादनों एवं कृषि कार्यों पर ही आर्थिक संरचना निर्भर है। वे जंगल के फल—फूल, शिकार के साथ—साथ कृषि और पशुपालक आदिवासी समुदाय हैं। जीविकोर्पजन के लिए मजदूरी करना इनकी मजबूरी है। इसके कारण पलायन एक प्रमुख समस्या बन गया हैं पढ़े—लिखे मुण्डा लोग सरकारी/अर्धसरकारी तथा निजी क्षेत्रों में निम्न से लेकर उच्च स्तर तक पदों पर नौकरी कर रहे हैं। परंतु अभी भी अधिकांश मुण्डा लोग आर्थिक रूप से पीछे हैं और शरीरिक—मानसिक शोषण, लूट, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न तथा विस्थापन के शिकार हैं। मुण्डाओं के विकास में दूसरी बड़ी बाधा नशापान की है। ऐसे में परिश्रमी मुण्डाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने के स्थान पर बिगड़ती जा रही है। परम्परागत रूप से मुण्डा अर्थव्यवस्था 'लाभ' या 'पूंजी' आधारित नहीं रही हैं। दूसरे आदिवासी समुदायों की ही तरह मुण्डा लोगों की आर्थिक संरचना में 'मुनाफा केन्द्रित बाजार' तथा 'उपभोगवाद' का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए वे व्यापार अथवा उद्योग क्षेत्र में अनुपस्थित बने हुए हैं। डॉ0 सुभाषचन्द्र मुण्डा के अनुसार '' मुण्डा लोग स्वभाव से काफी परिश्रमी होते हैं फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हैं। परंतु हाल के दिनों में इन्होंने अपना सुधार कुछ हद तक कर लिया है। सरकार इनके विकास की ओर ध्यान दे रही है, ताकि विलुप्त होते मुण्डा आदिवासियों का आर्थिक विकास किया जा सके।''[9] आधुनिक समय में केंद्र एवं राज्य सरकार इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील है।

धार्मिक जीवन :—

मुण्डाओं का धार्मिक विश्वास है कि संसार और समस्त सृष्टि की रचना सर्वशक्तिमान ईश्वर 'सिङबोंगा' ने की है। वे अच्छी—बुरी आत्माओं में यकीन करते हैं। वे प्रकृति और उसके समस्त उपादनों की पूजा—अर्चना करते हैं। सखुआ वृक्षों से घिरा जाहेर (सरना) उनका पवित्र पूजास्थल है। मुण्डा देवी—देवताओं में हातु बोंगा (ग्राम देवता) ,देशाउलि (ग्रामदेवी), जाहेर बुढ़ि (सरना स्थल), ओड़ाः बोंगा (पूर्वजों की आत्माऐं) अथवा कुल देवता, बुरू बोंगा(पहाड़ी देवता), इकिर बोंगा (जल देवता) प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त मुण्डा लोग अपने टोटेम (इष्ट चिन्ह) को भी पवित्र मानते हैं।आदिवासियों का धर्म वैज्ञानिक रहा है चूंकि देश के विकास के लिए वातावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए जंगल लगाना अत्यावश्यक है तथा मनुष्य को जीवित रहने के लिए आक्सीजन की जरूरत होती है जो हमें पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होता है। इतना ही नहीं बल्कि पेड़—पौधों के कारण वर्षा होती एवं जलवायु ठण्डी होती है। फलतः पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है।

आज जाने—अनजाने में, दूसरों के बहकावे में आकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से धीरे—धीरे धार्मिक स्थलों के जंगल भी कट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। फलतः जनजातियां धीरे—धीरे धर्म से वंचित हो रही है। उनमें परम्परा के अनुसार शिकार करने जाते हुए पौधों के बीजों को लगाने का आदत है जो धीरे—धीरे लुप्त हो रहा है। उनमें धर्म, आचरण से सीधी डालियों को न काटने का रीवाज है दतुवन के रूप में न उपयोग करने का प्रचलन है पर वे अब धीरे—धीरे भूल रही हैं चूंकि शैक्षणिक नीति एवं पाठ्यक्रम द्वारा ऐसे परम्पराओं को बचाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अतः उनका दायरा संकुचित हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आदिवासी जनजातियां पारम्परिक ढंग से अन्ध विश्वासी होते हैं, वे भूत—प्रेत, पिशाच, डाइन इत्यादि में विश्वास करती हैं, वे बिमारियों, प्राकृतिक घटनाओं के प्रकोप, अतिवृष्टि—अनावृष्टि को पिशाचों से जोड़ते हैं, फलतः घर—घर में, भाई—भाई में मारपीट होती है, कत्लेआम होता है जो उनकी ओछी प्रवृति का, संकीर्णता का परिचायक है।

अतः उन्हें भौतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा सच्चाई से अवगत कराने की जरूरत है ताकि आदिवासियों का सिकुड़न दूर हो, पिशाचों का भय दूर हो।

सांस्कृतिक जीवन :—

मुण्डाओं की समृद्ध सांस्कृतिक जीवन के बारे में जगदीश त्रिगुणायत ने लिखा है '' जब हम कोई मुण्डा गांव देखते हैं तो लगता है कि महाभारत की कुंती अपने पुत्रों के साथ वनवास काट रही है। गोत्र या कीली कुंती है, जिसकी कोंख से यह सारा लीला प्रादुर्भूत हुई है और उसके पांच बेटे हैं , मुण्डा , पहान , सरना ,अखड़ा एवं ससन।''[10] मुण्डा प्रकृति पूजक समाज हैं। मनुष्य जगत के साथ—साथ संपूर्ण प्रकृति उनकी संस्कृति में प्रतिबिंबित होती है। मुण्डाओं का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत ही मनोरम एवं समृद्ध है। इनमें मौसम आधारित गीत—नृत्य, राग—रागिनियों, सुर—ताल का प्रचलन है। गीत और नृत्य कृषि, श्रम ,शिकार, प्रकृति, प्रेम और जीवन के हर्ष—विषाद से जुड़े हैं। मुण्डाओं में मौसम के अनुसार गीत और नृत्य का प्रचलन है। एक मौसम का गाना दूसरे मौसम में नहीं गया जाता है। मुण्डा गीत — जदुर, गेना, ओर जदुर, जरगा , करमा, जापी, जतरा और विवाह गीत। मुण्डा घर सुरूचिपूर्ण होते हैं। खेत—खलिहान, घर—द्वार, बर्तन—बासन, केश—वेश, वस्त्राभूषण आदि से इनकी कलाप्रियता का परिचय मिलता है। ये शाकाहारी और मांसहारी दोनों होते हैं। मुख्य भोजन भात (चावल) है। सादगी से भरे जीवन की तरह इनका पहनावा सादा है।पर्व त्यौहारः— मुण्डा समाज के पर्व—त्योहारों में —बा (सरहुल), करम, मागे, बुरू, सोहराई, जामनावा, हेरपुना, बतौली, जतरा, फागु, अड़ांदि, सोसोबोंगा आदि हैं। बसंत महीने में आयोजित होनेवाला प्रकृति पर्व 'बा' सबसे प्रमुख और बड़ा त्योहार है। बसंत के महीने में इसका आयोजन होता है।

मुण्डारी भाषा :—

इसके अलावे बहुत सारी सांस्कृतिक एवं विशेषताऐं मुण्डारी भाषा में मौजूद हैं। इसकी अपनी पारम्परिक शब्दावली अधिक है। चित्रात्मक, गुणात्मक और अनुकरणात्मक शब्दों की मुण्डा भाषा में भरमार है, जो इनकी अभिव्यक्तियों को सरल, सुबोध और प्रभावशाली बना देते हैं। मुण्डारी भाषा सरल एवं मीठी बोली के रूप में प्रचलित है तथा इस समुदाय के लोग ईमानदार, सादगीपूर्ण व मृदुभाषी होते हैं। भाषा भावना से सीधे तौर पर अस्तित्व से जुड़ा होता है। इन विशेषताओं के बदौलत ही मुण्डारी भाषा की महानता प्रदर्शित होती है। मुण्डा समुदाय का दायित्व है कि वे इसको बचाकर एवं किसी प्रकार के बाहरी प्रभावशाली तत्वों से सुरक्षित रखें। मुण्डारी भाषा की अपनी स्वतंत्र विशेषता है। ऑस्ट्रिक परिवार के सभी भाषाओं की प्रायः समान विशेषताऐं पायी जाती है। मुण्डारी भाषा का व्याकरणिक दृष्टि से अनेक विद्वानों ने अध्ययन किया है। मुण्डा समाज एवं संस्कृति को गहनता के साथ समझने तथा मुण्डा समाज में संरक्षित परम्परागत लोक साहित्य, लोक विज्ञान और इंसानी समाज के सभ्यता को उदघाटित करने के लिए भी इस पर और विस्तृत, गहन अध्ययन किया जा रहा है।संस्कृत से भी प्राचीन भाषा मुण्डारी को, उन दिनों लिखित सामग्री न रहने के बावजूद मुण्डा समुदाय के बुजुर्गों, पुरखों ने इसे सुरक्षित रखा। वर्तमान में भी यह अपनी ओजस्विता, संप्रेषणीयता और अन्य विशेषताओं के कारण सुरक्षित है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

राजनीतिक जीवन :—

प्राचीन काल से मुण्डाओं की अपनी परम्परागत स्वशासी प्रशासनिक व्यवस्था एवं सुगठित राजनैतिक संगठन रही है, जो आज भी मौजूद है। अन्य आदिवासी समाज की तरह ही मुण्डा समाज भी आदिम गणतंत्र का जनक एवं पोषक है। मुण्डाओं का राजनितिक समाज संगठन 'गण' अथवा आम आदमी

की सामूहिक भागीदारी वाला है। गांव से लेकर पड़हा तक के प्रधान को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाती है और वे भी आम मुण्डाओं की तरह ही अपना जीवन जीते हैं। डॉ0 सुभाषचन्द्र मुण्डा के अनुसार ''सुतिया मुण्डा ने पूरे झारखण्ड को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सात गढ़ों और इक्कीस पड़हाओं में बांटा – सात गढ़ :– 1.लोहरगढ़ (लोहरदगा) 2.हजारीगढ़(हजारीबाग) 3. पलामूगढ़(पलामू) 4.मानगढ़(मानभूम) 5.सिंहगढ़ (सिंहभूम) 6. सूरजगढ़(सरगुजा) 7.कोशलगढ़(खरसवां)। इसी प्रकार इक्कीस पड़हा निम्न हैं–1.उमेडंडा 2.डोइसा 3.खुखरा 4.सरगुजा 5.जसपुर 6.गंगपूर 7.पोरहाट 8.गौरकगढ़ 9.विसना 10.लचरा 11.बिरवा 12. सोनपुर 13.बेलखाट 14.तेलसिंह 15.तमाड़ 16.शहरडीह 17.खरसवां 18.उदयपुर 19.बोनिता 20 कोरिया और 21.चोगबकरा ।[11] मुण्डाओं ने प्रशासनिक सुविधा के लिए गांव स्तर पर संगठन बनाये। ग्राम प्रधान 'मुण्डा' का चुनाव किया। 'मानकी' कई गांव के मुण्डाओं का प्रधान बना। अन्तरग्राम स्तर पर मानकी या पड़ही के द्वारा कार्य कुशलतापूर्वक किया जाता है। इस तरह मुण्डा, मानकी, पड़हा शासन, पट्टी और खूंटकटियों के द्वारा समाज का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। वर्तमान में भी मुण्डाओं के बीच पुरानी व्यवस्था मौजूद है। आज भी सुदूर ग्रामीण एवं पर्वतीय मुण्डा इलाकों में यह पारम्परिक स्वशासी प्रशासन व्यवस्था कायम है।

निष्कर्ष :–

मुण्डाओं का अतीत गौरवयुक्त और समृद्धशाली रहा है। यह एक सशक्त, संगठित और शक्तिशाली जनजाति रही है। वर्तमान में भी मुण्डा जनजाति ने अपनी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक ,सांस्कृती एवं धार्मिक की प्राचीन परम्परा को बनाए रखा है। मुण्डा जनजाति में त्योहार खास तौर पर सरहूल एवं करमा प्रकृति से संबंधित हैं। वे सदैव अपने जल, जंगल और जमीन के प्रति संवेदनशील रहे हैं। यही कारण है कि उनमें अपने देश के प्रति स्वः की भावना है। यही स्वः की भावना ने ही आज तक उनकी संस्कृत के समान प्राचीन भाषा ''होड़ो जगर''(मुण्डारी भाषा) को लुप्त होने नहीं दिया है। सुदूर गांवों में मुण्डा जनजाति के लोगों की भाषा मुण्डारी मौजूद है। मुण्डा समाज और राजनीति में स्वशासन की जो व्यवस्था बनी हुई है।

संदर्भ सूची :–

1) जगदीश त्रिगुणायत, बांसरी बज रही,बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् ,पटना, 1957, पृ0 212–215।
2) भैयाराम मुण्डा – 'सोसोबोंगा', संग्रहित।
3) डॉ बीरेन्द्र कुमार सोय 'मुण्डा',मुण्डा जनजाति का परिचय ,सत्यम् पब्लिशिंग हाऊस,नई दिल्ली, 2017, पृ0–2।
4) शरत चन्द्र राय, मुण्डाज एण्ड देयर कंट्री, काउन पब्लिकेशंस अपर बाजार,रांची, 2004, पृष्ठ–59।
5) डॉ0 सुभाषचंद्र मुण्डा, पंचपरगना के मुण्डाओं पर हिन्दू धर्म का प्रभाव, सुड़ा सागेन, कॉलेज रोड, बुण्डू रांची, 2004 पृ0–11।
6) सदानंद अविनाश विश्राम दिलवर हंस, होड़ो जगर रेअः एतेहइसि नङगम ओड़ो हरा रनकब, होड़ो मुण्डा सांस्कृतिक समाज, जोजोहातु हाउस, पूर्वी चर्च रोड, कठर टोली, रांची–1, 1989 ,पृ0–2।
7) जॉर्ज ग्रियर्सन, लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ इंडिया (भाग–4), श्री सुंदरलाल जैन मोतीलाल बनारीदाय बंगला रोड, जवाहर नगर, दिल्ली–7, 1967, पृ0–79।
8) डॉ0 बीरेन्द्र कुमार सोय, पूर्वोद्धृत ,पृ0–9।
9) डॉ0 सुभाषचन्द्र मुण्डा, पूर्वोद्धृत, पृ0–36।
10) जगदीश त्रिगुणायत,मुण्डा लोक कथाऐं ,अधिक्षक, सचिवालय शाखा मुद्रणालय, रांची, 1968, पृ0–49।
11) डॉ0 सुभाषचन्द्र मुण्डा, पूर्वोद्धित, पृ0–37।

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

उराँव समाज में गोत्र की भूमिका

नवल रोहित तिर्की
शोधार्थी, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)
Corresponding Author- नवल रोहित तिर्की
Email:- nawlrtirkey@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242325

उराँव जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। झारखंड की 32 जनजातियों में जनसंख्या की दृष्टि से इसका द्वितीय स्थान है। उराँव समाज के संरचना में गोत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उराँव समाज का मुख्य आधार गोत्र है। समाज में पितृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन है। वंश एक गोत्र के फैले लोगों का समूह है। गाँव गोत्र आधारित बनाये गये थे। नातेदारी, धुमकुड़िया इत्यादि में गोत्र की भूमिका रही है जो निम्नलिखित हैं–

गोत्र – उराँव समाज का मुख्य आधार गोत्र है। उराँवों का गोत्र टोटम से जुड़ा हुआ है। उराँव कबीले का वर्तमान सामाजिक संगठन उसके उस प्राचीन इतिहास की स्मृति है जब उराँव छोटे–छोटे समूहों एवं टोलियों में रहा करते थे। टोटम आज भी उनके सामाजिक संगठन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार है जिसके आधार पर सामाजिक संबंधों जैसे गोत्र जीवन संगठित, शादी विवाह, नातेदारी आदि नियंत्रित एवं संचालित होते हैं। अपने परिवार से बाहर शादी होने के कारण यह कबीला विभिन्न गोत्रों में बँट गया है।[1] टोटम किसी भौतिक वस्तु, पशु–पक्षी, पेड़ पौधे या प्रकृति की अन्य कोई चीज है जिसके साथ एक गोत्र के सदस्य अपना एक लौकिक या अलौकिक संबंध और जिसके प्रति विशेष श्रद्धा, भक्ति और आदर भाव रखते हैं टोटम कहलाता है।[2]

उराँव जनजाति विभिन्न गोत्रों में विभाजित है। प्रत्येक गोत्र के अपने अपने विशिष्ट गोत्र चिन्ह होते हैं जैसे टोप्पो (चिड़िया), ओरगोड़ा (बाज), केरकेट्टा (पक्षी), खाखा (कौआ), मिंज (मछली), बण्डो (जंगली बिल्ली), तिर्की (चूहा), एक्का (कछुआ), कुजूर (लता) इत्यादि। गोत्र चिन्ह को पूर्वजों के समान आदर दिया जाता है। उराँव जनजाति के लोग यह कतई विश्वास नहीं करते हैं कि उनकी उत्पत्ति इन टोटम से हुई है किन्तु उनके बीच मान्यता रही है कि गोत्र जिन्होंने कभी उनके पूर्वजों की सहायता या रक्षा की थी।[3]

प्रत्येक गोत्र वाले अपने कुल चिन्ह टोटम को सखा साथी मानता है और उसके साथ मिताई जैसा व्यवहार करता है। समाज में व्यक्तिगत गोत्र नहीं पाए जाते हैं बल्कि एक गोत्र के वंश से संबंधित है। यह अपने टोटम को जीवनदाता नहीं मानते हैं। उराँव समाज में अपने टोटम को हानि पहुँचाना वर्जित है। यह कुल चिन्ह सम्मानित होते हैं। कभी–कभी इनकी प्रतिकृति प्रदर्शित की जाती है।[4]

उराँव समाज में पितृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन है। परिवार का प्रधान पुरूष पिता या पति होता है। पितृवंशीय होने के कारण पिता का गोत्र पुत्र को प्राप्त होता है। भावी पीढ़ी पिता के वंश में आते हैं। सभी वंष समाज में बराबर माने जाते हैं और कोई वंश अन्य वंशो से ऊपर नहीं है। यह मानते हैं कि एक गोत्र के लोग एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं और गोत्र द्वारा जुड़े हुए हैं। गोत्र एकता और संगठन का प्रतीक है। समान गोत्र का व्यक्ति चाहे कितना ही दूर स्थान का क्यों न हो एक परिवार का सदस्य के समान प्यार एवं सम्मान पाता है।[7]

उराँव समाज में पुरूष सम्पूर्ण परिवारिक सम्पत्ति का अधिकारी होता है फिर भी स्त्रियों का स्थान नीचा नहीं है।[8] पिता की मृत्यु के पश्चात् संपत्ति का उत्तराधिकारी उनके पुत्र होते हैं। सम्पत्ति में से जीने का अधिकर विधवा एवं अविवाहित पुत्री को विवाह से पूर्व तक मिलता है। उसे किसी को बेचने या देने का हक नहीं है।[9] उराँव समाज में गोद लेने की प्रथा प्रचलित है यदि भैयादों की स्वीकृति से अपने ही गोत्र का दत्तक पुत्र गोद लिया जाता है तो पिता की मृत्यु के बाद उसे पिता की संपत्ति पाने का हक होता है। पुत्र हीनता की स्थिति में दामाद को अपने ससुर के गैर भूईंहरी जमीन पाने का अधिकार होता है किन्तु भूईंहरी जमीन निकट के पुरूष सपिण्डों को हस्तांतरित हो जाता है।[10]

नातेदारी – उराँव समाज में नातेदारी व्यवस्था एक जाल की तरह काम करती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। विवाह और रक्त संबंध के द्वारा उत्पन्न अलग–अलग संबंधियों को अलग–अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे एक बेटा अपने माँ बाप को क्रमशः आयो एवं बा कहता है। इसी तरह पिता की बहन ताची, माता की छोटी बहन मौसी इत्यादि।[11] उराँव समाज में एक गोत्र के लड़के–लड़कियों के बीच यौन संबंध पर कड़ा निषेध है क्योंकि गोत्र के आधार पर उनका रिश्ता भाई–बहन का माना जाता है। एक समान गोत्र वाले आयु के आधार पर एक दूसरे को परिवार के सदस्य की तरह संबोधित करते हैं। चाहे वह किसी भी स्थान में निवास करते हो।

उराँव समाज में नातेदारी व्यवस्था के द्वारा संबंधों को व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जाता है समाज में परिहास और परिहार का संबंध पाया जाता है। परिहास संबंध जैसे जीजा–साली, देवर–भाभी के बीच हंसी मजाक का रिश्ता प्रचलित है। समाज में ऐसे रिश्ते स्वीकृत हैं। समाज में परिहार का संबंध भी देखा जाता है जैस पति के बड़े भाई के साथ आदर का व्यवहार, आपसी स्पर्श से दूर रहना इत्यादि।[12] परिवार में नई बहू को अपने पति के बड़े भाई और बहन को भैंसुर मानना पड़ता है। वह उनके छत्रछाया में जाना अनुचित समझती है क्योंकि वह माता–पिता या देव के स्थान में समझे जाते हैं।[13]

गाँव – उराँव रोहतासगढ़ से आने के बाद छोटानागपुर के पहाड़ों और जंगलों में अपनी बस्तियां बसायी समय बीतने के साथ वे धीरे–धीरे पहाड़ों के नीचे आए। घाटी एवं मैदानों में बसते चले गए। इन लोगों ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। स्थायी निवास के लिए छोटे–छोटे गाँव बसाये। गाँव बसने के बाद वे एक बड़े समूह के रूप में संगठित हो गए।[14] उराँव लोगों ने जिन स्थानों या वन को साफ कर खेती शुरू किया। गाँव में वैसी भूमि 'भूईंहरी कहलाती है। उस भूमि पर कुलों या वंशों के समूह विशेष को 'भूईंहरी खूंट' (खूंट यानी वंष) कहा जाता है।[15] गाँव में 'महतो खूंट' और 'पाहन खूंट' को संस्थापकों के वंशज के नाते विशेषधिकार प्राप्त होते हैं। एक गाँव में एक विशेष वंश (गोत्र) की अधिकता रही है। अभी भी कई गाँव हैं। जहाँ एक वंश के लोगों की संख्या ज्यादा है।[16]

उराँव गाँव में उनके निवास की अवधि के अनुसार अलग–अलग स्थिति वाले परिवारों के समूह का एक नियमित पदानुक्रम होता है। 'भूईंहर' या एक गाँव के मूल संस्थापकों के वंशज एक ही गोत्र के होते हैं। गाँव के सबसे पुराने निवासी 'जेठ रैयत' के रूप में जाने जाते हैं। यह कई अलग–अलग कुलों से संबंधित हैं। इनकी स्थिति गाँव समुदाय में दूसरे स्थान पर है। 'गैरो रैयत' गाँव में देर से बसने वाले लोगों में शामिल हैं। वे सामाजिक पदानुक्रम में तीसरे स्थान पर हैं। समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है।[17]

ग्राम पंचायत – उराँवों के प्रत्येक गाँव में परंपरागत ग्राम पंचायत पायी जाती है। ग्राम पंचायत में गाँव के प्रभावशाली तथा प्रौढ़जन भाग लेते हैं क्योंकि गाँव में अन्य जातियाँ भी रहती हैं ग्राम पंचायत में उनकी भी साझेदारी रहती है। ग्राम पंचायत में पाहन, महतो तथा कुछ चयनित सदस्य अवश्य रूप से भाग लेते हैं पाहन और महतो दोनों भूईंहर होते हैं। जो उनकी प्राचीन परंपरागत व्यवस्था से जुड़ा होता है।[18] उराँवों में महतो खूंट के गाँव का ही महतो और पाहन खूँट का पाहन बनते हैं। उराँव पाहन धार्मिक संस्कारों का पुरोहित होता है। महतो गाँव का

प्रशासनिक मुखिया होता है। इसी से उराँव लोगों में कहावत है – "पाहन गाँव बनाता है और महतो गाँव चलाता है।"[19]

उराँव समुदाय के बीच ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। महतो का चुनाव प्रति तीन वर्ष पर ग्राम सभा द्वारा होता है और कहीं कहीं महतो वंशानुगत होता है। महतो सरकारी लगान की वसूली सरकार की ओर से करता है। वह उराँव ग्राम में कानून व्यवस्था की देखभाल करता है क्योंकि महतो संस्थापक खूंट का वंश होता है। प्रत्येक गांव के महतो को सरकार की ओर से उनकी सेवा अवधि में लगान मुक्त सेवा भूमि प्रदान की जाती है।[20]

ग्राम पंचायत की कार्यवाही का संचालन ग्राम प्रधान महतो करता है। वह मुकदमा से ग्राम सभा के सदस्यों को परिचित कराता है। पंचायत में वैसे मामले रखे जाते हैं जो उराँव समाज में किसी भी कीमत पर स्वीकृति नहीं दिए जाते हैं जैसे गोत्र एवं ग्राम बहिर्विवाह नियमों का पालन नहीं करना, अंतरजातीय विवाह के मामले, बूढ़े माता–पिता की देखभाल ना करना, किसी स्त्री की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, संपत्ति का बँटवारा का बँटवारा से संबंधित मामले, अनैतिक यौन संबंध के मामले, विवाह से संबंधित तमामले इत्यादि। निर्णय सभी के सर्वानुमति से किया जाता है। उराँव बयान की सच्चाई का पता लगाने के लिए गवाह को शपथ दिलाते हैं। एक उराँव के लिए सबसे गंभीर शपथ होता है कि इसमें "ऊपर भगवान और नीचे पंच" का नाम लेकर किया जाता है।[22]

पड़हा – उराँव छोटानागपुर में बसे तो उन्होंने नए–नए गाँव की स्थापना की। गाँव बसाने की उनकी अपनी विशिष्ट व्यवस्था रही थी। प्रत्येक गाँव में एक एक महतो एवं नयगस होते थे। गाँव की विधि व्यवस्था और न्याय की जिम्मेदारी परिवार प्रमुखों से संगठित स्वतंत्र पंचायतों के हाथों में रही थी। इसके ऊपर सात से बीस गाँवों के संघ संगठन होते थे। जो पड़हा कहलाते थे।[22] पड़हा गाँवों में एक गाँव राजा गाँव कहलाता है। दूसरा दीवान गाँव (प्रधानमंत्री), तीसरा पांढरे गाँव (लिपिक), चौथा कोटवार गाँव (सहायक) तथा शेष गाँव कहलाते हैं।

पड़हा का निर्माण गाँवों को प्राकृतिक एवं अलौकिक शत्रुओं के विरूद्ध आत्मरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। परिणाम स्वरूप प्राचीन उराँव आखेटिक समूहों पर आधारित पड़हा संगठन का उदय हुआ। जो यद्यपि वंष संबंधों के संघ पर नहीं बल्कि स्थानीयता के संबंधों पर आधारित थे। इस तरह पड़हा संगठन नए परिवेष तथा जीवन की परिवर्तित दशाओं के लिए समायोजित गोत्र समूह की प्राचीन भावना एक नये आकृति में दिखलाई पड़ता है।[23]

प्रत्येक गोत्र एक पड़हा से संयुक्त रहता है। जिसमें यह एक अभिजात तंत्रीय केंद्र बनाता है। एक पड़हा कुछ गाँवों का समूह होता है। यह संख्या एक पड़हा से दूसरे पड़हा से भिन्न होती है। इसकी संख्या सात, नौ, बीस अथवा तीस गाँव का भी हो सकती है। हर एक पड़हा का एक अलग नाम होता है लेकिन सामान्यतः वे संख्या से पुकारे जाते हैं। प्रत्येक पड़हा एक विशेष क्षेत्र में होता है। जहां यह खेती, कृषि जमीन, गाँव के स्थान जंगल इलाका, चरागाह, जालपूत्ति और मछली तालाबों का मालिक होता है और इसकी रक्षा करता है।[24]

पड़हा पंचायत कुछ विशेष नियमों के उल्लंघन के मामलों का निपटारा करता है। जैसे एक उराँव के बीच यौन संबंध, कौटुंबिक व्यभिचार का मामला, जतरा, त्योहारों की तैयारी के कार्यक्रम, शिकार के हक, संपत्ति के बँटवारा इत्यादि मामलों का निपटारा जिसे ग्राम पंचायत निपटारा नहीं कर सकती है। वह पड़हा पंचायत में पेरू किए जाते हैं। किसी भी मामले में निर्णय सामुदायिक तौर पर और सर्वसम्मति से पारित होता है और मामले का निष्पादन किया जाता है।[25]

धुमकुड़िया – यह उराँव समुदाय की एक महत्वपर्ण सामाजिक संस्था थी। जो अनौपचारिक रूप से अपने सदस्यों को सामाजिक, आथिक तथा सांस्कृतिक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने का कार्य करती थी। इस संस्था का कार्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संस्कृति का वाहन तथा सामाजिक प्रतिमान के प्रतिकूल आचरण करने वालों के व्यवहार पर नियंत्रण करना था। उराँव जनजाति में धुमकुड़िया युवक युवतियों के लिए अलग–अलग होते हैं। जिसे क्रमशः जोख एड़पा और पेल्लो एड़पा कहा जाता है। धुमकुड़िया में लड़के–लड़कियों की दाखिला आठ वर्ष की अवस्था में की जाती है। धुमकुड़िया की सदस्यता शादी होने के बाद समाप्त हो जाती है। धुमकुड़िया की सामाजिक धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए कड़े अनुशासन का पालन किया जाता है।[26]

धुमकुड़िया सदस्यों को तीन उम्र समूहों में बांटा जाता है। पहला समूह सबसे छोटे लड़कों का होता है। इसलिए 'पुना जोखस' कहलाता है। पहला समूह सबसे नीचे का पद वर्ग होता है। दूसरे समूह के सदस्य मध्यम श्रेणी के होते हैं और यह 'माझ तुड़िया जोखस' कहलाता है। पहले दो वर्गों के लिए सदस्यता की अवधि तीन वर्ष की होती है सबसे बड़े उम्र वाले सदस्यों के लिए जब तक उनका विवाह नहीं होता है। धुमकुड़िया की निगरानी और नियंत्रण धनगर महतो के हाथों में होती है।[27]

धुमकुड़िया में प्रवेश माघ में होता था। वह सभी सदस्य एक ही गाँव के होते थे। उनके बीच का रिस्ता नाता भाई, बहन, दीदी, दादा इत्यादि का होता था। यह संबंध उम्र के हिसाब से और एक गाँव का होने के कारण रहता था। चाहे वे किसी भी गोत्र के हैं। इसलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अतः धुमकुड़िया के सदस्यों पर यह प्रतिबंध रहता था किवह अपने गाँव की लड़कियों तथा एक गोत्र की लड़कियों से प्रेम अथवा वैवाहिक संबंध स्थापित ना करें।[28] धुमकुड़िया में कड़े अनुशासन का पालन किया जाता था किसी भी सदस्य द्वारा धुमकुड़िया के नियमों का उल्लंघन किया जाता था तो धनगर महतो उसे कड़ी सजा देता था।[29]

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उराँव समाज में गोत्र की भूमिका रही है। यह समुदाय के हरेक पहलू में शामिल है।जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है।

सन्दर्भ सूची :

1) अहमद जियाद्दीन : बिहार के आदिवासी, मोतीलाल बनारसीदास, अषोक राजपथ पटना, 1992, पृ.103
2) अखिलेष डॉ. एस : सामाजिक मानवषास्त्र, साहित्य भवन पब्लिषर्स, आगरा, पृ. 17
3) प्रसाद नर्मदेष्वर : लैण्ड एण्ड पीपल ऑफ ट्राइबल बिहार, बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीटयूट, गर्वमेंट ऑफ बिहार, राँची, 1961, पृ.107
4) हसनैन नदीम : जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिषर्स एण्ड डिस्ट्रव्यूटर्स, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1997, पृ.107
5) प्रसाद नर्मदेष्वर : भारतीय समाज में जनजातिगण, बिहार जनजातीय शोध संस्थान, बिहार सरकार, राँची, पृ.57
6) मिंज दिवाकर : झारखण्ड का इतिहास, क्राउन पब्लिकेषन्स आर्यन टावर ईस्ट जेल रोड, राँची, 2021 पृ. 418
7) तिर्की केरूबिम : छोटानागपुर के आदिवासियों की वैवाहिक परम्परायें एवं वर्तमान समस्यायें, ज्योत्स्ना प्रिंटिग प्रेस। डाल्टनगंज, 2002, पृ. 4
8) सिंह डॉ. रामप्रवेष एवं कुमार डॉ. अनील : मानव उदभव तथा प्रजातीय अध्ययन, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, सम्मेलन भवन, पटना, 1976, पृ. 205
9) सिन्हा डॉ. लक्ष्मण प्रसाद : भारतीय आदिवासी, जय भारती प्रकाषन माया प्रेस रोड 267 बी., मुट्ठीगंज, इलाबाद, 2010, पृ. 175
10) वर्मा उमेष कुमार : जनजातीय समाजषास्त्र, जानकी प्रकाषन, अषोक राजपथ, चौहट्टा, पटना, 2008, पृ. 57
11) तोपनो पौलुस : छोटानागपुर के आदिवासी, सत्य भारती प्रकाषन, काथलिक प्रेस, राँची, द्वितीय संस्करण, 1984, पृ. 110–111
12) खलखो डॉ. शान्ति : उराँव संस्कृति : परिवर्त्तन एवं दिषाएं, कुडुख विकास समिति, राँची, 2009, पृ. 95

13) कुजूर ब्रदर मिखइल : उराँव संस्कृति, कृषि विकास केन्द्र, चँदवा पलामू, बिहार,1993, पृ. 60
14) उराँव डॉ. करमा : द स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइबल रिलीजन, किषोर विद्या निकेतन, वाराणसी, 1988, पृ. 118
15) रॉय एस. सी. : द उराँव ऑफ छोटानागपुर, क्राउन पब्लिकेषन्स, आर्यन टावर ईस्ट जेल रोड, राँची, संस्करण 2023, पृ.67
16) उराँव डॉ. प्रकाष चन्द्र : जनजातीय रीति रिवाज एवं कानून, बिहार जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, मोराबादी, राँची, 1995, पृ . 1
17) कुजूर सि. अलोमनी अनुपा : द उराँव हैबिटेट अ स्टैडी इन कल्चरल ज्योग्राफी, द डाउटर्स ऑफ सेंट अन्ना, राँची, 1989, पृ. 119
18) रॉय एस. सी. : उराँव रिलिजन एण्ड कस्टम, ज्ञान पब्लिषिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1985, पृ. 45—46
19) शर्मा डॉ. वी. सी. : झारखण्ड की जनजातियाँ, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2014, पृ. 380—381
20) पाण्डेय गया : पूर्वोद्धृत, पृ. 136
21) एक्का डॉ. फिलिप एस. जे. ट्राइबल मुभमेंन्ट अ स्टैडी इन सोषन चेंज, ट्राइबल रिसर्च एण्ड डोकुमेन्टेषन सेन्टर, आषादीप, पत्थलगाँव, जषपुर, छत्तीसगढ़, 2003, पृ. 41
22) तिर्की बोनीफास : प्रसन्नमुख उराँव, नवज्योति निकेतन, पटना, 1989, पृ. 11
23) रॉय एस.सी. : द उराँव ऑफ छोटानागपुर, क्राउन पब्लिकेषन्स, आर्यन टावर ईस्ट जेल रोड, राँची, संस्करण 2023, पृ . 262—263
24) मिंज फा. अलबिनुस : झारखण्ड विरासत, जोषी प्रिन्टर्स एण्ड बाइण्डर्स, पत्थल कुदवा, नयाटोली चौक राँची, 1994, पृ. 151—152
25) रॉय एस. सी. : पूर्वोद्धृत, पृ. 244
26) सिंह अजित कुमार एवं सिन्हा अवधेष प्रसाद : भारत के आदिवासी, विषाल पब्लिषिंग हाऊस, राँची, 1987, पृ. 28
27) मिंज फा. अलबिनुस : पूर्वोद्धृत, पृ. 162—163
28) उराँव डॉ. प्रकाष चन्द्र : पूर्वोद्धृत, पृ. 51
29) प्रसाद माहेष्वरी : ट्राइब्स देयर इनभाइरोमेंट एण्ड कल्चर, अमर प्रकाषन, 1987, पृ. 104—105

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

छोटा नागपुर काश्ताकारी अधिनियम एवं औपनिवेशिक काल में उसके सामाजिक प्रभाव (1765–1947)

ओडिल एक्का
शोधार्थी, इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची
Corresponding Author- ओडिल एक्का
Email- odilekka10@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242330

झारखण्ड को प्राकृतिक दृष्टि से दो मुख्य इकाईयों में विभक्त माना जाता है। छोटानागपुर एवं संथाल परगना।[1] प्राचीन काल से ही जनजातीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के अभ्यस्त इस प्रदेश के निवासी जल, जंगल और जमीन से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जिसमें उनकी परम्पराएँ, रीति–रिवाज, जीवन निर्वाह के आधार समस्त सभ्यता एवं संस्कृति निहित है, जिसे अक्षुण्य बनाये रखने के लिए ये जनजाति एक लम्बे समय से संघर्षरत है।[2] यही कारण है कि झारखण्ड के इन जनजातियों का इतिहास एक लम्बे समय से चले आ रहे संघर्षों का इतिहास रहा है। जैसा कि झारखण्ड नाम से विदित है, इस प्रदेश के अधिकांश भागों पर कृषि कार्य नहीं होती थी वरण, इनपर जंगलों की अधिकता थी। जैसे–जैसे इस प्रदेश में जनजातियों का आगमन हुआ उन्होंने जंगलों की सफाई कर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया। आरंभिक जनजाति शिकारी रहे थे किन्तु जंगली इलाकों में शिकार की कमी आने के कारण उनका रूझान कृषि कार्यों की ओर बढ़ा इसके लिए जंगलों को साफ करके तथा पेंड़ों को काटकर भूमि तैयार करने में ये जनजाति स्वाभाविक रूप से भारतवर्ष के अगुवा बने। भिन्न–भिन्न जनजातियों के द्वारा तैयार की गई भूमि को कालांतर में भिन्न–भिन्न नामों से जाना गया, उदाहरण स्वरूप, मुण्डा जनजाति के द्वारा तैयार की गई भूमि को कलांतर में भिन्न–भिन्न नामों से जाना गया, उदाहरण स्वरूप, मुण्डा जनजाति के द्वारा तैयार की नई भूमि खूंटकट्टी भूमि, तो उराँव जनजाति के द्वारा तैयार की गई भूमि मुंडइरी भूमि कहलाई, जिन्हें आज वैधानिक दर्जा भी प्राप्त है।[3]

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के गर्वनर जनरल ने इंडियन कौंसिल अधिनियम 1892 की धारा पाँच के अन्तर्गत इस अधिनियम को पारित करने की अनुमति बंगाल कौंसिल को दी। 21 सितम्बर 1908 को गर्वनर जनरल के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रभावी हुआ।[4]

यह अधिनियम 11 नवम्बर 1908 में प्रभावी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम आज भी प्रसांगिक और उपयोगी है यह अधिनियम छोटानागपुर की भूमि व्यवस्था की सुदृढ़ करने के लिए तथा जमींदारी, ठेकेदारी एवं महाजनों के चुंगल से बचाने के लिए इसके पहले भी अनेक अधिनियम बने परन्तु वे इस क्षेत्र की समस्याओं को समाधान नहीं कर सके।[5] जिस समय यह अधिनियम लागू किया गया था उस समय 90 प्रतिशत आबादी के जिविका का साधन कृषि था। साथ ही सरकारी आय के मूल श्रोत के रूप में कृषि आय था। इन्हीं कारणों से लगान संबन्धी कई प्रावधान कॉफी कठोर थे। उस समय जमीन्दारी एवं जागीरदारी व्यवस्था लागू थी और रैयत और जमींदारों के बीच आये दिन भूमि को लेकर कई तरह के झगड़े होते थे। इन झगड़ों के तात्कालिक कारण निदान के लिए कई प्रावधान लाये गए। दूसरे अर्थों में कहा जाये तो जमीन्दार एवं रैतयों के अधिकार और दायित्व को परिभाषित किया गया।[6]

इस अधिनियम ने छोटानागपुर के भू–राजस्व प्रशासन में एक सदियों पुराने भ्रम को चिन्हित किया, यह महत्वपूर्ण घटना थी। जिसने छोटानागपुर के आदिवासियों को राहत दी थी। भूमि और टेन्योर्स पर उनके अधिकारों को बहाल करना वास्तव में, इस अधिनियम ने कई वर्षों के भ्रम और अनिश्चिता के बाद छोटानागपुर के राजस्व प्रशासन में दक्षता और स्थिरता के एक नए युग की शुरूआत की। वास्तव में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम झारखण्ड के भूमि इतिहास में भी मील का पत्थर साबित हुआ। कुछ लोगों की भ्रम है कि यह कानून केवल अनुसूचित जनजाति के लिए है पर यह अधिनियम झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लिए भी है।[7]

इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कुछ प्रावधान जोड़े गये हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कुल 271 धाराएँ हैं। इन धाराओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रक्रियों को लेकर समय–समय पर अलग–अलग अधिसूचनाओं द्वारा उप–नियमों की घोषणा की गई है जिसे संकलित कर छोटानागपुर टेनेन्सी रूल 1959 का नाम दिया गया। सारे प्रावधानों के आलोक में देखा जाये तो छोटानागपुर, काश्तकारी अधिनियम को 19 अध्यायों में बाँटा गया है।[8]

धारा 46 इस धारा में रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध अपनी जोत या उसके किसी भाग में रैयत द्वारा अपने अधिकारों का (क) बंधक या पट्टे द्वारा अभिव्यक्त या विविक्षित ऐसी किसी भी कालावधि के लिए, जो पाँच वर्षों से अधिक हो या किसी भी बंधक दशा में अधिक दी सकती हो अथवा (ख) विक्रय, दान या किसी अन्य संविदा या करार द्वारा अन्तरण किसी भी हद तक विधिमान्य न होगा।[9]

धारा 49– कतिपय प्रयोजनों के लिए अभिस्रोत जोत या भुईहरी भूधृत्ति का अंतरण (क) किसी भी दशा में भूमि का औद्योगिक कार्य के लिए या कोई ऐसा प्रयोजक जो राज्य सरकार इसके सहायक प्रयोजक के रूप में अधिसूचित करे या इसमें से किसी प्रयोजक के निर्मित व्यवहत या अपेक्षित भूमि में गन्य पथ का प्रयोजन (ख) किसी भी दशा में भूमि का खनन कार्य के लिए उपयोग का प्रयोजन के रूप में अधिसूचित करें या इसमें से किसी प्रयोजन के निमित व्यवहत या अपेक्षित भूमि में गम्य पथ का प्रयोजन।[10]

धारा 71– विधि विरूद्ध बेदखल किए गए काश्तकारी की कब्जे में प्रतिस्थापित करने की व्यक्ति। यदि कोई काश्तकार धारा–68 के उल्लंघन में अपनी काश्तकारी या उसके किसी प्रयाग से बेदखल कर दिया जाए तो वह ऐसी बेदखली का तरीका से एक वर्ष अथवा यदि वह अभिभोगी रैयत हो हो तीन वर्ष का काल अवधि के भीतर ऐसी काश्तकारी या प्रभाग के कब्जे में प्रतिस्थापित कर दिये जाने की प्रार्थना करते हुए उपायुक्त को आवेदन पेश कर सकेगा और उपायुक्त यदि उचित समझे तो सरकारी जाँच करने के बाद उसे विहित रीति से कब्जे में स्थापित कर देगा।[11]

धारा 71 (क) – विधिविद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के कब्जा प्रत्यावाचित करने की शक्ति। यदि किसी समय उपायुक्त को पता चले कि किसी रैयत की जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, भूमि का अंतरण धारा 46 या इस अधिनियम के किसी अन्य उपलबंध या उल्लंघन करने या वादों में कपट या दुरभिसंधि द्वारा अभिप्राप्त क्रियों सहित किसी कपटपूर्ण ढंग से किया गया है तो वह अंतरिती को जो बेदखल किया जाने वाला हो सफाई देने का उपायुक्त अवसर प्रदान करने के बाद और उस विषय में आवश्यक जाँच कर लेने के बाद अंतरिती की प्रतिकर का भुगतान किए बिना ऐसी भूमि से बेदखली कर सकेगा और वह भूमि अंतरक या उसके वारिस की प्रतयावत्तित कर सकेगा कर सकेगा या उसके वारिस के उपलब्ध न होने या ऐसे प्रत्यावर्त्तन के लिए सहमत होने को राजमंद न होने की दशा में उस भूमि को अनुसूचित जनजाति के किसी दूसरे रैयत के साथ, परिव्यक्त जोत के निबंधन की ग्राम रूहि के अनुसार पुनबन्दोबस्त कर सकेगा।12

धारा 71 (ख) – शक्तियाँ यदि इस अधिनियम की धारा पद या किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में अथवा कपटपूर्ण तरीके से कोई भूमि अंतरित की जाए और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे इस अंतरण का ज्ञान दी धारित हो या जोती जाए, तो वह व्यक्ति दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या एक हजार तक अपराध जारी रहे उसकी दौरान हरेक दिन के लिए क्लास ए से अनधिकृत अतिरिक्त जुमाने से दंडित होगा।[13]

धारा 72 – रैयत भूमि का अभ्यर्पण–

1) वह रैयत, जो किसी नियत कालअवधि के किसी पहले या अन्य करार से आबद्ध न हो किसी, कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त की लिखित पूर्व मंजूरी से, अपनी जोत की अभ्यर्पित कर सकेगा।
2) किन्तु अभ्यर्पण के बावजूद भी रैयत, जब तक कि उसने अपने भू–स्वामी, को अभ्यपर्ण के पूर्ण अपने इस आयश की सूचना कम से कम चार महीने पहले न दे दी हो तबतक वह भू–स्वामी को अभ्यपर्ण की तारीख के ठीक अगले कृषि के लिए जोत की लगान की हानि क्षतिपूर्ति के दायित्वाधीन होगा।[14]
3) रैयत यदि उपयुक्त समझे तो जिस क्षेत्र में उसकी जमीन अवस्थित है उस क्षेत्र के उपायुक्त तामिला कर सकता है।
4) जब रैयत उपयुर्क्त तरीके से होल्डिंग इस्तीफा कर चुकता है तो जमींदार इसे किसी दूसरे भूधारी को बन्दोबस्त कर सकता है अथवा स्वयं अपने पास–दखल में ले सकता है।[15]
5) इस धारा की कोई बात ऐसी किसी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा जिसके द्वारा रैयत और उसका भू–स्वामी (उपयुक्त की लिखित पूर्व मंजरू से) सपूर्ण जोत या उसके किसी प्रभाग को अभ्यर्पण की व्यवस्था करे।[16]

निर्माण के आधार :–

1885 ई० से लेकर 1900 ई० के बीच हुआ बिरसा मुण्डा उलगुलान इस समय का सबसे प्रसिद्ध खेतिहर अंदोलन रहा। बिरसा की सभाओं में बड़ी संख्या में जनजाति शामिल होते थे। जिनमें बिरसा स्वयं प्रशिक्षित व नेतृत्व प्रदान करते थे। आगजनी और तीरों की महामारी के समय मुण्डा सरदार भी बिरसा आन्दोलन का प्रचार प्रसार गाँव–गाँव में करते थे जिसके प्रभाव के कारण सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्र में भय का राज्य फैल गया।[17] झारखण्ड की धरती पर पुनरूथान आन्दोलन में बिरसा आन्दोलन विशेष महत्व रखता था। झारखण्ड में प्राप्त सभी जनजातियों की यह धारणा थी कि उनका अतीत गौरवमय थी उनका धर्म सभी कुरीतियों से मुक्त था तथा समाज, रहन–सहन, खान–पान तथा आचरण में युद्ध था।[18]

बिरसा आन्दोलन से सरदारों का संयुक्त होना एक उल्लेखनीय घटना है। बिरसा आन्दोलन जो धर्म प्रधान था। क्रमशः राजनीति की ओर झुकने लगा था। उन दिनों छोटानागपुर की जनजातियों की एक मूल समस्या थी कि उनकी हड़पी हुई जमीन वापस मिले। यह समस्या ऐसी थी जिसे मिशनरियों ने खूब भंजाया था। अनेक आदिवासियों को इस आवश्वासन पर ईसाई बनाया था कि सरकार पर दबाव डालकर उनकी जमीन वापस दिलाई जायेगी। एक लम्बा समय बीत गया किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला था।[19] प्रारंभ में सरदारों ने अंग्रेजों के प्रति और यहाँ तक के छोटानागपुर के राजा तक के प्रति निष्ठा प्रकट की थी। वे सिर्फ बिचौलियों खानों को समाप्त करना चाहते थे। बाद में उनमें से कुछ यूरोपियों के खिलाफ हो गए और सितम्बर 1992 ई० में अपनी जनता के समस्यायों का समाधान के लिए हिंसा पर भी उतारू हो गए पर उनके सामने यह कोई और राजनीतिक कार्यक्रम न था।[20]

बिरसा स्वयं को पैंगबर घोषित कर दिया था सरकार चिंतित थी किन्तु सक्रिय नहीं हुई थी। किसी एक आदमी को देखने के लिए हजारों की भीड़ कोई भी प्राशासनिक समस्या खड़ी कर सकती थी। यही कारण है कि क्षेत्र के जमींदार थानेदार या मिशन के लोग हर समय आंतकित रहते थे और सरकार से सुरक्षा की गुहार करते रहते थे। किन्तु सरदारों ने भूमि संबंधी अन्याय की कानूनी लड़ाई लड़ी थी। अपने उपदेशों में धर्म की बात शुरू करने वाला बिरसा जमीदारों के अत्याचार पर आ जाता था।[21] इस बीच बिरसा को जेल की भी यात्रा करनी पड़ी। बिरसा तथा उनके अन्य अनुयायियों पर सरकार ने मुकदमा चलाए और उनको सजाएँ दी गई। जेल में ही बिरसा की मृत्यु हो गई तथा सरकार ने बड़ी निर्ममता से इस आन्दोलन का दमन कर दिया। इसके बावजूद उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और सरकार इनकी स्थिति को सुधारने के लिए विवश हो गई परिणामस्वरूप छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ई० अस्तित्व में आया।[22]

इस कानून के अन्तर्गत मुण्डाओं की जमीन की खरीद बिक्री एवं उसके स्वामित्व के अन्तरण पर रोक लगा दी थी और लगान की रशीद देने और प्रावधान के अंतरण पर रोक लगा दी गई और लगान के लिए रशीद देने और लगान को किसी अन्य रूप में भी देने की व्यवस्था आदि कई प्रावधान और नए कानून के सर्वाधिक प्रभावकारी अंश थे।[23] इतनी अधिक महत्ता के बाद भी यदि उक्त अधिनियमों के प्रावधानों का शिक्षण मूल्यांकन किया जाए तो यह ठीक है इससे मुण्डाओं के मुण्डारी अधिकारी की सुरक्षा हुई, लेकिन यह कानून नब्बे प्रतिशत मुण्डाओं के लिए कॉफी विलम्ब से आया। पूरे मुण्डा प्रदेश के सिर्फ 156 गाँव ही सम्पूर्ण खूँटकट्टी गाँव के रूप में बचे हुए थे। अधिकांश मुण्डा रैतय बन चुके थे और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में रैयतों के अधिकारों को मान्यता धीरे–धीरे ही मिली। फिर हर अधिनियम को सामाजिक परिवेश में कार्यान्वित किया जाता है। कड़े से कड़े नियम के बावजूद छोटानागपुर में भूमि अन्तरण होता रहा।[24]

समाज में इसके प्रभाव :–

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ई० के तहत जनजाति के बीच एक विद्यमान सामाजिक परंपराओं के रितिरिवाजों को ध्यान में रखते हुए भी उल्लेखनीय प्रावधान प्रस्तुत किए गए है। छोटानागपुर के सदस्यों में प्रचलित सामाजिक प्रथाएँ एवं रिति–रिवाज के अनुरूप उनके उत्तराधिकार के सम्बंध में इंद्राज किया जाएगा। इस प्रचलित रिवाज के अनुसार पिता की मृत्यु के उपरांत पुरूष उत्तराधिकारी को उस सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान किया गया है तथा उसके नाम से खाता खोलने के उपबंध किए गए है। पुरूष संतान नहीं होने की स्थिति में उसकी विधवा स्त्री के नाम खाता खोलने का प्रावधान किया गया है। यदि उक्त कुटुंब में अविवाहित कन्या भी नहीं हो तो उस परिस्थिति में घरदमाद यदि हो तो घरदमाद के नाम खाता बनेगा। इसके लिए घर दमाद को उस वंश के परंपराओं के अनुसार सभी संगोत्रों अथवा भयादी की सहमति प्राप्त करना अवश्य है।[25] इस प्रकार इस अधिनियम ने जनजातीय सामाजिक अस्मिता को बनाए रखने तथा सम्पत्ति पर कुटुंबों के अधिकारों की रक्षार्थ उपलब्ध किए गए हैं। एक जनजातीय अशिक्षित समाज में सम्पत्ति पर उत्तराधिकार के नियम प्रायः परम्परागत मापदंडों के आधार पर ही निर्धारित किए जाते है परन्तु इस अधिनियम ने उनके बीच विद्यमान पारंपरिक नियमों की लिखित व कानूनी आधार प्रदान किया जो कि जनजातीय सम्पत्ति के विक्षोम के संरक्षणार्थ एक उल्लेखनीय कदम था।[26]

जनजातियों का शोषण कम्पनी काल में कानूनी संरक्षण पाकर, जमींदारों महाजनों तथा अहलकारों ने मिलकर किया था तथा अनेक परिवारों की अपनी पैतृक भूमि से बेदखल होकर अपना घर–गाँव छोड़ना पड़ा था।[27] जमींदार अपने पट्टों के बल पर भुईंहरी और खुंटकटी जमीनों पर भी जोर जबरजस्ती से कब्जा करने लगे। पहले बैठ–बेगारी करने का एक सीधा उपाय मात्र था। अब इसमें मनमानी होने लगी। नए लोगों ने इसका दुरूपयोग शुरू किया। वे नगद कर के भूखे थे। अतः यहाँ के लोगों को विशेषतः आदिवासियों को कमाने के लिए असम–बंगाल जाना पड़ने लगा। उनका जीवन कम विश्रृखलित हो उठा।[28]

भूमि बेदखली का कारण यह भी ना कि आदिवासी न्यायालय से इतने भयभीत थे कि वह सुनकर कि ज्यादा सम्मन लेकर उनके घर आ रहा है वे जंगल में भाग कर अपने आप को छुपा लेते थे। ऐसे भी आदिवासी थे जो मामले—मुकदमे को झंझट से पड़ने की अपेक्षा अपनी पैतृक सम्पत्ति, घर द्वार छोड़कर भाग जाते अधिक शान्तिपूर्ण मानते थे। वे जानते थे कि प्यादा से लेकर वकील तक सभी जमीन हड़पने वाले महाजनों के साथ हैं तथा न्यायालय से किसी प्रकार की आशा नहीं थी। अतः बेहतर था कि वे विवादों में ना पड़े तथा घर गाँव त्याग दे।[29]

भूमि बेदखली का दूसरा कारण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—गैर—कृषि भूमि पर लागू नहीं होता है। पूर्व में और वर्त्तमान भी इस कारण गैर—आदिवासी भूमि का हस्तांतरण के लिए अवसर मिल जाता है। कृषि भूमि को रैयत इस आधार पर छपरबंदी में बदलने के लिए आवेदन कर सकता है कि यह भूमि कृषि कार्य के लिए अनापयुक्त हो गई है। भूमि का उपयोग कचरा फेंकने या बच्चों के खेलने के लिए रहा है। यद्यपि लगान दे रहा है फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तथा स्वरूप परिवर्त्तन के बाद वह भूमि का हिस्सा कृषि के लिए अनुपयोगी हो गया है।[30] भूमि बेदखली का तीसरा तरीका है कि इसमें पुराने जमींदार का पूर्वदिगकित दुर्भावना 'प्राप्त करना है। यह कार्य जमींदार से मिलकर एवं पुराने कागजातों तथा मुहरों की सहायता से किया जाता है। ऐसे हुक्मनामों में उपयोग में आने वाले साठ से सत्तर साल पुराने स्टाम्प पेपर ऊँचे मूल्य पर बिकते है। विशेषकर राँची शहर में ऐसे हस्तांतरण से पुराने जमींदारों ने कॉफी रूपया कमाई है यद्यपि यह विधि बड़ा कारण नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ भूमि इस माध्यम से हस्तांतरण हुई है।[31]

इस प्रकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ई० के तहत न केवल जनजातियों को उनके भूमि अधिकार प्रदान किए गए है बल्कि सरकार के नीतियों की सुधारक के लिए भी समुचित मागदर्शन किया गया है। इसमें सरकार के नियंत्रण व निर्देशन में भूमि के स्वरूप में बदलाव, समयनुसार भूमि की बंदोबस्ती, उचित हस्तांतरण को प्रोत्साहन व अवैध हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध के संबंध में प्रावधान किए गए है ताकि जनजातिय की उनके पारंपरिक अधिकारों को बचाया जा सके। और उनके अधिकारों की रक्षा सम्भव हो सके। इस प्रकार निश्चित ही छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप उचित कदम था।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

1) बी. विरोत्तम, झारखण्डः इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2016, पृ० 1—2
2) कुमार सुरेश सिंह, बिरसा मुण्डा और उनका आंदोलन वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ० 2—5
3) वही, पृ० 7
4) लैण्ड रेवन्यू प्रोसिडिंग फरवरी 1904, नं०5, लेटर फ्रोम एल. रोबटसन टू सीसय. गॉमेन्ट ऑफ बंगाल, रजिजेस्टन डिपार्ट, (सी.आर.ओ.), पटना
5) बी. वीरोत्तम, पूर्वोद्धृत, पृ० 648
6) विमल चरण शर्मा, झारखण्ड की जनजातियाँ, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2014, पृ० 270
7) संजय बाड़ा, छोटानागपुर की भूमि व्यवस्था एक ऐतिहासिक अध्ययन, नेशनल प्रेस, चेन्नई, 2021, पृ० 66
8) सुधीर पाल, आदिवासी की पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था एवं पंचायती राज, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2021, पृ० 17
9) मुकेश कुमार, झारखण्ड राज्य के लिए, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ऋषि प्रकाशन, 479 पटना, प्रथम संस्करण, पृ० 127
10) रश्मि कात्यायन, झारखण्ड लैण्ड मैनुअल, क्राउन पब्लिकेशन, राँची, दूसरा प्रकाशन, 2018, पृ० 117—118
11) सिन्हा एवं मिश्रा, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, राजपाल एण्ड कम्पनी, इलाहाबाद, 2012, पृ० 29
12) पंकज, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ऋषि प्रकाशन, षष्टम् संस्करण, राँची, 2013, पृ० 46
13) राजश्री अखोरी एवं अचुट केशव, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, मल्होत्रा लॉ पब्लिशिंग हाउस, राँची, 2017, पृ० 75
14) अविनाश चन्द्र झा, छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट, 1908, मिराज ऐजेंसी, पटना, 2001, पृ० 44
15) पी.एन.एस. सुरीन छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट 1908, प्रोजेक्ट विकास, राँची, पहला प्रकाशन, 1990, पृ० 43
16) राजश्री अखोरी एवं अचुत केशव, पूर्वोद्धृत, पृ० 73
17) अहमद रजा, छोटानागपुर टेनेंसी एक्टः ए हेडबुक ऑन टेंनेंसी लॉज इन झारखण्ड, ह्यूमन राईटस लॉ नेटवर्क प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ० 38
18) दिवाकर मिंज, झारखण्ड का इतिहास, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची प्रथम संस्करण, 2021, पृ० 356
19) ए.सी. रॉय ए नोन ऑन द सम रिमाइन्स ऑफ द राँची डिस्ट्रिक थ्रेकर स्पींक एण्ड कम्पनी पब्लिकेशन, कलकत्ता, 1912, पृ० 179
20) भारती झा, राष्ट्रीय आन्दोलन और झारखण्ड के जनजातीय संघर्ष सत्यम पब्लिशिंग, दिल्ली, 2010, पृ० 76
21) दिवाकर मिंज, शहीदों का झारखण्ड, कल्पाज पब्लिकेशन, दिल्ली, 2019, पृ० 159
22) अहमद रजा, पूर्वोद्धृत, पृ० 37
23) कुमार सुरेश सिंह, बिरसा मुण्डा और उनका आन्दोलन, नई दिल्ली, 1779, पृ० 220
24) भारती झा, पूर्वोद्धृत, पृ० 119—120
25) रश्मि कात्यायन, पूर्वोद्धृत, पृ० 301
26) वही, पृ० 301—304
27) अनिल कुमार, झारखण्ड में मुण्डाओं का आर्थिक इतिहास, जानकी प्रकाशन, पटना, 2002, पृ० 187
28) अलबिनुस मिंज, झारखण्ड विरासत, जोशी प्रिन्टर्स एण्ड बाइण्डर्स, राँची, 1994, पृ० 479
29) जे.रीड, फाइनल रिपोर्ट ऑन द सर्वे एंड सेटमेंट ऑपरेशन्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राँची, 1902—1910 बंगाल सेंक्रेटेरिएट बुक डिपो, कलकत्ता, 1912 धारा 69
30) अमर कुमार सिंह, रमेश शरण, एस.एल. बन्ना, आदिवासियों की भूमि का हस्तांतरण प्रक्रिया सर्वे स्वरूप ;म्कद्ध झारखण्ड एन्साइक्लोपिया वाणि प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृ० 92
31) सुनील कुमार सिंह, झारखण्ड परिदृश्य, क्राउन पब्लिकेशन, राँची, 2012, पृ० 540

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

झारखण्ड में जनजातियों के नृत्यों में उपयोगी गीत–संगीत और वाद्य यंत्र

पूनम टोप्पो
शोधार्थी, इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची
Corresponding Author- पूनम टोप्पो
Email- poonamtoppo12@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242334

सारांश –

आवश्यकता ही अविष्कार की जननी होती है। आदिमानवों ने हिंसक या अहिंसक पशुओं को साधने या घेरने के लिये सबसे पहले समूह बना कर आवश्यक और उपयोगी घेराबंदी प्रारम्भ की होगी। इसी घेराबंदी ने कालान्तर में समूह नृत्य का रूप धारण कर लिया होगा। इसी घेराबंदी के साथ–साथ अनुमान किया जा सकता है कि आदिमानव ने सबसे पहले हिंसक पशुओं को डराने या भगाने के लिये बाजा बजाने का उपक्रम प्रारम्भ किया होगा। पेड़ों की सूखी डालियों के तेज हवा में टकराने से उत्पन्न ध्वनि से पशुओं को घबराते देख आदिमानव ने ऊँची आवाज की उपयोगिता भांप ली होगी। सूखी टहनियों को टकराने के अभ्यास से वाद्य यंत्रों के निर्माण का मार्ग निकला होगा। गुजरात के सरल समाज का डांडिया या गरबा नृत्य में नर्त्तकियाँ जो छोटी–छोटी लाठियाँ आपस में लड़ाती है, उस परम्परा का उत्साह हमारे आदिमानव के अतीत में ढूँढा जा सकता है।

जनजातीय एवं लोक नृत्यों में नर्त्तन के साथ–साथ उसके अनुषंगियों का अटूट संबंध देखा जाता है। प्राचीन काल में ही नृत्य के साथ–साथ सबसे पहले वाद्य–यंत्रों का फिर गीत–संगीत की महत्ता बढ़ती होगी।
मुख्य शब्द : झारखण्ड, जनजातीय समूह, नृत्य, वाद्य–यंत्र, गीत–संगीत।

प्रस्तावना :

झारखण्ड के नृत्य की अपनी विशिष्ट शैली है। इसकी नृत्य, मुद्रा, गति पद संचालन, लय, ताल राग आदि में भिन्नता होते हुए भी इसमें पर्याप्त समता है। इसी से यहाँ का कोई भी वादक, नर्त्तक, गायक, अखरा में नृत्य करने से पीछे नहीं रहते। झारखण्ड की अपनी विशिष्ट संस्कृति में यहाँ के वाद्यों का भी उतना ही महत्व है जितना नृत्य–संगीत का। यहाँ के वाद्य यहाँ की संस्कृति, उनकी कठिन जीवन और संगीत प्रियता को व्यक्त करते हैं। जंगलों में कई तरह के जानवर होते होंगे। इन जानवरों से गाँव की सुरक्षा हो सके, खेत–खलिहान इन जानवरों से बच सके इसलिए यहाँ की माटी ने ऐसे वाद्यो, एवं गीत संगीत को सिरजा है। इन वाद्य यंत्रों की अनुगूंज जंगलों की सीमा के पार तक पहुँच जाती है। अखरा में जब वाद्य यंत्र एवं गीत–संगीत जब बजने लगते है तो पैर से लेकर हृदय तक झंकृत होने लगते हैं। धड़कने तेज होने लगती है। और फिर पूरा अखरा झूमने लगता है। और सभी नृत्य करने लगते हैं।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध झारखण्ड में जनजातियों के नृत्यों में उपयोगी गीत–संगीत और वाद्य यंत्र हेतु विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक विधि के तहत ऐतिहासिक आयामों का गहन विश्लेषण किया गया है।

शोध उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य झारखण्ड में जनजातियों के नृत्यों में उपयोगी गीत–संगीत और वाद्य यंत्र का शोध अध्ययन करना और इस शोध द्वारा नए तथ्यों को सामने लाना मुख्य उद्देश्य है।

परिकल्पना :

झारखण्ड में जनजातियों के नृत्यों में उपयोगी गीत–संगीत और वाद्य यंत्र का जीवन शैली में नृत्यों का स्थायी महत्व गीत–संगीत वाद्य यंत्र की सामूहिकता के प्रतीक झारखण्ड के जनजातीय लोक नृत्य उनकी नृत्यों के उपयोगी गीत–संगीत एवं वाद्य यंत्र से जुड़ी है।

मुख्य प्रतिपाद्य :

संगीत जीवन और जगत की अमृत दृष्टि है। तभी तो शिशु लोरी (गीत) सुन कर सुख–सपनों में खो जाता है। जीवन संघर्ष की ऊर्जा है संगीत, संगीत से तन–मन व अंतरंग को विश्रान्ति मिलती है। संगीत एक ऐसा साथी है जो एकांत भय को समाप्त कर देता है। हमारे सुखों को सौ गुणा वृद्धि करता है तो दुःखों को उतना ही घटाता है। संगीत कुछ और नहीं इस धरती का स्वर्गीय आनंद है।[1] जनजातीय नृत्य की प्रत्येक श्रेणी के लिए विभिन्न गीत होते हैं। इन विभिन्न श्रेणियों के गीतों में अन्तराल लय, स्वर के उतार–चढ़ाव तथा गीतों के प्रारम्भ करने या समाप्त करने के समय किए जाने वाले विशिष्ट कोलाहल से अन्तर किया जाता है। सभी गीत–संगीत मूलतः नृत्य के साथ गाने के लिए थे तथा विभिन्न गीतों की श्रेणियों का नामकरण उन विभिन्न नृत्यों के अनुसार हुआ है जिनके साथ उन्हें गाया जाता है। किसी गीत–संगीत विशेष के रचयिता का नाम स्मरण नहीं रखा गया है तथा किसी गायक का उसकी गीतों पर स्वामित्व नहीं होता। पुरूष महिलाएँ तथ बच्चे एक ही गीत गा सकते हैं, विवाह–गीतों तथा अगहन–गीतों को छोड़कर जो केवल क्रमशः महिलाएँ एवं बालिकाएँ गाती है। कुछ गीत परंपरागत होते हैं, कई गीत प्राचीन तथा कुछ आधुनिक होते हैं।[2]

संगीत–गीत ऋतु से संचालित होते है। मौसम बदलता है गीतों के राग, लय, ताल नृत्य भी बदलते जाते हैं। फगुआ बसंत से आरम्भ होकर माघ मनाने तक सालों भर संगीत की लहरी स्वर समाज में गूंजती रहती है। इसी से झारखण्ड का हर व्यक्ति गीत–संगीत का जाने–अनजाने रसिक कलाकार हो जाता है।[3]

कुछ गीत–संगीत इस प्रकार है –

डाहार गीत– (संताल जनजाति)

आदिकालीन समाज से ही नव वर्ष मनाने की परंपराएँ प्रचलन में है जिसे आज पूरे विश्व के गैर–आदिवासी समाजों में भी देखने को मिल रहा है। अंग्रेजी वर्ष के मुताबिक नया साल का आरम्भ जनवरी माह से होता है। हिन्दू मान्यता के अनुसार नववर्ष का प्रारम्भ चैत्र से होता है लेकिन संताल में इसकी शुरूआत माघ महीने से होती है और इसी खुशी में संतालों द्वारा माघ पूजा बड़ी धूमधाम से किया जाता है। माघ पूजा के बाद गाँव की लड़कियों के द्वारा डाहार गीत एवं नृत्य का आयोजन सामूहिक रूप से करते हैं।

गीत–संगीत

ताहाँरेता नाना–तारना नाना हो
ताहाँरेता रे ना रे,
ताहाँरेता नाहारे नाना हो,
ताहाँ रेता रे ना रे।
डाहार घुड़ीबेन सियोक काना जा कोड़ाकिन–2
आबेन रेयाक् जाती–पाती लाइताबेन जा कोड़ाकिन–2
आलिञ रेयाक् जाति–पाती बेन ञाम काना ना कुड़ीकिन–2
कोचे काड़बा हेसेल पॉयडाँ जातीतालिञ ना कुडीकिन–2

भवार्थ – उपरोक्त गीत में युवकों एवं युवतियों के बीच एक दूसरे को आकर्षण तथा रिझाने हेतु गान प्रस्तुत होता है। युवतियाँ युवकों से पूछती है कि आपलोग किस जाति के है और रास्ते के उड़ती धूल में ही क्यों हल चला रहे है, इस प्रसंग में युवकों का कहना है कि हमलोग हल में लगाने वाला टेढ़ा लगना और छाव लकड़ी के जाति के है। यहाँ यह पहेली के समान उत्तर है जिसका संबंध किसान के रूप में स्थापित होता है।[4]

सरहुल खद्दी गीत–उराँव जनजाति

एन्देर पुंपन आयो मेझरकी
भगजोगनी लेखा लवकारकी बरा लागदी।। 2।।
नौर पुंपन आयो मेझरकी,
भगजोगनी लेखा लवकारकी बरा लागदी।। 2।।

अर्थ – हे धरती माँ– सरना माँ तुम किस फूल को खोपे में लगा कर भगजोगनी के समान चमकती आ रही हो। माँ जरूर तुम सरई फूल को खोपे में रखकर झूमती आ रही हो। यह आपकी शादी के लिए शुभ श्रृंगार है। इस गाने में बसन्त ऋतु से धरती की सुन्दरता का वर्णन है। चारों दिशाओं में सुगंधित फूलों की खूशबू फैलने लगती है। फूलों की खुशबू से धरती का वातावरण महक उठता है।[5]

गेना गीत–मुण्डा जनजाति

सिंगीतुरोरेआ, हो दादा। सिंगीतुरो गुलाइची।
चांडु–मुलुरे हो दादा। चांडु–मुलु नटल–बा।
सिंगीतुरतानलेका, हो दादा; सिंगीतुरो गुलाइची
चांडु–मुलुतान लेका, हो दादा; चांडु–मुलु नटल–बा।

अर्थ – अहा उधर पूरब मे मेरे प्रिय भाई, पूरब में मधुर गुलाईची चमक–दमक से खिल उठते हैं, पश्चिम में जहाँ चांद पहले निकलता है, पश्चिम अटल के उजले फूलों से सुगंधित है। चढ़ते सूरज के समान, मेरे प्यारे भाई, पूरब में जंगली गुलाईची तेज दमक उठती है। उगते चांद की तरह, मेरे प्यारे भाई पश्चिम में कोमल अटल प्यार से खिल उठता है।[6]

हेरो गीत– हो जनजाति

पर्व उतापे हेरो पर्व चिया 2 तापे जोमनामा पर्व,
हेरो : पर्व बापे बाड़ी लेडा चिया
जोमनामा पर्व बापे बाड़ी लेडा।
तिसिंग गूरी पर्व गापा मांर पर्व
कोमल बा तीड़ी तेयु
सेवाई तालां चिया कोमल बा
तीड़ी तेयु सेवाई तालां
हातु रे गांय सारी बोंगा कोमल बा
तीड़ी तेयु सेवाई तालां
तेबु सेवाई तालां।।

भावार्थ – पर्व–पर्व हेरो : पर्व है कि जोमनामा पर्व है। हेरो पर्व को बा पर्व बनाये थे? क्या जोमनामा पर्व को बा पर्व बनाये थे? आज गुरि : पर्व है। कल बड़ा पर्व है। कमल, फूल हाथ से भी तालाब के बीचों बीच में नहीं पहुँचता है। गाँव के देवी देवता के लिए कमल फूल, हाथ से नहीं पहुँचता है कमल फूल। कमल फूल की सेवा हम लोग किया करते हैं।[7]

वाद्य–यंत्र

ताली बजाते–बजाते आदिमानव ने देखा होगा कि पशुओं के तने हुए खोल पर हाथ से या किसी टहनी से चोट करने पर जोर की ध्वनि निकलती है, आदि बनावट के नगाड़े की सूचना प्राचीन साहित्य से जेनरली मिलती नहीं है। किन्तु 5500 ई०पू० के आस–पास ढोल बजने की सूचना मिलती है। सुदूर समय की सभ्यताओं में मिस्त्र मेसोपोटामिया या यूनानी रोमन सभ्यताओं ने भी ढोल या ड्रम के प्रचलित होने की सूचना मिलती है।[8] मोनियर विलियम्स के शब्दकोश के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण (जिनकी रचना पाण्डुरंग वामन काणे के अनुसार 7वीं सदी ई०पू० में हो गयी थी) में वाद्य शब्द का उपयोग हुआ है। चतुर्वेदों में सम्मिलित सामवेद का संकलन ही गायन से जुड़ा है किन्तु उत्तर वैदिक काल तक भारत में सभ्यता वाद्य यंत्रों में परिपक्वता नहीं आयी होगी।[9] नाट्य शास्त्र के साथ–साथ 13वीं सदी के शारंग देव ने संगीत रत्नकर पुस्तक में वाद्य के चार प्रकार बताए गए है– (1) टंतु वाद्य (2) सुषिर वाद्य (3) अवनद्ध वाद्य (चमड़े के बने मुख्य ताल वाद्य) और (4) धन वाद्य (धातु के बने सहायक ताल वाद्य)। झारखण्ड में चारों प्रकार के वाद्य पाये जाते हैं। तंतु वाद्यों में तांत या तारों से आवाज निकलती है।[10]

नृत्य में उपयोगी वाद्य यंत्र –

ढाँक– यह ढोल या ढोलक की ही बड़ी जाति का वाद्य है। यह भी खूब बड़ा होता है और इसे एक ही ओर से बजाया जाता है। एक हाथ में टिपनी और दूसरे हाथ में खाड़ी की दोहरे चोट से बजाया जाता है। इसकी आवाज बुलंद, तेज व कड़कड़ाती हुई होती है। ढांक बजाने वाले को ढाकी कहते हैं।[11]

बांसुरी – यह झारखण्ड ही नहीं देश–दुनिया का सबसे सुरीला वाद्य है। यहाँ चरवाहों हाथों में बाँस की लाठी के स्थान पर बाँस की बांसुरी होती है। यही बाँसुरी श्री कृष्ण के हाथों में सुशोभित हुई। अलग–अलग रंग, लय, ताल, के लिये अलग–अलग बांसुरी का प्रयोग किया जाता है।[12]

सिंगा – यह साकवा से आकार में बाड़ी होती है। इसके नुकीले छोर पर एक छेद बनाया जाता है। इसका प्रयोग जंगली पशुओं को खदेड़ने तथा संदेश भेजने के लिए बजाया जाता है। सिंगा भैंस की सींग से बनाया जाता है। उसके नुकीले सिरे से फूंक मारी जाती है। दूसरा सिरा चौड़े मुंह का होता है। और यह आगे की ओर मुड़ा रहता है।[13]

मांदर – मांदर झारखण्ड का प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है। इसे यहाँ लगभग सभी समुदाय के लोग बजाते है। यह पार्श्वमुखी वाद्य है। लाल मिट्टी के बने मांदर का गोलाकार ढाँचा अंदर से खोखला होता है। इसके दोनों तरफ के खुले मुँह बकरे की खाल से ढके रहते है। नाच के समय इसे बजाने वाला भी थिरकते रहता है। इसके लिए वह रस्सी के सहारे मांदर को कंधे से लटका लेता है।[14]

ढोलक – यह भी ढांक जाति की तरह का वाद्य है परन्तु ढांक से बहुत छोटा और हल्का होता है। बनावट वैसी ही होती है। इसे दोनों ओर से बजाया जाता है। बाएँ हाथ में खाड़ी या छोटे पीटने वाले डंटे से तथा दाहिना भाग हथेली तथा अंगुलियों से ताल के अनुसार पीट कर बजाया जाता है। बहुत अधिक देर तक बजाने पर हाथों की अंगुलियाँ फट जाती है। एक भाग में डंटा पीटने की जगह लेप लगा होता है। दूसरे भाग में बकरी के तथा गद भाग में बैल के चमड़े मढ़े होते हैं। इसमें दोनों मढ़े चमड़े को टाइट रखने के लिए चमड़े की बाँधी तनी रहती है उस पर रिंग पीतल आदि के टाइट करने के लिए लगे होते हैं। इससे गेजा गिन, तगिन तेता, तेतक ता जैसी ध्वनि निकलती है।[15]

घंटा – साधारण पीतल की थाली आकार होती है। इसे डंडा में कपड़ा लपेटकर बजायी जाती है। घंटा से लय, ताल, राग तो निकला नहीं जाता है किन्तु लय, ताल के बीच डंञ, डंञ की आवाज निकलती है।[16]

शहनाई – बांसुरी की तरह ही सानाई (शहनाई) भी झारखण्ड में लोकप्रिय है। यह यहाँ का मंगल वाद्य है। पूजा, विवाह आदि मौकों पर इसे बजाया जाता है। साथ ही छऊ, नटुआ, पइका आदि नृत्यों में भी शहनाई बजायी जाती है।[17]

घुंघरू – यह पीतल का बनाया जाता है। घुंघरू को पैर तथा कमर में बाँधकर नाचते हैं। यह केवल पुरूष नर्त्तक अधिकांशतः प्रयोग करते है। उससे नृत्य के ताल एवं स्वर स्पष्ट होते हैं।[18]

तिरियो – यह भी बाँसुरी प्रकृति का ही सुषिर लोक वाद्य है। इसमें तीन बाँस के पाइप होते हैं दो बाँस के पाइप को जोड़ने वाले कुछ पतला बाँस पाइप होता है। इस पतले बाँस पाइप के बीच में एक छेद होता है। इस छेद में फूंकने के लिए एक पतली बाँस की नली लगी होती है। दोनो किनारे के बाँस पाइप में तीन–तीन छेद हो हैं। मोहन बाँस को खड़ी आकृति में बजाते हैं तो तिरियो को पड़ी आकृति में।[19]

ठेचका – यह लकड़ी के आधे मोटे पटरे से बनता है चौड़ाई दो से तीन इंच के लगभग। बीच का भाग पतला और दोनों किनारे गोलाकार होते हैं। गोलाकार भाग के मध्य में एक मोटे तार ढीले से आर–पार होने लायक छिद्र होते हैं। लोहे के तार ~ यू आकार का मोड़ कर उन्हीं दोनों छिद्रों से पार कर दोनों छोर पर उसी गोलाई के नाप की लकड़ी का चक्का जाम किया जाता है। निचले भाग में तीन–चर घुंघरू भी बाँध दिये जाते हैं।

यह एकल या गुणाकार रूप में भी बनता है। मुड़े हुए तार को दाहिने हाथ से तथा पटरे के एकल या गुणाकार स्थान पर बाएँ हाथ से पकड़ कर ताल के अनुरूप खींचा जाता है।[20]

फेचका– यह ठेचका की तरह उपयोग होता है। तीन–चार फीट लंबे–मोटे खोखले बाँस को नीचे से एक गाँठ या एक आधा फीट छोड़कर फाड़ दिया जाता है। परऊ के गाँठ के पास 6 इंच छोड़कर बीच के बाँस को काटकर निकाल दिया जाता है जिससे दोनों हाथों से इसे पकड़ा जा सके। ऊपर का भाग कटा हुआ और नीचे का भाग को टकराने से ठप–ठप की आवाज निकलती है। पूरे बांस को रंग–बिरंगे कागज या फीतों से बाँधकर सुन्दर बना दिया जाता है। टकराने वाले भाग पर नीचे कुछ घुंघरू बांध दिए जाते है। नर्तक दोनों हाथों से गीत को लय–ताल के अनुरूप ठेका देता है।[21]

दुमंग (मांदर) – हो जनजाति का सर्वप्रिय, सुन्दर ध्वनि से गूंजने वाला वाद्य है मांदर। छोटानागपुर के जनजातीय समुदाय के दुमड. कुछ अलग होता है और आकार में छोटी भी होती है। मांदर प्रायः मिट्टी के खोल का बना होता है। इसी मांदर से अलग–अलग नृत्य के ताल निकाले जाते हैं। हो जनजाति का कोई भी नृत्य मांदर के बिना संभव नहीं है। हो समुदाय के संगीत एवं अखड़ा को मांदर की सुमधुर ताल और ध्वनि सुशोभित करती है।[22]

दमा/नगाड़ा – यह बड़े आकार वाला नगाड़ा ही होता है। इसकी बनावट गोल होती है। आकार बड़ा होने के साथ–साथ भारी भारी भी होता है। दो छोटो डंडो से इसे बजाया जाता है। इसकी गूंज काफी दूर–दूर तक जाती है। हो समुदाय में इस बाजा के बिना कोई नृत्य ही नहीं होता है। नगाड़े की बनावट पूरी तरह भैंस के चमड़े से होती है। बजाने से पूर्ण तरह भैंस के चमड़े से होती है। बजाने से पूर्व तेल लगाकर धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने से इसकी आवाज अच्छी निकलती है। नृत्य के अलावे नगाड़ा युद्ध, स्वागत एवं भंडारी इसे बजाकर प्रचार–प्रसार करने का काम करते हैं।[23]

केंदरा बनम – संथाली भाषा में इसे बनाम कहा जाता है। यह लकड़ी से बनाया जाता है। इसकी लंबाई 1.5 से 2 फीट होती है। इसका एक भाग मोटा तथा दूसरा भाग पतला होता है। मोटे भाग को खोखला किया जाता है तथा उसके ऊपर से पतली तार या घोड़े के बाल (चावॅार) बाँध दिया जाता है, तथा एक लकड़ी में भी घोड़ा का बाल बाँधकर धनुषाकार बनाया जाता है जिसे आक या धनुष कहा जाता है। इसे बजाते समय एक पतली रस्सी बांधा जाता है। जब रस्सी को खींचा जाता है तब के–कों की आवाज निकलती है इसलिए इसे केन्दरी कहा जाता है।[24]

ढोल – मांदर के बाद ढोल भी झारखण्ड में लोकप्रिय है। यह आम कटहल या गमहर की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें भी अंदर से खोखला करीब दो फीट लम्बा ढांचा होता है। इसके भी दोनों किनारे गोलाकार होते हैं। दोनों किनारों की तुलना में बीच का हिस्सा कुछ उभरा हुआ होता है।[25]

करताल या झांझ – यह हाथ में रखकर बजाने वाला धन वाद्य है। लकड़ी के सुंदर आकृति में कुछ छेद होते हैं। उसमें दो छोटे–छोटे छल्ले ढीले रूप में डाले रहते हैं। एक में चार और दूसरे में अँगूठा लगाकर दोनों लकड़ी के अंदर के छल्लों को टकराया जाता है। जिससे घुंघरू की तरह छनछनाना सुनाई देता है।[26]

निष्कर्ष – झारखण्ड की रंग–बिरंगी संस्कृति इसके प्राकृतिक सौंदर्य में चार–चाँद लगाती है। भिन्न–भिन्न रीति–रिवाजों यहाँ के सारे लगभग वर्ष में कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। यहाँ के जनजातीय समुदाय द्वारा मनाये जाने वाले पर्व–त्योहार प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाते हैं। गीत–संगीत और नृत्य यहाँ के आदिवासी जीवन की मूल धारा में शामिल है।

संदर्भ सूची

1) गिरिधारी राम गौंझू 'गिरिराज', झारखण्ड का लोकसंगीत, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2015, पृ० 52
2) शरत चन्द्र राय, द उराँव ऑफ छोटानागपुर, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची, 2023, पृ० 23
3) गिरिधारी राम गौंझू, पूर्वोद्धृत, पृ० 71
4) विनय कुमार, संथाली भाषा लोकगीत एवं नृत्य, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2014, पृ० 112–113
5) भीखू तिरकी, उराँव–सरना धर्म और संस्कृति, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2011, पृ० 221
6) राज रतन सहाय, आदिम मुण्डा और उनका प्रदेश, क्राउन पब्लिकेशन्स, राँची, 2017, पृ० 319
7) दमयन्ती सिंकु, हो जनजाति में बा–गीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2018, पृ० 137–138
8) कैथलिजने कूप्स एवं तेतसूरो मतसुजवा, हैंड क्लैटेन्स गाएना, साउथ अफ्रीका, टोकियो, 2006, पृ० 19–21
9) मोनियर विलियम्स, शब्दकोश 1899, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 1997,
पृ० 940
10) हेमंत, झारखण्ड, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, 2004, पृ० 235
11) रामजय नाईक, नागपुरी गीतों में प्रमुख रागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, अन्नपूर्णा पब्लिशर्स, राँची, 2021, पृ० 87–90
12) संजय कृष्ण, झारखण्ड के पर्व–त्योहार मेले और पर्यटन स्थल, प्रभात, प्रकाशन, नई दिल्ली, 2016, पृ० 281
13) विनय कुमार, पूर्वोद्धृत, पृ० 168
14) हेमंत, पूर्वोद्धृत, पृ० 237
15) गिरिधारी राम गौंझू 'गिरिराज', पूर्वोद्धृत, पृ० 118
16) दमयन्ती सिंकु, पूर्वोद्धृत, पृ० 207
17) हेमंत, पूर्वोद्धृत, पृ० 237
18) विनय कुमार, पूर्वोद्धृत, पृ० 169
19) विद्योत्तमा निधि, नागपुरी लोकगीत, लोकनृत्य और लोक वाद्य, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2020, पृ० 373–374
20) गिरिधारी राम गौंझू 'गिरिराज' पूर्वोद्धृत, पृ० 121
21) वही, पृ० 122
22) दमयन्ती सिंकु, पूर्वोद्धृत, पृ० 204
23) वही, पृ० 204
24) विनय कुमार, पूर्वोद्धृत, पृ० 168–169
25) हेमंत, पूर्वोद्धृत, पृ० 237
26) संजय कृष्ण, पूर्वोद्धृत, पृ० 276

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

नागपुरी कृष्णकाव्य की पृष्ठभूमि

रेखा कुमारी
वरीय शोधार्थी, नागपुरी विभाग जनजातीय एवं, क्षेत्रीय भाषा विभाग, राँची विश्वविद्यालय राँची
Corresponding Author- रेखा कुमारी
Email - rekha 02568@gmail-com
DOI- 10.5281/zenodo.8242340

यह सर्वमान्य तथ्य सिद्ध है कि 'भक्ति युग' हिन्दी साहित्य का समृद्धतम युग रहा है। भारतीय भक्ति आंदोलन का इतिहास बहुत बड़ा है। नागपुरी कृष्ण भक्ति की चर्चा करने से पहले हम भक्ति– आंदोलन कृष्ण भक्ति पर चर्चा करेंगे। भारतीय साहित्य आंदोलन में सगुण और निर्गुण भक्ति की साधना मंगलमयी यात्रा लोक– जीवन के पथ पर अग्रसर हुई है जिसका अर्थ है भग– वान का सेवा, पूजन, मनन तथा कीर्तन, भक्ति अमृत के समान है जिसे पाकर मनुष्य को किसी और चीज को पालने की लालसा नही रहती है और मनुष्य भक्तिमय वातावरण में सराबोर होकर परमानंद पाकर मस्त रहता है। भागवत मे भक्ति का अर्थ है– श्रीकृष्ण मे समाहित होकर निरंतर कामना रहित भक्ति करना है, इससे मनुष्य को हृदय आनंद से सराबोर हो जाता है। "कृष्ण भक्ति के विकास में बारहवीं शताब्दी में रचित जयदेव का गीत–गोविन्द राधा– कृष्ण संबंधी सर्वप्रथम प्रमाणिक काव्य ग्रंथ है।[1]

विद्वानों के कथनानुसार ब्रज भाषा के प्रथम कृष्ण भक्त कवि सूरदास माने जाते हैं। इन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग मे दीक्षा दिया और कृष्ण लीला गाने की प्रेरणारी सूरदास ने कृष्ण लीला के 'सहरसावधि' पर लिखे। जिनकी प्रतिद्धि सुनकर एक–बर उनसे मिलने माएँ। इन्होंने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी लिखी। सूरदास के बाद नंददास का स्थान था। इस प्रकार इनके बाद बहुत सारे कवि हुए जैसे– परमानन्ददास, हितहरिवंश, मीरा रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य रामानन्द आदि थे। श्रीकृष्ण जी को दुष्टों का संहार करने हेतु मानवातार में खाना पड़ा। दस अवतार प्रसिद्ध है। मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार का नाम आता है। रामा– वतार में आना पाए। रस एवर जहि है राम के आदर्श मर्यादा सात्विक गुणों से लेशित स्वरूप को देख चुके थे अब ऐसे पराक्रमी, लीलाधर की आवश्यकता थी जो भक्तो का उद्धार कर सके। श्रीकृष्ण सभी गुणों से लिप्त थे। उनमें सत् चित और आनंद तीनों भावों का समावेश है। कवियों ने उनके सुंदर रूप का बखान कर गीतों का सृजन किया।

"प्राचीन भारतीय वाङ्मय में श्रीकृष्ण के स्व– रूप विकास के पाँच सोपान मिलते हैं– वैदिक युग में कृष्ण, उपनिषदों के के कृष्ण, लोकजीवन के कृष्ण, महाभारत के कृष्ण और श्रीमद भागवत के कृष्ण। तहरवेर के अष्टम तथा दशम मंडल में ऋषि कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कौशीकीय ब्राह्माण में अंगिरस ऋषि के एक शिष्य का नाम कृष्ण बताया गया है। छांटुग्योपनिषर में भी अंगिरस के भी कृष्ण का अस्तित्व विद्यमान था।" [2]

निम्बार्क, महत्व और विष्णुस्वामी के आदर्शो को सामने रखकर उनके उनके अनुयायी चैतन्य और वल्लभा – चार्य ने श्रीकृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। इस भक्ति को भागवद पुराण से ली गई है जिसमे ज्ञान की अपेक्षा प्रेम पर बल दिया गया है। श्री कृष्ण जी को हर स्थान पर भिन्न भिन्न से संबोधित किया जाता है। कभी वसुदेव के पुत्र, कभी हारिका के राजा, कभी महाभारत के ज्ञानी और चोड़ा कृष्ण जी कहलाए। ईसा के 15 वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति का प्रचार में वल्लभाचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। वल्लभा चार्य ने पुष्टि मार्ग चलाया। इस पुष्टि संप्रदाय में बहुत सारे बैण्णव दीक्षा प्राप्त किए और श्रीकृष्ण जी का प्रचार–प्रसार करने लगे इनमें अष्टछाप जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल नाप ने की थी। उसके सूरदास, नंददास आदि कृष्ण काव्य धारा के कवि प्रसिद्ध हुए।" वल्लभाचार्य ने पुष्टि की चार प्रकार बताई है –

1–प्रवाह पुष्टि 2. मर्यादा पुष्टि 3. पुष्टि पुष्टि 4. शुद्ध पुष्टि " प्रवाह पुष्टि" के अनुसार भक्त संसार में रहते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति करता है। 'मर्यादा पुष्टि' के अनुसार भक्त संसार 3 के समस्त सुखों से अपना ह्रश्य खींच लेता है और श्री कृष्णण के गुणगान और कीर्तन द्वारा भक्ति की साधना करता है। इस प्रकार प्रवाह पुष्टि और मर्यादा पुष्टि पुष्टि की निम्न श्रेणियाँ है, जिसमें भक्त भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। 'पुष्टि पुष्टि' में भगवान के प्रति प्रेम करने का भक्त को व्यसन सा हो जाता है। वह श्रीकृष्ण का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है किन्तु साधना बनी रहती है और इस प्रकार भक्त और भगवान दोनों क्रियाशील रहते हैं।

सबसे ऊँची श्रेणी की पुष्टि 'युद्ध पुष्टि' है जो वल्लभाचार्य और उनके संप्रराम का चरम उद्देश्य थी। इसमें भक्त अपने भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है। वह भगवान का कृ पापात्र बनकर अनुग्रह प्राप्त करता है, उसके गुण –गीत गाता और मस्त रहता है। इस अनुग्रह होने पर भक्त के हृदय में श्रीकृ ष्ण के प्रति इतनी अनुभूति हो जाती है कि वह भगवान की लीलाओं में अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है।"[3]

नागपुरी कृष्ण भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि वैष्णव भावना की सनातन परम्परा और मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में विद्यमान है। मध्यकाल में व्याप्त भक्ति आंदोलन ने पूरे देश में भक्ति की लहर उत्पन्न की। महा– भारत और अन्य वैष्णव पुराणों के प्रभावों ने सभी भारतीय भाषाओं में कृष्णलीला के विभिन्न प्रसंगों को चर्चित बनाया। मध्यकाल में कृष्ण भक्ति ने जनमानस को प्रेम, समर्पण और लोकरंजन का संदेश दिया।

''जिस समय ब्रजभाषा में सूरदास ने अपने " 'सूरसागर' में कृष्णभक्तों को रसमग्न किया, ठिक उसी समय गुजराती में नरसी मेहता, तेलुगु में पोमना, उड़िया में अर्जुनदास, कन्ना में कुमार अस, मलयालम में नारायण भट्टपार आदि ने भी अपनी अपनी भाषाओं में कृष्णलीला का समधुर गायन किया।"[4]

इस शताब्दी में भक्ति की दो शाखाओं सगुण और निर्गुण भक्ति में बाँटा गया जिसमें रामकाव्य शाखा, कृष्ण 14 भक्ति शाखा, प्रेममार्गी शाखा और ज्ञानमार्गी शाखा है जिसमे कृष्ण भक्ति शाखा पुराना और व्यापक है। इसका प्रधान कारण है श्रीकृ ष्ण जी की लीलाओं की बहलता का होना। वास्तव में कृष्ण भक्ति शाखा के चलों ने सत् और आनंद का स्वरूप का साक्षात्कार कृ ष्ण के रूप में जगजाहिर किया। अपनी मधुर भावना से परिपूर्ण तथा प्रेमलक्षणा भक्ति के लिए उन्होंने कृष्ण के मधुर रूप तथा भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को स्वीकार किया। यह ही राधा कृष्ण के अन्नय प्रेम की एकमात्र अधिकारिणी बनी और धीरे–धीरे, संपूर्ण कृष्ण काव्य पर छा गई।

जिस प्रकार महमकालीन कृष्ण भक्ति साहित्य के रचनाकार मीरा, विद्यापति, कृष्णारास, सुरदास, नंददास थे। इनके अथक प्रयास से भक्ति के काव्य का स्वरूप अत्यंत अध्या–त्मिकता के साथ आगे बढ़े ठिक उसी प्रकार नागपुरी भाषा क्षेत्र में रघुनाथ नृपति, घासीराम, डलेल सिंह, कंचन, पनीराम बक्शी, पौराणिक गौरीनंदन शर्मा, नईम उद्दीन मिरराहा, गोवि 3 शरण लोहरा जैसे कवियों ने अपनी मनमोहक, मनोरम छवि को कृष्ण भक्ति में दर्शाया है जिससे कृष्ण भक्ति का अतुलनीय दृश्य मनुष्य को हर्षोल्लासित करता है।

"वैसे तो नागपुरी गीतों में कृष्णा मार्गी प्रेमोपासना का सुभारम्भ कब से हुआ ठीक–ठीक बताना कठिन है, किन्तु सन् 1401 ई. में हॉपामुनि (घाघरा–थाना– राँची) के महामाया मंदिर में

विष्णु मूर्ति की स्थापना, सन् 1473 ई. में कोराम्बे (घाघरा थाना, राँची) में वासुदेव राम की मूर्ति का पुनरुहार, चैतन्य चरितामृत के अनुसार 1485 ई. में चैतन्य महाप्रभु का झारखंड के मार्ग से पुरी आदि की तीर्थयात्रा और वनवासियों के बीच वैष्णवोपासना का प्रभाव–वपन आदि कुछ ऐसे ठोस ऐतिहासिक तथ्य है जिनके आधार पर निरापद् रूप से यह अनुमान किया जा सकता है कि नागपुरी क्षेत्र 15 वी शताब्दी से ही कृष्णामार्गी प्रेमोपासना का सूत्रपात हुआ होगा।"[5]

नागपुरी कवियों ने राधाकृष्ण की लीलायों को जितना अधिक और विस्तार से गाया है उतना अन्य किसी की भी नहीं। श्रीकृष्ण के लीला बिहारी रूप ने ही नागपुरी कवियों को अधिक आकर्षित किया है।

कुछ लोगों का मानना है कि छोटानागपुर में माए व्यक्तियों द्वारा आत्म संतुष्टि एवं स्वयं को भक्ति गीद नृत्य आदि में व्यस्त रखने हेतु रास एवं कृष्ण लीला गीतों की परंपरा आरंभ हुई। आदिवासी गीत नृत्य संकुल जीवन के अनुकूल प्रभाव के फलस्वरूप यहाँ के सरानों में रास के सुहृद परंपरा का विकास हुआ कृष्ण की लीला भूमि के साथ ब्रज की रासलीला की जड़ उत्तर भारत से आए हुए लोगों के हृदय में जमी हुई थी। अनुकूल वातावरण मिला तो मंकुर फूट पड़ा और पौधा लहलहाने लगा।

कारण चाहे जो भी हो कृष्ण लीला कीर्तन और रास रचाने का प्रचलन नागपुरी क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ। यहाँ के प्रत्येक रचनाकार ने कृष्ण लीला से संबं चित रचना की है। अन्य धर्मावलम्बी रचनाकारों ने भी कृष्ण भक्ति में शीत रचित की है, जैसे कुडुस अंसारी, नर– मुद्दीन मिरदाहा आदि कवि। नागपुरी कवियों को भगवान में पूर्ण माइया एवं विश्वास था, उनका मानना था कि परमात्मा भक्त वत्सल हैं, उनके नाममात्र भजन, स्मरण से ही दुःख पाप, संकट, कष्ट, संशय दूर हो जाते है। इसलिए कवियों ने भक्ति युक्त गीत लिखे। भक्ति में कभी जाति वाद, धर्म–वाद आडे नही आया क्योंकि नईमुद्दीन मिराहा मुस्लिम होते हुए भी श्रीकृष्ण जी के लीलाओं का बरवान अपनी पुस्तिका में किए हैं।

श्रीकृष्ण जी परब्रहम परमेश्वर वह अपनी शक्ति के साथ अवतरित होकर लीला करते हैं। भी ये रास रचते है तो कभी राजा के साथ ब्रज के निकट निकुंज में नौका विहार करते है, कभी झूला झूलते है तो कभी होली खेलते हैं।

भारतीय जनमानस में भक्ति 17:58 कृष्ण नुराग कृष्ण तत्व चिन्तन और कृष्ण लीला का व्यापक प्रचार सनातन काल से चला आ रहा है। एक गीत प्रस्तुत है जिसमें कृष्ण जी के मथुरा के जाने के पश्चात गोपियाँ उनके वियोग में विलाप करते हुए, इधर उधर कन्हैया को ढूंढ रही है।

"कहाँ गेली मन के बोधन,
हरि श्री मोहन कांडते खोजते बने बन बाँसी स्वरे डाकी कन,
आपली श्री वृन्दावन
राम रची कहाँ भेजी हुन, हरि श्री मोहन, कांडते खोजते बने बन
एतना जे रहे मन, काहै के बचाली प्रशन, छाडि डेली पर्वत
गोवर्धन,
हरि श्री मोहन कांडते खोजते बने बन कोई खोजें घरे आँगन,
कोई खोजे पहार बन वसुदेव ब्राह्मणी गंगा उन हरि श्री मोहन,
कांडते खोजते बने बन"[6]

श्री कृष्ण कर्मयोगी, पूर्ण ज्ञानी और आनंद स्वरूप है। सत् चित और आनंद तीनों भावों का चरम रूप इसमें किय– मान है। इसलिए उनके चरित्र को संगीतकारों दार्शनिकों कवियों और चित्रकारों ने अपनी कला का एक अनुश स्वरूप प्रदान किया। कवियों ने उनकी रूप माधुरी का सुंदर गान किया जैसेः–

"जनम लिहल बनवारी देवकी गृह (ध्रु)
भादो अष्टमी बुध, रोहिनी नक्षल सुध
कृष्ण पक्ष सिंध में तमारी देवकी गृह (1)
उदित रोहिनी कंत, प्रगटेड श्री अनंत,
शंख चक्र गए कंज चारी, देवकी गृह (2)
श्याम सुंदर टूटा मानहु नवीन घंटा
कहे सनु जये दनुजारी देवकी गृह(3)"[7]

संगीतकारों ने कृष्ण आधार पर अनेक राग–रागनियों की कल्पना की और दार्शनिकों ने अखिल ब्रह्मांड व्यापी सता का दर्शन किया। अतिरिक्त भक्तों ने उनके लोक रंजक और लोको डारक स्वरूप से आकृष्ट होकर नाना विधियों से मात्मनिवेदन किया। इस प्रकार श्रीकृष्ण भारतीय लोकमानस के अराध्य बन गए। श्रीकृष्ण काव्य से की पृष्ठभूमि में माधुर्य पक्ष का वर्णन हुआ है। कृष्ण काव्य में स्वच्छंड रागस्व पर बल दिया गया है।

निष्कर्ष :– इस प्रकार नागपुरी कृष्ण काव्य की पृष्ठ–भूमि में कृष्ण जी के लीलामों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है जिसमे कृष्ण काव्य का नागपुरी कवियों के द्वारा सुंदर बरवान किया गया है। जिसमें कृष्णामार्गी प्रेमोपासना का सूत्रपात नागपुरी क्षेत्र में 15 वीं शताब्दी में हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया गया है। श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म है। कृष्ण जी का व्यक्ति– त्व प्राचीन है और उसमें परिवर्तन होते रहे हैं। श्रीकृष्ण जीव के सुख के लिए अवतरित होते है और वे निर्मि– कार है। कृष्ण का व्यक्तित्त्व खुली भूमि पर है, जिसमें प्रकृति की भी भूमिका है। नागपुरी कवियों ने सुंदर गीत के माध्यम से कृष्ण जी के मनोहारी रूप और उनके लीलाओं का सुंदर बरवान प्रस्तुत किया है।

नागपुरी कृष्ण काव्य की पृष्ठभूमि

1) वर्मा डॉ रामचन्द्र हिन्दी का मध्य युगीन काव्य पृ0–4
2) मुखर्जी डॉ. विजय कुमार कुरमाली कृष्ण काव्य : परंपरा एवं वैशिष्ट्य प्रकाशकः झारखंड झरोखा राँची वर्ष 2013 पृष्ठ संख्या – 63
3) खण्डेलवाल जयकिशन प्रसाद, हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, प्रकाशक– विलोड पुस्तक मंदिर वर्ष 1971 पृ०–178
4) मुखर्जी डॉ विजय कुमार, कुरमाली कृष्ण काव्यः परंपरा एवं वैशिष्ट्य, प्रकाशक – झारखंड झरोखा राँची वर्ष – 2013 पृष्ठ संख्या–307
5) केशरी डॉ बी. पी. नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, झार– खंड झरोखा राँची वर्ष– 1994–2014 पृ.सं.– 68–63
6) देव कुमार उदित नारायण, वसुदेव सिंह जनी झूमैर और 6 देव मर्शनी झूमैर चाईबासा 1951 पृष्ठ–25)
7) केशरी बी.पी (संपादक) कॉपी न.–3 गीत सं–1 पृष्ठ–37

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा का विकास

शुभ्रा लकड़ा
शोधार्थी, यू.जी.सी.नेट, विश्वविद्यालय, इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची
Corresponding Author-शुभ्रा लकड़ा
Email: shubharalakra@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242344

ब्रिटिश शासन के प्रथम चरण में महिला शिक्षा को अनावश्यक समझ कर उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना प्रशासन चलाने के लिए महिला लिपिकों अथवा प्रशासकों की आवश्यकता नहीं थी। स्त्रियों के अनेक अंधविश्वासों से घिरे रहने तथा भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यंत रूढ़िवादी होने के कारण भी संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने महिला शिक्षा में कोई रूचि नहीं ली। कंपनी शासन के दौरान महिला शिक्षा का प्रसार मिशनरियों तथा अन्य सामाजिक संस्थानों के द्वारा किए गए इसाई व्यक्तिगत प्रयासों से प्रारंभ हुआ। भारत पर अंग्रेजी शासन के दौरान कस्तूरबा गाँधी, मीरा बहन, भीखाजी कामा जैसे अनेकानेक विदुषियों ने अपने देशप्रेम, त्याग व योग्यताओं से महिलाओं की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। मिशनरियों ने भारत में अनेक बालिका विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें सहस्त्रों लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण करती थीं।

भारत में स्त्री शिक्षा के लिए सबसे पहले 1810 ईस्वी में अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्कूल खोलने का विवरण मिलता है।[1] सन् 1819 ईस्वी में भारतीय भाषा में स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित प्रथम पुस्तक गुरू मोहन विद्यालेंकार के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक का प्रकाशन 1820 ईस्वी कन्या बाल समिति कलकता के द्वारा किया गया। सन् 1827 ईस्वी तक मिशनरियों द्वारा हुगली जिले में बारह कन्या पाठशालाएँ चलाई जाने लगी। सन् 1828 ईस्वी में 'लेडीज सोसायटी फॉर नेटिव फीमेल एजुकेशन इन कलकता एण्ड इट्स क्रिसिनिटी' ने स्कलू खोले जो मिस कुक द्वारा चलाए गए। ऐसा देखा गया कि गरीब इलाकों में खुले स्कूलों के बारे में जानने के लिए मुस्लिम स्त्रियाँ भी दिलचस्पी ले रही थी। इस प्रकार धीरे–धीरे स्त्री शिक्षा के लिए कदम उठाने शुरू हुए।[2]

19वी शताब्दी के मध्य तक बंगाल, खासतौर से कलकत्ता में स्त्रियों की शिक्षा का मुद्दा उदार हिन्दुओं, ब्राह्मणों और प्रगतिशील छात्रों के लिए आन्दोलन का विषय बन गया। मिशनरी स्कूलों द्वारा ईसाईयत फैलने के खतरे से बचाव के लिए बंगाल में हिन्दू एवं ब्राह्मण कन्या पाठशालाएँ खोली गई। सदी के शुरूआत में जहाँ मिशनरी स्कूलों में अधिकांश लड़कियाँ गरीब परिवारों की थी, वहीं इन नये खुले स्कूलों में ऊँची जातियों की लड़कियाँ पढने़ गई।[3]

बंगाल में उस समय जनाना या अदंर महल के नाम से जाने वाले स्थानों पर भी स्त्रियों की प्रौढ़ शिक्षा के लिए इन आन्दोलनकारियों ने धावा बोला। गृहशिक्षा के नाम से मशहूर इस आन्दोलन की शुरूआत अंग्रेज, स्काटलैण्ड तथा उतरी अमेरिकी मिशनरियों द्वारा की गई जिसमें कुछ वर्षो पश्चात स्वर्ण भी शामिल हो गए। कुछ समय पश्चात बंगाल के स्वर्ण समाज के अग्रजों ने पाठयक्रम को बंगाली व स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार कर लिया।[4] स्त्रियों की शिक्षा के आंदोलन का उल्लेख आमतौर से उभरते मध्य वर्ग द्वारा अपनी स्त्रियों को पाश्चात्य तौर तरीकों में ढालने की आवश्कता के रूप में किया जाता है। ब्रिटिश शिक्षा के प्रसार और पुरूषों को रोजगार के नए अवसरों के मध्य नजर सार्वजनिक तथा निजी विचार पैदा हुए, तथा दोनों में समन्वय स्थापित करने की बजाय, घर और संसार के बीच विरोध के स्वर उभरे। स्पष्ट शब्दों में कहा जाये तो घर एक पुण्य स्थान होने के बजाय परम्पराओं का मुर्दा बोझ ढोता नजर आया, जिसे फूहड़ और आदिम कह कर धिक्कारा गया। अतः इसे सुधार कर बाहरी दुनिया के साथ सौहार्द्ध स्थापित करने की आवश्यकता दिखाई पड़ी। प्रसिद्ध लेखक सुमन्त बनर्जी ने अंदर महल की परम्पराओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि किस प्रकार वे नुक्ताचीनी का विषय बनी, खासतौर से घरों के अन्दर गाए–बजाने वाले लोकप्रिय सांस्कृतिक, मनोरंजक गीतों और वाद्यों के द्वारा मजाक उड़ाया गया। उपनिवेशवादी प्रभाव में 'भद्रलोक' ने इन गतिविधियों को निकृष्ट एवं अश्लील कृत्यों के रूप में देखना शुरू किया।[5]

18वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 19वीं शताब्दी के अंत तक मिशनरी तथा शासकीय दोनों प्रकार के साहित्य में इन कृत्यों की बड़ी भयावह तस्वीर पेश की गई, यद्यपि इसे भी उच्च वर्ग के लोगों ने इसे धार्मिक कृत्य और मनोरंजन मानकर आन्नद लिया। हैरानी की बात नहीं कि फूहड़ किस्म के बंगाली गीतों को अंग्रेजों ने पसंद नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति में भी गाए जाने वाले इस प्रकार के गीतों की निंदा की।[6] स्त्रियों की शिक्षा का एक उद्देश्य तो यह था कि ऊँची जाति की महिलाओं को 'असभ्य स्त्री समुदाय' से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने से रोका जाए और दूसरा यह कि उनके अन्दर निहित अशिष्टता की बुराई का इलाज किया जा सके। इसी के परिणामस्वरूप धीरे–धीरे स्त्री शिक्षा का आरम्भ होना शुरू हुआ।[7] स्त्री शिक्षा आन्दाले न का एक असर तो यह हुआ कि स्त्रियों के मनोरंजन के लोकप्रिय तरीकों को हाशिए पर लाया गया तथा उनके पात्रों को रोजगार, के दूसरे क्षत्रे में धकेल दिया गया।

इस प्रकार 'स्त्रियों की आवाज' की अभिव्यक्ति के परम्परागत दायरे सीमित हो गए। उन्नीसवीं सदी के मध्य में बंबई प्रेसीडेंसी में सुधार आन्दोलन उभरे जिसकी शुरूआत 'दकियानूसी पूजारियों' और जातिवादी संस्थानों पर हमलों से हुई।[8] बंगाल में शुरूआती हमले रूढ़िवादी हिन्दू रीति–रिवाजों पर शास्त्रार्थ के रूप में हुए तथा इसके पश्चात सुधार आधारित संगठनों तथा स्कूलों एवं गृहों जैसे संस्थानों की स्थापना की गई। हालांकि बम्बई प्रेसीडेंसी और बंगाल के समाज सुधार आन्दोलनों में महत्वपूर्ण फर्क था।[9] बम्बई में समाज सुधार कार्यक्रम अपनी शुरूआत से ही दो अलग बिन्दुओं पर लेकिन अक्सर आपस में एक दूसरे से लड़ी के रूप में गुंथा हुआ था। जाति विरोधी आन्दोलन जो नीची जातियों और अछूत गुरूओं के द्वारा शुरू किया गया तथा ऊँची जातियों का आन्दोलन सुधार आन्दाले न के रूप में शुरू किया गया। इसके विपरीत बंगाल में समाज सुधार आन्दांले नों में ऊँची जातियों का वर्चस्व था, हालांकि उसमें वैष्णवों जैसे लोकप्रिय आन्दोलनों के लिए भी स्थान था।[10] किन्तु ये समाज सुधार आन्दोलन की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए और न ही उन्होंने आधुनिकता एवं प्रगति के विचारों को अपनाया जिससे यह कहा जा सके कि उन्नीसवीं सदी के समाज सुधार आन्दोलन में उनकी कोई भूमिका थी। बम्बई में 1830 में धर्मान्तरित हो चुके हिन्दुओं को वापिस हिन्दू धर्म में लाने के लिए आन्दोलन शुरू हुआ।

हिन्दू मिशनरी की स्थापना की गई जिसनें ईसाई या मुसलमान बन चुके हिन्दुओं को वापिस अपने धर्म में लाने के

लिए संस्कार आयोजित किये। सोसाइटी ने विवाह संस्कार को भी आसान बनाया।[11] बम्बई में जाति–वर्चस्व एवं जाति आधारित शक्ति स्त्रोंतों पर किए गए हमले बंगाल की तरह किसी धार्मिक संस्था की स्थापना में तब्दील नहीं हो पाये और न हीं इन हमलों से किसी बड़े समाज सुधार आन्दोलन की शुरूआत हो सकी। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्त्री शिक्षा विशेषकर समाज के नीचले तबके की महिलाओं की शिक्षा के लिए जितना कार्य महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्री बाई फूले ने किया, उतना कार्य किसी अन्य ने नहीं किया।

महात्मा ज्योतिबा ने सन् 1850 ईस्वी में पूना में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल खोले। इसके एक वर्ष पश्चात एल्फिन्सटन कॉलेज बम्बई के छात्रों ने एक कन्या पाठशाला शुरू की तथा स्त्रियों के लिए मासिक पत्रिका निकाली।[12] स्त्री शिक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत महात्मा ज्योतिबा फूले ने सन् 1882 ईस्वी तक तीन कन्या पाठशालाएँ और खोल दी।[13] महात्मा फूले की इन गतिविधियों के विरोध में रूढ़िवादी हिन्दुओं की प्रतिक्रिया बड़ी तेजी से हुई तथा इसके विरोध का स्वर बंगाल की अपेक्षा बम्बई खासतौर से पूना में बहुत प्रबल था। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि बंगाल की अपेक्षा बम्बई प्रेसीडेंसी के ब्राह्मण ज्यादा थे तथा पूना ब्राह्मण संस्कृति का मुख्य केन्द्र था। कई बार तो इन समाज सुधारकों के साथ समाज के रूढ़िवादी लोगों ने हिंसक व्यवहार किया, प्रताड़ित किया तथा इनको पीटा भी गया।

महात्मा फूले जो पूना में रहते थे, उन्हें इन ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथों असंख्य यातना सहनी पड़ी।[14] समाज की इन रूढ़िवादी ताकतों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए महात्मा फूले के पिता पर दबाव बनाकर सम्पत्ती से बेदखल करवा दिया और महात्मा फूले को पत्नी समेत घर से बाहर निकलवा दिया, लेकिन वो इन बातों से विचलित हुए बिना स्त्री शिक्षा तथा समाज कल्याण के कार्य में लगे रहे। कन्या पाठशालाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा कि काफी सोच विचार के पश्चात वे इस नतीजे पर पहुँचें हैं कि कन्या पाठशालाओं की स्थापना, बाल विद्यालयों से भी अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा की जड़ें सामान्यतया स्त्रियों में अधिक गहरी होती हैं। इसीलिए वे अपने बच्चों को दूसरे या तीसरे वर्ष से ही शिक्षित करना शुरू कर देती है।[15]

स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार आर्य भारत में बहुपत्नीत्व, बालविवाह तथा स्त्री–बहिष्कार जैसी कोई प्रथा विद्यमान नहीं थी। उनका मत था कि स्त्री और पुरूष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्हांने अपनी पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' में लिखा है कि जैसा कि तत्त्वबोधिनी सभा का भी मत है, वैदिक भारत में शिक्षित स्त्री तथा पुरूष एक समान हैं तथा दोनो का बराबरी का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने लिखा की लड़कियाँ यज्ञापेवित पहनने के लिए अधिकृत हैं तथा उनका भी यज्ञोपवित संस्कार किया जा सकता है।[16]

आर्य समाज के अनुसार बालक तथा बालिकाएँ दोनों एक साथ पाँच वर्ष की आयु से संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की शिक्षा ग्रहण करना शुरू करेगे तथा आठ वर्ष की आयु के पश्चात दोंनो की शिक्षा अलग–अलग स्कूलों में अनिवार्य रूप से जारी रहेगी। चूंकि शिक्षा धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः प्रत्येक विद्यालय दिवस का प्रारम्भ सध्या तथा वैदिक यज्ञ से होना चाहिए।[17] एक ओर जहाँ स्त्री शिक्षा की वकालत करने वालों में इस बात पर सहमती थी कि महिलाओं को प्रदान की जाने वाली शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर व्यवहार विशेष को लेकर उनमें मतभेद नजर आये। शायद सबसे प्रभावशाली विचार यह था कि स्त्रियों को गृहस्थी पर ध्यान देने चाहिए ताकि इससे उनके पति तथा बच्चे दोनों के साथ–साथ समाज को भी इससे लाभ मिले।

ब्राह्मण कन्या पाठशालाओं खासतौर पर केशवचन्द्र सेन द्वारा चलाई जा रही कन्या पाठशालाओं में लड़कियों को खाना पकाने, सिलाई–कढ़ाई तथा सेवा'–सुश्रूषा जैसी सामाजिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था ताकि वे प्राप्त शिक्षा के आधार पर अपने परिवार और गृहस्थी को सम्भाल सकें। केशव चन्द्र सेन की पाठशालाओं में इस प्रकार की शिक्षा तथा इन कामों में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए लड़कियों को प्रोहत्साहन तथा पुरूस्कार भी प्रदान किये जाते थे।[16]

इस प्रकार 1854 में वुड के आदेश पत्र में अधिकारिक तौर पर सबसे पहले स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार के सभी संभव प्रयास किए जाने की सिफारिश की गई जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों के लिए अनेक स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। 1902 तक स्त्री शिक्षा ने एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। परिणामतः माता–पिता अपनी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करने लगे थे तथा शिक्षा विभाग ने लड़कियों के लिए अलग बालिका विद्यालय खोलने प्रारंभ कर दिए थे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसी समाज सुधारक संस्थाओं ने महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया था जिसके फलस्वरूप महिला शिक्षा का तीव्र गति से विकास हुआ था। 1917 से 1947 तक स्त्री शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ। इस काल में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। इस समय भारतीय नारी संगठन तथा राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना हुई। 1927 में प्रथम अखिल भारतीय नारी सम्मलेन हुआ। इसी दौरान बाल–विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए शारदा एक्ट पारित हुआ। इन सभी समाज सुधारक कार्यों में स्त्री शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग तीस हज़ार महिला शिक्षण संस्थाएँ थीं जिनमें लगभग पचास लाख महिलाएँ शिक्षा ग्रहण कर रहीं थीं।

संदर्भ सूची :–

1) वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजट, हुगली, पृष्ठ 526
2) एन0के0 सिन्हा द्वारा सम्पादित हिस्ट्री आफ बंगाल, 1757–1905 कलकता, 1967 में प्रकाशित पुस्तक में विनय घोष का आलेख – द प्रेस इन बंगाल पृष्ठ 452
3) सुषमा सेन, मेंमामर्स आर्फ एन ऑक्टोजेनारियन कलकता, एल्म प्रेस 1971 पृष्ठ 10–30
4) उमा चक्रवती, कंडीशंस आर्फ बेंगाल वीमंने एराउंड द सेकंड हाफ ऑफ द नांइटीथ संचे ुरी, पृष्ठ 40–42
5) कुमार राधा, (2002)ः स्त्री सघंर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 39
6) वही, पृष्ठ 40
7) गेल ओमवेट, (1976)ः 'कल्चरल रिवोल्ट इन ए कालोनियल सोसायटी', सांइटिफिक सोशल ऐजुकेशन ट्रस्ट, बम्बई, पृष्ठ 100
8) कुमार राधा, (2002)ः 'स्त्री सघंर्ष का इतिहास', वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 40
9) नटराजन, एस0, "ए सेंचुरी ऑफ साशे ाल रिफॉर्म इन इण्डिया", पृष्ठ सखं या 53
10) श्याम कुमारी नेहरू द्वारा सम्पादित पुस्तक, 'अवार केस' में कार्नेलिया सोराबजी का आलेख– द पोजीशन ऑफ हिन्दू विमेंन फिफ्टी इयर्स एगो, 1936 पृष्ठ 05
11) गेल ओमवेट, पूवोद्धृत, पृष्ठ 107
12) वही, पृष्ठ 100

13) कीर धनंजय, (1964)ः 'महात्मा ज्योतिबा फूले–सामाजिक परिवर्तन के पितामह', पोपुलर प्रकाशन, बम्बई, पृष्ठ 40
14) उमा चक्रवती, कंडीशंस आफॅ बेंगाल वीमंने एराउंड द सेकंड हाफ ऑफ द नांइटीथ संचे ुरी, पृष्ठ 54
15) कुमार राधा, (2002)ः 'स्त्री सघंर्ष का इतिहास', वाणी प्रकाशन, पृष्ठ 55–56
16) सुषमा सेन, मेंमामर्स आफॅ एन ऑक्टोजेनारियन कलकता, एल्म प्रेस 1971 पृष्ठ 147
17) कुमार राधा, पूवोद्धृत, पृष्ठ 41
18) मित्रा सुबाल चन्द, (1902)ः 'ईश्वर चन्द विद्यासागर', न्यु बंगाल प्रेस, कलकता, पृष्ठ 282

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

झारखण्ड में कुटीर उद्योग की असीम संभावनाएँ एवं इनके विकास में सरकार की भूमिका

डॉ. सुषमा गाड़ी
पूर्व षोध छात्रा, इतिहास विभाग, राँची वि0 वि राँची
Corresponding Author- डॉ. सुषमा गाड़ी
DOI- 10.5281/zenodo.8242346

सरांश –

झारखण्ड में उद्योग की असीम संभावनाएँ हैं। प्रकृति ने दोनों हाथों से झारखण्ड को खनिज तत्वों से मालामल किया है, पानी है, जंगल है, उघमी लोग है, केलव सरकार और जनता के बीच आपसी समझ की जरूरत है। झारखण्ड दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बन सकता है। सौ साल पहले टाटा ने यहाँ टिस्को की स्थापना कर इस संभावना को मूर्त रूप दिया था। फिर एच 0 ई0 सी 0, बोकारो स्टील जैसे बड़े कारखाने लगे। जिन उद्यमियों ने यहाँ के लोगों के साथ तालमेल कर उनके विकास के साथ जुड़कर काम किया वे विकास करते रहे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय उद्योग लगाने के लिए अनुदान देने को तैयार है। यहाँ फल–फूल भरपूर होते हैं। वन उपज भी बहुत हैं। जिनसे स्वरोजगार के के साथ– साथ राज्य में छोटे–छोटेश्उद्योग का जाल बिछाया जा सकता है। इन्ही से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। उग्रवाद और अपराध पर काबू पाया जा सकता है। अकेले सी 0 सी 0 एल 0 हर साल आयकर एवं अन्य करों के रूप में करोड़ो रूपये का भुगतान करता है। इसी तरह वी 0 सी 0 सी 0 एल, इ 0 सी 0 एल, टेल्को, वी 0 एस 0 एफ 0 एवं अन्य उद्योग विभिन्न करों के मद में हर वर्ष सरकारी खजाने में अरबों रूपये जमा कराते हैं। हजारों हाथों को रोजगार भी मिल जाता है। झारखण्ड में जान देंगे, जमीन नहीं देंगे कि स्थिति सरकार की गलत नीतियों की वजह से बनी है। उद्योगों से होने वाले विस्थापन, पुर्नवास और औद्योगिक नीति बनती रही संषोधन पर संषोधन होते रहे जो विपक्ष में रहा वह नीति बनाने में षामिल नहीं हुआ।

नतीजा कभी मुकम्मल औद्योगिक और पुर्नवास नीति नहीं बन पायी। जिसकी वजह से उद्योगों को विकसित करने में भारी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और उद्यमी जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करें। और राजनीतिज्ञ उसमें पेंच नहीं भिड़ाये तो कृषि और उद्योग दोनों साथ– साथ इस झारखण्ड को दुनिया का सबसे विकसित राज्य बना सकते हैं।

तथ्यों का विष्लेषण

कुटीर उद्योग से अर्थ ऐसे उद्यम से है, जिन्हे षिल्पकार अपने निवास स्थानों में बिना बाहरी श्रमिकों की सहायता के अर्थात परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाते हैं। इन उद्योग में पूर्णतः स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का ही प्रयोग किया जाता है। और षुरूवात निम्न पूँजी निवेष से की जाती है। प्रषुल्क आयोग 1949 –1950 के अनुसार कुटीर उद्योग धंधे परिवार के सदस्यों द्वारा ही आंषिक या पूर्णकालिक कार्य के रूप में किए जाते हैं। जहाँ तक व्यवहारिकता का प्रष्न है। अधिकांष कुटीर उद्योग रोजी– रोटी अर्जित करने का माध्यम मात्र है, तो कुटीर उद्योग अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का सषक्त माध्यम **1**

कुटीर उद्योग जिसे अंग्रेजी में कॉटेज इण्डस्ट्री कहा जाता है। कुटीर और कॉटेज दोनों का ही अर्थ झोपड़ी है, परन्तु झोपड़ी का अर्थ यहाँ अत्यन्त छोटे रूप से है। जहाँ कार्य करने वाले व्यक्तियो की संख्या कुछ भी हो, ऐसे सभी उद्योगों की गणना इस वर्ग में की जाती है, जहाँ किसी दुकान अथवा घर के एक दो कमरों में कुछ उपकरण और एकाध सामान्य मषीन लगाकर किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा हो। न्यूनतम पूँजी निवेष और कम कीमत की मषीनों एवं उपकरणों का प्रयोग इन उद्योगों की सबसे बड़ी विषेषता है, तो अधिक श्रम और न्यूनतम लाभ प्रतिषत सबसे बड़ा दोष मिट्टी के बर्तन और खिलौने, चमड़े के जूते– चप्पल, हथकरधे पर दरी– खेस और अन्य कपड़े, कपड़ो की रंगाई–छपाई, धातु के बर्तन और सोने –चाँदी के जेवर तथा लोहे और लकड़ी की विविध वस्तुएँ बनाने का काम प्रायः इस स्तर पर ही अधिक किया जाता है। इस स्तर पर कार्य करते समय उद्योग संचलक प्रायः स्वयं दक्ष कारीगर होता है। वह जो एकाध कर्मचारी रखता है । वे प्रायः काम सीखने वाले लड़के होते हैं। **2**

बेकरी के इस युग में जहाँ लाखों नवयुवक नौकरी की तलास में धक्के खाते फिर रहे हैं। इस प्रकार का कोई उद्योग प्रारंभ करना समस्या का बहुत ही अच्छा समाधान सिध्द हो सकता है। जिन व्यक्तियों के पास पूँजी का नितॉंत अभाव है, तथा जो किसी विषेष योग्यता अथवा तकनीकी दक्षता से भी रहित है, वे भी इस स्तर पर अनेक आधुनिक उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। **3**

हस्ताकला की वस्तुएँ कपड़ो की सिलाई व एभ्ब्रोडरी, स्क्रीन प्रिटिंग व स्टीकरों का निर्माण, बुक बाईन्डिग, पेन–बॉलपेन व रिफिलों का निर्माण, चाकबती तथा स्लेटें बनाने का व्यवसाय, इत्र– सेण्ट और अगरबत्तियाँ बनाने आदि के दर्जनों उद्योग इस स्तर पर प्रारंभ करके प्रथम दिवस से ही अच्छी रोजी– रोटी अर्जित की जा सकती है। अधिकांष विधुत उपकरणों तथा डिटर्जेण्ट पाउडरों के निर्माण तथा फिनाइल आदि बनाने के कार्य करने के साथ ही साथ पर चन्द हजार रूपये से षुरू करके कोई व्यक्ति सुगमता से अच्छी रोजी – रोटी अर्जित कर सकता है। सैकड़ो इस प्रकार की वस्तुएँ हैं। जिन्हें अत्यन्त छोटे स्तर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, कि इस स्तर पर वस्तुओं का निर्माण करते समय आपको उत्पादन, बिकी या आयकर जैसे टैक्स तो देने की नहीं पड़ते, सरकार द्वारा कम ब्याज पर बैंकों से ऋण तथा मषीनों की खरीद पर विषेष अनुदान एवं अन्य वितीय सहायताएँ भी दी जाती है। **4**

ऐसे उद्योग, जिसमें मषीनों की लागत दस पन्द्रह हजार रूपये से लेकर पाँच –सात लाख रूपये तक होती है। इस श्रेणी के अर्न्तगत आते हैं। ग्रमीण क्षेत्रों और कसबों में तो ये प्रायः घरों और बाड़ो में लगाये जाते हैं, तो नगरो में कुछ दुकानें किराये पर लेकर लगाए जाते हैं । **5**

झारखण्ड में कुटीर उद्योग की असीम संभावनाएँ हैं। प्रकृति ने दोनों हाथों से झारखण्ड को खनिज तत्वों से मालामल किया हैं। पानी है, जंगल है, उद्यमी लोग है। केवल सरकार और जनता के बीच आपसी समझ की जरूरत है। **6**

देष के 40 फीसदी खनिजों का भण्डार झारखण्ड में है। कोयला, लोहा, ताँबा, बॉक्साइट, लाइम स्टोन, माइका हो या सोना, सबकुछ है। झारखण्ड की रत्नगर्भा धरती में यहाँ के लोग आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं। देषभर के राज्यों में झारखण्ड गरीबी दर के मामले में दूसरे स्थान पर है। यहाँ की गरीबी दर (पोवर्टी रेट) 36 .96 है। जबकि पहले स्थान पर छतीसगढ़ है, जहाँ गरीबी दर 39.93 है। देष की जी0 डी 0 पी 0 में भी झारखण्ड की हिस्सेदारी केवल 19 फीसदी है। दूसरे राज्य यदि विकसित हुए है। तो वहाँ की कृषि और कुटीर उद्योगों की बदौलत। दुसरी ओर झारखण्ड में खनिजों के भण्डार होने के कारण यहाँ की सरकार ने मेगा उद्योगों का ज्यादा तरजीह दी पर ये सफल नहीं हो सका । **7**

झारखण्ड में कुटीर उद्योग सरकार की अनदेखी के बावजूद अपनी रफ्तार से बढ़ते रहे। झारखण्ड जैसे संस्थान ने रेषम धागा बनाने व कपड़ो की बुनाई में चार लाख लोगों को जोड़ा। यह हो सका छोटे–छोटे कलस्टर व एस 0 एच 0 जी 0

बनाकर लगभग साढ़े पाँच लाख लोग कुटीर उद्योग से जुड़े हैं। **8**

सामान्य रूप से देखा जाय तो आजादी के पूर्व जिसे कुटीर उद्योग भी कहा जाता है, में उन सभी प्रकार के उद्योगों का सम्मिलित किया जाता है, जो कि सुअर पालन से लेकर मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, लाह की खेती, हाथ की कटाई और बुनाई। लकड़ी के खिलौने से लेकर ताले एवं लोहे की आलमारियों तक पूरी तरह से फैले हुए थे। वास्तविक रूप में कुटीर उद्योगों के के समानान्तर षब्दावली के रूप में हुआ है। अतः कुटीर उद्योग एक प्रकार से स्वदेषी एवं पुष्तैनी उद्योग के रूप में जाना जाता है। **9**

कुटीर उद्योग की हम बात करे तो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, कुटीर उद्योग की स्थापना से रोजगार में वृद्धि की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती हैं कुटीर उद्योगों की स्थापना से संदर्भ में हम बात करें तो देष की जनसंख्या में बेतहाषा वृद्धि होती चली जा रही है। जिससे करोड़ों लोगों को अपनी जीविका चलाने की स्थिति अत्यन्त गंभीर होती चली जा रही है और देष में निर्धनता एवं गरीबी में बेतहाषा वृद्धि हो रही है। इस प्रकार की स्थिति से आर्थिक एवं सामाजिक विकास दोनों ही खतरे में पड़ने लगता है। अतः इस स्थिति में सरकार द्वारा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से काफी हद तक बेरोगारी, गरीबी, भुखमरी एवं निर्धनता से छुटकारा पाया जा सकता है। इस संदर्भ में सरकार ने भी विषेष प्रयास किया है। लोगों को कृषि करने के लिए खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाषक इत्यादि की व्यवस्था कम से कम दामों पर सुलभ कराने की भरपूर कोषिष की है। इसके साथ ही कुटीर उद्योग में काम आने वाले लोगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार एवं अच्छे मूल्य की व्यवस्था सरकार द्वारा प्रदान की गई। **10**

इसी के साथ ही साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने क लिए इन उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों को कम से कम ब्याज पर धन भी बैंकों के माध्यम से सुलभ करवाये जाते है। कुटीर उद्योगों की स्थापना, विकास एवं उनके प्रसार हेतु आर्थिक अनुदान एवं ऋण की व्यवस्था मुहैया करवायी जाती है।राज्य में स्थापित होने वाली नये उद्योगों और व्यवसायों को समय सीमा में लाइसेंस अप्रूवल व इंसेटिव देने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो फास्ट ट्रैक कमेटी का गठन किया है। उद्योग विभाग ने इससे संबंधित झारखण्ड इंडस्ट्री फेसिलिटेषन एण्ड सिंगल विंडो क्लीयरेंस ऑडिनेस 2015 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम पूरी तरह कार्यरत हो गया है। अब किसी भी उद्योग या व्यवसाय को षुरू करने के लिए आवष्यक अप्रूवल की सारी प्रक्रियाएँ एक ही स्तर पर पूरी को सकेगी। उद्योग लगाने के लिए आवेदन राज्य सरकार डीसी या सीधे कमेटी के माध्यम से दिए जा सकते हैं। सिंगल विंडो फास्ट ट्रैक कमेटी का अधिकार आवेदन को कलीयरेंस देना होगा। क्लीयरेंस का आदेष विभाग जारी करेगा।मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योगों के वितीय अनुदान की स्वीकृति भी यही कमेटी करेगी। राज्य में उद्योग व व्यवसाय आरंभ करने के लिए फिलहाल 66 प्रकार के अप्रूवल व क्लीयरेंस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अलग – अलग आवेदन दे सकते हैं। उनके सारे आवेदनों पर सिंगल विंडो क्लीयरेस कमेटी विचार करेगी। निवेषकों को अब अलग अलग विभागों में जाना नहीं पड़ेगा यदि किसी निवेदाक को जमीन, पानी या बिजली कनेक्षन चाहिए तो उसे सिर्फ एक आवेदन देना होगा। **11**

आधुनिक औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योंगों का महत्वपूर्व स्थान था। भारत इन ग्रामोद्योग के लिए विष्वविख्यात था। सुदूर गाँवों में स्थित दस्तकार न केवल समाज की आवष्यकता के लिए विभिन्न वस्तओं का उत्पादन करते थे, वरन् अपनी कला भी उत्पादित वस्तु के माध्यम से व्यक्त करते थे। प्राचीन भारत के गाँव आत्मनिर्भर थे। आवष्यकताएँ कम थीं और उनकी पूर्ति के स्रोत भी स्थानीय थे। वे अपनी आवष्यकता की चीजें गाँव में ही निर्मित कर लेते थे। कृषि , दस्तकारी और कुटीर उद्योगों का अद्भुत समन्वय था। वर्ष 1916–18 के प्रथम भारतीय औद्योगिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है, कि भारत का ब्रिटिष षासन के पूर्व औद्योगिक ढ़ाँचा अत्यन्त विकेन्द्रित और सुदृढ़ था। **12**

उतर वैदिक काल में उद्यमों मे दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति हो रही थी।उद्यम क्षेत्र में विषिष्टकरण बहुत बढ़ गया था और श्रम विभाजन में वृद्धि हो रही थी। जीवन की आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक पेषे उठ खड़े हुए थे। ओद्यौगिक धंधो का बाहुल्य आष्चर्यजनक था। उन्नसवीं सदी के आरंभ तक भारत अपने हस्तषिल्पों के लिए सारे विष्व में प्रसिद्ध था। वे न सिर्फ निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के षक्तिषाली स्तंभ भी थे, उनमें कपड़े धातु की बनी वस्तुएँ, मिट्टी के कलात्मक बर्तन, हथियार गलीचे और कालीन, लकड़ी के सामान आदि षामिल थे। वे अनेक लोगों को रोजगार के अवसार और आय के स्रोत प्रदान करने के साथ ही कलात्मक कौषल के विकास में सहायता देते थे। वे उत्कृष्टता की इतनी ऊँचाई पर पहुँच गए थे कि विदेषी बाजारों में उनका बोलबाला हो गया था। भारत आनेवाले विदेषी पर्यटक और देषी अभिजीत वर्ग उन पर लट्टू थे। वह हस्तषिल्प मुख्यतः निर्यात अभिजीत वर्ग और अन्य नगर–वासियों तथा फौज की जरूरतों को पूरा करते थे। ग्रमिणों क्षेत्रों में जो गृह उद्योग थे वे प्रधानता स्थानीय जनता की जरूरतों को पूरा करते थे । उनमें बनीं वस्तुएँ सस्ती थी भले ही उनमें ऊँच कलात्मकता और गुणवता न हो। वे उद्योग स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे मालों और कौषल पर आधारित थे तथा उनके उत्पाद स्थानीय बाजार के लिए ही होते थे। उनमें लगे दस्तकार पूर्ण या अंषकालिक श्रमिक होते थे और वे ग्रमिण अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा अपरिहार्य थे। कृषि और ग्रमोद्योगों में परस्पर एकात्मक थी। दस्तकारों को कृषि से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल मिलते थे, जबकि वे खेती के औजार बनाने और उनकी मरम्मत करने के साथ ही आभूषण, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, फर्नीचर आदि की आपूर्ति करते थे। ग्रमिण क्षेत्रों के अन्दर विनिमय की प्रक्रिया में मुद्रा का ही बोलबाला था। कहना न होगा कि गाँवों में काफी हद तक स्वावलंबन था। औद्यगिक कार्यकलापों में सबसे महत्वपूर्ण था। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ो का उत्पादन। सूती कपड़ों का उत्पादन दैनिक उपयोग के अलावा देष से बाहर निर्यात तथा देष के धनी अभिजात लोगों की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए होता था। सूती कपड़ो के बाद नेषमी वस्त्रों का स्थान आता था, जिनके लिए विदेषी बाजारों में एक सनक सवार थी। कष्मीरी षाल की स्थिति सारे यूरोप में थी और उसकी कारीगरी की तारीफ करते हुए पारखी नहीं थकते थे। अठारहवी – उन्नसवीं सदियों के अंग्रेजों और फ्रासीसी उपन्यासों में धनाढ्य महिलाओं को कष्मीरी षाल ओढ़े हुए चित्रित किया गया। कार्ल मार्क्स ने 1853 में न्यायार्क डेली ट्रिब्यून के लिए अपने एक महत्वपूर्ण लेख में कहा था। नियमित रूप से असंख्य कातने वालों और बुनकरों को पैदा करने वाला करघा और चरखा ही उस समाज के ढ़ाँचे की धुरी थे। अनादि काल से यूरोप भारतीय कारीगारों के हाथ के बनाए हुए बढ़िया कपड़ों को मँगाता था और उनके बदले अपनी मूल्यवान धातुओं को भेजता था और इस प्रकार वहाँ के सोनार के लिए वह कच्चा माल जुटा देता था। वाराणसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, नासिक, पुणे, हैदराबाद, विषाखापतनम, तंजापुर, स्यालकोट, लाहौर आदि धातु से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए महषूर थे। उनके उत्पादों की माँग न सिर्फ सारे भारत में बल्कि विदेषों में भी थे। वे दैनिक इस्तेमाल के बर्तनों तथा सजावटी सामानों के अतिरिक्त दोनों तरह के होते थे। **13**

अखिलेष्वर कुमार, रामनन्दन कुमार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पुस्तक में लिखा है, कि भारत में कुटीर उद्योग अत्यन्त विकसित अवस्था में था। कुटीर उद्योग

प्रणाली में आधार पर जो वस्तुएँ तैयार की जाती थी। उनकी खपत विदेशों में अधिक थी। भारत का उद्योग एवं व्यापार अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के पूर्व अत्यन्त उन्नत अवस्था में था, पर अग्रेंजों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी सरकार के द्वारा भारतीय व्यापार एवं उद्योग–धंधो को नष्ट करना आवश्यक समझा जाने लगा । सर्वप्रथम भारत से निर्यात होनेवाली वस्तुओं पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया और धीरे–धीरे निर्यातकी मात्रा का षून्य स्थिति पर पहुँचाने में ब्रिटिष सरकार सफल रहीं। भारत में स्वदेषी वस्तुओं के बदले विदेषी वस्तुओं का व्यवहार करने के लिए कंपनी एवं ब्रिटिष सरकार द्वारा बल प्रयोग का सहारा लिया गया। परिणामस्वरूप भारत के उद्योग–धंधे एवं व्यापार मृतप्राय हो गए और उसका असर करोंड़ो भारतीयों की जीविका के साधन पर पड़ा बेकारी और भूखमरी की समस्या देष के अंदर उत्पन्न हो गई ।इस स्थिति का विरोध करने के लिए स्वदेषी वस्तुओं का प्रचार– प्रसार करने के लिए भारत में स्वदेषी आंदोलन चलाए गए। भारत का आर्थित कल्याण एवं निर्धनता को दूर करने का एकमात्र साधन भारत के उद्योग–धंधो को विकसित करना था। इस पक्ष को उभारने की भरपूर चेष्टा उन्नसवीं सदी के उतरार्द्ध में प्रारंभ कर दी गई थी। स्वदेषी वस्तुओं के व्यवहार का आंदोलन उन्नसवीं सदी के सातवें दषक में चलाया गया था। स्वदेषी आंदोलन का एकमात्र उद्देष्या भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना तथा भारत में तैयार की गई वस्तुओं का प्रचार था, ताकि उसका लाभ भारतीयों को प्राप्त हो सके। स्वदेषी आंदोलन के कारण बम्बई और अहमदाबाद में सूची वस्त्रों की मिलों में तैयार किए गए कपड़ों की माँग बढ़ी। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लाहौर, हरिद्वार और पुरी के पण्डों के द्वारा किया गया **14**

पत्थर पर नक्काषी और अस्त्र–षस्त्र के लिए राजस्थान सुविख्यात था। इन सब हस्तषिल्पों का पतन अठारहवीं षताब्दी के उतरार्द्ध में ब्रिटिष षासन की स्थापना के साथ ही षुरू हो गया। मुगल ष्षासन धाराषायी हो गया तथा आर्थिक सता को गहरा धक्का लगा। भारतीय ष्षासकों और उनके दरबार के लुप्त हो जाने से कलात्मक वस्तुओं की लगभग पूरी तथा अन्य षहरी हस्तषिल्पों की चीजों की बहुत कुछ माँग समाप्त हो गई। हस्तषिल्यों ने अपने संरक्षक खो दिए जो उन्हें अपने कौषल को बेहतर बनाने और नए पैटर्न तथा डिजाइन अपनाने के लिए भौतिक सहायता और प्रोत्साहन देते रहते थे। कभी–कभी से संरक्षक प्रदर्षनियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे, जिससे षिल्पकारों को अपने कौषल और उत्पादों को उन्नत करने में बढ़ावा मिले। ज्यों– ज्यों ब्रिटिष षासन का विस्तार हुआ त्यों–त्यों अधिकतर देषी षासक अपने दरबार सहित लुप्त होते चले गए। फलतः षिल्पकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और माँग का मुख्य स्रोत तेजी से समाप्त हो गया । यद्यपि समाज के पुराने अभिजात वर्ग के अवषेष काफी समय तक बने रहे और पाँच सौ से कुछ अधिक देषी रियासतें किसी न किसी प्रकार 1947 तक बनी रहीं, फिर भी षिल्पकारों का दुर्दिन समाप्त नहीं हुआ। **15**

गिरिष मिश्र अपनी पुस्तक आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास में लिखते हैं कि षहरों के हस्तषिल्पी उत्कृष्ट वस्तुएँ बनाते थे और वे ऊँच कौषल सम्पन्न थे। वे हमेषा अपनी कलाओं और षिल्पों को उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नषील रहते थे और ष्षायद ही कभी गुणवता के मामले में कोई समझौता करते थे। यही कारण था कि उनके माल मँहगे होते थे और उन्हें केवल धनवान ही खरीद पाते थे। वे षिल्प षिल्प संघों में संगठित थे जो गुणवता पर सख्त नियंत्रण रखे थे और अपने सदस्यों को आवष्यकतानुसार पैसों कच्चे मालों और विपणन सुविधाओं की सहायता देते थे। वे हमेषा चौकस रहते थे, कि कोई अवांछित तत्व उनमें न घुसे। दन संघो के श्रेष्ट या नागर सेठ कहे जाने वाले मुखिया वंषानुगत होते थे। वे काफी धनवान होते थे। मुगल षासन के दौरान षाही महलों से जुड़े विविध प्रकार के कारखाने थे। बादषाह हस्तषिल्पियों को सहायता देने में कोई कसर नहीं उठा रखते थे। जिससे वे अपने कौषल को उन्नत बनाएँ। अकबर और जहाँगीर ने अपने कारखानों से जुड़े हस्तषिल्पियों के प्रषिक्षण के लिए विदेषी विषेषज्ञों को भी आमंत्रित किया था।**16**

विद्याभूषण ने अपनी पुस्तक झारखण्ड समाज, संस्कृति और विकास में लिखा है, कि झारखण्ड में उद्योगों की स्थापना से पहले का काल हस्तषिल्प और कुटीर षिल्प की उपलब्धियों की ही याद दिलाता है, किन्तु यह अविस्मरणीय है, कि धातु विज्ञान को झारखण्ड के योगदान की चर्चा असुर सभ्यता के बिना पूरी नहीं हो सकती। असुर जनताति के कारीगार लोहा गलाने के आदिम विषेषज्ञ थे। मध्यकाल में इस क्षेत्र मे आए सदानों के कई वर्ग कारीगरी के पेषे से अपनी जीविका अर्जित करते थे। और कृषक समाज की ररूरत के सारे उपकरण उनकी घरेलु कार्यषाला में तैयार होते थे। मुगलकाल तक झारखण्ड क्षेत्र कृषि और वन उपज पर आधारित था।**17**

भुवनेष्वर अनुज ने भी अपनी पुस्तक अतीत के दर्पण में झारखण्ड में लिखा है, कि सिंधु घाटी में प्राप्त अवषेषों की तरह झारखण्ड क्षेत्र में प्राप्त अवषेषों से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के निवासी सदान पूर्व से ही अपनी वृति में संलग्न है। लोहार यहाँ सोना, ताम्बा, काँसा आदि धातुओं के सामानों का निर्माण करते थे। इनके द्वारा गद्दा, बर्छे, धनुष–बाण आदि अस्त्र–षस्त्र तथा कृषि कार्यो के विभिन्न सामानों का निर्माण किया जाता था। खुदाई में प्राप्त अल्प सामानों से भी प्रतीत होता है, कि कुंभकारी द्वारा अनेक अच्छे बर्तन गढ़े जाते थे। बर्तनों में चित्रकारी भी की जाती थी। मनुष्य, पषु–पक्षी के चित्र तथा खिलौने की तरह की मूर्तियाँ पाई गई है। काठ के विभिन्न सामानों दरवाजे, ताखे, खिड़कियाँ, खिलौने आदि का निर्माण बढ़ई किया करते थे। इन सामानों का व्यापारिक महत्व था। अन्य जनजातियों जिनमें चीक बड़ाईक कपड़ा बुनने, वृक्ष के छाल तथा पतो के रेषों से काम करते थे। तेल की आवष्यकता की पूर्ति के लिए तेली तथा तुरी एवं घासी भी रहती थी। व्यापारिक दृष्टि से भी झारखण्ड क्षेत्र निष्चित रूप से विकसित था। व्यापारी में विभिन्न रेषों से निर्मित कपड़े, सोने, ताम्बे तथा मिट्टी के बर्तनों, जड़ी–बूटियों का व्यापार होता था। मौर्यकाल में झारखण्ड क्षेत्र से भारी मात्रा में मगध ष्षासक को हथियारों की आपूर्ति की जाती थी। वर्तमान सिंहभूम जिले तथा उसके निकटतम क्षेत्रों से लोहा के पत्थर तथा तम्बा के पत्थर एवं गलाये गये लोहा एवं ताम्बा हथियार लदनी तथा डोंगाओं से लोहागला (लोहरदगा) तक पहुँचाया जाता था तथा वहाँ से हथियार एवं दवाएँ वर्तमान कुड्डु चन्दवा, लातेहार, चतरा होते हुए मगध पहुँचाये जाते थे। दूसरे मार्ग संताल परगना से हो कर भी पाटलीपुत्र तक हथियार पहुँचाये जाते थे। ताम्र लिपि से समुद्र के मार्ग से होकर पुरूषपुर (पेषावर) तथा अन्य देषों तक व्यापार किया जाता था। **18**

वर्तमान समय में यथेष्ठ ग्रामीण विकास के संदर्भ में मात्र कृषि ही हमारी सम्पूर्ण आवष्यकताओं की आपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः कृषि पर बढ़त हुए जनभार एवं उसकी सीमितंताओं, विषेषकार रोजगार के अवसरों की कमी आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण औद्योगिकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के वांछित आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उद्योगों की अपनी विषिष्ट भूमिका होती है। चिरकाल से ही भारत अपने हस्तषिल्प एवं कला कौषल पर आधारित उधारित उद्योगों के लिए विख्यात है। ब्रिटिष षासनकाल में ग्रामोद्योग का तीव्र गति से ह्रास हुआ, जिसको पुनः विकसित करने के उद्देष्य से महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के अभिन्न अंग के रूप में विदेषी वस्तुओं के बहिष्कार एवं ग्रामोद्योग की पुर्नस्थापन पर बल दिया। इस हेतु स्वदेषी आंदोलन पर बल दिया। इस हेतु स्वदेषी आंदोलन चलाकर उन्होंनें जनसमुदाय को अपने देष में ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। देष में स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात् अनेक माध्यमों से कुटीर एवं ग्रामोद्योग में तीव्र गति से प्रयास किया, परन्तु गाँधीजी द्वारा कल्पित ग्रामोद्योग के स्वरूप की स्थापना की दषा में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि पूर्व नियोजन काल में औद्योगिक विकास की दृष्टि से वृहद पैमाने के उद्योगों को ही

वरीयता दी गई, यद्यपि सेद्धांतिक रूप से ग्रामीण औद्योगिकरण के महत्व की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुटीर उद्योगों के लिए पिछले वर्ष में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई। जिसमें मुख्य तीन रही। प्रथम संगठन (लघु उद्योग संगठन 1954) का मुख्य उद्देष्य तकनीकी सलाह देनाा तथा द्वितीय संगठन (लघु उद्योग निगम 1955) का मुख्य उद्देष्य छोटी–छोटी औद्योगिक इकाईयों के सहायतार्थ व्यापार कार्य चलाना था। तृतीय संगठन (लघु उद्योग प्रषिक्षण संस्थान 1960) लघु उद्योगों के विकास से संबंधित कर्मचारियों को प्रषिक्षित करने हेतु स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (1966) ग्रामीण औद्योगिक परियोजना एवं जिला उद्योग केन्द्र आदि की स्थापना भी इसी परिप्रेक्ष्य में की गई, परन्तु ग्रामीण औद्योगिक विकास हेतु स्थापित उक्त राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से भी वृहद पैमाने के उद्योग ही अधिकांषतया ष्क्ति प्राप्त करते रहे। देष में वैज्ञानिक अवस्थापन में संतोषजनक वृद्धि एवं उसके फलस्वरूप औद्यिगिक एवं कृषि उत्पादन में प्रगति के बावजूद भी ग्रामीण जनसंख्या में सामान्य उपभोग का पर्याप्त न्यून स्तर जो ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 60 प्रतिषत गरीबी की रेखा से नीचे होने से स्पष्ट है। इसका प्रमाण है। भारत सरकार के औद्योगिक विकास के कथानानुसार भारत में वृहत पैमाने पर उद्योगों की अहम् भूमिका है। वास्तव में कृषि के विकास तथा कुटीर उद्योगों के व्यापक विकेन्द्रीयकरण के माध्यम से ही जनसंख्या की आधारभूत आवष्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास में ऐसी प्रौद्योगिकी का विषेष महत्व है, जिसके माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ–साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ हो सके तथा इस तथ्य को ध्यान में रखकर जुलाई 1980 की औद्योगिक नीति के अनुसार सरकार सम्पूर्ण देष में औद्योगिकरण के लिए दृढ़संकल्प है। इस आषय में ग्रामों के द्रुतागामी विकास के उद्देष्य की पूर्ति हेतु हस्तकरघा षिल्पकारी, खादी एवं अन्य ग्रामीण उद्योग इत्यादि के विकास पर विषेष बल देने तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए स्थापित विकेन्द्रित इकाईयों को बाजारीय प्रोत्साहन प्रदान की आवष्यकता है। इस प्रकार उक्त ग्रग्रमीण औद्योगिकरण द्वारा सामान्य जन–जीवन का रोजगार परक एवं सुदृढ़ बनाया जा सकता है। **19**

देष के आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने में कुटीर उद्योग का विषेष महत्व है। कुटीर उद्योग का मुख्य उद्देष्य निम्नलिखित है–

1) श्रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देष्य ।
2) थ्बक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देष्य
3) जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम समाज की भावना पैदा करने का व्यापक उद्देष्य। **20**

निष्कर्ष :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है। कुटीर उद्योगों का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं आवष्यक है। वास्तव में आज के इस आधुनिक युग में बड़े उद्योगों के साथ ही साथ छोटे एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना नितॉंत आवष्यक एवं महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची

1) लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा स्वनियोजित, मल्होत्रा बुक्स, कमल कुमार मल्होत्रा, पटना, 1993, पृ 0 143
2) अखिलेष्वर कुमार, रामनन्दन कुमार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, स्ट्रडेन्टस फ्रेण्डस पटना, 1996 पृ 0 107
3) इंदिरा गाँधी राष्टीय मुक्त वि 0 वि 0 सतत् षिक्षा विघापीठ, अद्यमषीलता एवं ग्रामिण विकास, उद्यमषीलता कार्यनीतियाँ एवं अनुभव, नई दिल्ली, पृ 0 118
4) चर्तुभुज मामोरिया, सतीष मामोरिया, मोहन लाल दषोरा, सेविवर्ग प्रबंध एवं औद्योगिक संबंध, साहित्य भवन आगरा, संषोधित एवं परिवद्धित संस्करण 1995, पृ 0 3–6
5) मित्र, त्रिभुवन, पलामू के खनिज एवं खनिज उद्योग, असु प्रकाषन डाल्टनगंज, 1978 पृ 0 78
6) मुन्नी लाल, भारत का आर्थिक विकास संरचना एवं स्वरूप, विजय प्रकाषन, मंदिर दिल्ली, 1997, पृ 0 199
7) सक्सेना रष्मि, कहाँ गये वे लोग विकास और विस्थापन, हिन्दु कॉलेज दिल्ली वि 0 वि 0, दिल्ली, सितम्बर, 2007, पृ 0 58
8) कृष्ण कुमार अग्रवाल, हैण्डबुक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डी 0 पी 0 वी 0 पब्लिकेषन्स, दिल्ली, 1996 पृ 0 29 – 30
9) अमित अग्रवाल लघु एवं कुटीर उद्योग, डी 0 पी 0 वी 0 पब्लिकेषन्स, दिल्ली 1998 पृ 0 40
10) वी 0 एन 0 अग्रवाल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देहाती पुस्तक भण्डार, दिल्ली, 1936, पृ 0 31–32
11) ब्रहमदेव षर्मा, किसान की गरीबी का राज, प्रकाषन संस्थान, दिल्ली, 1993 पृ 0 74
12) भुवनेष्वर अनुज, अतीत के दर्पण में झारखण्ड, भुवन प्रकाषन, राँची 2000 ई 0 पृ 0 36–37
13) षिवषंकर सिंह, भारत में समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन, राधा पब्लिकेषन्स, 2000, पृ0 78–79
14) लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा स्वनियोजित, मल्होत्रा पुण्ज, कमल कुमार मल्होत्रा, पटना, 1993, पृ0 143
15) विद्याभूषण, झारखण्ड समाज एवं संस्कृति और विकास, प्रकाषन संस्थापन दिल्ली, 2000, पृ0 117–118
16) गिरीष मिश्र, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास,ग्रन्थ षिल्पी, 1997, पृ0 36–38
17) विद्याभूषण, झारखण्ड समाज एवं संस्कृति और विकास, प्रकाषन संस्थान दिल्ली, 2000, पृ0 119
18) अखिलेष्वर कुमार, रामानन्दन कुमार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, स्टुडेन्टस फ्रेण्डस पटना, 1996, पृ 0 107–109
19) राधा कृष्ण चौधरी, अषोक कुमार, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, जानकी प्रकाषन, पटना, 1986, 1996, पृ0 89–90
20) जयषंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना 2006, पृ0 151

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

सरकारी योजनाओं के संदर्भ पहाड़िया जनजाति के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का आंकलन

Sushma kumari
Research Scholar, Department of History, Ranchi University Ranchi
Corresponding Author- Sushma kumari
DOI- 10.5281/zenodo.8242349

पहाड़िया जनजाति के बीच युवागृह जिसे 'कोडबाह आड़ा' (मर्समक कोडबाह–युवकों के लिए तथा पेलमक कोडबाह–युवतियों के लिए गृह) कहा जाता है, एक परम्परागत औपचारिक शिक्षा केन्द्र के रूप में कार्यरत रहा है, जिसका युवक–युवतियों को सामाजिक, सांस्कृतिक धार्मिक तथा आर्थिक शिक्षा प्रदान कर उनके व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस जनजाति की पहचान एक जुझारू कबीले के रूप में रही है, जो हमेशा अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए संघर्षशील रही आज भी इन पर ईसाई घर्म का प्रभाव नगण्य है।[1] पहाड़ियों की चोटी व ढलानों पर दुर्गम जंगली परिवेश में निवास करने के कारण उनके बीच शिक्षा की रोशनी भली–भाँति नहीं पहुँच पायी है। यद्यपि स्वतत्रंता के बाद सरकारी तौर पर इनके बीच शिक्षा के प्रचार के लिए पहाड़िया कल्याण विद्यालय तथा आवासीय विद्यालय चलाये जा रहें है तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास सेवा योजना इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किये गये हैं।[2]

1981 तथा 1991 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति के बीच साक्षरता दर क्रमश : 6.87 तथा 13.29 प्रतिशत रही है। 1981 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया सौरिया जनजाति का शिक्षा स्तर निम्नवत् है।[3]

सौरिया पहाड़िया जनजाति का शिक्षा स्तर (1981)

शिक्षा स्तर	शहरी		ग्रामीण		योग	
(क) सादार (बिना किसी शैणिक स्तर का)	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
(अ) अनौपचारिक	–	–	59	20	59	20
(क) औपचारिक	15	15	1304	331	1319	346
(ख) प्राथमिक	2	4	486	53	488	57
(ग) मिडिल	9	4	254	20	263	259
(घ) माध्यमिक	10	1	87	5	97	6
(ड़) इन्टरमिडिएट	3	2	7	–	1	3
(च) तकनीकी	1	0	1	–	0	0
डिप्लोमा						
(छ) स्नातक	0	0	5	0	0	5
(ज) स्नातकोत्तर	0	0	0	0	0	0
(झ) अभियंत्रण	1	0	–	0	1	0
(ट) मेडिसी	0	1	0	0	0	1

स्नातक तथा इससे ऊपर की शैक्षिक उपाधि

स्त्रोत : भारत की जनगणना 1981, सिरिज–4, बिहार, स्पेशल टेबल्स फॉट शिड्यूल ट्राइब्स

2001 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया के बीच साक्षरता दर 27.31 प्रतिशत थी।

शिक्षा के प्रसार के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर सतत् प्रयास किया जा रहा है। सरकार पहाड़िया जनजाति के लिए शैक्षणिक योजनाएं चला रही है। जिसका लाभ उन्हें मिला जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सके। सरकार द्वारा शैक्षणिक चलायी जा रही है ये निम्नलिखित है –

1) पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय
2) अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय (मध्य, उच्च दोनो विद्यालय हैं)[4]

इस प्रकार के योजनओं से पहाड़िया जनजाति का कल्याण हुआ है। पहाड़िया जनजाति के उत्थान के लिए सरकार प्रयासरत है। इसका फायदा पहाड़िया जनजाति को हुआ है। वे शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे अधिक से अधिक पहाड़िया, बच्चे स्कूल जाते है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है। पहाड़िया जनजाति अब समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे है।[5]

सांस्कृतिक परिवेश :–

प्रस्तुत आर्टिकल में पहाड़िया जनजाति के सांस्कृतिक परिवेश का मुख्यत : उनके गाँव घर, रहन–सहन, खान–पान आदि का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। प्रस्तुत आर्टिकल में माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया के सांस्कृतिक परिवेश को अलग–अलग विवरण प्रस्तुत किया है–

माल पहाड़िया:–

पहाड़िया जनजाति के गाँव घर पहाड़ो पर बसे हुए हैं। इनके गाँव एवं घर अलग–अलग होते है। इसके घर आयताकार होते हैं। एक गाँव में 15 से 30 घर होते है।[6] इनके झोपड़ीनुमा घर लकड़ी, बाँस तथा घास–फूस से बने होते हैं। खपरेल घर बहुत कम मिलते है घर के निर्माण के लिए कासी, धो, कुसुम, सिदुंवार, फुरो तथा सखुआ एवं पनकट्टा की लकड़ी का प्रयोग करते हैं जो आसनी से स्थानीय परिवेश में उपलब्ध हो जाते हैं। घर 8–9 फीट लंबा, 6–7 फीट चौड़ा और 7 से 9 फीट ऊँचा होता है।[7] बाँस की खपची और लकड़ी के कुंदे की सहायता से दीवार खड़ी कर ली जाती है और उस पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा कर लीप दिया जाता है। टाटीनुमा दरवाजा होता है। खिड़की बिल्कुल नहीं होती। घर का ओसरा बाँस की फट्टी से घिरा रहता है। इनकी झोपड़ी से इनकी गरीबी झांकती है।[8]

इनके घरों के साथ ही घरेलू सामानों से इनकी दीनता टपकती है। भोजन पकाने के मिट्टी के बर्त्तन, पानी रखने के मिट्टी के घड़े एवं पीतल व अल्युमिनियम के कुछ बर्त्तन पाये जाते है। इनके घरों में ओखल जरूर होता है। चाकू, हँसुआ, टांगी, कुदाल, खनता आदि इनके आवश्यक उपस्कर हैं। झाडू, सूप, टोकरी प्रायः सभी घरों में मिलते हैं। सोने के लिए साधारण खटिया और खजूर की चटाई पायी जाती है।[9] शिकार करने के लिए तीर–धनुष, बाधाधनु आदि तथा मछली पकड़ने के लिए चटो या कुम्बनी और जाल आम तौर पर पाये जाते हैं। माल पहाड़िया औरतें नहाने–धोने के लिए मिट्टी का प्रयोग करती है। कपड़ा धोने के लिए पानी में ओरमी (राख) डालकर खदका–सीझा कर काम चला लिया जाता है। अब पढ़े–लिखे या नौकरी–चाकरी करने वाले माल पहाड़िया सोडा–साबुन का प्रयोग करने लगे हैं। अपने रोगों का इलाज जड़ी–बूटियों से कर लेते हैं।[10] अंग्रेजी या एलोपैथिक दवा से और डाक्टरों से इन्हें परहेज है तथा गरीबी के कारण एवं सुविधा के अभाव में यह इनके सामर्थ्य के बाहर है।[11]

खान–पान :–

इनका मुख्य भोजन मकई, बाजरा बरबटी है।। महुआ, इमली केंद, कटहल आदि भी इनके भोजन में शामिल हैं। ये

आमतौर पर मांसाहारी होते हैं। खरहा, सूअर, बकरा, मुर्गी तथा पक्षियों का मांस जब कभी मिलता है, खाते हैं। जंगली फल–फूल, विशेषकर बेर और महुआ इनके भोजन का महत्वपूर्ण अंश होता है। महुआ और खजूर से शराब बना कर पीते हैं तथा बेचते भी हैं। ये गोमांस नहीं खाते और न मृत जानवरों का मांस खाते हैं।[12]

वेश भूषा :–

माल पहाड़िया के वस्त्र साधारण होते हैं। पुरूष धोती, अंगरख और गमछा का प्रयोग करते है। अब बाजार से गंजी–कमीज खरीद कर पहनते हैं। चादर का प्रयोग ठंड से बचने के लिए होता है। उत्सव–समारोह या नृत्यु के अवसर पर मोर–पंख का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे केवल लंगोटी पहनते है।[13] महिलाएँ साड़ी पहनती हैं। ऊपरी भाग साड़ी के एक छोर से ढकती हैं या एक अंगरखा तरह का वस्त्र पहनती हैं। स्त्री–पुरूष दोनों बहुत कम वस्त्र का प्रयोग करते हैं। इनके बीच गोदना बहुत प्रचलति है।[14]

माल पहाड़िया औरतों के आभूषण साधारण एवं सस्ते होते हैं। इन्हें गहनों का बहुत शौक है और अंग–प्रत्यंग को गहनों से सजाए रखने की कोशिश करती हैं। ये माथे में, जुड़े में गर्दन–कान–नाक में, कलाई, बाँह, पैर, उंगली में गहने पहनती हैं। इनके मुख्य आभुषण टॉड, बाजू, लोलक, करला, फूली, पजेब, हँसुली, हार खीर, पुटकी आदि हैं। गहने प्रायः सस्ते होते हैं और बाजार से खरीदे जाते हैं।[15] आमतोर पर गहने पीतल, गिलट, स्टील कांसा, कौड़ी आदि के बने होते हैं। कुछ स्त्रियाँ चांदी के जेवर भी पहनती हैं। सोने के गहने तो दुर्लभ है। आजकल रोल्ड–गोल्ड के गहनों का प्रचलन हुआ है। माल पहाड़िया पुरूष भी कुछ आभूषण पहनते हैं। फूल–पत्ती से श्रृंगार करना तो इनके बीच आम बात है।[16]

पर्व त्योहार :–

माल पहाड़िया का सबसे बड़ा देवता बसुमती यानी धरती (ग्राम गोसाई) है, जो एक पेड़ के नीचे पत्थर के रूप में होता हैं। कतिपय इलाके में भुई देव की भी पूजा होती है। धरती ही भुई नाम से जानी जाती है। इसकी पूजा में इसी जाति या समाज का इस समारोह में शामिल होना वर्जित है।[17]

दुमका जिला के पहाड़िया काली माँ की पूजा बते धूम–धाम से करते हैं तथा इस अवसर पर मेला लगाते हैं तथा इस अवसर पर मेला लगाते है। वहाँ बकरे की बली दी जाती है माल पहाड़िया शिव–भक्त भी होते हैं। कई इलाके के माल पहाड़िया चैत माह में रामनवमी का त्योहार भी निष्ठापूर्वक मानते है।[18]

पूजा पाठ के अवसर पर माल पहाड़िया पुरूष जनेऊ भी पहनते हैं, परंतु अनुष्ठान के बाद जनेऊ खोलकर पानी में विसर्जित कर देते हैं या गाछ में टाँग देते हैं। स्पष्ट है कि जंगलों–पहाड़ों में जा छिपने के बाद माल पहाड़िया वैदिक रीति–रिवाज से कट गये।[19]

जैस हिन्दु धर्म फसल की कटाई के बाद प्रथम भोग भगवान को चढ़ाया जाता है उसी प्रकार माल पहाड़िया भी बरबट्टी की खेती करते हैं, वे बरबट्टी यानी घंघरा तैयार हो जाने पर अगहन महीने में पूजा करते हैं। माघी माल पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया की एक महत्वपूर्ण पूजा है।

माल पहाड़िया द्वारा बाघ राई और साँप राई नामक दो देवताओं की भी पूजा की जाती है। बाघ राई इन्हें बाघ से और साँप राई इन्हें साँप से बचाते हैं।[20]

माल पहाड़िया की उपरोक्त सभी पूजा पद्धतियो में स्थान विशेष के अनुसार कई प्रकार के फरक पाये जाते हैं।

सौरिया पहाड़िया :–

सौरिया पहाड़िया मुख्य रूप से संथाल परगना के साहेबगंज, गोड्डा एवं दुमका जिले में निवास करते हैं। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिन–ए–कोह में ये विशेष कर प्रमुखता से संकेन्द्रित हैं। ऐसा माना जाता है कि 18 वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध तक सौरिया शांतिपूर्वक स्वंतत्र जीवन बिताते रहे। ये मुगलों के अधीन भी कभी नहीं हुए।[21]

भौगोलिक परिवेश ने इन्हें पड़ोसियों से अलग–थलग एवं बाहरी सम्पर्क से अक्षुण्ण बनाये रखा। अंग्रेजों के आगमन के बाद इस क्षेत्र में अशांति फैली और उपद्रव हुए। 1778 ई० में क्लीवलैंड ने इन्हें कुछ सुविधा एवं सहानुभूति के साथ शांत करके ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। 1833 ई० में सदरलैंड के प्रयास से इनके लिए एक पृथक पहाड़ी प्रक्षेत्र–दामिन–ए–कोह का सृजन हुआ। जहाँ अभी भी ये सघन रूप से पाये जाते है। इस नवीन पहाड़ी प्रदेश के पेड़–पौधों, फल–फूल, पशु–पक्षी आदि से भरा क्षेत्र इन्हें रास आ गया। यहाँ इन्हें जीविकोपार्जन के लिए अनेक वनोपज, शिकार तथा स्थानांतरित खेती के लिए भूमि उपलब्ध हो गयी।[22]

सौरिया पहाड़िया के गाँव प्राय : पहाड़ियों की चोटियों तथा वनच्छादित पहाड़ी ढलानों पर बसे होते हैं बहुत कम बस्तियाँ ही गिरिपद या समतल भूभाग में पाई जाती है। इनके गाँव छोटे और बिखरे होते है। एक गाँव में 10 से 30 परिवार पाये जाते हैं। कुछ गाँवों में 80 परिवार तक निवास करते पाए गए हैं।[23]

इनके घर प्रायः आयताकर होते हैं। जिसका अनुस्थापन उत्तर–दक्षिण होता है। इनके घर में अक्सर एक ही कमरा होता है। परम्परागत तरीके से निर्मित इस कमरे का उपयोग सोने, भोजन पकाने तथा अन्न–भंडारण के लिये किया जाता है। झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी से निर्मित एक चूल्हा होता है, जिसके इर्द–गिर्द बर्त्तन तथा अनाज संग्रहक रखे होते हैं। चूल्हे के ऊपर मकई की बालियाँ लटका कर रखी जाती हैं, ताकि चूल्हे में जलाई जाने वाली लकड़ियों के धुआँ के कारण कीड़ो से इनकी सुरक्षा हो सके।[24]

सरकार द्वारा इनकी आवासीय व्यवस्था में सुधार के निमित्त काफी प्रयास किये गये। कल्याण विभाग द्वार वर्ष 1954–55 से ही गृह–निर्माण योजना स्वीकृत कर सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती रही। इंदिरा आवास और बिरसा आवास योजना के अन्तर्गत पक्का गृह–निर्माण के निमित्त योजना स्वीकृत की गयी, परंतु इनकी आवासीय स्थिति में कोई खास सुधार संभव नहीं हो पाया हैं।[25]

भोजन :–

सौरिया पहाड़िया का खान–पान साधारण होता है। शुद्ध पेयजल भी इन्हें उपलब्ध नहीं होता है। प्रायः मकई, गंगई और चावल खाते हैं। वे मांसाहारी होते हैं गाय, बैल, भैंस की बल्कि देते हैं और उसका मांस खाते हैं। गोमांस–भक्षण करने के कारण ही इन्हें माल पहाड़िया अपवित्र मानते है। मद्यपान का प्रचलन इनमें हैं। गरीबी, कुपोषण, अशुद्ध जल, मद्यपान आदि के कारण इनके बीच तरह–तरह रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जैसे– यक्ष्मा, कुष्ट, चर्मरोग, मलेरिया, कालाजार आदि।[26]

पोशाक तथा आभूषण :–

सौरिया पहाड़िया पुरूषों के लिए परम्परागत पोशाक सफेद घोती गंजी व लाल या सफेद पगड़ी तथा महिलाओं के लिये साड़ी, ब्लाउज और घघरा के साथ सिर पर 'टोपवार' (कपड़े से निर्मित खास किस्म का परिधान) है।

सौरिया पहाड़िया महिलाएँ प्रायः पीतल का अभूषण पहनती हैं। अंगटी (अगूँठी), मुसो अंगटी (नाक में पहनने वाला आभूषण), तबला (हँसुली), पूँनू (माला), सिकी (चाँदी के सिक्कों से गुथी माला), सुड़े (पैरों के कड़े), काँसा काडू (काँसा की चूड़ी) इत्यादि सौरिया पहाड़िया महिलाओं के गहने हैं।[27]

मुस्लिम काल और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया गया, मगर उनके काल में निर्मित सिक्के महिलाओं के श्रृंगार हैं। इन्हें आभूषणों से बहुत ही लगाव हैं। गोदना गोदवाने की प्रथा इनके बीच बहुत ज्यादा है। हाथों में माला की तरह सीने में भी ये गोदना गोदवाती हैं। ललाट पर गोदना से बना हुआ नीले रंग का खड़ा एक तीर और दोनों और कनपटी पर बना एक–एक तीन सौरिया पहाड़िया महिला की

पहचान है। गोदना से तीर बनवाना श्रृंगार के साथ गौरव का प्रतीक भी हैं।[28]

पर्व–त्योहार :–

त्योहार को 'अड़या' या 'पीजे' कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया के बीच देवी–देवताओं को वर्ष का नया अन्न चढ़ाना त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मकई की फसल काटने पर 'गंगिअड़या' घंघरा यानी बरबट्टी और बोड़ा की फसल होने पर ओसरा अड़या तथा बाजरे की फसल काटने पर पुनु अड़या पर्व मनाया जाता है। गंगि अड़या भादो माह में पूरे गाँव की ओर से मनाया जाता है। उक्त अवसर पर 'झंडी थान' में स्थित चाल गोसाई देवता को कोटवाड़ा द्वारा एक बकरा तथा दो मुर्गे की बलि दी जाती है। साथ ही प्रत्येक परिवार में मृत पूर्वजों को जो चूल्हे के पास स्थापित होते है, उन्हें मुर्गे की बलि दी जाती है। उक्त कृत्य के बाद मकई का भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है।[29]

ओसरा अड़या प्रत्येक सौरिया परिवार द्वारा कार्तिक माह में मनाया जाता हैं। उक्त अवसर पर परिवार का मुखिया पूर्वजो को मुर्गे की बलि चढ़ाता है और इसके बाद परिवार के सदस्यों द्वार घंघरा यानी बरबट्टी को खाया जाता है।

पुनु अड़या पूस माह में 'ए एलमेड़ा' यानी चाल गोसाई स्थान में मनाया जाता है।

सौरिया पहाड़िया के बीच सालियानी पूजा करने की भी परम्परा है, जो माध या चैत माह में की जाती है।

प्रत्येक छः वर्षो पर 'कान्दे गोसाई' को एक भैंसा की बलि चढ़ाने की प्रथा है, जिसे 'कराँ पूजा' कहते है।

कराँ पूजा उत्सव को 'मानगुएड़वे' भी कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया की भाषा में 'भैंसा' को 'मानगु' कहा जाता है तथा एड़वे का अर्थ भी होता है 'त्योहर'।[30]

समय के साथ पहाड़िया जनजाति की शैक्षणिक और संस्कृति में बदलाव हुआ है। सरकार की योजनाओं का प्रभाव पहाड़िया जनजाति पर पड़ा लेकिन अभी भी पहाड़िया जनजाति में बहुत कमी हैं – शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक –सामाजिक स्थिति में।

संदर्भ सूची :–

1) कीर्ति विक्रम, माल पहाड़िया, झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग, झारखण्ड जनजाति कल्याण शोध संस्थान, मोराबादी, राँची, 2015, पृ०–5
2) वही, पृ० – 7
3) बिमला चरण शर्मा, झारखण्ड की जनजातियाँ, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2006, पृ० – 476
4) वार्षिक योजना, पहाड़िया शिक्षा योजना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, राँची, 2017–18 पृ०–7
5) वही, पृ० – 10
6) स्कॉलष्टिका कुजूर, वेदों एवं पुराणों में आर्य एवं जनजाति संस्कृति, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, 2009, पृ० – 583
7) वही, पृ० – 584
8) चतुर्भूज साहू, झारखण्ड की जनजातियाँ, के०के० पब्लिकेशन्स, इलाहबाद, 2007, पृ०– 105
9) बिमला चरण शर्मा, पूर्वोद्धृत, पृ० – 137
10) वही, पृ० – 138
11) वही, पृ० – 150
12) कीर्ति विक्रम, पूर्वोद्धृत, पृ० – 9
13) वही, पृ० – 10
14) वही, पृ० – 12
15) प्रकाश चन्द्र उराँव, बुलेटिन ऑफ झारखण्ड ट्राइबल वेल फेयर रिसर्च इंस्टीयूट राँची, झारखण्ड ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीयूट, राँची, 2001, पृ० –5
16) वही, पृ० – 34
17) वही, पृ० – 35
18) वही, पृ० – 37
19) वही, पृ० – 37
20) कीर्ति विक्रम, पूर्वोद्धृत, पृ०– 11
21) उमेश कुमार वर्मा, सौरिया पहाड़िया, झारखण्ड कल्याण विभाग, झारखण्ड जनजाति कल्याण शोध संस्थान, मोराबादी, राँची, 2015, पृ० – 10
22) वही, पृ० – 11

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

आदिम जाति सेवा मंडल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

रामगोपाल उराँव
शोधार्थी, विश्ववविद्यालय इतिहास विभाग, रांची यूनिवर्सिटी रांची
Corresponding Author- रामगोपाल उराँव
DOI- 10.5281/zenodo.8242354

1940 के कांग्रेस–अभिवेशन के पश्चात् सोमपुर में एक सत्याग्रह शिविर चला था। उस शिविर में समस्त प्रदेश के कांग्रेस के अगुजा, पू० देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में एकत्र हुए थे। क्या प्रायः एक सप्ताह तक सबने मिलकर प्रदेशव्यापी सत्याग्रह के संचालन का कार्यक्रम निर्धारित किया था। उस शिविर में रचनात्मक कार्यक्रम को सत्याग्रह का मुख्य अस्त्र माना गया था। पूज्य राजेन्द्र बाबू ने रामगढ़ में हो आदिमजातियों का जो दृश्य देखा था वह उस समय तक उनके मस्तिष्क में ताजा था। उन्होंने शिविर में एकत्र कार्यकर्ताओं से अपील की कि कोई छोटानागपुर में जाकर आदिम जातियों के बीच रचनात्मक कार्य करने की प्रतिज्ञा करे। श्री नारायण जो ने पूज्य राजेन्द्र बाबू के समझ छोटानागपुर में रखकर आदिम जातियाँ के बीच रचनात्मक कार्य करने की प्रतिज्ञा की।[1] परिणाम स्वरूप राँची जिले के मुमला नामक स्थान में सेवा केन्द्र नाम की संस्था खोली गई और खादी उत्पादन तथा शिक्षा प्रसार का कार्यक्रम बना तथा तीन सहस्र सालाना खर्च की स्वीकृति मिली। इस कार्यक्रम कोकार्यान्वित करने के लिए श्री नारायणजी 16 अगस्त 1940 को रांची से 76 मील दूर गुमला आये और यहाँ श्री अखोरी मथुरा प्रसाद तथा श्री गणपत लाल खाण्डेवाल के सहयोग से खादी उत्पादन और शिक्षा प्रसार का कार्य प्रारम्भ किया। शनैः शनैः गुमला के बड़ाईक श्री ईश्वरी प्रसाद, श्री मुरली महाराज, श्री गंगा महाराज, श्री रामप्रसाद जी प्रभृति प्रमुख सरजन भी सेवा केन्द्र की ओर आकृष्ट हुए तथा इनके सहयोग एवं टाना भगतों की तत्परता के फलस्वरूप खादी उत्पादन और शिक्षाप्रसार का कार्य आगे बढ़ा।[2]

गांधी सेवा संघ तथा अखिल भारतीय चर्चा संघ ने आर्थिक सहायता प्रदान की। खादी उत्पादन के दो केन्द्र फोरी (गुमला सबडिविजन) तथा टमाडीह (सिमडेगा सब– डिवीजन) में खोले गये और गुमला सबडिवीजन के टांगरडीह तथा सिमडेगा सबडिविजन के टुकुपानी नामक ग्रामों में दो पाठशालायें शिक्षाप्रसार के लिए खोली गई। इन दोनों स्थानों में औषधि वितरण का भी प्रबंध किया गया था। उस समय बृटिश शासन का दौर दौरा था, वे आदिमजातियों के बीच ईसाई पादरियों को छोड़ अन्य किसी समाज सेवक को जाने नहीं देना चाहते थे। इसके पहले कई संस्थाओं को सरकार की कड़ी नजर के कारण अपना काम उठा देना पड़ा था। सेवाकेन्द्र पर भी परम्परा के अनुसार बृटिश सरकार की नजर पड़ी। गुमला में काम आरम्भ होते होते नारायणजी के वासस्थान को पुलिस ने एक दिन घेर लिया, और उसको खानतलाशी ली गई। इससे गुमला के कुछ लोग भयभीत हो गये। इधर पादरियों ने भी सेवाकेन्द्र को अपना प्रतिद्वन्दी मानकर उसके खिलाफ प्रचार आरम्भ कर दिया। इस प्रकार सेवाकेन्द्र को एक और से कठिनाई का सामना करना पड़ा किन्तु दूसरी ओर जन साधारण उसकी ओर आकृष्ट हुआ। इसी समय 1942 में सत्याग्रह के सिलसिले में पूज्य राजेन्द्र बाबू का सारे प्रान्त का दौरा हुआ और वे गुमला भी आये लोगों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया, वे रातभर सेवाकेन्द्र में ठहरे। – इस स्वागत के कार्यमें ही पुलिस का भय समाप्त हुआ और अब लोग खुलकर सेवाकेन्द्र के कामों में सहयोग देने लगे, सरकार तथा पादरी देखते ही रह गये। किन्तु लोगों के इस उत्साह को सरकार देख नहीं सकती थी। पूज्य राजेन्द्र बाबू के गुमला से लौटते ही धमकियां पड़ने लगीं और अगस्त 1942 को तो सेवाकेन्द्र बन्द ही कर दिया गया। उसके संचालक श्री नारायण जी गिरफ्तार कर लिए गये और उन्हें नजरबंद कर हजारीबाग जेल में तीन साल तक बैठा दिया गया।[3] इसके बाद शीघ्र ही श्री अनिरुद्ध सिंह, श्री चम्पा भगत, श्री महली भगत, श्री अनिरुद्ध पांडेय जैसे अन्य प्रमुख कार्यकर्त्ता भी गिरफ्तार कर लिए गये। इतना ही नहीं श्री गणपत लाल खाण्डेवाल, श्री गंगा महाराज तथा श्री अखौरी नारायण सिन्हा जैसे सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अतएव सेवाकेन्द्र का काम एक प्रकार से बन्द हो गया 31945 ई० में श्री नारायणजी जेल से लौटकर आये और धीरे– धीरे अन्य कार्यकर्ता भी छूट गये। सेवाकेन्द्र का काम फिर आरम्भ किया गया पर इस समय सेवाकेन्द्र के सामने भयंकर आर्थिक संकट था। महात्मा गांधी ने गांधी सेवा संघ का काम उठा दिया था। अतः गांधी सेवा संघ से जो आर्थिक सहायता मिलती थी वह बन्द हो गई। पाठशालाओं को भी आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द करना पड़ा, केवल खादी उत्पादन का काम चलता रहा। कार्यकर्त्ताओं को अपने भरण पोषण के लिए भी कठिनाई थी। अतः गुमला से मील दूर फोरी नामक गाँव में सेवाकेन्द्र का प्रधान दफ्तर हटा लिया गया तथा वहीं खेती से कुछ कार्यकर्त्ता अपना जीवन निर्वाह करने लगे और साथ–साथ पाठशाला भी चलाने लगे।[4] 1946 तक इसी प्रकार काम चला। इसी समय पूज्य राजेन्द्र बाबू जेल से निकले और प्रान्त व्यापी दौरे के सिलसिले में वे मला भी जाये। सेवाकेन्द्र के कार्य से ये बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने आजादी सेवा का यह काम फैलाया जाय उनकी आज्ञा पर कार्य फैलाने की सुविधा की दृष्टि से सेवाकेन्द्र का दफ्तर फोरी से फिर गुमला लाया गया और वहाँ से वह राँची निवारण आश्रम में आया ।कार्य फैलाने की दृष्टि से सदाकत आश्रम पटना और तिरिल आश्रम में पूज्य राजेन्द्र बाबू के सभापतित्व में बैठक हुई, अंत में निर्णय हुआ।[5] कि 1 आदिमजातियों के बीच कल्याण कार्य को समस्त छोटानागपुर में फैलाया जाय। 2 सेवाकेन्द्र को आदिमजाति सेवामण्डल में परिणत किया जाय ।3 इस नयी संस्था की रजिस्ट्री करा सी जाय। 4 इसमें स्थायित्व लाने के लिए ऐसे लोगों को आजीवन सदस्य बनाया जाय जो बीस वर्षो तक आदिमजातियों की सेवा करने की प्रतिज्ञा। इन्हीं निर्णयों के अनुसार 8 जून 1946 को तिरिल आश्रम में आदिमजाति सेवामण्डल की स्थापना हुई। 5 दिसम्बर 1947 को इसकी रजिस्ट्री की गई और थी नारायणजी, श्री भैयाराम मुण्डा तथा श्री रामरक्ष उपाध्याय 'ब्रह्मचारी' इसके आजीवन सदस्य बनाये गये। किन्तु श्री ब्रह्मचारी जी शीघ्र मण्डल से हट गये। आज श्री नारायणजी, श्री भइया राम मुण्डा, श्री राम दास साहू, श्री प्यारे केरकेटा और श्री मानकी सिहराज सिंह, ये पाँच व्यक्ति मण्डल के आजीवन सदस्य हैं। पूज्य राजेन्द्र बाबू के प्रयत्न से इस काम के लिए 50000 रु० का अनुदान मिला और 30 कार्यकर्ताओं को लेकर छोटानागपुर के पांच जिलों में मण्डल का कार्य आरम्भ हुआ। इस बार शिक्षा प्रसार पर अधिक जोर दिया गया और नये कार्यक्रम के अनुसार छोटानागपुर के पांच जिलों में 30 पाठशालायें खोली गई। इन सभी स्थानों में औषधि वितरण का भी प्रबन्ध किया गया। इसी समय सारे देश में कांग्रेस का मंत्रिमण्डल बना तथा श्री कृष्णबल्लभ सहाय के जिम्मे विहार का कल्याण विभाग आया। उन्होंने पूज्य ठक्कर बापा से आदिमजातियों के कल्याण के लिए एक योजना बना देने की विनती की। तदनुसार श्री ठक्कर बापा ने योजना बनाय और उसे जनवरी 1948 से चालू किया गया। आज भी यह योजना ठक्कर योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी आदिमजाति सेवामण्डल को दी गई। आज तक ठक्कर योजना मण्डल द्वारा ही कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के लिए सारा खर्च बिहार सरकार देती है। इस प्रकार 1947–48 सेवामण्डल का कार्य दो भागों में विभक्त हो गया। प्रथम तो ठक्कर योजना को कार्यान्वित करना और दूसरे मण्डल के अबतक के खादी उत्पादन गृह उद्योग, औषधि वितरण, ग्रामसफाई आदि

कामों को चालू रखना तथा ग्राम पंचायत, सहयोग समिति आदि की स्थापना करना।[6]

ठक्कर योजना–ठक्कर योजना में शिक्षाप्रसार की ही प्रधानता है। आदिम जातियों की आज की अवस्था देखकर लोग अनुमान नहीं कर सकते है कि उस समय (1947–48) में शिक्षा प्रसार पर ही ठक्कर बापा ने क्यों जोर दिया। बात यह है कि उस समय शिक्षा की दृष्टि से अधिकांशआदिमजातियाँ अत्यन्त पिछड़ी थीं। पाठशालाओं की व्यवस्था एकांगी दृष्टि से की गई थी। उनकी स्थापना उन्हीं स्थानों पर हुई थी जहाँ आदिवासी ईसाई हो गये थे। जो ईसाई नहीं हुए थे उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी प्राइमरी शिक्षा के लिए मिशनों को ही लाखों रुपये देकर संतोष कर लेती थी। अन्य जिलों की तरह यहाँ जिला बोर्ड की ओर से प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध नहीं था। अतः शिक्षा की इच्छा रखने वाले आदिम जाति के अधिकांश लोग बरबस ईसाई हो जाते थे। जो नहीं होते थे उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना भयंकर समस्या थी। इसी कारण अधिकांश आदिवासी अशिक्षित ही थे।[7] ठक्कर बापा से यह दशा नहीं देखी गई। उन्होंने देखा कि आदिम जाति के लोग शिक्षित होना चाहते हैं। पर व्यवस्था न रहने के कारण उन्हें नाना प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं अथवा अशिक्षित ही रह जाना पड़ता है। आदिम जातियों के निमित्त शिक्षा सुलभ करने के लिए ही ठक्कर योजना बनी। गाँवों में प्रथम वर्ष 111 प्राथमिक पाठशालाये खोली गईं जहाँ विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को स्लेट, पेंसिल, किताब, कपड़े भी दिये गये। बच्चों को मिठाइयाँ भी दी गई। पाठशालाओं की संख्या धीरे–धीरे बढ़ाई गई और अब 1954–55 में इनकी संख्या 288 है। इनमें अब 247 प्राथमिक पाठशालायें, 32 माध्यमिक तथा प्रस्तावित माध्यमिक पाठशालायें एवं उच्च विद्यालय हैं। प्राथमिक पाठशालाओं में 11381 विद्यार्थी, माध्यमिक और प्रस्तावित माध्यमिक पाठशालाओं में 3128 और उच्च एवं प्रस्तावित उच्च विद्यालयों में 802 विद्यार्थी हैं जिनमें लड़कियों की संख्या प्राथमिक पाठशालाओं में 2067, माध्य– मिक पाठशालाओं में 243 और उच्च विद्यालयों में 180 है। इन पाठशालाओं में 562 शिक्षक तथा 36 शिक्षिकायें काम करती हैं। का निर्माण हुआ। यहाँ अभी 126 छात्रायें छात्रावास में ही रहती हैं और शिक्षा पाती हैं। इनमें 88 छात्रायें अनुसूचित आदिम जाति की तथा 30 हरिजन हैं। विद्यालय में विशेष ध्यान इस ओर है कि छात्राओं का जीवन ऐसा हो जिससे वे शिक्षा पाकर फिर ग्रामीण गार्हस्थ्य–जीवन में सर्वोपयोगी सिद्ध हों। इस विद्यालय द्वारा आदिम जातियों के जीवन में सुन्दर परिवर्तन आ रहा है और इसीकारण लोग यहाँ लड़कियाँ भेजना चाहते हैं। पर स्थानाभाव के कारण अधिक लड़कियाँ नहीं रखी जा सकती हैं । इस बार पचास लड़कियों के प्रार्थनापत्र स्थानाभाव के कारण अस्वीकार कर देने पड़े। इस विद्यालय में कुल 164 लड़कियाँ शिक्षा पाती हैं। विद्यालय में बालिकायें खेती इतने अच्छे ढंग से करती हैं कि इस बार राँची सदर सबडिवीजन में कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में धान पैदा करने में सर्व– प्रथम निकलीं और इन्हें 100) पुरस्कार मिला। धान एक एकड़ में 77 मन से कुछ अधिक पैदा हुआ। बैंगन की खेती में भी सर्वप्रथम हुईं और इसके लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला । फोरी का विद्यालय पुराना विद्यालय है । दस वर्षों से यहाँ माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। यहाँ विद्यालय के साथ 3 एकड़ जमीन है जहाँ विद्यार्थियों को अच्छी खेती करने की शिक्षा दी जा रही है। खेती के प्रयोग से स्थानीय ग्रामों के लोग भी लाभ उठा रहे हैं। यहाँ कपास की खेती पर प्रयोग किया जा रहा है और चेष्टा की जा रही है कि कपास की खेती का विकास हो तथा छोटानागपुर में खादी उत्पादन का गृह उद्योग विद्यार्थियों द्वारा जीवित किया जा सके।

छात्रावास ठक्कर बापा ने यह भी देखा कि आदिमजाति के विद्यार्थियों को उनकी योजना के अनुसार प्राथमिक शिक्षा तो उपलब्ध होगी पर उच्चशिक्षा के लिए कुछ और करना होगा । अतः उन्होंने छात्रावास की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार राँची में कालेज के छात्रों के लिए तथा अन्य स्थानों में उच्च विद्यालयों और माध्यमिक पाठ– शालाओं के छात्रों के लिए छात्रावास खोले गये जहाँ विद्यार्थियों को निःशुल्क स्थान दिया गया, उन्हें फर्नीचर दिये गये, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति माह 2रू. ० 8 आना सब्जी–वृत्ति तवा रोशनी–वृत्ति दी गई और कुल 125 विद्यार्थी को 15 रु० प्रति माह निःशुल्क भोजन दिया गया। प्रत्येक छात्रावास में एक अभिभावक, एक पिउन और प्रत्येक पचीस विद्यार्थियों पर एक रसोइया रखे गये । फिर विद्यार्थियों के लिए औषधि का भी प्रबंध छात्रावास की ओर से ही किया गया 1947–48 में उपर्युक्त सुविधाओं से युक्त 12 छात्रावास खोले गये। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई गई और अब 1954–55 में इनकी संख्या 31 है। इन छात्रावासों में अब 1223 छात्र तथा 140 छात्रायें हैं। जिनमें 336 को निःशुल्क भोजन तथा 1001 को सब्जी– वृत्ति और रोशनी –वृत्ति दी जाती है । सब्जी–वृत्ति 1948–49 साल से 1951–52 साल तक दो रुपये प्रति माह की दर से दी गई पर 1952–53 से यह घटाकर 1 रु० प्रति माह ही कर दी गई। इसी दर से 1954–55 में विद्यार्थियों को सब्जी–वृत्ति दी गई। रोशनी– वृत्ति प्रत्येक आदिम जाति के छात्र को आठ आना प्रति माह दी जाती है और वही इस बार भी दी गई है।12 छात्रावासों में सुन्दर पक्के मकान सरकार की ओर से बनाये गये हैं। जिनमें से पाँच में सौ–सौ पाँच में पचास–पचास और दो में पचीस–पचीस विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है। शेष छात्रावासों के मकान कच्चे हैं और इनमें लातेहार छात्रावास एवं कस्तूरबा बालिका विद्यालय को छोड़ शेष में 25 से कम विद्यार्थी रहते हैं। लातेहार छात्रावास में 62 लड़के और कस्तूरबा विद्यालय में 126 लड़कियाँ रहती हैं ।1954–55 तक मण्डल के छात्रावासों से तथा विद्यालयों से 113 लड़के प्रवेशिका, 43 लड़के तथा एक लड़की आई० ए०, 12 लड़के आई० एस–सी०, 20 लड़के और एक लड़की बी० ए०, तीन लड़के बी० एस–सी० एवं एक लड़का और एक लड़की एम० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके हैं। इनमें 1954–55 में 73 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ।छात्रावासों और पाठशालाओं के अतिरिक्त ठक्कर योजना में खादी उत्पादन का भी स्थान है। खादी उत्पादन के काम से ही सेवा– केन्द्र और आदिम जाति सेवामण्डल का काम आरम्भ हुआ था । ठक्कर बापा ने इस काम को प्रोत्साहन देने की योजना रखी थी पर इस पर कोई विशेष जोर न था । प्रथम वर्ष खादी कार्य के प्रसार के लिए 5000 रु० दिया गया और उसके बाद प्रति वर्ष आदिवासियों को चर्खा आदि देने के लिए 500 रु० दिया जाता है। खादी का काम विशेषतः आदिमजाति सेवामण्डल द्वारा ही चलाया जाता है । इसका विवरण अन्यत्र है ।ठक्कर योजना को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षकों को छोड़कर आदिमजाति सेवामण्डल के मंत्री को 34 सहयोगी दिये गये हैं जिनमें दफ्तर में काम करने वाले, 6 पाठशालाओं और छात्रावासों के निरीक्षक तथा 20 छात्रावासों के अभिभावक हैं। ठक्कर योजना के विस्तार का विवरण ऊपर दिया जा चुका है। इसके लिए कुल 6 निरीक्षक रक्खे गये हैं। अनुभव से ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं से काम चलने वाला नहीं है। गाँव वालों को उत्साहित कर पाठशाला खोलना, मकान बनवाना, विद्यार्थियों को जुटाना, फिर शिक्षक लाना और बार बार काम का निरीक्षण करना यह सारा काम इन्हीं छः निरीक्षकों से सम्भव नहीं था। अतः आदिमजाति सेवामण्डल के अन्य सारे कार्यकर्त्ता स्वयंसेवकों की हैसियत से ठक्कर योजना की सफलता के लिए ही लगा दिये गये। इस प्रकार योजना के संचालन का भार आदिमजाति सेवामण्डल के स्वयंसेवकों पर ही पड़ा। यह योजना आजतक सफलता के साथ संचालित हुई है यह कहने में संकोच नहीं है। इस योजना के कारण लोग आगे बढ़े हैं, जैसा आँकड़ों से स्पष्ट है ।एक कठिनाई ठक्कर योजना का काम विस्तृत है। 268 पाठशालायें और 31 छात्रावास चल रहे हैं, जिनमें जीवन है, जो नित्य नये पग उठाते है। भला जहाँ 16674 विद्यार्थी और 628 शिक्षक काम करते हाँ वहाँ प्रगति क्यों न हो। प्रगति होना स्वाभाविक है। यह भी कहा जा चुका है कि इसका सारा खर्च सरकार देती है। पाठशालाओं में प्रतिवर्ष प्रगति होती है, उनमें

आवश्यकतानुसार नये वर्ग खोले जाते हैं। इस प्रकार पाठशालाओं का निरन्तर विकास हो रहा है। पर सरकार को इस विकास के लिए खर्च की जिम्मेवारी लेने में बहुत समय लगता है और इससे काम में क्षति होती है। ठक्कर योजना तो सात साल पहले निम्न श्रेणी की प्राथमिक पाठशालाओं से ही प्रारंभ हुई थी, धीरे–धीरे उनकी संख्या 288 हुई जिनमें अब 6 उच्च और प्रस्तावित उच्च विद्यालय, 32 माध्यमिक तथा प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालय और 247 प्राथमिक विद्यालय है। इनमें 1954–55 में सरकार की ओर से केवल 4 उच्च विद्यालयों, 12 माध्यमिक विद्यालयों और 244 प्राथमिक विद्यालयों का ही खर्च मिला। इस प्रकार मण्डल के कार्यकर्त्ताओं को 5 उच्च विद्यालयों, 20 माध्यमिक विद्यालयों और 3 प्राथमिक विद्यालयों को चलाने के लिए सरकार से खर्च नहीं मिला। इनकी स्वीकृति के लिए लिखा–पढ़ी चल रही है पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है । 31 मार्च 1955 को हिसाब करने पर पता चला कि इन पाठशालाओं के कारण मण्डल पर 20685 रु० 8 आना की देन है।

आश्रमयोजना 1953 के अन्त तक मण्डल के कार्यकर्त्ताओं की शक्ति अधिक से अधिक ठक्कर योजना को कार्यान्वित करने में ही लगती थी। फिर भी खादी उत्पादन, दवा वितरण तथा ग्राम संगठन का काम सतत चालू रहा। 1953 के नवम्बर में पूज्य राजेन्द्र बाबू के सभापतित्व में लोहरदगा में आदिमजाति सेवामण्डल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में ठक्कर योजना तथा मण्डल के कामों का लेखा जोखा लिया गया और देखा गया कि ठक्कर योजना का काम अब सकाळ संगठित हो गया है, शिक्षा संस्थायें प्रस्फुटित हो गई हैं, साथ ही शिक्षा का काम अब सरकार स्वयं व्यापक रूप से कर रही है। अतः मण्डल के कार्यकर्त्ताओं को अपना समय आदिम जातिओं के सर्वांगीन विकास में लगाना चाहिए । ठक्कर योजना के द्वारा बच्चों का विकास हुआ, अब मण्डल की योजना बनाकर बड़े बूढ़ों के विकास का प्रयत्न करना चाहिए ।इसी आधार पर आश्रम की योजना बनी। निश्चय किया गया कि सारे छोटानागपुर में 20 आश्रमों की स्थापना की जाय जहाँ मण्डल के अनुभवी कार्यकर्त्ता रक्खे जायं जो गाँवों से गहरा संबंध स्थापित करें और अपने व्यक्तिगत सम्पर्क से गाँव वालों में स्फूर्ति लाकर उनकी दशा में सुधार लाने का प्रयत्न करें। कल्पना है कि आश्रम रचनात्मक कार्य का केन्द्र हो और इसके द्वारा इसके पड़ोसी 20 गाँवों के पूर्ण विकास का प्रयत्न किया जाय ।काम का आधार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्य तथा स्वावलम्बी गांव हो। इन गांवों मेंः–1 ग्रामोद्योग का विकास हो,2 ग्राम में सफाई हो,3 गाँव का 14 वर्ष तक का प्रत्येक बालक शिक्षालयों में जाय,4 प्रत्येक प्रौढ आदमी साक्षर हो जाय,5 गाँव की खेती विकसित ढंग से हो, 6 गाँव के झगड़े गाँव में ही निपट जायें.7 गाँव में रास्ते बन जायें,8 सरकार की ग्रामनिर्माण की योजनाओं का इन गाँव वालों को पूर्ण लाभ मिले,9 शराब पीना बन्द हो जाय,10. गाँव वाले कपड़े में स्वावलम्बी हो जायें, 11 रोगियों को साधारण दवा उपलब्ध होइन ग्यारह कार्यक्रमों को लेकर आश्रमों की स्थापना 1954 में निम्न लिखित स्थानों में की गई, 1 निवारण आश्रम राँची 2 सोसई आश्रम, पो० माण्डर, राँची 3 गुमला आश्रम, पो० गुमला, राँची 4 पालकोट आश्रम, पो० पालकोट, रांची 5 फोरी आश्रम, पो० फोरी, रांची 6 लड़वा आश्रम, पो० कोलेबीरा, रांची 7 ठेठर टाँगर आश्रम, पो० ठेठइ टांगर, रांची 8 अनिगाड़ा आश्रम, पो० खूंटी, राँची 9 जोजोहातु आश्रम, पो० खूंटी, राँची 10 बेड़ों आश्रम, पो० बेड़ो, राँची 11 मोरांगी आश्रम, पो० हजारीबाग 12 रामगढ़ आश्रम, पो० रामगढ़, हजारीबाग 13 भुरकुण्डा आश्रम, पो० माण्डू, हजारीबाग 14 लातेहार आश्रम, पो० लातेहार, पलामू 15 महुआटाँड़ आश्रम, पो महुआटांड़, पलामू 16 खूंटपानी आश्रम, पो० चाइबासा, सिंहभूम 17 नवागाँव आश्रम, पो० मझगाँव, सिंहभूम 18 डोमन कियारी आश्रम, पो० पंचकोटराज, मानभूम 19 धनवाद आश्रम, पो० धनवाद, धनवाद यह प्रारम्भिक साल था। चार–पाँच माह तो ठक्कर योजना से हाथ हटाने में लग गया, पर कठिन परिश्रम के बाद आश्रमों की स्थापना हो गई और उपर्युक्त दृष्टि से काम चल रहा है। अभी तक धनाभाव के कारण आश्रमों के अपने मकान नहीं बन सके हैं। अतः काम गाँवों में दूसरों के घरों में रहकर ही किया जाता है। पर शीघ्र ही आश्रमों के अपने मकान बन जायेंगे और वे महात्मागांधी के विचारों द्वारा संचालित ग्राम में रचनात्मक कार्य के सुन्दर तथा सुदृढ़ केन्द्र बनेंगे। आश्रमों में गांधी घरों की योजना कार्यान्वित करने का विचार है । उमीद है इससे गाँव वाले सुखी होंगे और उनका विकास होगा। आश्रमों के संगठन के अतिरिक्त मण्डल द्वारा खादी उत्पादन, औषधि वितरण, कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण, सहयोग समिति तथा असुरों की सेवा के कार्य भी चलते रहे।

खादी उत्पादन यह तो कहा जा चुका है कि आदिमजाति सेवामण्डल का कार्य खादी उत्पादन के कार्य से प्रारम्भ हुआ। पर 1947–48 में ठक्कर योजना में शिक्षाप्रसार को ही प्रधानता दी गई, खादी उत्पादन पर जोर न रहा । पर उत्पादन का जो काम पहले से चलता था वह चलता रहा। आरम्भ तो केवल एक गाँव फोरी से हुआ था पर 1954 में विस्तृत होकर उत्पादन का कार्य 20 गाँवों में होने लगा। 1954–55 में 18342 रु० 8 आ० की खादी उत्पन्न की गई और 25656 रु० 15 आ० 3 पा० की खादी बेची गई। 275 कत्तिनों को 8226 रु० 14 आ० 6 पा० की आमदनी सूत से हुई। 20 बुनकर कपड़ा बुनकर 3656 रु० 4 आ० 6 पा० कमा सके। उत्पादन का काम अभी केवल गुमला क्षेत्र में ही सीमित है। खादी के काम में किस प्रकार प्रगति हुई है उसका आंकड़ा नीचे दिया जाता है। 1940–47 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1942 में सेवाकेन्द्र के कार्यकर्त्ताओं को जेल में भेजने के अलावा कागज भी बरबाद कर दिए गये थे। खादी उत्पादन के लिए हमें प्रति वर्ष रूई बाहर से मँगवानी पड़ती है, इससे काम में अड़चन आती है। इसी कारण इस सालरूई उत्पादन की योजना भी बनाई गई है। फोरी में मण्डल की 30 एकड़ जमीन है। इसी जमीन में रुई उत्पादन का प्रबंध इस वर्ष किया गया है। प्रथम वर्ष है मन ही कपास पैदा की जा सकी। खादी के अतिरिक्त इस वर्ष मण्डल का ग्रामोद्योग विभाग भी संगठित किया गया जिसमें लकड़ी, लोहे और तेल पेरने का काम प्रारंभ हुआ है। ग्रामोद्योग विभाग में सालभर में 1778 रु० 13 आ० का उत्पादन हुआ, 2454 ० 8 आ० की बिक्री हुई और मण्डल को इस विभाग से 856 रु० 11 आ० लाभ हुआ। इस विभाग के विस्तार के लिये कार्यकर्त्ता बाहर प्रशिक्षण के लिये भेजे गये हैं। उमीद है कि 1655 में कागज बनाने का काम खुलेगा तथा घानी का काम भी संगठित होगा और सुचारु रूप से चलेगा ।सोसई में मण्डल के स्वयं सूत कातने वालों के लिये अपना बुनाई विभाग भी है जिसमें 111 गज कपड़ा बुना गया।[8]

औषधि वितरण मण्डल का यह भी महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है और आरम्भ से ही यह कार्य चल रहा है। 1954 में मण्डल के 6 औषधि वितरण केन्द्र थे जिनमें 17187 रोगियों को दवा दी गई। 1954 में मण्डल के औषधि वितरण कार्य में कुछ ढिलाई थी। वितरण केन्द्रों से बार बार दवा की माँग होती थी पर रुपये के अभाव में समय पर दवा नहीं पहुँचायी जा सकी। आदिमजाति सेवामण्डल को दवा वितरण के लिये सरकार प्रति वर्ष कुछ अनुदान देती थी। नीचे अनुदान के आंकड़े दिये गये हैं। सरकारी अनुदान में मण्डल भी अपना रुपया मिलाकर औषधि वितरण का काम करता था। 1954–55 में सरकार ने कोई सहायता नहीं दी और इसकी सूचना भी मण्डल को नहीं दी गई कि अब सरकार सहायता नहीं देगी। अतः यह कार्य अस्त व्यस्त ही रहा। फिर भी 6 केन्द्र चलाये गये और उनपर सालभर में 4151 रु० 11 आ० खर्च हुआ। अब औषधि वितरण का कार्य मण्डल के निजी कोष से चलाया जाता है। आदिम जातियों के लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। आदिम जातियों के गाँव घने जंगलों में बसे हैं जहाँ मलेरिया का भयंकर प्रकोप होता है। देखा गया है कि बरसात में कुनैन की गोलियों के अभाव में सैकड़ों आदमी काल के ग्रास होते हैं। सरकारकी ओर से औषधि वितरण के कार्य का प्रसार हो रहा है। पर अभी तक सरकारी अस्पताल प्रत्येक थाने में एक–एक ही हो सके हैं। इससे देहातों में रहनेवालों का काम

नहीं चलता है । उनकी दुर्दशा कुनैन की गोलियों के अभाव में देखते ही बनती है है। अतः ओषधि वितरण का काम जारी रखा गया है और अब तो प्रत्येक आश्रम में कुछ दबा रखने का विचार है।[9]

कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण आदिमजाति सेवामण्डल की ओर से कार्यकत्ताओ के प्रशिक्षण का भी प्रबंध है। ठवकर योजना द्वारा संचालित पाठशालाओं और मण्डल के आश्रमों में 686 कार्यकर्त्ता है। आरम्भ में उन्हें गाँव से उठाकर लाया गया था और मण्डल के काम में लगा दिया गया था। अब इनमें से जो टिक गये, जिनका मन काम में लग गया है ऐसे ठोस कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। फोरी आश्रम में 1952 में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया था जहाँ कार्यकर्ताओं को एक साल रखकर शिक्षा दी जाती थी। पीछे 1953 ई० में इसे सोसई आश्रम में लाया गया जहाँ विशेषतः वेसिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जाती है। मण्डल के अन्य कार्यों पर भी यहाँ प्रकाश डाला जाता है, विशेषतः रचनात्मक कार्यो पर जो मण्डल द्वारा चलाये जाते हैं। सोसई आश्रम में खादी उत्पादन, दवा वितरण, कृषि, ग्रामोद्योग और ग्राम संगठन के कार्य होते हैं। प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षार्थियों को इन सभी कामों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। इस केन्द्रमें 1954 में 26 कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए भरती किये गये। इनके प्रशिक्षण में दो शिक्षकों पर 2700 रु० और 26 प्रशिक्षार्थियों पर 6381 रु० 2 आ० 6 पा० खर्च हुआ। मण्डल के काम में प्रशिक्षण– शाला का बहुत महत्त्व है। यहीं कार्यकर्त्ताओं को परिश्रमी, अनुभवी, ज्ञानवान् और सच्चरित्र बनाया जाता है। रचनात्मक काम कार्य– कर्त्ताओं की क्षमता पर निर्भर करता है। कार्यकर्त्ता जितने ठोस होंगे, कल्याण कार्य उतना ही लाभप्रद होगा। सोसई प्रशिक्षण केन्द्र ही एक ऐसा स्थान है जहाँ कार्यकर्त्ताओं को महात्मा गांधी द्वारा बतलाये। गये रचनात्मक कार्य का व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान मिलता है। इस प्रशिक्षण केन्द्र के कारण मण्डल के काम में प्रगति आई है और वह ठोस हुआ है। मण्डल इस अनुदान के लिए गांधी स्मारक निधि का चिर बाभारी रहेगा। प्रशिक्षण केन्द्र के 13 कार्यकर्त्ताओं को अगस्त माह में दरभंगा जिला के रोसड़ा थाना में बाइपीड़ितों के सहायता भी नारायणजी मंत्री, आदिमजाति सेवामण्डल के साथ जाना पड़ा था। बाढ़ क्षेत्र में कार्यकर्त्ता दो माह तक रहे और वहाँ उन लोगों ने अन्न–वस्त्र और औषधि वितरण का काम बड़ी खूबी से अपनी जान को जोखिम में डालकर भी किया था। इस कार्य से सेवा का तो अवसर मिला ही साथ ही कार्यकर्त्ताओं का अपना ज्ञान भी बढ़ा ।मण्डल द्वारा प्रशिक्षित 48 शिक्षक सरकारी परीक्षा में सम्मिलित थे जिनमें 41 उत्तीर्ण हुए और अब ये सरकार द्वारा भी जुनियर हुए बेसिक ट्रेण्ड समझे जायेंगे। जो लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

असुरों के बीच कार्य छोटानागपुर की आदिम जातियों में रांची के असुर तथा सिंहभूम के खड़िया अत्यन्त पिछड़े हैं और वे रहते भी हैं दूर पहाड़ों पर, घने जंगलों में जहाँ बिहार की सीमा है। अभी तक मण्डल की पहुँच इनके बीच नहीं हुई थी। 1954 में प्रथम केन्द्र नेतरहाट के पास सखुआपानी गाँव में खोला गया। अभी वहाँ दो पाठशाला तथा खादी उत्पादनकेन्द्र चलाए जा रहे हैं। खादी उत्पादन कार्य में तो असुर बहुत रस नहीं ले रहे हैं पर शिक्षण कार्य में काफी प्रगति है । 83 असुर विद्यार्थी अभी शिक्षा पा रहे हैं। इनमें औषधि वितरण का भी कार्य चल रहा रहा है। अनुभव हो रहा है कि कृषि में सुधार लाकर ही इनकी उन्नति की जा सकती है और उसी ओर ध्यान दिया जा रहा है। आलू के 15 मन बीज तथा खाद इन्हें दिये गये हैं जिससे 86 मन 10 सेर आलू पैदा हुआ है । असुरों के लिये यह अनोखी चीज है।[10]

सहयोग समिति मण्डल की दो सहयोग समितियाँ चलायी जा रही हैं। इस बार माण्डर में जंगलों के उपयोग के लिए एक नई सहयोग समिति संगठित की गई है। इसकी रजिष्ट्री करा ली गई है पर बिहार सरकार ने अभी तक इसे मान्यता नहीं दी है। इसके लिए लिखा पढ़ी चल रही है । उमीद है शीघ्र ही मान्यता मिल जायगी ।कार्यकर्त्ता सहयोग समिति के 440 सदस्य हैं । 8337 रु० की पूँजी है । 7656 रु० 15 आ० कार्यकर्त्ताओं को उधार दिये गये हैं तथा 2427 रु० उनसे प्राप्त हुए ।हरिजन सहयोग समिति के 47 सदस्य है। उन्हें इस बार 624 रुपये 8 आने उधार दिये गये।[11]

अभी तक मण्डल का कार्य आदिम जातियों के बीच ही सीमित था पर 1953 में मण्डल ने हरिजनों के बीच भी अपना कार्य प्रारम्भकिया है। उसमें शिक्षण कार्य की ही प्रधानता है। अभी राँची में तीन प्राथमिक पाठशालायें में चलाई जा रही हैं जिनमें 130 हरिजन विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। पर इन पाठशालाओं में सवर्ण छात्रों की संख्या भी 62 है। छूआछूत मिटाने की दृष्टि से ही दोनों वर्णों के छात्र रखे जाते हैं । इनके अतिरिक्त गाँवों में प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले 400 विद्यार्थियों को मासिक आठ आने प्रति विद्यार्थी की दर से 2400 रु० का अनुदान दिया गया। 50 हरिजन विद्यार्थियों को छात्रावासों में निःशुल्क भोजन तथा सब्जी और रोशनी की वृत्ति दी गई ।लोहरदगा कस्तूरबा बालिका विद्यालय में 30 हरिजन छात्रायें शिक्षा पा रही हैं जिन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाता है। इन सब कामों में 16332 रु० 1 ० 6 पा० 1954–55 में खर्च हुआ है।[12]

ग्राम–निर्माण पाँच वर्षो से ग्राम–निर्माण पत्र 1951 से मासिक पत्रिका निकाला जा रहा है। 1952 से इसे सप्ताहिक का रूप दिया गया। पत्रिका के संपादक श्री नारायण जी सह–संपादक श्री कृष्ण गोविंद सहाय हैं। 1954 में इसके 46 अंक निकले। मण्डल को इसके लिए कोई आर्थिक बोझ वहन नहीं करना पड़ता है। इसके 1100 ग्राहक हैं। इसका संचालन मण्डल के कार्यकर्त्ता ही करते हैं। इसी पत्र द्वारा मण्डल का कार्यक्रम लोगों के पास पहुँचाया जाता है। देहात में फैले सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं को इसके द्वारा मार्ग दर्शन कराया जाता है तथा ग्रामीणों के पास राष्ट्र– निर्माण के समाचार पहुँचाये जाते हैं । पत्र चलाने का असल ध्येय यह है कि ग्रामीणों तथा कार्यकर्ताओं के पास देशनिर्माण की योजनायें पहुँचाई जायें और उन्हें निर्माण कार्य में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाय।[13]

भूदान कार्य इस बार सिंहभूम जिले तथा रांची जिले के खूंटी सीजन के भूदान कार्य को पूरी जिम्मेवारी के कार्यकर्ताओं के जिम्मे ही दी गई। सिंहभूम के काम में मण्डल के आजीवन सदस्य श्री रामदास साहु लगे तथा खूंटी के काम का जिम्मा श्री भइयाराम मुण्डा ने लिया। भूदान का काम 1954 साल के अन्त में मण्डल के कार्यकर्ताओं के जिम्मे आया। अतः इस साल इस काम में काफी प्रगति नहीं हुई।

अतिथि आदरणीय डा० श्रीकृष्ण सिंह मण्डल के उप–प्रधान हैं। मण्डल पर आपकी विशेष कृपा रहती है। जब कभी आपको समय मिलता है. मण्डल के काम को देखने में आप रुचि लेते हैं। 1954 में आपने यदुवंश छात्रावास, राँची का निरीक्षण किया और उसकी उन्नति के लिए आपने अनेक सिफारिश की है।माननीय श्री जगजीवन राम ने निवारण आश्रम तथा हरिजन उद्योगशाला का निरीक्षण किया। श्री भोलानाथ शास्त्री सोसई आश्रम में पधारे और घण्टों आश्रम के कोने–कोने में घूमकर उन्होंनेकार्यकर्ताओं को उत्साहित किया भारत सरकार के कमिश्नर श्री लक्ष्मीदास श्री कान्त तो नवम्बर माह में चार दिनों तक मण्डल के कार्यों का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने निवारण आश्रम, हरिजन कन्या पाठशाला डोरण्डा, बिड़ला छात्रावास रांची, यदुवंश आदिवासी कालेज छात्रावास राँची, सोसई आश्रम, कस्तूरबा बालिका विद्यालय लोहरदगा, प्रस्तावित उच्च विद्यालय घाघरा, माध्यमिक विद्यालय विशुनपुर, असुर क्षेत्र, लातेहार आश्रम, तथा महुआटाड़ आश्रम का निरीक्षण किया और कार्य–विस्तार के लिए बिहार सरकार को कई उपयोगी सुझाव दिये। श्री श्रीकान्त जी की इस यात्रा से मण्डल के कार्यकर्त्ता बड़े उत्साहित हुए। भारत सरकार के नृतत्त्व विभाग के डाइरेक्टर डा० श्री एन० दत्त मजुमदार आइ० ए० एस० भी दो दिनों तक मण्डल के काम का निरीक्षण करते रहे और मण्डल के प्रशंसक बनकर ही कलकत्ते वापस गये। बिहार सरकार के कल्याण

विभाग के सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद आइ० ए० एस० ने भी मण्डल के कामों का निरीक्षण किया और वे भी कार्य से प्रसन्न होकर ही गये ।माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय तो मण्डल के कर्णधार हैं। वे मण्डल के संचालन में रस लेते हैं। श्री ठक्कर बापा की मृत्यु के उपरान्त के आपने ही अपना हाथ बढ़ाकर मण्डल को बल दिया है। 1954 में एक माह तक लगातार आपने राँची जिले की यात्रा की और गुमला, सिमडेगा, बानो, कुर्डींग, चैनपुर, रायडीह, बुरमू, और खलारी में मण्डल के कार्यकर्त्ताओं से मिले। आपके सम्पर्क में आने से तथा आपकी सहृदयता से मण्डल के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हुए। मण्डल के मंत्री, नारायण जी पूरी यात्रा में साथ थे।

1975 में सेवा मंडल के सभी शैक्षणिक संस्थानों को राज्य सरकार ने अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया और इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाले अनुदान बंद कर दिए। इस प्रकार, शिक्षा प्रदान करने से संबंधित सेवा मंडल की गतिविधियाँ कुछ समय के लिए समाप्त हो गईं। हालाँकि, सेवा मंडल की अन्य गतिविधियाँ, जैसे खादी उत्पादन और उसकी बिक्री, लड़कियों के लिए सिलाई कक्षा, निराश्रितों के लिए घर आदि जारी रहीं।[14] अल्पावास गृहः भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संगठन, 1992 से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की एक योजना, अल्पावास गृह चलाता है। यह गृह उन असहाय महिलाओं के लिए है जो सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक तनाव या कलह, यौन शोषण का शिकार होती हैं, जिसके कारण महिलाओं को परिवार या समाज में पुनः समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। होम उन लोगों को भी सेवाएं प्रदान करता है जो पारिवारिक समस्याओं, मानसिक/शारीरिक भाग्य के कारण अपने घरों से भाग जाते हैं और परिवार और समाज में उनके पुनर्वास और पुनः समायोजन के लिए आश्रय और परामर्श चाहते हैं। 15 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी जरूरतमंद महिलाओं को निवारण आश्रम, रांची स्थित होम में रखा जाता है और उन्हें शिल्प के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। बेसहारा बच्चों के लिए घर–निराश्रितों के लिए घरः संगठन 1975 से निवारण आश्रम, निवारणपुर, रांची में निराश्रित लड़कों के लिए एक घर भी चला रहा है। निराश्रित बच्चों को आश्रम में रखा जाता है और उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न मध्य और उच्च विद्यालयों में नामांकित करके शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन बालकों को शिल्पकला का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। कार्यक्रम का वित्त पोषण कल्याण विभाग, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना से अब तक 1450 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। कई बच्चे स्व–रोजगार/सरकारी रोजगार प्राप्त कर गये। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रः यह कार्यक्रम 1983 से खूंटी–कर्रा रोड पर डुमरदग्गा, खूंटी में चलाया जाता है। कार्यक्रम को झारखंड सरकार के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। प्रशिक्षुओं को समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रायोजित किया जाता है। क्रेच सेंटरः यह कार्यक्रम निवारण आश्रम, रांची (निवारणपुर, रांची) में चलाया जाता है। कार्यक्रम को 1975 से भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दिल्ली द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। एक से पांच वर्ष की आयु के बच्चे यहां अच्छी आदतें और व्यवहार सीखते हैं। वे खेलकर भी सीखते हैं, एल.ई. संख्याओं की गिनती, रंग मिलान, गायन और नृत्य का आनंद लें। बच्चे दाई/दाई और अन्य दिहाड़ी मजदूर महिलाओं (मां) के हैं। ये महिलाएं रोजी–रोटी कमाने के लिए सुबह–सुबह अपने कार्यस्थल पर निकल जाती हैं।[15]

संदर्भ सूची

1) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1963 64 पृ 01
2) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1954 55 पृष्ठ 3
3) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1954 55 पृष्ठ 6
4) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1964–65,65–66 पृ.2।
5) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1963 64 पृष्ठ 3
6) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1954 55 पृष्ठ 8
7) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1963 64पृ..05
8) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1953–54पृ.17
9) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1953 54 पृ.11.
10) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1955 56 पृष्ठ 2.
11) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1953 54 पृ.14
12) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1955 56 पृष्ठ 11
13) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 1955 56 पृष्ठ 12
14) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 2004–5 पृष्ठ 4
15) आदिम जाति सेवा मंडल वार्षिक प्रतिवेदन 2004–5 पृष्ठ 8

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

मुगलकालीन भारत में फतेहपुर सीकरी शहर की विशेषताएं

संजय कुमार
शोधार्थी, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची
Corresponding Author- संजय कुमार
Email: sanjaykumar012345@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242358

सारांश :

मुगलकलीन भारत में फतेहपुर सीकरी राजधानी शहर था। 1571 ई. में सम्राट अकबर ने इस शहर को राजधानी बनाया था। इस स्थान में शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्व भी था। जिसके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस शहर की स्थापना बादशाह ने अपने पुत्र सलीम के जन्म के प्रतीक के रूप में किया था। यह शहर आगरा शहर से पश्चिम और दक्षिण में लगभग 12 कोस की दूरी पर स्थित था। मगलकालीन इस राजधानी शहर में महलों, मस्जिदों, स्कूलों, खानकाहों, स्नानागारों और अन्य इमारतों को बनाया गया था। इनकी सुन्दरता ही समकालीन चर्चा का विषय बन गया। फादर मांसरेट ने इसको बनते देखा था। वह लिखता है कि बतायी हुई सामग्री पूरी तरह तैयार करके ही उस स्थान पर लायी जाती थी जहाँ उसे लगाया जाना होता था। इस प्रकार 14–15 वर्षों में ही कई सुन्दर और शानदार इमारतों का एक नगर बनकर तैयार हो गया। अकबर ने यहाँ 1571 ई. में रहना प्रारम्भ किया। अकबर के सीकरी में रहने के साथ ही वहाँ पर अनेक इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमे अकबरी शैली का निखार हुआ। यहाँ पर स्थापत्यों में बुलन्द दरवाजा, जामी मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, विविध महल, दीवाने आम, दीवने खस हैं, जिनके माध्यम से अकबरी कला उभर कर सामने आई है। फतेहपुर सीकरी इन शानदार भवनों के कारण यह बड़ा शहर बन गया। 14 से 15 वर्षो में जो स्थान जंगली जानवर से हरा–भरा था, देखते ही देखते हर तरफ बगीचे तथा सुंदर महलों से जुड़ गया जिसके परिणामस्वरूप इसकी सुंदरता हृदय को स्पर्श करने लगी थी। फतेहपुर सिकरी ईरान और भारत के व्यापारियों और सिल्क, कपड़ा, कीमती रत्नों, हीरों और मोतियों के व्यापार का बड़ा केन्द्र के रूप में उभरा था। इस प्रकार फतेहपुर सिकरी मुगलकाल में एक बड़ा शहर था।

मुख्य शब्द : फतेहपुर सिकरी, राजधानी, प्रशासनिक, नगरिकरण

प्रस्तावना :

मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के स्थापना व राजनीतिक स्थिरता के परिणामस्वरूप आर्थिक प्रगति, प्रशासनिक एकीकरण तथा सांस्कृतिक उन्नति के कारण उत्तर भारत में नगरीकरण को विकास एवं विस्तार मिला। मुगकालीन भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से भारत में कृषिगत तथा गैर कृषिगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई थी जिसके कारण अनेक नगरों के विकास हुआ। मुगलकाल में बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, फतेहपुर सिकरी, मालावा, गुजरात, अजमेर, दिल्ली और लाहौर सूबों का विस्तार हुआ था।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध ''मुगलकालीन भारत में फतेहपुर सिकरी शहर'' के अध्ययन हेतु विश्लेषनात्मक एवं वर्णनात्मक विधि के तहत ऐतिहासिक आयामों का गहन विश्लेषण किया गया है।

शोध उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य मुगलकाल में फतेहपुर सिकरी शहर का शोध अध्ययन करना और इस शोध द्वारा नए तथ्यों को सामने सामने लाना मुख्य उद्देश्य है।

परिकल्पना : मुगलकाल में फतेहपुर सिकरी शहर के स्थापना के किया करण थे क्या में फतेहपुर सीकरी इस शहर का धार्मिक, प्रशासनिक, एवं व्यापारिक महत्त्व था।

मुख्य प्रतिपाद्य :

आगरा शहर से पश्चिम और दक्षिण में लगभग 12 कोस की दूरी पर फतेहपुर सीकरी शहर स्थित था। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना होने से पूर्व फतेहपुर सीकरी बयाना सरकार में सिकरी नामक पुराना गाँव के रूप में विंध्य पर्वत के ऊँची पहाड़ी के किनारे अवस्थित था।[1] यह गाँव 12वीं शताब्दी में सिकरीवाल राजपूतों का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन 1196 ई. के बाद यह तुर्कों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया था। बहलोल लोदी के शासन काल में इस क्षेत्र में मुसलमानों के आगमन के समय शेख बहाउद्दीन चिश्ती अपने पुत्र सलीम चिश्ती और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ यहाँ पहूँचे थे।[2] इस स्थान में शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्व भी था।

मुगल बादशाह अकबर शेख सलीम चिश्ती से मिलने आया करते थे तथा वहाँ दस–बीस दिन रूकते भी थे। इसके आसपास के भूभाग में स्थित जंगलो में बादशाह शिकार खेलने जाते थे। सिकरी में पत्थर तराशने का कार्य भी किया जाता था।[3] शहर काफी महत्त्वपूर्ण था। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने किया था। इस शहर की स्थापना के पीछे यह कहा जाता है कि बादशाह ने अपने पुत्र सलीम के जन्म के प्रतीक के रूप में किया था।[4] बादशाह अकबर को संतान की प्रबल अभिलाषा थी क्योकि इसके जन्म से पूर्व जन्म लिए थे, सभी संतानो की मृत्यु हो गई थी। 1568 ई.–1569 ई. में बादशाह अकबर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह गया था जहाँ शेख ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसके कारण जयपुर की राजकुमारी को गर्भवती होने के बाद शेख सलीम चिश्ती के मकान के समीप ठहराया गया। इस राजकुमारी से शाहजादा सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 ई. को हुआ था। इसका नाम भी संत के प्रभाव पर रखा गया।[5] बादशाह अकबर को 21 नवम्बर 1569 ई. को एक पुत्री खानम[6] तथा 7 जून 1570 ई. को फतेहपुर में शेख सलीम चिश्ती के निवास स्थान पर दुसरे पुत्र शाहजादा मुराद का जन्म हुआ था।[7] शाहजादा सलीम का जन्म सिकरी में ही हुआ था तथा शेख सलीम भी यही रहता था। इसलिए बादशाह इस स्थान का वैभव को बढ़ाया।

बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना आवास 1571 ई. में बनवाने का आदेश दिया। श्रेष्ठ पुत्रों सलीम और मुराद ने सीकरी में जन्म लिया और शेख सलीम की दिव्यज्ञानयुक्त आत्मा उनमें प्रवेश कर गयी थी, इसलिए अकबर इस आध्यात्मिक वैभव से परिपूर्ण स्थान को भौतिक वैभव प्रदान करने की इच्छा जतायी। इसीलिए आदेश हुआ कि प्रमुख कारीगर बादशाह के निजी इस्तेमाल के लिए अट्टालिकाओं का निर्माण करें।[8] जहाँगीर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि ''मेरे श्रद्धेय पिता ने सीकरी गाँव को जो कि मेरा जन्म–स्थान था, अपने लिए सौभाग्यपूर्ण समझकर, उसे अपनी राजधानी बना लिया। चौदह–पन्द्रह वर्षों में यह जंगली जावरों से भरी हुई पहाड़ी सभी प्रकार के बाग–बगीचों, इमारतों और ऊंची शानदार अट्टालिकाओं तथा हृदय को प्रिय लगने वाले महलों से युक्त नगरी बन गयी।''[9] गुजरात की विजय के पश्चात् इस गाँव का नाम फतेहाबाद रख दिया गया था। पर सर्वसाधारण में इसे फतेहपुर सीकरी ही कहा जाने लगा। शाही आदेशों को तुरन्त ही कार्यान्वित किया गया और इस राजधानी के महलों, मस्जिदों, स्कूलों, खानकाहों, स्नानागारों और अन्य इमारतों का बनाया जाना इतनी बिजली–जैसी तेजी से शुरू हो गया कि न केवल इनकी सुन्दरता ही बल्कि जिस जादू की रफ्तार से यह काम पूरा हुआ था। वह भी समकालीन चर्चा का विषय बन गया।[10] फादर मांसरेट ने इसको बनते देखा था। वह लिखता है कि बतायी हुई सामग्री पूरी तरह तैयार करके ही उस स्थान पर लायी जाती थी

जहाँ उसे लगाया जाना होता था। इस प्रकार 14–15 वर्षों में ही कई सुन्दर और शानदार इमारतों का एक नगर बनकर तैयार हो गया। अकबर ने यहाँ 1571 ई. में रहना प्रारम्भ किया।

फतेहपुर सीकरी की भौगोलिक स्थिति बडी महत्वपूर्ण है। सीकरी राजस्थान का द्वार कहा जाता है। यह नगर एक पहाड़ी पर बसा है। यह टीला लगभग दो मील लम्बा और एक मील चौड़ा है। इसी पहाड़ी टीले पर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे। सूफी संत के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। अबुल फजल ने लिखा है कि सलीम के जन्म वर्ष बाद 1571 ई. में बादशह ने फतेहपुर सीकरी नगर के निर्माण का आदेश दिया था। अधिकांश समकालीन इतिहासकारों के मत में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से कराया था। अकबर 1571 ई. से 1584 ई. तक बराबर फतेहपुर सीकरी में रहा। 1584 ई0 में वह लाहौर चला गया।[11] वह 11 वर्षों तक पंजाब में रहा और 1595 ई0 में आगरा लौट आया।

अकबर के सीकरी में रहने के साथ वहाँ पर अनेक इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमे अकबरी शैली का निखार हुआ। यहाँ के प्रमुख स्थापत्यों में बुलन्द दरवाजा, जामी मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, विविध महल, दीवाने आम, दीवने खस हैं, जिनके माध्यम से अकबरी कला उभर कर सामने आई है। जामी मस्जिद सीकरी के जामी मस्जिद का निर्माण 1571 ई. में शुरु हुआ। यह मस्जिद आयताकार है। इसके मध्य में एक विशाल आंगन है। प्रारम्भ में इसमें उत्तर, दक्षिण तथा पूरब की ओर एक एक दरवाजा था। 1571 ई. शेख सलीम चिश्ती की समाधि बन जाने पर उत्तरी दरवाजा बन्द कर दिया गया। मस्जिद में तीनों ओर स्तंभोंदार दालान है जिनके मध्य में एक एक विशाल दरवाजे थे। पूर्व का दरवाजा 'बादशाही–दरवाजा' ज्यों का त्यों है। पर दक्षिण के मूल दरवाजे को तोड़ कर दक्षिण विजय के उपलक्ष में 1601 ई0 में बुलन्द दरवाजा बनवाया गया।[12] यहाँ अनेक शाही भवनों तथा महलों को निर्मित किया गया जिसमें उमरा वर्ग, सैनिको तथा प्रशासनिक कार्यालयों आदि के लिए अनेक भवनों का निर्माण किया गया।

फतेहपुर सीकरी इन शानदार भवनों के कारण यह बड़ा शहर बन गया। इसके साथ–साथ खानखाह, स्कूल, स्नाानागार जैसे लोकोपकारी संस्थाओं का निर्माण किया गया।[13] इस क्षेत्र को चारों तरफ से सात मील में पत्थर की दिवारों से घेर दिया गया था। इसमें नौ दरवाजा बनाया गया था जिसमें पूर्व में आगरा दरवाजा, पश्चिम में अजमेरी दरवाजा, दक्षिण में धौलपुर दरवाजा और उत्तर में हाथी व दिल्ली दरवाजा महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा लाल दरवाजा, वीरपोल दरवाजा, तीरा दरवाजा भी थे।[14] दक्षिण पश्चिम भाग के बड़े हिस्से को अनेक मीलों में कृत्रिम झीलों के द्वारा संरक्षित कर दिया गया था। इससे आधा मील का क्षेत्र था जिसमें अनेक भव्य भवन, सुन्दर बगीचा, तुर्की स्नानागार एवं वृहत बाजार फैला हुआ था। शहर के उत्तर से दक्षिण के दरवाजा तक में था।[15] इस प्रकार फतेहपुर सिकरी एक वैभवशाली तथा आकर्षित शहर के रूप में विकश होने लगा था।

अकबर जब 1572 ई. में गुजरात के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए बढ़ा तथा 1573 ई. में इस प्रान्त को जीत लिया और इस विजय के परिणामस्वरूप अकबर ने सिकरी गाँव को फतहाबाद नाम रखा था जिसका अर्थ 'विजय की नगरी' है।[16] लेकिन धीरे–धीरे यह लोगो में फतेहपुर के नाम से प्रसिद्व हो गया।[17] आधुनिक इतिहासकार जे0 एफ0 रिचर्ड्स ने शेख सलीम चिश्ती के प्रति किए गए सम्मान को अपेक्षाकृत अत्यधिक व्यापक संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। इसके अनुसार बादशाह और संभ्रात शासक वर्ग के लिए फतेहपुर सिकरी में राजधानी रखना। राजनीतिक, वैचारिकी और औपचारिक दृष्टि से भी हितकर था। सिकरी, अजमेर और आगरा के बीच एक सुरक्षित गलियारा के रूप में था। यह क्षेत्र पश्चिम में गुजरात तथा अफगानों को तथा पूर्व में बंगाल तथा बिहार तक जीतने के लिए राजनीतिक दृष्टि से भी उपयुक्त एक सुरक्षित गलियारे के रूप काम कर सकता था क्योकि आवश्यकता पड़ने पर अकबर यहाँ से दोनों ओर शीघ्रता से सेना तथा रसद भेज सकता था। तथा राजनीतिक कारणों के अतिरिक्त अकबर के वैचारिक हितों की पूर्ति कर सकता था। इसके अनुसार महलों के बीच बनी मस्जिद में चिश्ती का मकबरा बनवाकर अकबर ने सांकेतिक रूप से राजनीतिक तथा आध्यात्मिक सत्ता का परस्पर संयोजन करने का काम किया।[18]

फतेहपुर सिकरी 15 वर्षों तक 1571 ई. से 1586 ई. तक अकबर का आवास एवं राजधानी रहा। इस अवधि में यह प्रमुख शहर के केन्द्रों के रूप में उभरा था। फतेहपुर सीकरी में किलों के अतिरिक्त उमरा के भवन, शाही कर्मचारी, व्यापारी, दस्तकार शिल्पकार, तथा यूरोपीय यात्री के आगमन के कारण बसावट की प्रक्रिया को बल मिला जिसके परिणामस्वरूप फतेहपुर और सीकरी के बीच उपस्थित 12 गाँवों को बाजार के रूप में ढ़ँक लिया गया था।[19] जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 14 से 15 वर्षो में जो स्थान जंगली जानवर से हरा–भरा था, देखते ही देखते हर तरफ बगीचे तथा सुंदर महलों से जुड़ गया जिसके परिणामस्वरूप इसकी सुंदरता ह्रदय को स्पर्श करने लगी थी।[20] यह शहर आगरा और दिल्ली के मुगल किलों की तरह प्रतीत होने लगा था क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण भवन 'दीवान–ए–आम' 'दिवान–ए–खास' बीरबल का भवन, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, बुलंददरवाजा, शेख, सलीम चिश्ती का मकबरा निर्मित किया गया था।

अकबर के लौकिक प्रयोग में आने वाली भवनों में दीवान–ए–आम तथा दीवान–ए–खास है। दीवान–ए–आम एक आयताकार प्रांगण था। दीवान–ए–खास का स्वरूप धनाकार था, तथा इसकी आन्तरिक बनावट अद्वितीय थी।[21] जामा मस्जिद के निर्माण कार्य का आरंभ 1571 ई. में किया गया था। इस मस्जिद की दक्षिणी दिशा में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। यह विशाल दरवाजा 134 फीट ऊँची थी। दरवाजा तक पहुँचने के लिए 42 फीट लंबी सीढ़ियाँ लगाइ जाती थी। इस प्रकार सड़क से दरवाजे की कुल ऊँचाई 176 फीट थी। यह दरवाजा लाल बलुआ पत्थर का बना था।[22] विलियम फिंच के अनुसार ''आधे मील लम्बाई में फैला बाजार का रास्ता सीधा होता था। यूरोपीय यात्री राल्फ फिंच 1585 ई0 में गोलकुंडा से फतेहपुर सिकरी पहुँचने के बाद कुछ समय व्यतीत किया था। इसके अनुसार फतेहपुर सीकरी तथा आगरा दोनों शहर का आकार और आबादी लंदन से बड़ा था।''[23] यूरोपीय यात्रियों के अनुसार, अकबर ने 1585 ई. में जलापूर्ति के अभाव के कारण इस शहर को छोड़ दिया गया था। लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि 1585 ई. में उजबेक आक्रमण के विरूद्ध लाहौर की सुरक्षा पर मुख्य बल देने के कारण उसने लाहौर में लगभग 13 वर्ष व्यतीत किया था।

मुगल बादशाह अकबर के लाहौर आ जाने के बाद इस शहर की विस्तार की प्रक्रिया रूक गयी थी।[24] जैसा की यूरोपीय यात्री विलियम फिंच ने लिखा है कि ''वहाँ पर अनेक भवन है और उसमें कोई नहीं रहता है। यहाँ से गुजरना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो गया था। परती भूमि को बाग–बगीचा में बदल दिया गया, बुआई की बहुत सारी जमीन पर नील तथा खाद्यान्न की खेती होती थी। इमारते जनविहिन थी।''[25] मुगल बादशाह जहाँगीर 1619 ई. गुजरात तथा मालवा से वापस आया तो तीन महीने फतेहपुर सिकरी में ठहरा था क्योंकि इस समय आगरा में प्लेग फैला हुआ था। सन् 1951 ई. की जनगणना के अनुसार सीकरी नगर की आबादी 87080 थी। इसमें 27085 मुसलमानो की जनसंख्या थी। शेष अन्य लोग। यह 6 वार्ड और 38 मुहल्लों में विभाजित है।[26] अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर था। राल्फ पिच नामक एक अंग्रेज यात्री अकबर के लाहैहर के हटने के ठीक पहले सितम्बर 1585 ई. में फतेहपुर सीकरी आया था। वह लिखता है कि "आगरा और फतेहपुर सीकरी दो बहुत ही बड़े नगर हैं। इनमें से कोई भी लन्दन से कहीं अधिक बड़ा है। इनकी आबादी बहुत अधिक है। ये बड़ी घनी आबादी के हैं। आगरा और फतेहपुर के बीच 12

कोस का फासला है, और पूरे मार्ग में खाने–पीने की तथा अन्य वस्तुओं का ऐसा भरा–पूरा बाजार है कि जैसे कोई किसी नगर में ही हो, और इतने आदमी होते हैं कि जैसे बाजार ही लगा हो यह ईरान और भारत के व्यापारियों और सिल्क, कपड़ा, कीमती रत्नों, हीरों और मोतियों के व्यापार का
बड़ा केन्द्र है।''[27] इस प्रकार फतेहपुर सिकरी मुगलकाल में एक बड़ा शहर और इस शहर का विशेष महत्त्व रहा है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार मुगलकालीन भारत में फतेहपुर सीकरी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं राजधानी नगर था। राजधानी बनने से पूर्व यह शहर धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा था, शेख सलीम चिश्ती का यहा निवास स्थान रहा था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अकबर ने इस शहर को 1571 ईस्वी से 1586 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाए रखा इस दौरान इस शहर की तीव्र गति से विकास हुआ। यह शहर न केवल प्रशासनिक शहर, धार्मिक शहर थे बल्कि वाणिज्य व्यापार एवं स्थापत्य कला के भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शहर थे।

संदर्भ सूची

1) ओम प्रकाश सिंह, भारत का आर्थिक इतिहास (मुगल काल), एस. चाँद एंड
कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 1996, पृ0–135
2) अबुल फजल, आइन–ए–अकबरी, भाग–2, एच0 एस0 जैरेट (आंसिक अनु0) सर यदुनाथ सरकार पुनर्मुद्रित, लो0 प्राइस पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1989, पृ0–191
3) अनिरुद्ध रे, अर्बनाइजेशन इन मेडिवल इंडिया द सिटी इन इंडियन हिस्ट्री, इंदू बन्गा, (संपा0) मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991, पृ0–169
4) अनिरूद रे, टाउन्स एंड सिटिज ऑफ मेडिवल इंडिया, मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2015, पृ0–261
5) नुरूउद्दीन जहाँगीर, तुजुक–ए–जहाँगीरी, अलेक्जेंडर रोगर्स, (अनु0), हेनरीबेवरिज, (संपा0) मुंशीलाल मनोहर लाल पब्लिशर्स प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली, मूल संस्करण 1909–19, पृ0–2
6) अबुल फजल, अकबरनामा, भाग–1, मथुरालाल शर्मा (हिन्दी अनु0) राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000, पृ0–295
7) वही, पृ0–296
8) अबुल फजल, अकबरनामा, भाग–2, एच0 बेवरिज, (अनु0) दी एशियाटिक सोसाइटी, 2000, पृ0–530–532
9) नुरूउद्दीन जहाँगीर, पूर्वोद्धृत, पृ0–2–3
10) आशीर्वादलाल श्रीवास्तव, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, शिवलाल अग्रवाल
एंड कंपनी, आगरा पृ0–140
11) वही, पृ0–141
12) के0 एल0 खुराना, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, लक्ष्मीनारायण
13) अग्रवाल, आगरा, 2013, पृ0–181–182
14) अबुल फजल, अकबरनामा, भाग–1 मथुरा लाल शर्मा (संपा0) पूर्वोद्धृत, पृ0–297
15) वही, पृ0–302
16) ए0 एल0 श्रीवास्तवा, अकबर द ग्रेट, वोल्यूम–3 सोसाइटी एण्ड कल्चर इन 16वीं सेन्चुयरी इंडिया, पूर्वोद्धृत, पृ0–285
17) अनिरुद्ध रे, अर्बनाइजेशन इन मेडिवल इंडिया, पूर्वोद्धृत, पृ0–170
18) नुरूउद्दीन जहाँगीर, तुजुक–ए–जहाँगीरी, हेनरी वेवरीज (संपा0), अलेक्जेंडर रोगर्स (अनु0), पूर्वोद्धृत, पृ0–2
19) मीरा खरे, मुगल काल में वस्तुकला का विकास, मध्यकालीन भारत, भाग–2. हरिश्चंद्र वर्मा (संपा0), हन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली पृ0–497–498
20) ए0 एल0 श्रीवास्तवा, अकबर द ग्रेट, भाग–3 पूर्वोद्धृत, पृ0–10
21) नुरूउद्दीन जहाँगीर, तुजुक–ए–जहाँगीरी, हेनरी वेवरीज (संपा0) अलेक्जेंडर रोगर्स, (अनु0) पूर्वोद्धृत, पृ0–2–3
22) ए0 एल0 श्रीवास्तवा, अकबर द ग्रेट, भाग–3, पूर्वोद्धृत, पृ0–286–288
23) वहीं, पृ0–298
24) विलियम फोस्टर, अर्ली टर्वेल्स इन इंडिया, 1583 ई0–1619 ई0, पूर्वोद्धृत, पृ0–18
25) ए0 एल0 श्रीवास्तवा, अकबर द ग्रेट, भाग–3, पूर्वोद्धृत, पृ0–10
26) मधु त्रिवेदी, सोलहवीं–सत्रहवीं शताब्दी के यूरोपीय यात्री' मध्यकालीन भारत, भाग–2, हरिचंद्र वर्मा, (संपा0), हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली, 1993, पृ0–646
27) बी0 ए0 स्मिथ, अकबर दि ग्रेट मुगल, ओक्सफोर्ड प्रेस, 1917, पृ0–108
28) ए0 एल0 श्रीवास्तवा, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पूर्वोद्धृत, पृ0–155

प्राचीन भारत में गणतंत्र या गणराज्य

Ajitabh Chandan
NET/SRF, Research Scholar, University Dept. of History
Ranchi University, Ranchi
Corresponding Author- Ajitabh Chandan
Email: ajitabhchandan01@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8242361

सारांश

गणतंत्र या गणराज्य, शासन की एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें राज्य को एक सार्वजनिक मामला समझा जाता है, न कि शासको की निजी सम्पति। इसमें शासन किसी एक व्यक्ति या वंश के अधीन ना होकर सार्वजनिक रहती है। अर्थात् एक गणराज्य के अन्तर्गत शासन के सर्वोच्च पद विरासत में नहीं मिलते, बल्कि जनता की सामन्य इच्छा से राज्य का कोई भी नागरिक उस पद पर आसीन हो सकता है। इस प्रकार की शासन प्रणाली के अन्तर्गत शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों केन्द्रीत ना होकर कई व्यक्तियाँ या समूह के हाथों में होती है। आज विश्व के लगभग सभी देश इस प्रकार की शासन प्रणाली की तरफ आकृष्ट हुए हैं। 2017 तक, दुनिया के 206 सम्प्रभु राज्यों में से 159 अपने आधिकारिक नाम के हिस्से में रिपब्लिक शब्द का प्रयोग करते हैं।
शब्द कुंजी– शासन, गणतंत्र, भारतीय, गण, प्राचीन

प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के संबंध में बहुत अधिक चर्चा नहीं है। फिर भी यत्र–तत्र इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का भी प्रचलन था। हालाँकि विद्वानों में इसके कालखण्ड और प्रारम्भ को लेकर प्रायः विवाद दृष्टिगत होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में गणतंत्र के महत्व को सुस्थापित करने वाले के0 पी0 जायसवाल कहते हैं कि वैदिक युग के बाद ही इस तरह की शासन व्यवस्था का उदय हुआ। उनके अनुसार वैदिक युग में सर्वत्र राजतंत्र का ही प्रचलन था, और बाद में ही गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई।[1] परंतु वैदिक साहित्यों से बांरबार 'गण' शब्द की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में छियालिस और अर्थववेद में नौ बार इस शब्द की चर्चा आयी है। इसके अलावे ब्राह्मण ग्रंथो में भी इस शब्द की चर्चा अनेकों बार हुई है।[2] हालाँकि अधिकांश जगहों पर इनका संबंध सेना और सभा के साथ दिखया गया है, इसलिए स्पष्टता से इस युग में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। ए0एस0 अल्तेकर भी गणराज्यों के विकास क्रम पर चिन्तन करते हुए कहते हैं कि वैदिकयुग के बाद ही इसका विकास हुआ था। क्योंकि इस काल में जब आर्य नये–नये प्रदेशों का विजय कर रहे थे, तो उन्हे एक–एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो इन क्षेत्रों पर अकुशं रख सके। वो स्पष्ट करते हैं कि इस युग कही भी गणतंत्र के साक्ष्य नहीं मिलते,[3] हालाँकि शासन में जनता के प्रभाव और सहभागिता को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया है। जो भी हो, वैदिक युग में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अस्तित्व में होने या ना होने के विवाद को हटा दिया जाए तो यह स्पष्ट ही है कि प्राचीन भारत में गणराज्य का भी अस्तित्व था जिसमें शासन की सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति में निहित ना होकर गण अथवा परिषद में निहित रहती थी। जिसका मुख्य उद्देश्य जन सामान्य का कल्याण और शासन में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करना था।

प्राचीन भारत में 'गण' शब्द का अर्थ एवं उसका महत्व

सामान्यः गणतंत्र में गण शब्द का प्रयोग जनता के लिए किया गया है। परन्तु गण शब्द का व्यापक प्रयोग जन या समूह के लिए किया जाता है। रामशरण शर्मा इसका शाब्दिक अर्थ लोगों का कृत्रिम समूह बताते हैं। के पी0 जायसवाल भी इस शब्द को स्पष्ट करते हुए कहते है कि 'गण' शब्द का मूल अर्थ लोगों का समूह है, और गणराज्य वैसा राज्य है जहा शासन का संचालन लोगों द्वारा अर्थात लोगों के एक समुह द्वारा होता है।[4] अल्तेकर भी इस शब्द को इसी संदर्भ में देखते है और स्पष्ट करते है कि 'गण' शब्द की चर्चा प्राचीन भारत में शासन के विशिष्ट प्रकार के लिए की गई है जिसका मूल स्वरूप राजतंत्र से नितान्त भिन्न है। वे इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 'गण' शब्द से ऐसे राज्य का बोध होता है, जहाँ शासन का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर गण या व्यक्तियों के समूह के होता है।[5] आर0सी0 मजूमदार ने भी गण और संघ शब्द का तात्पर्य गणतांत्रिक शासन को ही माना है।[6] महाभारत में गण शब्द का प्रयोग गणराज्य के लिए ही है, साथ में इस ग्रंथ में कई गणराज्यों के उल्लेख भी है। जिन्में यौधेय, मालव, शिवि अन्धक वृष्णि आदि की चर्चा है। बौद्ध साहित्यों में भी गणतंत्रों के स्पष्ट साक्ष्य दृष्टिगत होते है। स्वयं बुद्ध का जन्म भी एक गणराज्य में ही हुआ था। उनके पिता शाक्य गण के सभापती थे।[7] पाणिणी, कौटिल्य आदि ग्रन्थकारों की रचनाओं में भी गण का उल्लेख शासन की एक विशिष्ट व्यवस्था के रूप में ही की गई है, जो राजतंत्र से भिन्न थी।

गणतंत्र का स्वरूप

प्राचीन भारत में गणतंत्र का स्वरूप क्या था, यह बड़े महत्व का विषय रहा है। आज के अर्थों में गणराजों को प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहा जा सकता है। परंतु उस समय गणराज्यों का स्वरूप क्या था, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते है कि उस समय आधुनिक प्रजातंत्र जैसी कोई व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी। सर्वत्र राजतंत्र का ही प्रचलन था। फिर भी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि राजतंत्र से इतर शासन की एक और व्यवस्था प्रचलन में थी जिसका स्वरूप गणतंत्र की मूलभूत सिद्धान्तों से मेल खाता है। बुद्ध के समय की एक कहानी के अनुसार, एक बार उत्तर भारत के कुछ व्यापारीयों ने दक्षिण की यात्रा की, वहाँ जाने पर वहाँ के राजा से उनका साक्षात्कार हुआ। उस समय वहाँ के राजा ने व्यापारियों से पूछा कि हे वणिकों तुम जिस देश से आये हो वहाँ कैसा शासन है? इसपर उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज हममें से कुछ ऐसे राज्यों से है जहाँ राजाओं का शासन है, कुछ के देशों का शासन वहा के गणों के अधीन है।[8] गण का अर्थ पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार कुछ राज्यों में राजतंत्र से अलग शासन की गणतंत्रिय प्रणाली स्थापित थी। प्राचीन भारत में यौधेय, शाक्य, मालव, लिच्छवी, वज्जी, अधंक–वृष्णि आदि कई गणराज्यों की चर्चा मिलती है, जिसमें शासन किसी एक व्यक्ति के अधीन नहीं था। फिर भी उस समय के गणराज्यों की तुलना आज के लोकतंत्रों से करना उचित नहीं है। हालाकि लोकतंत्र के मूलभूत तत्व उस समय की शासन प्रणालियों में स्पष्टतः दृष्टिगत होते हैं, फिर भी उन्हें समरूप नहीं माना जा सकता है। क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में राज्य अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार देता है। जिससे वे शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष तौर पर सहभागी हो सकते हैं। परन्तु प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था फलीभूत नहीं थी। चुनाव जैसे वृहद आयोजन की संकल्पना भी तब संभव नहीं थी, जिसमें राज्य के सभी व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर अपने मतों का प्रयोग कर सकें। इसलिए कुछ विद्वानों ने इस समय के गणतंत्र को प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहना ठीक नहीं समझा। इस समय शासन व्यवस्था का अधिकार स्पष्टत साधारण जनता के हाथ में ना होकर एक छोटे से समूह के हाथ में था। इस समूह का गठन किस आधार पर होता था यह बता पाना मूश्किल है। आज की तरह ये जनता के प्रतिनिधि थे, या कुलीन परिवारों के

वंशानुगत सदस्य स्पष्ट नहीं होता। हाँ विद्धानों ने इसी समूह को वास्तविक सता का परिचायक समझ कर इसे कुलीन तंत्र या अल्पतंत्र की संज्ञा देना उचित माना है। उप्तहरण स्वरूप यौधेयों की शासन व्यवस्था 5000 व्यक्तियों की एक परिषद के हाथों केन्द्रीय थी, जिसमें प्रत्येक को राज्य के लिए हाथी देना अनिवार्य था।[9] अर्थात जो व्यक्ति हाथी देने में असमर्थ था वह व्यक्ति राज्य की राजनीति में सहभागी नहीं हो सकता था। इस प्रकार यौधेयों का यह शासनतंत्र राज्य के कुछ सीमित व्यक्तियों तक ही केन्द्रित था। इसी प्रकार की व्यवस्था शाक्यों और कोलियों में भी थी। वहा भी शासन सता समाज के कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित थी। वैशाली के लिच्छवि गणराज्य का भी शासन इसी प्रकार के वृहद समूह द्वारा संचालित होता था। जिसके सदस्यों भी कुल संख्याँ 7707 थी।[10] अन्य गणतंत्रों की रूप रेखा की कुछ इसी प्रकार की थी, जहाँ सत्ता का केन्द्रीकरण लोगों के एक विशिष्ट समूह के हाथों में था।

कुल मिलाकर देखें तो इस समय के गणतंत्र को आधुनिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, जहाँ कि शासन की बागडोर सामान्य जनता के हाथों में रहती है। फिर भी एक अर्थ में इन्हें प्रजातंत्र या गणतंत्र कह सकते हैं क्योंकि राजनीतिशास्त्र के प्रभावभूत ग्रन्थों के अनुसार गणतंत्र वह राज्य है जिसमें सर्वोच्च शासन का अधिकार राजतंत्र की भांती एक व्यक्ति के हाथों में न रहकर एक समूह या परिषद् के हाथों में रहती है। इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय गणराज्यों को कुलीन तंत्र कहें, अलपतंत्र कहें या फिर सरदार तंत्र वे गणतंत्र के ही श्रेणी में गिने जाऐंगे।[11] वैसे भी प्राचीन भारत में परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी कि सभी का मत प्राप्त कर शासन का गठन किया जा सके। आज आधुनिक यंत्रों और संगठित प्रशासन के सहयोग से ही इस प्रकार की प्रणाली का क्रियान्वन संभव हो पाया है। विज्ञान की प्रगति ने आधुनिक लोकतंत्र के सफल संचालन का रास्ता साफ किया है। उस जमाने में जब यातायात के साधन तक सुलभता से उपलब्ध नहीं थे, ऐसे स्थिति में इतना बड़ा आयोजन कैसे संभव हो पाता। इसके बाबजुद भारतीय गणतंत्रों में आधुनिक लोकतंत्र से समानता रखने वाले तत्व स्पष्टतः देखे जा सकते है जैसे कि इन गणराज्यों के लिए अध्ययक्ष पद का चुनाव, किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय ना होने कि स्थिति में मत द्वारा निर्णय। परिषद की निश्चित अन्तराल में बैठक और इन सबसे उपर लोकमत का सम्मान।

संदर्भ सूची

1) काशीप्रसाद जायसवाल, हिन्दू राज्य–तंत्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2016, पृ0–15
2) रामशरण शर्माः प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2014, पृ0–156
3) ए0एस0 अलतेकर, प्राचीन भारतीय शासन–पद्धति, विश्वविधालय प्रकाशन, वाराणसी, 2020, पृ0–83
4) रामशरण शर्मा, पूर्वोद्धृत, पृ0–157
5) के0पी0 जायसवाल, पूर्वोद्धृत, पृ0–16
6) ए0एस0 अल्तेकर, पूर्वोद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ0–79
7) आर0सी0 मजूमदार, कारपोरेट लाइफ इन एंशियेट इण्डिया, द ओरिऐण्ट बुक ऐजेंसी, पूना, 1922, पृ0– 221–224
8) सत्यकेतु विधालंकार, प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था और राजनीतिक विचार, पूर्वोद्धृत, पृ0–90, के0पी0 जायवाल, पूर्वोद्धृत, पृ0–37
9) आर.सी. मजूमदार, पूर्वोद्धृत, पृ0–223, ए0एस. अल्तेकर, पूर्वोद्धृत, पृ0–79 एवं के0पी0 जायसवाल, पृ0–20
10) ए0एस0 अल्तेकर, पूर्वोद्धृत–71
11) आर0सी0 मजूमदार, पूर्वोद्धृत, पृ0–232, ए0एस0 अल्तेकर पृ0–82

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

नागपुरी साहित्य के विकास में पार्थनंद तिवारी का अवदान

सुशीला लकड़ा
यू.जी.सी–नेट, जे. आर. एफ, विश्वविद्यालय, नागपुरी विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची, झारखण्ड
Corresponding Author- सुशीला लकड़ा
DOI- 10.5281/zenodo.8242363

नागपुरी आदिकाल से झारखण्ड की आदिम भाषा रही है। भले ही इसके नामों में परिवर्तन होता रहा हो। छोटानागपुर के नाम में कालय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। कभी कोक्रा ककखण्ड झारखण्ड चुटियानागपुर, हीरानागपुर और अन्त में अंग्रेजो ने इसे छोटानागपुर के रूप में स्वीकृति दी। नागपुरी का नाम भी कभी सादरी गवारी, देहाती, सदानी तो नागपुरीया रही है। आज यह नागपुरी के नाम से विराम पा गई है।

मूलरूप से नागपुरी छोटानागपुर के मूल सदानों की भाषा रही है। जनजातियों के बीच की यह सर्म्पक भाषा बनी जनजातियों के बाद कई अन्य जातियाँ भी अनेक क्षेत्रों से नाग राजा–महाराजाओं द्वारा लाकर यहाँ बताये गये। इन जातियों का आगमन भिन्न–भिन्न समय एवं क्षेत्रों में होने के कारण इनकी बोली भाषा भी अलग–अलग थी।[1] इन्होंने भी मूल सदानों एवं जनजातियों के साथ पूर्व की तरह सम्पर्क भाषा के रूप में नागपुरी को ही अपनाया।

अंग्रेजों के शासन स्थापित होते ही भारत में ईसाई मिशनरियाँ भी धर्म प्रचार के लिए अपने पाँव फैलाने लगी। छोटानागपुर के जनजातीय बहुल क्षेत्र को ईसाई मिशनरियों ने अपने लिए बहुत ही उपयुक्त समझा। एक ओर अंग्रेज सरकार को शासन व्यवस्था के लिए प्रचलित एवं सृदृढ भाषा की आवश्यकता थी भारत की कोई भाषा अंग्रेजों के उपयुक्त नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजी को ही शासन एवं जनता की भाषा बनाना चाहा। अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़ने एवं बोलने वालो को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नौकरी एवं सम्मान देना प्रारम्भ किया। हिन्दी बोलने वालों को गवार एवं तुच्छ समझा जाता था। उन्हें अपमानित भी किया जाता था। अन्य भाषा या जनजातिय भाषाओं जैसे नागपुरी की तो दुर्गति हो गई तब कोई बोलने वाला भी शहरों में नहीं मिलता था। अंग्रेज सरकार अपने शासन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय भाषा और संस्कृति को समाप्त करना चाहती थी। परन्तु दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों के कुछ अलग विचार थे। उन्हें के बीच प्रचार करने में भारी कठिनाई हो रही थी शिकोना एक फर काम था। मेष केही धर्म प्रचारक स्तर पर परिवर्तन करने एवं उनकी संस्कतिको गाकर अंग्रेजीको करने की दी इसके लिए सीकर उसके साहित्य के माध्यम से ईसाई धर्मो का अनुवाद कर ने का संकल्प लिया। नगपुरी भाषा का व्रत एवं ईसाई सुसमाचारों के प्रीकी "ग्लैण्ड अपनी प्रजा को जाने बिना उस पर शासन नहीं कर सकता है जब उसकी भाषा और संस्कृति का पूर्ण ज्ञान हो जाय ईसाई मिशनरियों ने पुस्तकों के प्रकाशन के लिए नये–नये मुद्रणालय स्थापित किये सुसमाचारों का प्रकाशन किया एवं नागपुरी के लोक गीतों एवं लोक कथाओं का संकलन भी प्रकाशित कराया।

मिशनरियों की ऐसी गतिविधियों को देखकर भागपुरी प्रेमियों में नागपुरी के उद्वार, उचान एवं प्रचार–प्रसार की भावना जागृत हुई। उन्होंने भी नागपुरी के प्रचार के लिए साहित्य छपवाने एवं प्रकाशित करने की ठानी। धनीराम बक्ती इसी क्रम के सबसे स्थिम नागपुरी प्रेमी, सेवक एवं प्रचारक थे। उन्होंने अपने हितैषी प्रेस बरकंदाज टोली भाईबासा से नागपुरी साहित्य का प्रकाशन किया दूसरे नागपुरी कवियों एवं साहित्यकारों को भी अपने पत्र में सामग्री प्रकाशित कराने हेतु आमंत्रित किया। इसी क्रम में नागपुरी साहित्य की जानी–मानी विभूति का पीटर शांति नवरंगी भी साहित्य साधना में जुट गये। उन्होंने व्याकारण, लोक कथा, लोकगीत, कविता, नाटक. कहानी, बाईबल के सुसमाचार एवं अन्य रचनाओं का लेखन एवं प्रकाशन नागपुरी में किया।

श्री पार्थनन्द तिवारी इसी कड़ी के एक महान नागपुरी प्रेमी एवं साहित्य सेवी थे। इन्होने नागपुरी साहित्य सेवा के लिए पुराने एवं नये दोनों ही मार्गो को अपनाया। पुरानी परंपरा में इन्होंने नागपुरी के पुराने कवियों यथा– हनुमान सिंह, बरजू राम, जयगोबिन्द बिनंदिया, घासी राम जैसे विभूतियों का अनुसरण किया। इन पुराने कवियों की तरह ही इन्होंने भक्ति काव्य. "कृष्ण काव्य 'राम काव्य से संबंधित गीतों एवं कविताओं की रचना की इन गीतों के प्रचार–प्रसार के लिए इन्होंने पुरानी एवं प्रचलित परंपरा का ही अनुसरण किया। कवि चूंकि युग की आवशकता के अनुसार ही साहित्य की रचना करता है एवं उनका प्रचार भी करना चाहता है।

इन्होंने युग की आवश्यकता के अनुरूप रचना की और समाज में प्रचलित प्रचार की को अपनाया भी तत्कालिन समाज में रास घूमर फगुवा झूमर अगनई, पावस एवं अन्य उत्सवों के अवसर पर झूमर, नवनी नाथ के माध्यम से साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाता था।[2] इसमें जनता की रूबी भी भी मनोरंजन भी होता था और शिक्षित जनता सरलता से साहित्य की ग्रहण भी कर लेती थी।

श्री पार्थनन्द तिवारी जी घासी राम की परम्परा का ही अधिकाधिक अनुसरण किया है। नयी पीढ़ी के रचनाकारों में तिवारी जी, नवरंगी प्रफुल्ल कुमार राय की तरह ही आधुनिक समस्याओं पर रचनाएँ की इनकी रचनाओं में इन्होंने विशेष कर झारखण्ड की व्यथा, शोषण, दरिद्रता बेरोजगारी को चित्रित किया है। डॉ० गिरिराज के अनुसार धनीराम बक्शी तथा फा. नवरंगी के युग की परिस्थितियों लगभग समान थी लेकिन दोनों का जीवन समान नहीं था पर इनके विचार एवं उद्देश्य अवश्य एक विन्दु पर मिलते थे। इनका लक्ष्य था भाषा साहित्य के भंडार को भरना तथा उसे विकसित करना । यह कहा जा सकता है कि इन दोनों महापुरूषों ने नागपुरी भाषी जनता के मध्य इसके नवजागरण का शंखनाद दिया।"

श्री पार्थ नन्द तिवारी ने भी इन्ही मनीषियों की तरह नागपुरी साहित्य की पुरानी परम्परा को अपना कर ही आधुनिकता प्रदान की। इन्होंने गेय काव्य में झारखण्ड के शोषण, लुट, गरीबी, बेरोजगारी एवं लाचारी से बदरंग होते रूप का मार्मिक चित्रण किया है। झारखण्ड के गाँवों में व्याप्त अशिक्षा, दरिद्रता, घूसखोरी, बेरोजगारी को आधार बनाकर ही इन्होंने साहित्य रचना की। लाचार एवं असहाय जनता की आवाज को इन्होंने दृढ़ता से जनता एवं शासन के समक्ष प्रस्तुत किया।

धनीराम बक्सी ने अपने हितैषी कार्यालय प्रेस से नागपुरी साहित्य के प्रकाशन में अपनी जाति से संबंधित रचनाएँ भी प्रकाशित की। वही फादर शांति नवरंगी जी ने ईसाई धर्म ग्रन्थों का प्रचार करने हेतु भी नागपुरी को माध्यम बनाया। जबकि श्री पार्थ नन्द तिवारी ने न तो जातिगत और न धार्मिक भावना को आधार बनाया बल्कि सामाजिक समस्याओं को अपनी साहित्य रचना का आधार बनाया।

नागपुरी कवियों एवं गीतकारों में भी भी पाये नन्द तिवारी को पर्यो विशेष रूप से किसी भी विद्वान ने नहीं की है। इस सब में केशरी का विचार दृष्ट है। इसी के बाद नागपुरी गीतों को सम्पन्न करने वाले महान गीतकारों में जगनिवास नारायण, धनीराम बक्शी भवप्रीता कृपालचन्द्र फादर शांति नवरीलाल मनमोहन नाथ आदि प्रमुख है। इनके गीतों में आधुनिक चेतना की उषाकालीन ताली भी दृष्टिगत होने लगती है।"

इसलिए नागपुरी कवि के रूप में भी पार्वनन्द तिवारी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी काव्य रचनाओं ने के संबंध में

स्वयम डॉ० केशरी ने आधुनिक पारिवारिक समस्याओं पर गीत रचना को इनकी सबसे बड़ी विशेषता माना है। जबकि दूसरे पुराने कवियों की रचना में ऐसा चित्रण देखने को नहीं मिलता। दूसरी और इनके आधुनिक गीतों में जो पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं का मार्गिक चित्रण मिलता है। वह अन्य पुराने कवियों की रचनाओं में नहीं मिलती। इस दृष्टि से भी भी पार्थनन्द तिवारी एक उत्कृष्ट कवि माने जा सकते है।

श्री पार्श्वनन्द तिवारी नागपुरी के एक प्रमुख शुभचिंतक ही नहीं है परन्तु एक महान सेवक मी है। इन्होंने नागपुरी साहित्य सृजन में इन्होंने पूरी तन्मयता से काम किया वही इसको जन–जन तक पहुँचाने में भी अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। इन्होंने विशेषकर युवा वर्ग के साहित्यकारों एवं नागपुरी प्रेमियों को प्रोत्साहित किया। नागपुरी साहित्य सम्मेलन कवि सम्मेलन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं अन्य विशिष्ट अवसरों पर आयोजित सम्मेलनों के द्वारा भी इन्होंने अपनी साहित्य प्रतिमा का प्रदर्शन ही नहीं किया, लोगों को प्रभावित किया के मनोभावों को उद्वेलित किया, उनमें नागपुरी साहित्य के प्रति उत्सुकता प्रेम एवं जागरूकता लाने का प्रयास किया। यही कारण है कि हर स्थान पर कवि सम्मेलन एवं नागपुरी साहित्य सम्मेलन आयोजित किये जाते रहे हैं।[3]

श्री पार्थनन्द तिवारी मुलत एक शिक्षक थे परन्तु उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी नागपुरी साहित्य की जो सेवा की है। वह प्रशंसनीय है। श्री पार्थनन्द तिवारी के नागपुरी प्रेम साहित्य सेवा को भुलाया नहीं जा सकता । इनके नागपुरी साहित्य की सेवा के चलते कई बार सम्मानित किया जाना भी इनकी उत्कृष्टता, निष्ठा, लगन एवं मार्गदर्शक है। कईविधाओं रचना करना एवं कई विधियों से प्रचारित प्रसारित करना कम आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी ये महान साहित्यकारों की दृष्टि में गुमनाम हो रहे।

श्री पार्थनन्द तिवारी को नागपुरी का साहित्यकार के साथ–साथ प्रचारक भी माना जा सकता है। इसके लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। इनकी साहित्य साधना को डॉ० केशरी ने कहा 'इनके चेहरे एवं पूरे शरीर पर झुर्रियाँ ही इनकी निरन्तर साहित्य साधना को दर्शाते है।[4] जब पूरा संसार सो रहा होता है तब भी अंधेरी रातों में भी कवि की कलम चलती रहती है श्री पार्थनन्द तिवारी की साहित्य साधना का इसी से प्रमाण मिल जाता है।

श्री पार्थनन्द तिवारी नागपुरी साहित्य की क्षितिज पर चमकते सूर्य के समान प्रकाशमान तारे है। इन्होंने कई विधाओं में टेट रोचक एवं आकर्षक रचनाएँ की है। वह हमेशा ही नागपुरी प्रेमियों को आलोकित करती रहेंगी। नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देती रहेंगी।

सन्दर्भ ग्रंथ :

1) डॉ0 मुरलीधर श्रीवास्तव हिन्दी के यूरोपीय विद्वान व्य एवं कृ ० पृ० 36
2) डॉ0 गिरिधारी राम गौझू गिरिराज पी. शा. नव्य एवं कृ.पृ. 351
3) डॉ० श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी शिष्ट साहित्य पृ. 44
4) डॉ0 विप्र. केशरी नागपुरी भाषा और साहित्य रांची पृ. 60

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

बाल अपराध : कारण एवं निवारण (भारत के संदर्भ में)

डॉ. उमा कान्त सिंह[1] , दिलीप कुमार[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालयए बड़ागाँव, वरारणसी

[2]भूगोल विभाग, श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़ागाँव, वरारणसी

Corresponding Author- डॉ. उमा कान्त सिंह

Email- druksingh2001@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.8242368

सारांश ;

अपराध का भौगोलिक विश्लेषण 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ और इस मान्यता से उत्पन्न हुआ कि अपराध के प्रतिरूप शहरों और क्षेत्रों में असमान रूप से फैले हुए थे। कुछ अध्ययनों ने अपराध और न्याय में क्षेत्रीय विविधताओं पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अन्य ने शहरी आपराधिकता और सामाजिक संकेतकों और आपराधिकता के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। 1980 के दशक में अनुसंधान ने आपराधिक न्याय प्रणाली की भूमिका और स्थान की व्यक्तिपरक अवधारणा पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया है।

की–वर्ड ;ज्ञमलॅ.वतकद्धः– बाल अपराध, मानसिक विघटन, निर्धनता, नगरीकरण, बाल न्यायालय

प्रस्तावना ;

आज भारत ही नहीं अपितु विष्व के समस्त देष 'बाल अपराध' से ग्रसित है। बाल अपराधी हर काल एवं हर प्रकार के समाजों में रहे है। समाज के सुख–षान्ति एवं समृद्धि के लिए बाल अपराध खतरे की घंटी के समान है, जो अन्ततोगत्वा देष के विकास की गति को अवरुद्ध करती है। बदलते समय के साथ बाल अपराध की प्रकृति में तीव्र गति से बदलाव आया है। आधुनिक सूचना तकनीकों का फैला जाल जैसे– मोबाइल, इंटरनेट, कम्प्यूटर, टी0वी0, मिडिया, समाचार पत्र, मोबाइल गेम आदि के द्वारा बाल अपराधियों की बढ़ती संख्या चिंता का विशय है। क्योंकि बच्चे भविष्य की धरोहर हैं उन्हें बाल अपराध जैसे सामाजिक कलंक से बचाने के लिए समाज, सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा बच्चों के प्राथमिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर उचित कदम उठाना चाहिए जिससे बाल अपराध में सुधार हो सके।

जब किसी नाबालिक द्वारा कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। भारतीय दण्ड संहिता द्वारा बाल अपराध की अधिकतम आयु बाल न्याय अधिनियम 1986, के अनुसार 7 से 16 वर्ष तक की आयु के बालक एवं 7 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं द्वारा किए गए कानून विरोधी कार्यो को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया। बाल न्याय अधिनियम 2000, में संशोधन करते हुए लड़के और लड़कियों दोनों के लिए यह उम्र सीमा 18 वर्ष कर दिया गया है। मानव समाज में बाल अपराध एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है।

उद्देश्य ;

1) बाल अपराध के प्रमुख कारणों का अध्ययन करना।
2) बाल अपराध के स्वरूपों का विश्लेषण करना।
3) बाल अपराध निवारण के लिए सुझाव देना।

साहित्य समीक्षा ;त्मअपमू व ित्पजमतंजनतमद्ध

ब्ंजमतए श्रवीद ंदक ज्तमअवत श्रवदमे ;1989द्ध – अपराध सामाजिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपराध भूगोल एक आलोचनात्मक अवलोकन प्रदान करता है, यह मानचित्रण से आगे बढ़कर आलोचनात्मक व्याख्याओं की ओर बढ़ रहा हैं।

ऌतउंद ेनाउं छमहंतं ;2021द्ध – बाल अपराधियों के अपराधिक समाधान के रूप में बच्चों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, मौलिक डायवर्जन बच्चों के सर्वोत्तम मित्रों को साकार करने के ऊपर लोगों में से एक है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि बच्चों के डायवर्जन उपकरण अपराधी की छवि से बच्चे की छवि को बेहतर बना सकता है।

च्ंदकमलए ैकींद ;2020द्ध – बाल अपराध में विद्यालय की भूमिका अधिक होती है विद्यालय ऐसी संस्था है, जहां बालक को सही और गलत से अवगत कराया जाता है। बालक के व्यक्तित्व एवं उसके चरित्र का निर्माण किया जाता है। इस कारण विद्यालय को बाल अपराध का एक प्रभावी कारक माना गया है।

डपीतंए टपतमदकतं ;1997द्ध – ने माना, माता पिता के अंदर विद्यमान बुराइयां बच्चों के सामने उजागर करने से बच्चे भी उसी बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। माता–पिता को भी बुराइयों से बचना चाहिए। बच्चों को ज्यादा लाड़–प्यार नहीं करना चाहिए। साथ ही बच्चों को मारना–पीटना, भला–बुरा कहना बुद्धिमत्ता नहीं, बच्चा कोई अपराध करता है, तो उसे समझाने का प्रयास किया जाए।

श्रींण डपीपत ज्ञनउंत ;2019द्ध – अपराध एक जटिल व्यवहार है जो उनके कारणों की उपज है। अपराधी व्यवहार में अनुवांशिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आर्थिक शारीरिक कारणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जन्म के समय हर प्राणी कोरे कागज की तरह होता है, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां अपराध की ओर ले जाते हैं।

बाल अपराध के प्रकार ; ज्लचमे व ि श्रनअमदपसम क्मसपुनमदबलद्ध

बाल अपराध बालक के आचरण या व्यवहार को प्रदर्शित करता है।

हॉवर्ड बेकर (1966) ने चार प्रकार के बाल अपराध का उल्लेख किया है–

1) व्यक्तिगत बाल अपराध
2) **समूह–समर्थित बाल अपराध**
3) **संगठित बाल अपराध**
4) स्थितिजन्य बाल अपराध

हिर्ष (भ्पतौ) ने किये गये अपराध के अधार पर छः प्रकार के बाल अपराध का उल्लेख किया है–

1) अषोध्यता ;प्दबवततपहपइपसपजलद्ध उदाहरण के लिए– देर रात तक घर से बाहर रहना।
2) चोरी (जीमजि) छोटी–मोटी चोरी से लेकर सषस्त्र डकैती तक।
3) सम्पत्ति की क्षति ;क्पेजतनबजपवद व ि च्तवचमतजलद्ध सार्वजनिक एवं निजी दोनों सम्पत्ति इसमें षामिल है।
4) **विद्यालय** से भागना ;ज्तंनदबलद्ध
5) हिंसा (टपवसमदबम) – व्यक्ति या समुदाय के विरूद्ध सषस्त्र हिंसा।
6) यौन–अपराध ;ैमग व ििमिदबमेद्ध –समलैंगिकता से लेकर बलात्कार तक।

बाल–अपराध के कारण ;ब्ंनेमे व ि श्रनअमदपसम क्मसपदुनमदबलद्धरू.

बाल–अपराध के लिये कोई एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी हैं। विद्वानों ने बाल–अपराध के लिये अलग–अलग कारणों को उत्तरदायी माना है।

सारणी–1

हंसा सेठ ने माना है कि बाल अपराध दो कारकों के अंतर्क्रिया से उत्पन्न होता है–

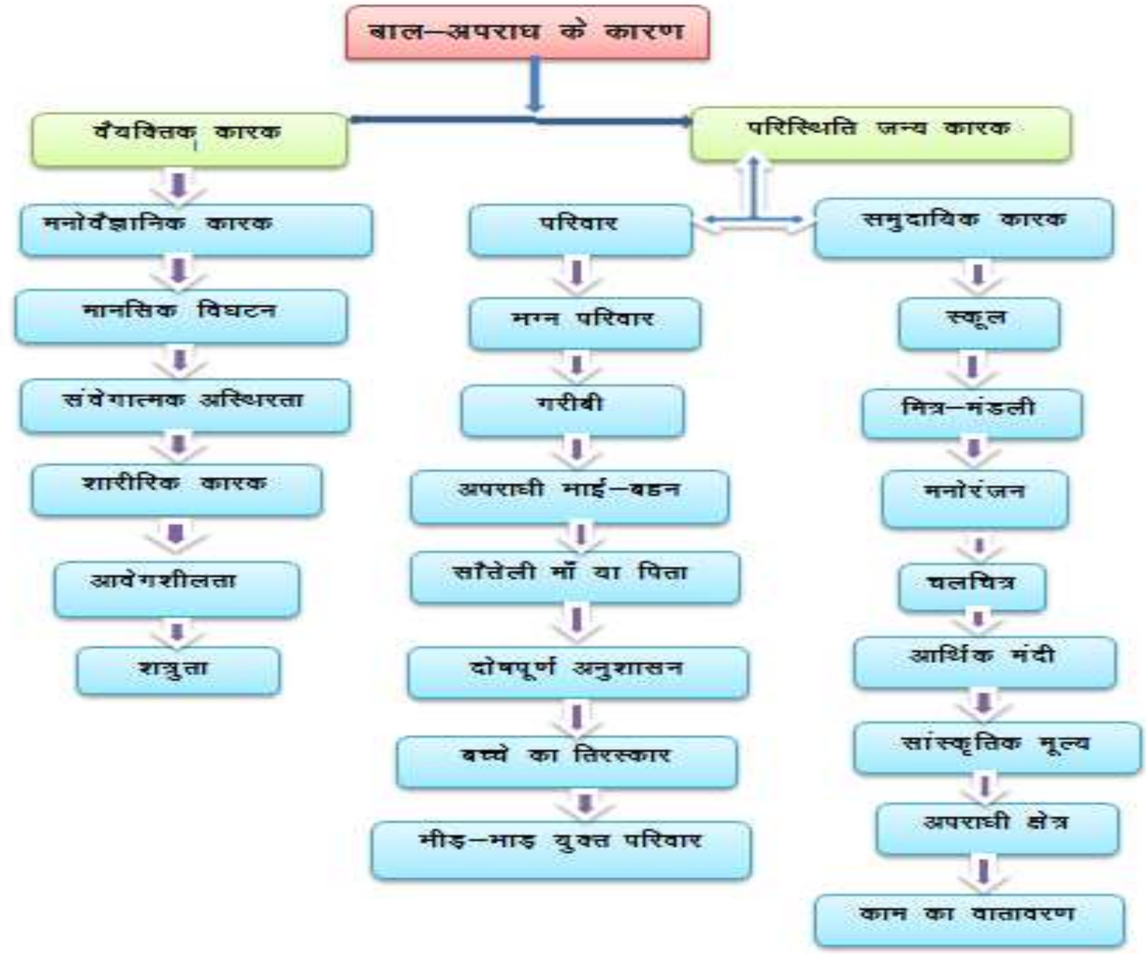

बाल अपराध एक सामाजिक समस्या है, अतः इसके अधिकांश कारण भी समाज में ही विद्यमान हैं। इसके कारणों को सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :–

1) **समाजिक कारण ¹ैवबपंस ब्नेमे) :–** बच्चा परिवार के बाद सबसे ज्यादा अपने आस–पास के सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। बच्चे की स्कूली–षिक्षा, उसकी मित्र–मण्डली, पड़ोस और परिवेष, मनोरंजन के साधन, अपराधी–क्षेत्र, आवारागर्दी, आर्थिक–मन्दी, युद्ध, प्राकृतिक–आपदा सबका बच्चे के व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है।
2) मनोवैज्ञानिक कारण (च्लबीवसवहपबंस ब्नेमे): मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक असामनाताओं को भी बाल–अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण माना है। गोडार्ड, डीली, ब्रोनर आदि विद्वानों ने मानसिक–पिछड़ेपन को बाल–अपराध का प्रमुख कारण माना है। हीली और ब्रोनर ने षिकागो के अपने अध्ययन में 63 प्रतिषत बाल–अपराधियों को ही स्वस्थ मस्तिश्क का पाया, षेश 37 प्रतिषत मानसिक कमजोरी एवं बीमारी आदि से ग्रसित थे।
3) षारीरिक कारण ;चैलेपवसवहपबंस ब्नेमेद्ध : जब बालक किसी प्रकार की षारीरिक अक्षमता का षिकार होता है तो उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है। कमजोर, बीमार और अस्वस्थ बच्चे अपराध की ओर आसानी से प्रवृत्त होते हैं।
4) आर्थिक कारण ;म्बवदवउपबंस ब्नेमेद्ध रू निर्धनता बाल अपराध का एक प्रमुख कारण भी है निर्धनता के कारण माता–पिता अपने बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, जिससे बच्चे चोरी, पाकेट्मारी, हेरा–फेरी, व राहजनी आदि असामाजिक या अमानवीय कार्य करने लगते हैं। गरीबी के कारण छोटे बच्चे बाहर काम करने जाते हैं बुरी संगत के शिकार बनते हैं और अंत में बाल अपराधी बन जाते हैं।
5) भौगोलिक कारण ;ळमवहतंचीपबंस ब्नेमेद्ध रू भौगोलिक स्थिति अपराध के मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रारंभिक अध्ययन शिकागो स्कूल ने अपराध को संदर्भ सहित समझाने के लिए मानव पारिस्थितिकी के सिद्धांतों का सहारा लिया। अपराध की उच्च दर स्थानीय आवास की कार्यप्रणाली को दर्शाती है

भारत में बाल–अपराध

भारतीय समाज में बाल अपराध दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रही है। वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगीकरण के कारण अधिकांष परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। परिवार में माता–पिता दोनों की नौकरी से बच्चे को स्नेह–प्रेम न मिलने के कारण अवसाद से ग्रस्त होकर अपराध में लिप्त हो रहे हैं। बाल अपराध की दर में विभिन्न वर्शों में उतार–चढ़ाव देखने को मिलता है 2019 ई. में अपराध दर 7.2 प्रतिषत थी, जो 2020 ई. में घटकर 6.7 प्रतिषत हो गई तथा वर्श 2021 में बढ़कर 7.0 प्रतिषत हो गई। वर्श 2019 में 32269 व 2020 में 29768 मामले पंजीकृत हुए जो 2019 की तुलना में 7.8

प्रतिषत कम रहें। 2021 में कुल 31170 पंजीकृत जो 2020 की तुलना में 4.7 प्रतिषत अधिक है। **(सारणी–2)**

सारणी–2

भारत में कुल अपराध, बाल–अपराध (संख्या एवं प्रतिषत)

वर्ष	कुल अपराध	बाल–अपराध	कुल अपराधों में बाल–अपराध प्रतिषत
2019	3225597	32269	9.9
2020	4254356	29768	14.3
2021	3663360	31170	11.7

स्रोतः– नेषनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो 2019, 2020 व 2021

अपराध के अंतर्गत प्रमुख रूप से हत्या, बलात्कार, अपहरण, आहत, दंगा, चोरी, सेंधमारी आदि को सम्मिलित किया गया है, इनमें बाल अपराध का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। जिसमें हत्या 829 (2019), 812 (2020) व 899 (2021) में पंजिकृत हुए, 2019 की अपेक्षा 2020 में हत्या कम हुआ लेकिन 2020 में बढ़कर 899 हो गया। बलात्कार 1249 (2019), 775 (2020) कम हुआ लेकिन 2021 में बढ़कर 1218 हो गया। अपहरण एवं व्यवहरण 963 (2019), 649 (2020) व 866 (2021) है। आहत 4055 (2019), 5165 (2020) व 5899 (2021), दंगा 1053 (2019), 973 (2020) व 746 (2021), चोरी 8697 (2019), 5778 (2020) व 6563 (2021), सेंधमारी 2128 (2019), 1799 (2020) व 1983 (2021), अन्य में 12173 (2019), 11164 (2020) व 12003 (2021) है। 2019 का अपेक्षा 2020 में सभी अपराधों में कमी देखा जा सकता है, 2020 में कोविड–19 का प्रभाव बाल अपराध पर पड़ा जो 2019 के अपेक्षा कम दर्शाता है लेकिन 2021 में पुनः बाल अपराध में वृद्धि देखा जा सकता है जैसा कि सारणी–3 व चित्र–1 से स्पष्ट है।

सारणी–3

विभिन्न षीर्शकों में बाल–अपराध 2019–2021

बाल–अपराध	2019	2020	2021
हत्या	827	812	899
हत्या का प्रयास	71	81	87
असावधानी के कारण	453	196	308
बलात्कार	1249	775	1218
बलात्कार करने का प्रयास	39	24	29
अपहरण एवं व्यवहरण	963	649	866
आहत	6055	5165	589
दंगा	1053	973	746
चोरी	8697	5178	6463
सेंधमारी	2128	1799	1983
कलह	22	34	12
अन्य	12173	11164	12003

स्रोतः– नेषनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो 2019, 2020 व 2021

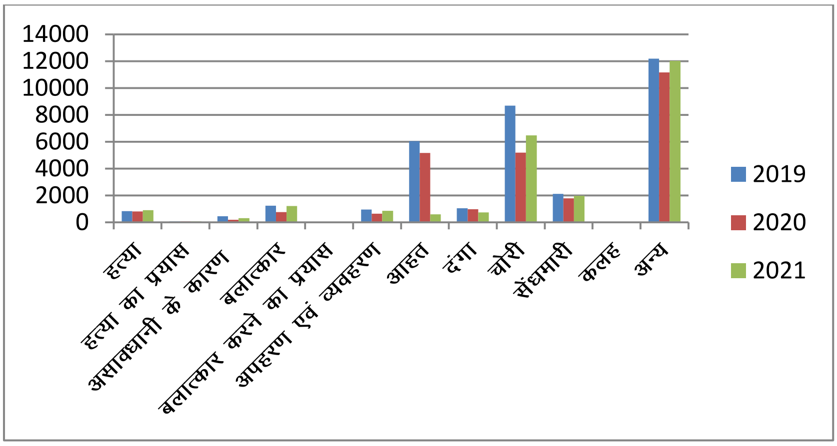

चित्र–1

सारणी–4: Crime Committed by Juveniles (IPC+SLL) 2019-2021

SL	State/UT	2019	2020	2021	Actual Children Population (in Lakhs) (2011)	Rate of Total Crime by Juveniles (2021)
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
STATES: 1 Andhra Pradesh		820	759	934	151.1	6.2
2 Arunachal Pradesh		24	15	8	5.9	1.4
3 Assam		129	247	206	120.8	1.7
4 Bihar		1560	827	732	475.0	1.5
5 Chhattisgarh		1647	2090	2004	97.5	20.6
6 Goa		27	25	9	3.8	2.4
7 Gujarat		2025	1812	1804	209.2	8.6
8 Haryana		1319	1042	1172	91.2	12.9
9 Himachal Pradesh		181	202	187	21.5	8.7
10 Jharkhand		76	59	51	138.4	0.4
11 Karnataka		453	438	527	193.5	2.7
12 Kerala		451	331	328	94.1	3.5
13 Madhya Pradesh		5522	4819	5684	287.6	19.8
14 Maharashtra		5189	4079	4554	361.1	12.6
15 Manipur		2	20	11	10.3	1.1
16 Meghalaya		75	59	60	13.8	4.3
17 Mizoram		23	21	33	4.2	7.8
18 Nagaland		6	3	7	8.2	0.9
19 Odisha		1162	1095	1334	144.1	9.3
20 Punjab		246	267	311	87.4	3.6
21 Rajasthan		2397	2386	2757	281.4	9.8
22 Sikkim		4	12	7	2.1	3.4
23 Tamil Nadu		2686	3394	2212	206.6	10.7
24 Telangana		1352	1013	1152	113.8	10.1
25 Tripura		39	28	16	12.3	1.3
26 Uttar Pradesh		976	1282	1330	853.3	1.6
27 Uttarakhand		94	77	60	38.0	1.6
28 West Bengal		537	586	551	300.0	1.8
TOTAL STATE(S)		**29022**	**26988**	**28041**	**4326.1**	**6.5**
UNION TERRITORIES: 29 A&N Islands		19	20	11	1.1	9.8
30 Chandigarh		117	50	54	3.2	16.7
D&N Haveli and 31 Daman & Diu+		28	24	18	1.9	9.4
32 Delhi		2783	2455	2643	55.4	47.7
33 Jammu & Kashmir*		299	171	323	49.1	6.6
34 Ladakh @		-	0	0	0.8	0.0
35 Lakshadweep		0	2	0	0.2	0.0
36 Puducherry		1	58	80	3.6	22.3
TOTAL UT(S)		**3247**	**2780**	**3129**	**115.4**	**27.1**
TOTAL ALL INDIA		**32269**	**29768**	**31170**	**4441.5**	**7.0**

स्रोतः– नेषनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो 2019, 2020 व 2021

भारत के ग्रामीण व षहर के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजो, कोचिंग संस्थाओं में लाखों की संख्या में किषोर वर्ग के छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं । सूचना–तकनीक, मोबाइल, इंटरनेट, वैष्वीकरण यातायात की सुविधाओं में वृद्धि और भौतिक सुख–संसाधनों की सुविधाओं ने ग्रामीण व षहर का परिदृष्य में बहुत अधिक बदलाव हुआ है। ऐसे में बाल–अपराध जैसी समस्या भी नये रूप धारण कर ली है। भारत में बाल–अपराध 2019 में 32269, 2020 में 29678 व 2021 में 31170 पंजीकृत हुए, जिनमें 2021 में मध्यप्रदेष 19.8 (5684) व महाराश्ट्र 12.6 (4554) उच्चतम दर दर्षाता हैं। राजस्थान 9.8 (2557), तमिलनाडु 10.7 (2212), छत्तीसगढ 20.6 (2004), गुजरात 8.6 (1804), मध्यम दर दर्षाता हैं। सिक्किम 3.4 (7), नागालैण्ड 0.9 (7), गोवा 2.4 (9), मणिपुर 1.1 (11), निम्नतम दर दर्षाता हैं। केन्द्रषासित प्रदेषों में दिल्ली में 47.7 (2643) उच्चतम दर व जम्मु और कष्मीर में 6.6

(323) निम्नतम दर दर्शाता हैं। (जैसा कि सारणी–4 व चित्र–2 से स्पष्ट है।)

चित्र–2

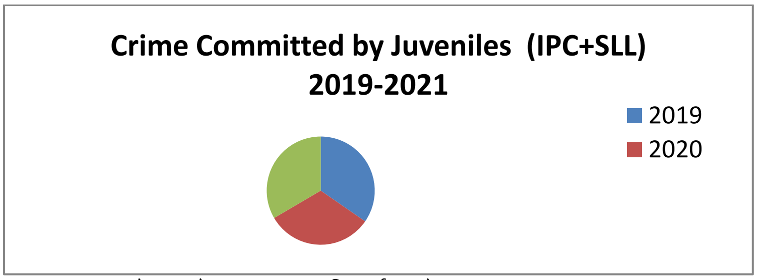

स्रोतः– नेषनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो 2019, 2020 व 2021

बाल अपराध रोकने के उपाय एवं उपचार की विधियाँ

1) बाल अपराध रोकने के उपाय :–

कानूनी उपाय :– बाल न्यायालय,

सुधारात्मक संस्थान :– रिमांड होम, बोर्स्टल स्कूल, बाल बन्दीगृह, प्रमाणित स्कूल

2) **बाल अपराधियों के उपचार की विधियाँ :–** मनोचिकित्सा, यथार्थ चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, क्रिया चिकित्सा, परिवेश चिकित्सा पद्धति

कानूनी उपाय :– बाल न्यायालय (श्रनअमदपसम ब्वनतजे)

किषोर बाल न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम :– भारत का सर्वप्रथम किशोर बाल न्याय अधिनियम 1986 में आया, इसे देशभर में सन् 2000 से लागू किया गया, बाल न्याय अधिनियम 2000 के अनुसार लड़के और लड़कियों दोनों के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष कर दिया गया था। इनमें सन 2006 व 2011 में कुछ संशोधन किए गए सन् 2015 में इस कानून में व्यापक परिवर्तन किए गए और यह एक नए स्वरूप में लागू किया गया इस कानून में 112 धाराएं एवं 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस कानून के संशोधन के पीछे कई कारण थे जिनमें प्रमुख रूप से संस्थाओं में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाएं और पर्याप्त सुविधाएं, देख–रेख एवं पुनर्वास की गुणवत्ता, अधिक संख्या में मामलों का लंबित रहना तथा 16 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों द्वारा किए जाने वाला जघन्य अपराध में वृद्धि थी। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद कानून में संशोधन कर लड़कों के लिए 18 वर्ष की जगह 16 वर्ष का उम्र निर्धारित किया किया गया है।

भारत का पहला बाल–न्यायालय 1922 में कलकत्ता में स्थापित किया गया, इसके बाद 1927 में मुम्बई और 1930 में मद्रास में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, भारत के सभी राज्यों में बाल न्यायालय हैं। बाल न्यायालय में प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी, अपराधी बालक, माता–पिता, परिवीक्षाधीन अधिकारी, साधारण पोशाक में पुलिस, कभी–कभी वकील भी उपस्थित होते हैं, बाल न्यायालय का वातावरण ऐसा होता है कि बालक के मन से न्यायालय का भय दूर हो जाता है, जैसे ही कोई बच्चा अपराध करता है, उसे पहले रिमांड क्षेत्र में भेज दिया जाता है और 24 घंटे के भीतर उसे बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

सुधारात्मक संस्थान

बाल अपराधियों को रोकने का दूसरा प्रयास सुधारात्मक संस्थानों और सुधारात्मक विद्यालयों की स्थापना करना रहा है जिनमें कुछ समय के लिए बाल अपराधियों को प्रशिक्षित किया जाता है, कुछ ऐसे संस्थान है जो इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कर रहे है।

रिमांड होम ;त्मउंदक भ्वउमद्ध

भारत में कुछ सदन खोले गये है जिनको ''रिमाण्ड होम'' कहा जाता है। यह रिमाण्ड़–गृह, बच्चों के नजरबन्द अथवा हिरासत के स्थान नहीं होते बल्कि उनके व्यवहार के निरीक्षण के स्थान होते हैं।

बोर्स्टर्ल स्कूल ;ठवेजमतस ैबीववसद्ध

इस संस्था का आविष्कार सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। जिसमें 15 वर्ष से 21 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। इन स्कूलों में शिक्षक भी दक्ष हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। इन स्कूलों में इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि यहां से जाने पर बच्चा समाज में अच्छा व्यवहार कर सके।

बाल बन्दीगृह ;बैपसकतमदे चतपेवदद्ध

बच्चों की जेलों को भी सुधारात्मक संस्थानों के रूप में विकसित किया गया है और ये बोर्स्टल स्कूल के सिद्धांतों पर निर्भर हैं।

प्रमाणित स्कूल ;ब्मतजपपिमक ैबीववसद्ध

ये स्कूल सामान्य शिक्षा के साथ–साथ औद्योगिक प्रशिक्षण (जैसे बढ़ईगीरी, कालीन बुनना, कढ़ाई, कताई, जिल्दसाजी, कपड़े धोना, शहद बनाना, संगीत, राजमिस्त्री और कृषि प्रशिक्षण) भी प्रदान करते हैं।

सुझाव

बालक, ज्ञान और समझदारी की कमी के कारण बाल–अपराध की ओर अग्रसर होते हैं । अतः उनके माता–पिता को शिक्षा, मोबाइल, कम्प्यूटर, इंटरनेट, चलचित्रों, मनोरंजन आदि के सम्बन्ध में समय–समय पर उन्हें निर्देशन करना चाहिए। इस प्रकार निर्देशन प्राप्त करने वाले बालकों से बाल अपराध की आशा नहीं की जाती है। गंदी बस्तियां बाल अपराधों के जन्म और विकास के लिए कुख्यात है। अतः इन बस्तियों को यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। चलचित्र बालकों की अपराध समिति को प्रसारित करने विशेष योग देते हैं अंतर राज्य द्वारा अपराधी और अनैतिक कार्यों का प्रदर्शन करने वाले चलचित्रों पर कड़ा कानून बनाना चाहिए। राजनीतिक दल बालकों को अनुचित कार्यों के लिए प्रयोग करके अपराध की ओर ले जाते हैं। अतः राज्य को कानून बनाकर 18 वर्ष तक की आयु के बालकों पर राजनैतिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा कर बाल अपराध रोका जा सकता है।

संदर्भग्रंथ सूची ;

1) Arman Sukma Negara (2021) Diversion as a crime solution toworlds child crime prepertroter, University Lampunga Indonesia. Jounrel
2) Becker,Howard S. 1966, „Social Problems‟ ; A Modern Approach, New York, , PP.226-228.
3) Cater, John and Trevor Jones (1989) "Crime and disorder." In Social Geography. Edited by J. Cater and T. Jones, 79-113. London: Edward Arnold,
4) Herbert, David. (1982) The Geography of Urban Crime. London: Longman,
5) Hirsch, Nathanieal. (1937) Dynamic Causes of Juvenile Crime, Cambridge.

6) झा, मिहिर कुमार (2019) अपराध और उसके कारण, इंटरनेशनल जर्नल आफ एडवांष एकैडमी स्टडीज
7) कुमारी, अलका (2016) बाल अपराध का विभिन्न आयामों का एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन (मुजफ्फरपुर जिला के संदर्भ में) बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मुजफ्फरपुर, बिहार विश्वविद्यालय, शोध–ग्रंथ – पृष्ठ 220
8) कुमारी, मंजू (2000) भारत में बाल अपराध प्रिन्टवैल पब्लिषर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर
9) कुमारी, षर्मिला (2015) बाल–अपराध का समाजषास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं उभरती प्रवृत्तियाँ (कोटा षहर के विषेश सन्दर्भ में), कोटा विष्वविद्यालय षोध–प्रबंध
10) Khan, Taznara (2017) Child trafficking a crime against humanity with special refrence to state of Assam. Gouhati University. Thesis
11) मिश्रा, विरेन्द्र (2000) परिवारिक संरचना एवं बाल अपराध, डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद पृष्ठ 224
12) पाण्डेय, साधना (2020) बाल सुधार गृह में रहने वाले बाल अपराधियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, (वाराणसी जनपद के संदर्भ में) शोध–ग्रंथ – पृष्ठ. 161
13) पाण्डेय, कन्हैया (1995) बाल अपराध के प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन गांव से नगर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी शोध–प्रबंध – पृष्ठ. 186
14) Paranjape, N.V (2021) Criminology & penology (Including victimology), central low Publication, Prayagraj- Page- 16-17
15) Yarwood, Richard (2015) “Geography of Crime” University of Plymouth
16) www.ncbr.gov.in
17) www.google.com
18) www.you tube.com

प्रयोजनमूलक हिन्दी : एक प्रासंगिकता

डॉ. रश्मी बी.वी.
प्राध्यापिका, युनिवर्सिटी कालेज, मंगलूरु, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक
Corresponding Author- डॉ. रश्मी बी.वी.
Email- rashubv2012@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8255973

भारत कसे बहुभाषी देश की संप्रेषण–व्यवस्था में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका है । शिक्षा, जनसंसार और ज्ञान–विज्ञान के प्रचार–प्रसार के साथ साथ अन्य कई नए व्यवहार क्षेत्र विकसित हो रहे है जिनमें हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ा रहा है । स्वतंत्रता से पूर्व हिन्दी का प्रयोग और मुख्यतः साहित्य तक सीमित था । यह भाषा, कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में तो निखरकर आई । साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को भी अपने भीतर समेटनी गई । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी भारत संघ की राजभाषा के पद पर आसीन हुई तो इसने अपनी साहित्यिक परंपरा की सीमा को लाँघकर व्यावहारिक रूप भी धारण कर लिया । आज वह प्रशासन, व्यापार–वाणिज्य, बैंक, विज्ञान, प्राद्योगिकी, जनसंसार आदि तकनीकी क्षेत्रों में पादार्पण कर देश–विदेश या क्षेत्र–विशेष के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । हिन्दी का यह व्यावहारिक रूप ही इसकी शक्ति बन गया है । अखिल भारतीय संदर्भ में हिन्दी का व्यवहार क्षेत्र सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, प्रशासनिक आदि विभिन्न कार्यक्षेत्रों तक फैला हुआ है ।

हमारे देश में जनसंचार माध्यम राजकीय और नीजी क्षेत्र में कार्यरत है तथा इन पर एक हद तक राजकीय नियंत्रण रहता है । आज अनेक टी.वी. उपग्रह चैनल जैसे आज तक ज़ी न्यूस, स्टार न्यूस, दूरदर्शन आदि जो मुख्यतः समाचार प्रसारित करते है, हिन्दी की प्रायोजनीयता के उदाहरण है । इससे हिन्दी रोजगार की भाषा बनकर उभरी है । हज़ारों समाचार पत्र–पत्रिकाएँ, रेडियों कार्यक्रम हिन्दी प्रायोजनीयता से जुड़े है । हिन्दी के कार्यक्रमों की जितनी लोक स्वीकृति है, उतनी किसी अन्य भाषा के कार्यक्रमों की नहीं है । विज्ञापन प्रयोजनमूलकता से सीधे सीधे संबंधित है । उदाहरणार्थ कुछ विज्ञापन प्रस्तुत है–बहुसाष्टि– या शीत पेय कंपनी कोकाकोला का विज्ञापन–ठंडा मतलब कोका–कोला । साक्षरता अभियान विज्ञापन इसी कारण इस क्षेत्र में हिन्दी प्रयोजनीयता के अधिक विकसित होने के प्रबल संभावनाएँ है । कंप्यूटर जनसंचार प्रशासन, निधि आदि विशिष्ट कार्यक्षेत्रों का विशिष्ट रूप होता है । इस भाषा रूप की अपनी अलग शब्दावली और संरचना होती है जो इसे विशिष्ट रूप प्रदान करती है । यह हिन्दी विषय के विशेषज्ञों के बीच विशिष्ट प्रयोजनों और विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होती है ।

यदि डॉक्टर, इंजिनियर, विधिबेत्ता, वैज्ञानिक प्रशासक आदि किसी विषय अथवा मामलो पर परस्पर विचार–विमर्श करते है तो उनकी भाषा हिन्दी उसी विषय के अनुरूप अभिव्यक्ति होगी । हिन्दी के प्रख्यात कथाकार एवं आलोचक राजेन्द्र यादव ने हिन्दी की प्रयोजनीयता के बारे में लिखा है कि किसी भी भाषा के विकास की संभावना तब दिखती है जब उस माध्यम में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो । कोई भी भाषा भावना से नहीं पनपती। भाषा के साथ कमाने खाने का तरीका क्या होगा, इस पर सोचने की किसी को फ़ुर्सत नहीं आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी माध्यम से ज्ञान–विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ।

वर्तमान में संपूर्ण विश्व में सूचना क्रांति का शोर है और इस क्रांति के सबसे बड़े घटक के रूप में कंप्यूटर हमारे सामने है । भारत में नौवे एवं दशक में सूचना तकनीक का विकास इतनी तेज़ी से हुआ है कि इसने सैंकड़ों वर्षों के सूचना विकास को पीछे दिया है। बड़ी संख्या में शासकीय तथा निजी संस्थानों का कंप्यूटरीकरण हुआ है । जिससे कामकाज के परंपरागत तरीकों में परिवर्तन आया है । कंप्यूटर के प्रयोगों से हिन्दी की कामकाजी एवं प्रयोजनीयता संबंधी नई मान्यताएँ सामने आई है । कुल मिलाकर दैनिक गतिविधियों, साहित्य–संस्कृति एवं प्रशासनिक कार्यों में कम्प्यूटर्के प्रयोग के एक नई व्यावसायिक चेतना प्रस्फुटता हुई है और यह निरंतर विस्तार पा रही है । इसमें एक तरफ जहाँ रोजगार के नए क्षेत्रों का सृजन होगा, वहीं दूसरी तरफ हिन्दी की सामाजिक अहमीयत एवं प्रयोजन मूलकता में भी निस्संदेह विस्तार होगा ।

आज हिन्दी की प्रयोजनमूलकता को प्रायोगिक क्षेत्रों में तलाशने से आभास मिलता है कि हिन्दी की प्रयोजनीयता गतिशील हो रही है । हिन्दी साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी, उद्योग–प्रौद्योगिकी, व्यापार–व्यवहार, वाणिज्य शासनों प्रशासन, विधि एवं सामाजिक विज्ञानों के माध्यम की दिशा में अपनी प्रयोजनमूलकता सिद्ध कर चुकी है । निःसंदेह आगामी समय में हिन्दी की प्रयोजनीयता को उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की चुनौती के साथ साथ सूचना क्रांति के उपादानों से भी

संघर्ष करना है । भारत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से एक विकासशील देश है । प्रयोजनपरक आयाम क संबंध साहित्येतर विषयों से होता है जहाँ भाषा वस्तुनिष्ठ होती है और उसका लक्ष्य जीविकोपार्जन का साधन बनना है ।

प्रयोजनमूलक हिन्दी अंग्रेज़ी शब्द फंक्शनल का पर्याय है । इसके नामकरण के विषय में विज्ञानों में मतभेद है ।

१) फंक्शनल हिन्दी
२) कामकाजी हिन्दी
३) हिन्दी कार्मिक
४) व्यावहारिक हिन्दी
५) व्यावसायिक हिन्दी
६) प्रयोजनमूलक हिन्दी

अंग्रेज़ी शब्द फंक्शनल हिन्दी को यथावत् स्वीकार कर लेने के पक्ष में बहुत से विज्ञान है । कुछ विद्वान इसे कामकाजी हिन्दी कहना उपयुक्त मानते है । डॉ. र्शक क्षेम डॉ. कंचन शर्मा जैसे विद्वान हिन्दी कार्मिक शब्द को सही मानते है ।

डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार निष्प्रयोजन हिन्दी कोई चीज़ नहीं है । लेकिन प्रयोजनात्मक विशेषण उसके व्यावहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया है ।

डॉ. नगेंद्र के अनुसार प्रस्तुत प्रयोजनमूलक हिन्दी के विपरीत अगर कोड हिन्दी है तो वह निष्प्रयोजनमूलक हिन्दी नहीं वरन् आनन्दमूलक हिन्दी है । आनंद केंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है । हम आनंदमूलक हिन्दी के विरोधी नहीं है । आनंदमूलक साहित्य के हम भी हिमायती है । पर सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हम संप्रेषण के बुनियादो आधार को भी अपनी नजर से ओझल ही करना चाहते है ।

व्यावहारिक हिन्दी में हिन्दी के व्यावहारिक व्याकरण को पर्याप्त स्थान मिला है । परंतु फंक्शनल हिन्दी में केवल व्यावहारिक व्याकरण ही नहीं है अपितु २१वीं सदी के उदारवादी एवं बहुराष्ट्रीय परिवार के कामकाज में आनेवाली भारतीय भाषा का स्वरूप है ।
कामकाजी हिन्दी से प्रशासन, व्यापार, खेती–बाड़ी आदी सीमित क्षेत्रों की भाषा का बोध तो हो सकता है किंतु वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, अनुसंधनात्म आदि के व्यापक–क्षेत्र इससे अछूते रह जाते है ।

संसार में प्रत्येक भाषा का प्रयोग किसी न किसी प्रयोजन के लिए ही होता है । बिना प्रयोजन के कोई भी भाषा नहीं रहती । विश्व में विज्ञान प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व फैलान के साथ भारत में भी ज्ञान–विज्ञान और प्रौद्योगिकी की औध्वी उमड़ पड़ी । आज के ग्लोबल उदारीकरण और प्रौद्योगिकी व्यवसाय माध्यम के रूप में हिन्दी को समर्पित करना है । उसकी अंतर्निहित क्षमताओं को अभिव्यक्ति प्रदान करती है । प्रयोजनमूलक हिन्दी का प्रयुक्ति क्षेत्र तथा व्याप्ति, प्रशासन–परिचालन, प्रौद्योगिकीतथा ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्रों तक फैली हुई है। इस हिन्दी की अपनी विषिष्ट प्रयोजन परक तकनीकी शब्दावली होती है, जो सरकारी कार्यालय, मानविकी, विज्ञान एवं तकनीकी, वाणिज्य, विधि, अनुवाद, पत्रकारिता, इलेक्ट्रानिक क्षेत्र, दूरसंचार तथा कम्प्यूटर आदि सभी विधाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है ।

प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध रूप इस प्रकार है कि; कार्यालयी या प्रशासनिक हिन्दि, विधि क्षेत्र की हिन्दी; ऊचनार्थक एवं प्रचारात्मक हिन्दी; विज्ञापन की हिन्दी; साहित्यिक हिन्दी' वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी; औद्योगिकी या व्यापारिक एवं व्यावसायिक हिन्दी ।

अपनी अनुकूलशीलता के कारण संप्रेषण – माध्यम के रूप में अपनाई गई संपर्क भाषा हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ । इस प्रकार इसके अखिल भारतीय संप्रेषण आधार के कारण इसे देश में सभी क्षेत्रों में कार्यमूलक आधार प्राप्त हुआ। सामाजिकता के साथ साथ सांस्कृतिक आधार तभी प्राप्त हो सकता है जब क्षेत्र के बाहर और क्षेत्र के भीतर होनेवाले समवर्ती द्विभाषी आंदोलनों में गहरा संबंध और आत्मसात्करण हो । इस प्रक्रिया में हिन्द देश की शब्द संपदा को आत्मसात कर सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उभरकर सामने आएगी और इसमें विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय मुहावरों का बाहल्य होगा । इस प्रक्रिया से तीन क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर समाज सजात शब्दों के विकास और प्रचार प्रसार तथा राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा ।

कामकाजी हिन्दी से प्रशासन, व्यापर, खेती–बाड़ी आदि सीमित क्षेत्रों की भाषा का बोध तो हो सकता है किन्तु वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, अनुसंधानात्मक आदि भाषा व्यापार–क्षेत्र इससे अछूते रह जाते है ।

संदर्भ ग्रंथसूची

१) प्रयोजनमुलक हिंदी – प्रो सूर्यप्रसाद दीक्षित
२) प्रयोजनमुलक हिंदी – डॉ नरेश मिर्शा
३) पयोजनमुलक हिंदी की नई भूमीका कैलाश नाथ
४) प्रयोजनमुलक हिंदी – डॉ मीना राजपूत पांडे

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, July-2023, Volume-15 Issue-15

डिजिटल नेतृत्व (डिजिटल लीडरशिप) क्षमताएँः एक व्यापक विश्लेषण

डॉ. ओम प्रकाश शर्मा
सहायक आचार्य – व्यावसायिक प्रशासन, बी.बी.डी. राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा,
(शाहपुरा) जयपुर, राजस्थान (भारत) पिनकोड– 303103
Corresponding Author- डॉ. ओम प्रकाश शर्मा
Email- omprakashsharma68@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.8255987

सारांश
आज के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में, प्रभावी नेतृत्व प्रौद्योगिकी–संचालित परिवर्तनों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए अद्वितीय दक्षताओं की मांग करता है। यह पेपर डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में नेताओं के लिए आवश्यक बहुमुखी कौशल और गुणों पर प्रकाश डालना है। मौजूदा साहित्य, केस अध्ययन और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों की समीक्षा करके, यह विश्लेषण डिजिटल संदर्भों, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता के अनुकूल मूलभूत नेतृत्व कौशल की खोज करता है, एक चुस्त मानसिकता, आभासी सहयोग और टीम नेतृत्व, डिजिटल वातावरण में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, नैतिक डिजिटल क्षेत्र में विचार और संचार कौशल। इसके अलावा, यह पेपर दूसरों में इन दक्षताओं को विकसित करने, डिजिटल क्षेत्र में निरंतर सीखने और डिजिटल नेतृत्व प्रभावशीलता के माप और मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालता है। इन आयामों को संश्लेषित करके, यह विश्लेषण डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं के जटिल ढांचे और आज के संगठनात्मक परिदृश्य में उनके सर्वोपरि महत्व की व्यापक समझ में योगदान देता है।
मुख्य शब्दः डिजिटल नेतृत्व, नेतृत्व क्षमताएँ, डिजिटल साक्षरता, चुस्त मानसिकता, आभासी सहयोग

परिचयः

प्रौद्योगिकी के तीव्र एकीकरण और डिजिटल परिवर्तन की विशेषता वाले समकालीन व्यावसायिक परिदृश्य में, नेतृत्व एक आदर्श बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जैसे–जैसे संगठन डिजिटल युग को अपनाते हैं, नेताओं को जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने और इस तकनीकी क्रांति द्वारा प्रस्तुत अवसरों का फायदा उठाने के लिए विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है। यह पेपर डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं के दायरे पर प्रकाश डालता है, उनकी परिभाषा, महत्व और नेतृत्व भूमिकाओं पर तकनीकी प्रगति के परिवर्तनकारी प्रभाव की जांच करता है।

डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं में कौशल, लक्षण और क्षमताओं की एक श्रृंखला शामिल होती है जो नेताओं को डिजिटल रूप से संचालित वातावरण में नेतृत्व करने की क्षमता से लैस करती है। ये दक्षताएं पारंपरिक नेतृत्व कौशल से आगे बढ़ती हैं और नेताओं को प्रौद्योगिकी की जटिलताओं, डेटा–संचालित निर्णय लेने, आभासी सहयोग और डिजिटल इंटरैक्शन में निहित नैतिक विचारों को समझने में कुशल होने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं (स्मिथ, 2020 व कुमार और शर्मा, 2021). डिजिटल नेतृत्व की विकसित होती प्रकृति के लिए नेताओं को न केवल मुख्य नेतृत्व आयामों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है, बल्कि रणनीतिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी निपुणता प्रदर्शित करनी होगी।

तकनीकी प्रगति मौलिक रूप से पारंपरिक नेतृत्व भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को नया आकार दे रही है। डिजिटल टूल, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का समावेश यह पुनर्परिभाषित कर रहा है कि नेता विभिन्न प्लेटफार्मों पर कैसे निर्णय लेते हैं, संवाद करते हैं और प्रभाव डालते हैं (हसन एट अल., 2021 व विलारोएल एट अल., 2022)। इसके अलावा, दूरस्थ कार्य और आभासी सहयोग की ओर बदलाव के कारण नेताओं को भौगोलिक रूप से फैली हुई टीमों की मांगों के अनुरूप अपनी संचार और प्रबंधन शैलियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है (एवोलियो और काहाई, 2021 व वांग एट अल।, 2021)। ये परिवर्तन नेताओं को डिजिटल मानसिकता विकसित करने और ऐसी दक्षता हासिल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो उन्हें जटिलताओं से निपटने और डिजिटल युग के अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाती है।

अध्ययन का उद्देश्यः

इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं का व्यापक विश्लेषण करना, डिजिटल युग में उनके बहुमुखी आयामों, महत्व और नेतृत्व प्रभावशीलता पर प्रभाव की खोज करना है। अध्ययन का लक्ष्य निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना हैः

1) प्रमुख डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं की पहचान करना
2) डिजिटल नेतृत्व के महत्व को समझना
3) आभासी सहयोग और टीम नेतृत्व को समझना
4) डिजिटल संदर्भों में नवाचार और रचनात्मकता को समझना

साहित्य की समीक्षाः

डिजिटल युग के आगमन ने नेतृत्व में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की है, जिससे डिजिटल वातावरण की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए दक्षताओं के एक नए सेट की आवश्यकता हुई है। यह साहित्य समीक्षा डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं के दायरे में प्रमुख आयामों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है, उनके महत्व और परस्पर क्रिया की खोज करती है। इन दक्षताओं में डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता, चुस्त और अनुकूली मानसिकता, आभासी सहयोग और टीम नेतृत्व, डिजिटल संदर्भों में नवाचार और रचनात्मकता, नैतिक और जिम्मेदार डिजिटल नेतृत्व, डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व, दूसरों में डिजिटल मानसिकता विकसित करना, प्रभावी डिजिटल संचार और प्रभाव शामिल हैं। डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं का मापन और मूल्यांकन।

डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता प्रभावी डिजिटल नेतृत्व का आधार बनती है। स्मिथ (2018) संगठनात्मक सफलता के लिए अपनी क्षमता का दोहन करने के लिए डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की समझ रखने वाले नेताओं के महत्व पर जोर देते हैं। यह योग्यता नेताओं को उचित निर्णय लेने, नवाचार को सुविधाजनक बनाने और लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के अनुकूल होने में सक्षम बनाती है।

डिजिटल वातावरण की गतिशील प्रकृति को नेविगेट करने के लिए चुस्त और अनुकूली मानसिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभरती है। जॉनसन और स्टिन्सन (2020) का तर्क है कि एक लचीली मानसिकता तकनीकी व्यवधानों के लिए तेजी से अनुकूलन, लचीलापन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन की क्षमता को बढ़ाती है। यह मानसिकता नेताओं को तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन अपनाने, प्रयोग करने और लगातार सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व में डिजिटलीकरण की दिशा में संगठनात्मक बदलाव का नेतृत्व करना शामिल है। चेन, सॉन्ग और चेन (2021) एक वैचारिक मॉडल का प्रस्ताव करते हैं जो डिजिटल परिवर्तन पहल की कल्पना और कार्यान्वयन में नेताओं की रणनीतिक भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस योग्यता के

लिए स्पष्ट दृष्टि, परिवर्तन प्रबंधन कौशल और व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ डिजिटल प्रयासों को संरेखित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

यह व्यापक विश्लेषण प्रभावी डिजिटल नेतृत्व के लिए आवश्यक दक्षताओं के जटिल जाल को रेखांकित करता है। नेताओं को डिजिटल साक्षरता को अपनाना चाहिए, चपलता अपनानी चाहिए, आभासी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, नवाचार को आगे बढ़ाना चाहिए, नैतिकता का उदाहरण देना चाहिए, परिवर्तन का नेतृत्व करना चाहिए, डिजिटल मानसिकता विकसित करनी चाहिए, संचार में महारत हासिल करनी चाहिए और मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करना चाहिए। इन दक्षताओं की परस्पर क्रिया नेताओं को डिजिटल युग की जटिलताओं के माध्यम से संगठनों को चलाने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे वे लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में पनपने में सक्षम होते हैं।

मूलभूत नेतृत्व क्षमताएँः

आज के तेजी से विकसित हो रहे व्यावसायिक परिदृश्य में, प्रभावी नेतृत्व के लिए डिजिटल परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल के अनूठे मिश्रण की आवश्यकता होती है। यह सामग्री डिजिटल युग में सफलता के लिए आवश्यक तीन महत्वपूर्ण मूलभूत नेतृत्व दक्षताओं पर प्रकाश डालती हैः अनुकूलनशीलता और परिवर्तन प्रबंधन कौशल, डिजिटल वातावरण में प्रभावी संचार, और जटिल, प्रौद्योगिकी–संचालित परिदृश्यों में समस्या–समाधान और महत्वपूर्ण सोच।

डिजिटल युग में अनुकूलनशीलता प्रभावी नेतृत्व के मूल में है। जैसे–जैसे प्रौद्योगिकियां आगे बढ़ती हैं और बाजार की गतिशीलता बदलती है, नेताओं को बदलाव के लिए तेजी से और सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता से लैस होना चाहिए। जॉनसन एंड स्टिन्सन (2020) के अनुसार, एक चुस्त मानसिकता अनिश्चितताओं और व्यवधानों से निपटने के लिए आवश्यक लचीलेपन को बढ़ावा देती है। परिवर्तन प्रबंधन कौशल को अपनाकर, नेता नई तकनीकों, प्रक्रियाओं और रणनीतियों के लिए सहज अनुकूलन सुनिश्चित करते हुए, बदलाव के माध्यम से अपनी टीमों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस योग्यता में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, इसके महत्व को संप्रेषित करना और एक ऐसा वातावरण बनाना शामिल है जो लचीलेपन और निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करता है।

डिजिटल परिदृश्य में, संचार नए आयाम लेता है। ली और किम (2018) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि नेताओं को विभिन्न प्लेटफार्मों पर विविध दर्शकों को शामिल करने के लिए प्रभावी डिजिटल संचार की कला में महारत हासिल करनी चाहिए। इस योग्यता में डिजिटल क्षेत्र में प्रतिध्वनित होने वाले संदेशों को तैयार करना, उपयुक्त चैनलों का उपयोग करना और संक्षिप्तता, स्पष्टता और दृश्य तत्वों जैसी ऑनलाइन संचार की अनूठी विशेषताओं पर विचार करना शामिल है। जो नेता डिजिटल संचार को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं वे सहयोग को बढ़ावा देते हैं, संबंध बनाते हैं और भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना अपने दृष्टिकोण को सम्मोहक ढंग से व्यक्त करते हैं।

डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षताः

डिजिटल युग में, नेताओं के पास मजबूत योग्यताओं का समूह होना आवश्यक है जो उन्हें संगठनात्मक सफलता के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में सक्षम बनाए। यह सामग्री डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता की बहुमुखी प्रकृति की पड़ताल करती है, डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों को समझने और नेविगेट करने, तकनीकी रुझानों और प्रगति के साथ अद्यतित रहने और निर्णय लेने और अंतर्दृष्टि के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता का एक मूलभूत पहलू डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों की विविध श्रृंखला को समझने और नेविगेट करने की क्षमता है। स्मिथ (2018) का दावा है कि नेताओं के पास संचार, सहयोग और उत्पादकता को सुविधाजनक बनाने वाली प्रौद्योगिकियों का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। इसमें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और टीम की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कार्यालय सॉफ्टवेयर, परियोजना प्रबंधन उपकरण और संचार प्लेटफार्मों में महारत हासिल करना शामिल है। जो नेता डिजिटल टूल से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वे वर्कफ्लो को अनुकूलित कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और डिजिटल परिदृश्य की बदलती मांगों के अनुरूप ढल सकते हैं।

तकनीकी प्रगति निरंतर हो रही है, उद्योगों को आकार दे रही है और व्यवसाय मॉडल को फिर से परिभाषित कर रही है। नेताओं को उचित निर्णय लेने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए इन रुझानों के साथ अद्यतन रहने की आवश्यकता है। जॉनसन और स्टिन्सन (2020) ने नेताओं के एक चुस्त मानसिकता को अपनाने के महत्व पर जोर दिया है जिसमें तकनीकी बदलावों के प्रति सचेत रहना शामिल है। इस योग्यता के लिए नेताओं को उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में लगातार सीखने, संगठन पर उनके संभावित प्रभाव का आंकलन करने और एकीकरण के अवसरों की पहचान करने की आवश्यकता होती है। तकनीकी रुझानों के बारे में सूचित रहकर, नेता अपने संगठनों को विकास और नवाचार के लिए सक्रिय रूप से स्थापित कर सकते हैं।

चुस्त और अनुकूली मानसिकताः

डिजिटल युग के गतिशील परिदृश्य में, निरंतर तकनीकी प्रगति द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए नेताओं के पास एक चुस्त और अनुकूली मानसिकता होनी चाहिए। यह सामग्री डिजिटल नेतृत्व के संदर्भ में चुस्त और अनुकूली मानसिकता के तीन प्रमुख आयामों की जांच करती हैः अस्पष्टता और अनिश्चितता को गले लगाना, रणनीतियों को आगे बढ़ाने की तत्परता, और प्रयोग और सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना।

डिजिटल परिवर्तन स्वाभाविक रूप से अस्पष्टता और अनिश्चितता की विशेषता है, क्योंकि उभरती प्रौद्योगिकियां उद्योगों को नया आकार देती हैं और पारंपरिक व्यापार मॉडल को बाधित करती हैं। चुस्त और अनुकूली मानसिकता वाले नेता मानते हैं कि डिजिटल परिदृश्य में अनिश्चितता एक स्थिर स्थिति है। जॉनसन और स्टिन्सन (2020) संगठनात्मक चपलता को सक्षम करने में मनोवैज्ञानिक लचीलेपन के महत्व पर जोर देते हैं। जो नेता अस्पष्टता को अपनाते हैं, वे लचीलेपन के साथ डिजिटल परिवर्तन के अज्ञात क्षेत्रों को नेविगेट कर सकते हैं, अज्ञात को प्रगति में बाधा के बजाय विकास के अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

तकनीकी व्यवधान मौजूदा रणनीतियों को तेजी से अप्रचलित बना सकते हैं। एक चुस्त और अनुकूली मानसिकता के लिए नेताओं को बदलती परिस्थितियों के जवाब में रणनीति और दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होती है। स्मिथ (2018) एक प्रबंधन दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है जो प्रौद्योगिकी–मध्यस्थता वाले कार्य को अपनाता है। नेताओं को न केवल संभावित व्यवधानों का अनुमान लगाना चाहिए, बल्कि डिजिटल गतिशीलता में बदलाव होने पर प्राथमिकताओं, संसाधनों और लक्ष्यों को तेजी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए लचीलापन भी रखना चाहिए। यह अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करती है कि संगठन तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के बावजूद प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बने रहें।

डिजिटल संदर्भों में नवाचार और रचनात्मकताः

समकालीन डिजिटल परिदृश्य में, नवाचार और रचनात्मकता संगठनात्मक सफलता के महत्वपूर्ण चालक हैं। यह सामग्री डिजिटल संदर्भों में नवाचार और रचनात्मकता के जटिल आयामों पर प्रकाश डालती है, जिसमें नवीन सोच और विचार निर्माण को प्रोत्साहित करना, प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता के

अंतर्संबंध को नेविगेट करना और एक ऐसा वातावरण बनाना शामिल है जो डिजिटल नवाचार का समर्थन करता है।

नेता एक ऐसा वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो नवीन सोच और विचार निर्माण को प्रोत्साहित करता है। स्मिथ और पीटरसन (2017) संगठनों के भीतर रचनात्मकता को बढ़ावा देने में नेतृत्व के महत्व पर जोर देते हैं। नेताओं को एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए जहां टीम के सदस्यों को यथास्थिति को चुनौती देने, नए समाधान तलाशने और परिकलित जोखिम लेने का अधिकार हो। नवीन विचारों को पहचानने और पुरस्कृत करके, नेता स्वामित्व और उत्साह की भावना पैदा करते हैं, कर्मचारियों को नवाचार प्रक्रिया में अपने अद्वितीय दृष्टिकोण का योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं।

डिजिटल नवाचार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है। जोन्स और मूर (2019) डिजिटल दुनिया में नैतिक नेतृत्व पर जोर देते हैं। नेताओं को ऐसी संरचनाएँ स्थापित करनी चाहिए जो नवाचार पहल के लिए संसाधन आवंटित करें, प्रयोग के लिए समर्पित समय प्रदान करें और विचार कार्यान्वयन में बाधा डालने वाली नौकरशाही बाधाओं को दूर करें। एक ऐसी संस्कृति जो विफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में मनाती है और जोखिम लेने के लिए पुरस्कार देती है, कर्मचारियों को अपरंपरागत रास्ते तलाशने के लिए सशक्त बनाती है, जिससे नवाचार का निरंतर चक्र चलता है।

नैतिक और जिम्मेदार डिजिटल नेतृत्वः

तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व का महत्व नए सिरे से बढ़ गया है। यह सामग्री नैतिक और जिम्मेदार डिजिटल नेतृत्व के जटिल आयामों पर प्रकाश डालती है, जिसमें प्रौद्योगिकी से संबंधित निर्णयों में नैतिक दुविधाओं को संबोधित करना, नेतृत्व प्रथाओं में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना और एआई और स्वचालन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नैतिक निर्णय लेना जटिल हो जाता है, क्योंकि नेताओं को नवाचार को नैतिक विचारों के साथ संतुलित करना चाहिए। जोन्स और मूर (2019) डिजिटल दुनिया में नैतिक नेतृत्व पर जोर देते हैं। नेताओं को प्रौद्योगिकी–संबंधी निर्णयों से उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं को पहचानने और उनका समाधान करने में कुशल होना चाहिए। इस योग्यता में तकनीकी विकल्पों के संभावित सामाजिक प्रभावों पर विचार करना, उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिमों का आंकलन करना और डेटा संग्रह, एल्गोरिदम और स्वचालन के नैतिक निहितार्थों का वजन करना शामिल है।

डिजिटल परिवर्तन नेतृत्वः

आधुनिक युग में व्यवसायों का डिजिटल परिवर्तन एक मूलभूत अनिवार्यता बन गया है, जिसके लिए प्रभावी डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व की आवश्यकता है। यह सामग्री डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व के प्रमुख आयामों पर प्रकाश डालती है, जिसमें डिजिटल परिपक्वता की दिशा में संगठनात्मक परिवर्तन लाना, प्रौद्योगिकी पहल के साथ व्यावसायिक रणनीतियों को संरेखित करना और डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान प्रतिरोध और चुनौतियों पर काबू पाना शामिल है।

डिजिटल परिवर्तन प्रक्रियाओं, रणनीतियों और मानसिकता में व्यापक बदलाव की मांग करता है। चेन, सॉन्ग और चेन (2021) डिजिटल परिवर्तन पहल में नेताओं की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करते हैं। नेताओं के पास अपने संगठनों के डिजिटल भविष्य की कल्पना करने की दृष्टि और परिवर्तन की तात्कालिकता की भावना को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। इस योग्यता में डिजिटल परिवर्तन के इर्द–गिर्द एक सम्मोहक कथा तैयार करना, क्रॉस–फंक्शनल टीमों को जुटाना और डिजिटल पहल को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना शामिल है। नेता डिजिटल परिपक्वता के लाभों और निहितार्थों की साझा समझ को बढ़ावा देकर संगठनात्मक परिवर्तन लाते हैं।

डिजिटल परिवर्तन नेतृत्व डिजिटल युग में संगठनों के सफल विकास का अभिन्न अंग है। जो नेता संगठनात्मक परिवर्तन लाने, व्यावसायिक रणनीतियों को प्रौद्योगिकी पहल के साथ संरेखित करने और प्रतिरोध पर काबू पाने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, वे एक निर्बाध और उद्देश्य–संचालित परिवर्तन यात्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। इन आयामों को अपनाकर, नेता नवाचार, अनुकूलनशीलता और निरंतर सुधार की संस्कृति में योगदान करते हैं, जिससे उनके संगठन गतिशील डिजिटल परिदृश्य में निरंतर सफलता के लिए तैयार होते हैं।

दूसरों में डिजिटल मानसिकता विकसित करनाः

तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में, प्रभावी नेतृत्व में न केवल व्यक्तिगत डिजिटल दक्षता बल्कि दूसरों में डिजिटल मानसिकता विकसित करने की क्षमता भी शामिल है। यह सामग्री दूसरों में डिजिटल मानसिकता विकसित करने के प्रमुख आयामों की पड़ताल करती है, जिसमें कर्मचारियों की डिजिटल दक्षताओं को प्रशिक्षित करना और विकसित करना, निरंतर सीखने और कौशल बढ़ाने को प्रोत्साहित करना और जिज्ञासा और अन्वेषण की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है।

अपनी टीम के सदस्यों की डिजिटल दक्षताओं को प्रशिक्षित करने और विकसित करने में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्राउन और कैवनघ (2019) प्रभावी नेतृत्व के लिए आभासी टीमों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। नेताओं को कौशल अंतराल की पहचान करनी चाहिए, लक्षित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और कर्मचारियों को डिजिटल टूल और प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कुशल बनने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। एक सहायक सीखने के माहौल को बढ़ावा देकर, नेता अपनी टीम के सदस्यों को डिजिटल परिवर्तनों के अनुकूल होने और संगठन की डिजिटल पहल में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना और कौशल बढ़ाना आवश्यक है। रॉबिन्सन और हार्वे (2016) का सुझाव है कि नेता डिजिटल मानसिकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेताओं को कर्मचारियों को उनकी सीखने की यात्रा का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें नए डिजिटल कौशल हासिल करने के लिए संसाधन और अवसर प्रदान करने चाहिए। इस योग्यता में एक विकास मानसिकता को बढ़ावा देना शामिल है जहां कर्मचारी सीखने को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जो उन्हें विकसित प्रौद्योगिकियों और उद्योग के रुझानों के साथ अद्यतन रहने के लिए प्रेरित करता है।

प्रभावी डिजिटल संचार और प्रभावः

समकालीन डिजिटल युग में, प्रभावी नेतृत्व में न केवल पारंपरिक संचार कौशल बल्कि डिजिटल क्षेत्रों में नेविगेट करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता भी शामिल है। यह सामग्री प्रभावी डिजिटल संचार और प्रभाव के प्रमुख आयामों पर प्रकाश डालती है, जिसमें विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से हितधारकों को शामिल करना, नेतृत्व ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन उपस्थिति का उपयोग करना और विविध डिजिटल दर्शकों के लिए संचार शैलियों को अपनाना शामिल है।

हितधारकों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने के लिए नेताओं को विविध डिजिटल चैनलों का लाभ उठाना चाहिए। ली और किम (2018) संगठनात्मक संचार पर डिजिटल नेतृत्व के प्रभावों पर जोर देते हैं। इस योग्यता में विभिन्न हितधारक समूहों की प्राथमिकताओं को समझना और विशिष्ट प्लेटफार्मों के लिए संदेश तैयार करना शामिल है। चाहे ईमेल, वेबिनार, पॉडकास्ट, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, नेताओं को जानकारी देने, संबंध बनाने और हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त चैनलों का उपयोग करना चाहिए।

सोशल मीडिया नेतृत्व की ब्रांडिंग और प्रभाव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। रॉबिन्सन और हार्वे (2016) डिजिटल साक्षरता बढ़ाने में नेताओं की भूमिका पर जोर देते हैं। नेताओं को लिंक्डइन, ट्विटर या उद्योग–विशिष्ट मंचों जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से एक विचारशील नेतृत्व व्यक्तित्व विकसित करना चाहिए। व्यावहारिक सामग्री साझा करके, बातचीत में भाग लेकर और विशेषज्ञता प्रदर्शित करके, नेता अपनी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और संगठनात्मक सीमाओं से परे अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं।

निष्कर्ष:

डिजिटल युग के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में, डिजिटल नेतृत्व दक्षताओं की खोज से व्यावहारिक निष्कर्ष मिलते हैं। व्यापक विश्लेषण उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है जो ये दक्षताएं आज की परस्पर जुड़ी और तकनीकी रूप से संचालित दुनिया की जटिलताओं से निपटने में निभाती हैं। जैसे–जैसे संगठन डिजिटल युग में सफलता के लिए प्रयास करते हैं, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, नवाचार को बढ़ावा देने, अनिश्चितता से निपटने और टीमों को प्रेरित करने की क्षमता प्रभावी डिजिटल नेताओं के आवश्यक गुणों के रूप में उभरती है। यह परीक्षा व्यक्तियों और संगठनों के लिए इन दक्षताओं को विकसित करने और परिष्कृत करने के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अनुकूलनीय, दूरदर्शी बने रहें और चल रहे डिजिटल परिवर्तन के बीच पनपने के लिए तैयार रहें।

सन्दर्भ:

1) Avolio, B. J., & Kahai, S. (2021). Remote leadership and effectiveness during the COVID-19 pandemic. The Leadership Quarterly, 32(4), 100487. doi:10.1016/j.leaqua.2020.101487
2) Cao, Q. (2019). Transformational leadership and digital business innovation: A conceptual review. Information & Management, 56(8), 103168. doi:10.1016/j.im.2019.103168
3) Hassan, R. E., Ismail, W. K. W., & Shariffuddin, A. A. (2021). The impact of leadership styles, readiness for change, and perceived digitalization on digital leadership practices. International Journal of Information Management, 57, 102288. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2020.102288
4) Johnson, S. D., & Stinson, J. E. (2020). Embracing an agile mindset: The role of psychological flexibility in enabling organizational agility. Organizational Dynamics, 49(100726).
5) Johnson, S. D., & Stinson, J. E. (2020). Embracing an agile mindset: The role of psychological flexibility in enabling organizational agility. Organizational Dynamics, 49(100726).
6) Johnson, S. D., & Stinson, J. E. (2020). Embracing an agile mindset: The role of psychological flexibility in enabling organizational agility. Organizational Dynamics, 49(100726).
7) Jones, M. S., & Moore, J. S. (2019). Ethical leadership in a digital world. Journal of Leadership Studies, 13(4), 314-323.
8) Jones, M. S., & Moore, J. S. (2019). Ethical leadership in a digital world. Journal of Leadership Studies, 13(4), 314-323.
9) Lee, Y. H., & Kim, J. Y. (2018). The effects of digital leadership on organizational communication and employee outcomes. Journal of Business and Technical Communication, 32(3), 294-322.
10) Smith, S. C. (2020). Creating innovative leaders for the digital age. Strategy & Leadership, 48(1), 23-29. doi:10.1108/SL-06-2019-0081
11) Smith, W. K., & Peterson, M. F. (2017). Leadership, organization, and history. In The Oxford Handbook of Organizational Theory and Behavior (pp. 287-307). Oxford University Press.
12) Tan, T. (2020). The role of digital leadership in facilitating digital transformation. Journal of Information Technology Management, 31(1), 10-17. Retrieved from https://journals.cluteonline.com/index.php/JITM/article/view/11517
13) Villarroel, V., Serrano, A., & Sánchez, M. (2022). Digital transformation and leadership in multinational corporations: The role of a virtual leader in a globally distributed team. Computers in Human Behavior, 127, 107112. doi:10.1016/j.chb.2021.107112
14) Wang, X., Zhang, J., & Sun, Y. (2021). The impacts of digital transformation on work and leadership in the 21st century: Challenges and opportunities. Computers in Human Behavior, 125, 107029. doi:10.1016/j.chb.2021.107029
15) चेन, वाई, सोंग, वाई, – चेन, एन. एस. (2021). संगठनों में डिजिटल परिवर्तन नेतृत्वः एक अवधारणा मॉडल और अनुसंधान योजना। आईईईई प्रौद्योगिकी प्रबंधन परियोजना.
16) रॉबिंसन, एच., – हार्वे, सी. (2016). डिजिटल मानसिकताओं को प्रतिष्ठित करनाः संगठन कैसे अपनी डिजिटल साक्षरता को बढ़ा सकते हैं। 24वीं यूरोपीय सूचना प्रणाली परिसंग की प्रक्रियाओं (ईसिस) के प्रकरणों, इस्तांबुल, तुर्की।
17) ली, वाई. एच., – किम, जे. वाई. (2018). डिजिटल नेतृत्व के प्रभाव संगठन संचार और कर्मचारी परिणामों पर। व्यावसायिक और तकनीकी संवाद का जर्नल, 32(3), 294–322.
18) स्मिथ, डब्ल्यू. के. (2018). डिजिटल नेतृत्वः प्रौद्योगिकी–माध्यस्थ काम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधन दृष्टिकोण। समाज दिशा, 12(10).

Chief Editor
Dr. R. V. Bhole
'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102
Email- rbhole1965@gmail.com
Visit-www.jrdrvb.com

Address
'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102